

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_176308

UNIVERSAL
LIBRARY

हमारे गाँवों का
सुधार और संगठन

लेखक
स्वर्गीय रामदास गौड़, एम. ए.

प्रकाशक
सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

प्रकाशक—

मार्तण्ड उपाध्याय,

मंत्री सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली

पहली बार : २०००

जून, सन् १९३८

मूल्य

एक रुपया

मुद्रक—

हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस,

नई दिल्ली

प्रकाशक की ओर से

स्वर्गीय श्री रामदासजी गौड़ की यह दूसरी रचना हिन्दी जगत् के सामने रखते हुए हमें हर्ष हो रहा है। गौड़जी की पहली रचना, जो कि इस ग्रंथ का एक प्रकार से पहला खण्ड है, मण्डल से 'लोक साहित्य माला' में 'हमारे गाँवों की कहानी' के नाम से हम प्रकाशित कर चुके हैं।

इस पुस्तक के पीछे एक लम्बा इतिहास है। सन् १९२९-३० के दिनों में स्व० गौड़जी से 'मण्डल' ने यह ग्रन्थ लिखाया था। सन् १९३०-३१ में गौड़जी ने उसे लिखकर अपने मित्र और 'मण्डल' के संचालक-मण्डल के प्रमुख सदस्य श्री महावीरप्रसाद पोद्दार को देखने के लिए कलकत्ते भेज दिया। ग्रन्थ बहुत बड़ा होगया था और उनकी तथा 'मण्डल' की यह राय हुई कि गौड़जी इसको कुछ छोटा कर दें और इसे देखने के लिए गुजरात-विद्यापीठ के आचार्य श्री काका कालेलकर और महामात्र श्री नरहरि परीख को भेज दें। इसके मुताबिक गौड़जी ने इस ग्रंथ को काका सा० को, सन् १९३१ के सितंबर महीने में जबकि वह काशी-विद्यापीठ के समावर्तन-संस्कार के निमित्त काशी गये थे, दे दिया। काका सा० और नरहरिभाई ने ग्रन्थ को देखा-न-देखा कि सन् १९३२ का आन्दोलन शुरू होगया, गुजरात-विद्यापीठ पर सरकार का कब्जा होगया और काका सा० और नरहरिभाई जेल चले गये। सन् १९३३ में जब विद्यापीठ पर से प्रतिबंध उठा तब 'मण्डल' के मंत्री ने उस ग्रन्थ के बारे में वहाँ पूछताछ की। लेकिन मालूम हुआ कि ग्रन्थ कहीं खो गया है। इतने बड़े और इतनी मेहनत से लिखे गये ग्रंथ के खो जाने से हम सबको बड़ा दुःख हुआ।

लेकिन सन् १९३४ में जब मण्डल दिल्ली आ चुका था, तब उत्साही राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता श्री बलवीरसिंह हमें मिले और गौड़जी की

की इस पुस्तक के बारे में पूछने लगे कि वह प्रकाशित हुई है या नहीं ? तब हमने उसके खो जाने की सारी कहानी उनको सुनाई । इसपर उन्होंने कहा कि उसकी एक नक़ल तो मेरे पास है, अगर आप चाहें तो मैं आपको दे दूँ । हमें यह सुनकर आनन्द हुआ और आश्चर्य भी । पूछने पर उन्होंने बताया कि जब यह पुस्तक श्री महावीरप्रसाद पोद्दार के पास कलकत्ता गई थी तब वह उनके साथ शुद्ध खादी भण्डार में काम करते थे । वहाँ इस पुस्तक को उन्होंने पढ़ा, और पढ़ने पर उनको यह इतनी अच्छी लगी कि रात-रातभर जागकर चुपके से इसकी नक़ल करली । इसका न तो पोद्दारजी को पता था और न गौड़जी को ही ।

श्री बलवीरसिंहजी ने ग्रन्थ 'मण्डल' को दे दिया । 'मण्डल' ने फिर गौड़जी को भेजा कि इसको अगर कुछ घटा दें और अद्यवत् (Up to date) बना दें तो इसे प्रकाशित किया जाय । लेकिन वह दूसरे ग्रन्थों के लेखन आदि में इतने व्यस्त रहे कि इसका संपादन न कर सके और अन्त में पिछले वर्ष भगवान् के घर जा रहे । उसके बाद यह ग्रन्थ फिर गौड़जी के मित्र श्री कृष्णचन्द्रजी (सबजज, काशी) की मारफ़त श्री पोद्दारजी के पास गया । उन्होंने इसे शुरू से अन्त तक पढ़ा और मण्डल को सलाह दी कि इसको अब जैसा-का-तैसा ही प्रकाशित करना चाहिए । इसी निश्चय के फलस्वरूप यह ग्रन्थ आपके हाथ में है ।

इस प्रकार श्री बलवीरसिंहजी के परिश्रम से गौड़जी का यह ग्रन्थ बच गया, इसके लिए वह हमारे और पाठकों के बहुत धन्यवाद के पात्र हैं ।

'मण्डल' ने इस ग्रंथ पर स्व० गौड़जी के परिवार को रायल्टी देना तय किया है । पहले तो यह ग्रंथ ही इतना उपयोगी और उत्तम है कि प्रत्येक ग्रामसेवक और लोकसेवक के लिए इसको अपने पास अपने मार्ग-दर्शन के लिए रखना बहुत ज़रूरी है । दूसरे जितना ही इसका अधिक

प्रचार होगा उतना ही स्व० गौड़जी के दुखी परिवार को आर्थिक सहायता होगी और होती रहेगी । इसलिए आशा है, प्रत्येक ग्रामसेवक और लोकसेवक इसे अवश्य खरीदेगा और लाभ उठावेगा ।

—मंत्री

सस्ता साहित्य मण्डल

प्रस्तावना

हमारा शरीर अत्यन्त सूक्ष्म, अत्यन्त बारीक मांस के कणों का बना हुआ है। प्रत्येक कण अपने अंग-अंग की दृष्टि से पूरा है। प्रत्येक का जीवन स्वतन्त्र है, फिर भी एक-दूसरे से मिला हुआ है, एक-दूसरे की पूरी सहायता करता है। हरेक अपना भोजन आप ही खींचकर लेता है, आप ही पचाता है। हरेक अपने सुख की सामग्री आप ही इकट्ठी करता है। अपनी कमी आप ही पूरी करता है। हरेक में जीवन की भीतरी सामग्री पूरी है, परन्तु कण समाज की सामूहिक व्यवस्था में, सबके इकट्ठे जीवन में, अपनेसे बाहरी सामग्री के इकट्ठे करने में और उसे जहाँ जितनी जरूरत हो उतनी बाँटने में, सब-के-सब बड़ी तत्परता से, पूरी मुस्तैदी से सहायता करते हैं, एक-दूसरे का हाथ बँटाते हैं। एक कण जब रोगी होता है, जब उसमें किसी तरह की कमी आती है, तब दूसरे कण उसके रोग के निवारण के लिए उपाय करने में कोई बात उठा नहीं रखते। परन्तु कभी-कभी कणों के समूह-के-समूह रोगी होजाते हैं। कभी तो इन कणों से बना हुआ सारा शरीर भी रोगी होजाता है। इसका अर्थ यही होता है कि शरीर के सभी कण रोगी होगये हैं। ऐसी दशा में सबसे चतुर और सबसे कुशल इलाज करनेवाला वही समझा जाता है जो हरेक रोगी कण की खबर लेता है, जो हरेक की चिकित्सा करता है, जो दवा की ऐसी नपी-तुली सूक्ष्म खूराक देता है जो हरेक कण को भला-चंगा करदे। कभी-कभी चतुर वैद्य इन कणों में से गये-बीतों को मृत्यु के मुख से बचा नहीं सकता। तब कण-समाज उस कण की कमी को आप पूरा करता है। हाँ, जब सभी कण रोगी होजाते हैं, सबमें से जीने की शक्ति का क्षय होने लगता है, जब सभी जवाब देदेते

हैं, तब कोई दवा काम नहीं करती और इन सब कणों से बना हुआ शरीर नष्ट होजाता है। परन्तु कभी-कभी जब रोग पुराना होजाता है, जब देह अत्यन्त दुबली होजाती है, जब रोगी निराश-सा होने लगता है, किसी रसायन के सेवन से, किसी चमत्कारिक चिकित्सा से, एकाएकी कण-समूह में कुछ ऐसा रद्दोबदल होने लगता है, कुछ ऐसा परिवर्तन होजाता है कि फिर से कणों का संगठन होजाता है, बुझते दीये में तेल पड़ जाता है। शरीर फिर भला-चंगा होजाता है।

हमारे देश का समाज भी भारतवर्ष की देह है। इसके मांसकण हमारे सात लाख के लगभग गाँव हैं। जब हमारा समाज-शरीर नीरोग था, उसके हरेक कण स्वतंत्र, समृद्ध, सुखी और सहकारी थे। परन्तु आज, चाहे जैसे ही कारणों से क्यों न हो, न तो हमारे गाँव स्वतन्त्र हैं, न समृद्ध हैं, न सुखी हैं, और न उनमें परस्पर सहकारिता है। समाज विश्रृंखल होरहा है। हर आदमी को बेकारी सताती है, अनेक ऐसे हैं जिनका अपना काम छिन गया है, दूसरों का काम करते हैं, पर उससे भी पूरा नहीं पड़ता। कुछ ऐसे हैं जो औरों की कमाई पर देश के इस संकट में गुलछरें उड़ाते हैं और अपने निकम्मेपन से दुःख उठाते हैं। इस समाजरूपी शरीर के खून चूसनेवाले जूँ, चीलर, किलनी, खटमल आदि स्थूल और कीटाणु और जीवाणु आदि सूक्ष्म अनेक पराये जन्तुओं ने बरबस अपना अधिकार जमा रक्खा है। समाज के पोषण की सामग्री मौजूद रहते हुए भी उसे नहीं मिल सकती। उसे बेकारी का रोग सता रहा है। वह आलसी और अकर्मण्य होगया है। शरीर में जितना चाहिए उतना रक्त नहीं रह गया। जो दशा सारे समाज-शरीर की है वही उसके एक-एक कण—एक-एक गाँव की है। वास्तव में गाँव-गाँव में वही दोष आगये हैं, इसीलिए सारा शरीर बिगड़ गया है। यदि हर गाँव

सब तरह से रंजापुंजा, भलाचंगा, सुखी-समृद्ध और आदर्श होजाय तो सारा शारीर फिर से सुधर जाय । सारा समाज फिर से भला चंगा हो-जाय । भारतवर्ष में फिरसे सतजुग आजाय । अगर हरेक कण अपने को ठीक करले और हरेक गाँव अपनेको सुधारले, अगर हरेक गाँव अपनेको स्वावलम्बी बनाले, अगर हर गाँव अपना स्वराज्य स्थापित करले, किसी और का मुँह न देखे, बल्कि इतना पक्का-पोढ़ा बन्दोबस्त करले कि दूसरे को भी उठाकर खड़ा करने की हिम्मत रखे, तब तो सात लाख गाँव स्वराज्य पा जायँ, इतना ही नहीं, सारा भारत स्वराज्य पा जाय ।

यहाँ यह पूछा जा सकता है कि शहरों का क्या होगा ? क्या शहरों के स्वराज्य पाये बिना गाँव भारत में स्वराज्य करा सकेंगे ?

शहर वितरण, व्यवस्था, केन्द्र आदि की दृष्टि से अपना महत्व अवश्य रखता है, परन्तु वह अपने पालन-पोषण के लिए तो गाँवों का ही सहारा ढूँढ़ता है । वह गाँवों के द्वार पर जाकर रोटी माँगता है तब जीता है; कपड़े माँगता है तब तन ढकता है । शहर गाँव का वह बिसाती है जो कुछ ज़रूरी चीज़ों के साथ ही साथ शौक और ऐश-आराम की चीज़ें बेचकर गाँव को अधिकांश ठगता रहता है । शहरों से लाभ कम है, हानि अधिक, क्योंकि परसत्त्वभोजियों का यही विहारस्थल है । यह अन्न-धन बाँटता है सही, पर इससे आज वे लोग अधिक लाभ उठाते हैं जिनका हक धन पर कम है । इसीलिए शहर स्वावलम्बी अगर कभी हो भी सकता है तो स्वयं गाँव बनकर या गाँवों के ही सहारे । अर्थात् शहर शहर की हैसियत से सच्चा स्वावलम्बी नहीं होसकता । भारत के समाज-शरीर में शहर का हिस्सा अवश्य कम है, अतः गाँवों में स्वराज्य होजाना सारे भारत में स्वराज्य होजाना है ।

इसलिए भारत-समाज के रोगी शरीर का इलाज होना जरूरी है कि वह खाट से उठकर चलने-फिरने लगे, काम-धंधा करने लगे, भरपूर भोजन करने और पचाने लगे । उसकी मरी भूख जी उठे, जग जाय । वह आन के भरोसे न रहे, बल्कि औरों को सहारा देने लायक बन जाय । दवा जल्दी देनी चाहिए, क्योंकि अभी तड़का है, अभी रोगी अंगड़ाइयाँ ले रहा है, सवेरे निहार मुंह की दवा जल्दी लाभ पहुँचाती है । हमारे बड़े भाग्यों से हमें एक उत्तम चिकित्सक मिल गया है । हमें इस अवसर को खोना न चाहिए । उसने नाड़ी देखी है, रोग का निदान किया है, चिकित्सा सोच ली है, दवा ठीक करली है । वह दवा है **ग्राम-संगठन** । उसने जैसे इस दवा का सेवन बतलाया है, उसीमें देश का कल्याण है । यह दवा समय लेगी, रोगी धीरे-धीरे भला-चंगा होजायगा । इसके लिए धीरज से उपचार करना होगा । जब भला-चंगा हो जायगा तब ठोस स्वराज्य मिलेगा । राजनैतिक स्वराज्य चाहे कल ही मिल जाय, परन्तु बिना इस ठोस स्वराज्य के राजनैतिक स्वराज्य ठहर नहीं सकेगा । बिना नींव के भीत बहुत दिनों तक खड़ी नहीं रह सकती । बुद्धिमान घर बनानेवाला पहले नींव दृढ़ करता है तब भीत उठाता है । स्वराज्य की भीत तो तभी उठेगी, जब ग्राम-संगठन की नींव पोढ़ी पड़ जायगी । कुराज्य और पर-राज्य की भीत ढहाने का काम आज जल्दी भले ही होजाय, परन्तु इस नींव के काम में तो देर अवश्य लगेगी ।

किंसी बड़े भारी और महत्व के घर की स्वराज्य के पवित्र मंदिर की नींव देने का काम कोई पवित्र और भारी महिमावाला मनुष्य ही करता है । सो हमारे स्वराज्य-मन्दिर के लिए उसकी दृढ़ भीत की नींव बनाने के लिए उसकी आधार-शिला उसी महात्मा ने रखी है

और उसने दवा तजवीज करदी है । रोगी की सेवा, उपचार, पथ्य का देना, समय-समय पर दवा खिलाना शुश्रूषकों का काम है । इस रोगी के सेवकों के लाभ के लिए, इस इमारत के तैयार करनेवाले मजूरों की सहायता के लिए, इन पन्नों में **ग्राम-संगठन** पर भरसक विचार किया जायगा । गाँव पहले कैसे थे, आज कैसे हैं, कैसे होने चाहिएँ, और उन्हें वैसा बनाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए, इन्हीं बातों पर विचार करना इस पोथी का उद्देश्य है ।

भगवान करें यह पोथी पढ़नेवालों और उसपर बरतनेवालों के काम में सहायक और लाभदायक सिद्ध हो ।

रामदास गौड़

अनुक्रम

१. बेकारी का इलाज	३
२. भूमि पर अधिकार और बारडोली-विजय	—२३
३. विदेशी राज्य से असहयोग और सत्याग्रह	—५३
४. ज़मींदार, साहूकार और किसान	—६२
५. कर्जा और मुकदमेबाज़ी	—८०
६. गो-रक्षा	—९०
७. संगठन का श्रीगणेश	—९७
८. किसानों का आर्थिक सुधार और उनकी माली हालत	
की जाँच	—११३
९. शिक्षा-पंचायत	—१२४
१०. रक्षा-पंचायत	—१३६
११. व्यवसाय-पंचायत	—१४४
१२. सेवा-पंचायत	—१५३
१३. पूरा गाँव	—१६३
१४. गाँव का समाज	—१७०
१५. गाँव का धर्म	—१८१
१६. इष्ट और अनिष्ट खेती	—१८६
१७. किसान का कल्पवृक्ष कपास	—१९१
१८. खेती का सुधार	—२२७
१९. खाद का संग्रह और उपयोग	—२३६
२०. सिंचाई	—२४१
२१. गाँव के और रोज़गार	—२५७

२२. वास्तु-सुधार	—२६२
२३. बाज़ार और उत्सव	—२६६
२४. आधे भारत का सुधार	—२७४
२५. आपत्काल और आपद्दुर्म्मा	—१८७
२६. धर्म	—१९४
२७. ग्राम-स्वराज्य	—३००
२८. ग्राम-संगठन आरम्भ करनेवालों की तैयारी	—३०५
२९. ग्यारह बातें	—३१७
३०. गाँवों में जाकर क्या करना चाहिए ?	—३१९

हमारे गाँवों का
सुधार और संगठन

: १ :

बेकारी का इलाज

१. बेकारी की भयानकता

नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥

—गीता ३-५

एक क्षण भी कोई बिना कोई कर्म किये नहीं रह सकता। हरेक को प्रकृति के गुणों से बाध्य होकर कोई-न-कोई कर्म करना ही पड़ता है। जब प्रकृति ऐसी जबर्दस्त है कि कोई बिना कर्म किये रही नहीं सकता, तो जिन लोगों का रोजगार छीन लिया जायगा वे अपने बेकारी के समय में भला या बुरा कोई-न-कोई काम जरूर करेंगे। भारतवर्ष की किसानों और मजदूरों की इतनी भारी आबादी में जहाँ शिक्षा के सुभीते बिलकुल नहीं हैं, यह आशा करना व्यर्थ की कल्पना है कि बेकार जनता अपने बेकारी के समय को अच्छे कामों में लगायेगी। साधारण जन-समुदाय अपने बचे हुए समय को संसार के किसी भाग में कहीं भी अच्छे कामों में नहीं लगाता। यह बिलकुल स्वाभाविक बात है। भारत की जनता इसका अपवाद नहीं हो सकती। जब उसके पास कोई काम नहीं है और वह भूखों मर रही है तब उससे कोई बात अकरनी नहीं है। इस बेकारी का हमारे देश पर भयानक परिणाम हुआ है। संसार के अन्य संभ्य देशों में जब कभी बेकारों की गिनती हजारों और लाखों में पहुँचती है तो उसी समय देश-भर में उथल-पुथल मच जाती है, सरकारें बदल

जाती है, कान्ति हो जाती है। परन्तु भारतवर्ष की बेकारी हज़ारों और लाखों की गिनती की नहीं है। यहाँ की मर्दुमशुमारी बताती है कि बहुत काल से भारतवर्ष में भिखमंगों की संख्या पचास लाख से ऊपर है। देश में दस-दस बरस पर जो मर्दुमशुमारी होती है, उसमें बेकारों या अर्ध-बेकारों की गिनती नहीं कराई जाती। तब भी मर्दुमशुमारी की रिपोर्टों से ही हमने यह औसत निकाला है कि साल में छः महीने के लगभग हमारे किसान बिलकुल बेकार रहते हैं और इस बेकारी से उनकी भारी आर्थिक हानि होती है। दरिद्र किसान कर्जों से लद गये हैं, भूख के विकराल गाल में पिस रहे हैं, नशे से अपना विनाश कर रहे हैं, और मुदक़मेबाजी से अपनेको बरबाद कर रहे हैं। यह पूर्व-संस्कार का प्रसाद समझना चाहिए कि वे ऐसे मजबूत हैं कि इतनी विपत्तियों को झेलकर भी अबतक उनके प्राण बाकी हैं।

भारतवर्ष की जितनी बड़ी बरबादी हो चुकी है उसका प्रकट रूप उसका कंगाल होना है, और उसके कंगाल होने का सबसे बड़ा कारण उसकी भयानक बेकारी है। इस महारोग का इलाज तुरंत ही होना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की मजबूत आबादी भी धीरे-धीरे घट रही है, या कम-से-कम उस दर से नहीं बढ़ रही है जिस दर से कि जीते-जागते मनुष्यों को बढ़ना चाहिए।

२. बेकारी दूर करने के उपाय

इस बेकारी को मिटाने के लिए देश के अनेक हितैषियों ने तरह-तरह के उपाय सोचे और सुझाये हैं। उनमें से पहले हम उन उपायों पर विचार करेंगे जो कताई-बुनाई के अतिरिक्त हैं।

बम्बई की प्रान्तीय सहकारी-संस्था के सम्मान्य मन्त्री रावबहा-दुर तालमाकी साहब ने सन् १९२८ में किसानों के लिए 'खेती के होते

और रोजगार' नाम की एक पोथी प्रकाशित कराई थी। उन्होंने इस सम्बन्ध में बहुत उपयोगी विचार दिये हैं। उनका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि इस बेकारी का इलाज ऐसे ही कामों से ठीक रीति से हो सकता है जो मौसिमों के फेरफार से स्वतंत्र और खेती के कारबार से बिल्कुल अलग हों। संसार में कहीं भी केवल खेती के कारबार में पूरे ३६५ दिनों के लिए काम नहीं मिल सकता। संसार के सभी किसान कोई-न-कोई रोजगार जरूर करते हैं। भारत के किसान भी पहले तरह-तरह के रोजगार करते थे। वे सारे रोजगार ऐसे होते थे कि गांव छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता था। यह ठीक भी है। क्योंकि ऐसा रोजगार भी किसान के लिए बिल्कुल बेकार है जिसमें उसे घर छोड़कर कहीं बाहर जाना पड़े। खेती का काम ऐसा है कि किसी दिन उसे आधे ही दिन खेतों पर रहना पड़ता है, कभी उसका खेत का काम दो-चार घण्टे में ही पूरा होजाता है, कभी उसे दो-चार दिन की छुट्टी मिल जाती है और कभी कई महीनों की। इसलिए उसके पास ऐसा काम चाहिए जिसे वह जिस घड़ी चाहे शुरू करदे या करते-करते छोड़ दे। कल-कारखानों की मजूरी या शहरों में कुली का काम इस तरह का नहीं हो सकता। काम ऐसे होने चाहिएँ जिनसे उपजा हुआ माल खपाने के लिए बहुत दूर के बाजारों में न जाना पड़े। तालमाकी साहब ने जो-जो काम अपनी पोथी में सुझाये हैं वे सब भारत के गाँवों में बहुत जगहों पर थोड़े-बहुत होते ही हैं। कुछ काम ऐसे जरूर हैं जो केवल शहरों के पास हो सकते हैं। कुछ इस तरह के भी हैं जो बड़े पैमाने पर संगठन करके विदेशी व्यापार के काम में आसकते हैं। डेनमार्कवाले दूध, मक्खन, सुअर का मांस और अंडों का बहुत बड़ा रोजगार करते हैं। यह भी सच है कि हमारे देश में हिन्दुओं की एक बहुत बड़ी संख्या को छोड़-

कर बाकी लोगों को इस तरह के रोजगारों में कोई धार्मिक रुकावट नहीं हो सकती और रोजगारों के बढ़ने पर देश के एक बहुत अच्छे भाग को लाभ पहुँच सकता है। परन्तु ये बातें उस समय सोचने की हैं जब हमारे देश में ऐसे काम का पूरा प्रचार हो जाय जो बिना जात-पात, धर्म, समाज और व्यक्ति के बंधन के हरेक आदमी कर सके, और फिर देश को दूसरे देशों से व्यापार करके नफ़ा पहुँचाने का सवाल उठे। अभी तो हमारे सामने अपनी रक्षा का सवाल है।

हमारे देश में हिन्दुओं की अनेक जातियाँ मुगियाँ और सुअर पालती हैं, और जितने की समाज में जरूरत है इन रोजगारों से उतनी उपज होती ही रहती है। मुसलमानों और इसाईयों में मुसलमान और इसाई दोनों मुगियाँ जरूर पालते हैं और जो लोग अंडे खाते हैं उनके लिए कभी बाजार में अंडों की कमी की शिकायत पैदा नहीं हुई। अधिकांश हिन्दू और सभी मुसलमान सुअर से परहेज करते हैं। परन्तु पासी सुअर पालते हैं और जिन्हें सुअर के मांस, चर्बी आदि की आवश्यकता होती है, हमारा विश्वास है कि, उन्हें वह पर्याप्त परिणाम में मिल भी जाता है। बड़े पैमाने पर सुअर का मांस, चर्बी और मुगियों या बतखों के अंडे हमारे देश में विदेशों से नहीं आते। इसलिए हमें कोई विशेष चिन्ता नहीं है कि हमारे देश के इन रोजगारों पर विदेशियों की विशेष रूप से चढ़ाई है। भारत अहिंसक देश है। यहां इस तरह के रोजगार कभी सार्वजनिक नहीं हो सकते और न होने चाहिए।

फल और तरकारियों की खेती भारतवर्ष के बहुत अनुकूल है। पर फल और तरकारियों की जितनी मांग इस देश में है उतनी यहां उनकी उपज भी होती है। विदेशों से जो मुरब्बे और मुरक्षित फल आदि आते हैं, उनका परिमाण बहुत बड़ा नहीं है और उनकी

खपत बहुत धनवान श्रेणी में भी बहुत थोड़ी मात्रा में होती है। अगर कोशिश करके इनकी उपज बढ़ाई जाय तो यह रोजगार कुछ अधिक लाभ करा सकता है। परन्तु इस उपाय से, फिर भी, हम भारत के कंगालों की एक बहुत भारी संख्या अछूती छोड़ देंगे और बहुत थोड़े लोगों का रोजगार बढ़ सकेगा। सच तो यह है कि इस रोजगार को भी खेती में ही सम्मिलित समझना चाहिए। यह खेती से अलग नहीं हो सकता। यह इस तरह का रोजगार नहीं है जिसे जब चाहे शुरू करे और जब चाहे इसे छोड़कर दूसरे काम में लग जाय।

दूध-घी का रोजगार या गोपालन हमारे देश के लिए सबसे अच्छा रोजगार है। किसान के लिए गोपालन कामधेनु है। लेकिन बड़ी मुद्दत से बड़ी संख्या में गोवध होते रहने के कारण हमारे यहाँ का यह सनातन रोजगार आज बड़ी बुरी दशा में है। इसके ऊपर देश में बहुत काल से गोरक्षा का आन्दोलन भी चल रहा है। गोवंश के सुधार के लिए मुद्दत से पुकार हो रही है।^१ मगर अलग-अलग पैबन्द लगाने से वास्तविक गोरक्षा संभव नहीं है। मुसलमान और हिन्दुओं के गोहत्या-सम्बन्धी झगड़े तो असल में झगड़े ही हैं। गोवंश के नाश का असली कारण तो कुछ और ही है, जिसे जबतक दूर न किया जायगा तब-तक सारे सुधार बेकार हैं। यह सब जानते हैं कि हजारों गायें नित्य अंग्रेजी फौज के लिए कटती हैं, और अंग्रेजी सेना की जरूरत ब्रिटिश सरकार को इसलिए है कि हमारे देश को ब्रिटेन अपने कब्जे में रखे। इस तरह भारतवर्ष को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखने के लिए

१. इस सम्बन्ध में दीक्षितपुरा, जबलपुर के पं० गंगाप्रसाद अग्नि-होत्री मुद्दत से स्तुत्य प्रयत्न कर रहे हैं। गो-साहित्य पर उनकी लिखी छोटी-छोटी पोथियाँ और लेख पढ़ने योग्य हैं।

गोवंश का नाश जरूरी हो जाता है। इसलिए भारतवर्ष जबतक स्वाधीन न होगा तबतक गोवंश की वास्तविक रक्षा नहीं हो सकती। बेकारों की बेकारी गोपालन के द्वारा दूर करना अभी सम्भव नहीं है। क्योंकि गोचर-भूमि जोत-जोतकर खेत कर दिये गये हैं। ब्रिटिश राज्य के आरम्भ में ही लाट-के-लाट गोचर भूमि का नीलाम करके एक तरफ़ से मालगुजारी खड़ी की गई और दूसरी तरफ़ से गोपालन का रोजगार नष्ट कर दिया गया। अब जिन किसानों को एक बार पेट भर भोजन नहीं मिलता वे बेचारे गाय को खिलाने के लिए चारा कहाँ से लायेंगे ? जिनके पास खेती के एकमात्र आधार बैल हैं, उनकी दशा भी शोचनीय है। भूखे, दुबले, हाड़, चाम-मात्र रखनेवाले बैल भरपेट चारा न पाने के कारण आधे से भी कम काम कर सकते हैं। जिनके पास गायें हैं, उनकी भी दशा अच्छी नहीं है। चारा कम मिलने से गायें दूध कम देती हैं और जल्दी सूख जाती हैं। इस प्रकार यह तो दरिद्रता का रोग है, जिसका मुख्य कारण है बेकारी। इसी बेकारी को दूर करने के लिए गोपालन को उपाय बताना ठीक नहीं है।

बकरी और भेड़ का पालन हमारे यहां के कुछ किसानों का रोजगार है। जैसे गोपालन का बहुत बड़ा रोजगार लेकर समाज में अहीरों और ग्वालों की सृष्टि हुई, वैसे ही भेड़-बकरी के रोजगार से हिन्दुओं के समाज में गड़रियों की एक बड़ी भारी जाति मौजूद है। यह रोजगार आवश्यकता के अनुसार चल ही रहा है। भेड़ बकरी पालने में किसान को कोई रुकावट नहीं है, इसलिए जिनसे होसकता है वे इस काम में पीछे नहीं रहते। यह रोजगार भी देश की आवश्यकताओं पर निर्भर है। भेड़-बकरी की बहुत बढ़न्ती की जरूरत नहीं है। यह ऐसा रोजगार भी नहीं है कि आदमी बरगम में छः महीना इसमें लगा रह सके। इस-

लिए इसमें भी बेकारी का वह इलाज नहीं है जिसकी हमें खोज है ।

मधुमक्खी पालने और शहद निकालने का रोजगार भी बहुत अच्छा है । इस काम की भी कुछ शिक्षा चाहिए । बिना शिक्षा के, बिना पाली हुई मधुमक्खियों से मधु निकालने का काम किसान लोग अब भी करते हैं । आवश्यकतानुसार मधु निकाला जाता है । कुछ खर्च करके यह रोजगार भी बढ़ाया जा सकता है । इससे देश का कुछ लाभ भी हो सकता है, परन्तु इसमें भी साल में छः महीने की बेकारी दूर करने का उपाय नहीं है ।

नेली का काम, कुम्हार का काम, चमार का काम, लोहार का काम, बड़ई का काम गाँवों में होता है और जरूरी है । ये सब रोजगारी किसान भी हैं और अपना रोजगार भी करते हैं । देश को इनकी सेवाओं की जितनी जरूरत है उतनी ये करते हैं । इनका काम बढ़ाने से मांग नहीं बढ़ जायगी । इसलिए इन रोजगारों का कोई असर देश की बेकारी पर नहीं पड़ सकता । इनमें से प्रायः सभी रोजगार ऐसे हैं जो किसान को थोड़ा-सा काम देते हैं । प्रायः सब में इसी तरह का काम है कि लगातार छः महीने तक कोई रोजगारी नहीं कर सकता । बड़ई, लोहार आदि का काम बच्चे और स्त्रियाँ नहीं कर सकते । कुम्हार का काम बरसात के दिनों में नहीं हो सकता । इनके सिवा रस्सी बंटने, टोकरी बनाने और चटाई बुनने के भी रोजगार हैं, जो हमारे देश में बराबर जारी हैं । इस बारे में हमारी जितनी जरूरतें हैं वे प्रायः सब अपने देश से ही पूरी होती हैं । हम इनके लिए विदेशों के मोहताज नहीं हैं । हमारे देश में इन रोजगारों के बढ़ने से बेकारी का रोग दूर नहीं हो सकता, बल्कि थोड़े से गरीबों का जो रोजगार पालन कर रहा है उसीमें चढ़ा-ऊपरी बढ़ जाने से इन रोजगारियों का नुकसान है ।

जंगल से बहुत-से लोग लाख और औषधियाँ संग्रह करके लाते थे, और बस्तियों में बेचा करते थे। लकड़हारे लकड़ियाँ काटकर लाते थे, और बेचकर अपनी रोटी चलाते थे; परन्तु जंगलों का इजारा सरकार ने ले लिया, इससे लाखों गरीबों का रोज़गार मारा गया और जानवरों को चराने के लिए कोई उपाय नहीं रह गया। इस तरह की जो बेकारी हो गई है वह तभी मिट सकती है जब कि जंगल किसीकी मिल्कियत न रह जाय।

मुग़ल राज्य के अन्त तक नमक पर महसूल ज़रूर था, परन्तु वह था बहुत थोड़ा। नमक बनाने का काम उस समय तक नोनिया जाति वाले लोग किया करते थे। भारतीय समाज में जैसे हर रोज़गारी की पंचायत थी, जात-पाँत बनी हुई थी, वैसे ही नमक के रोज़गारियों की भी जाति अलग थी। नोनिये भारत के सभी प्रान्तों में आजतक पाये जाते हैं। ये नमक बनाकर बेचा करते थे। कौटिल्य-अर्थशास्त्र से पता लगता है कि चन्द्रगुप्त के समय में नमक बनाने और बेचने का रोज़गार नोनियों के सिवाय ब्रह्मचारी, वनाश्रमी और श्रोत्रिय ब्राह्मण भी करते होंगे। बेरोज़गारों के लिए यह बड़ा अच्छा रोज़गार था, पर वर्त्तमान सरकार ने इसे हमसे छीन लिया। यह सरकारी इजारा जब प्रजा सरकार के हाथ से लेलेगी, तो उन नोनियों और गरीब किसानों को कुछ थोड़ा-सा काम ज़रूर मिल जायगा जो समुद्र-तट पर या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ नमक के खेत, झील, ताल या पहाड़ हैं। परन्तु भारत के सात लाख गाँवों के रहनेवाले सब तरह के किसानों के लिए छः महीने की बेकारी दूर करनेवाला काम यह नहीं है।

समुद्र, नदी, ताल पोखरे आदि से मछली निकालकर रोज़गार करने-वाले कभी नष्ट नहीं हुए। समुद्र के किनारे रहनेवालों का जहाज़

वनाने और चलाने का रोज़गार जरूर मारा गया, परन्तु ऐसे कारीगरों और मास्त्रियों की बेरोज़गारी हमारे देश की आंशिक बेकारी है। यह बेकार किसानों की बहुत बड़ी गिनती में जोड़ दी जा सकती है, पर इस बेरोज़गारी को दूर करने के लिए तबतक कोई उपाय नहीं हो सकता जबतक कि इस सम्बन्ध में विदेशों की गुलामी से छुटकारा न मिले।

रेशम और अंडी का रोज़गार भी हमारे देश में चल रहा है। विदेशों में व्यापार करने के लिए इन्हें बढ़ाया भी जा सकता है, परन्तु इन कामों में शिक्षा की भारी जरूरत है, और इनसे जितना चाहिए उतना लाभ होने में भी सन्देह है। फिर यह रोज़गार बढ़ाने से इनकी खपत उसी परिमाण में बढ़ जाय इसमें बहुत कुछ शुबहा है। इसके सिवा यह वह रोज़गार नहीं है जिसपर विदेशियों का इजारा है। हमारे देश के उन रोज़गारों में भी यह नहीं है जो हमारे यहाँ फैले थे और अब बरबाद होगये हैं। इसलिए यह भी इतनी भारी बेकारी को दूर करने का काफ़ी इलाज नहीं है।

खंडसालें हमारे देश की पुरानी चीज़ें हैं। पर विदेशियों की कृपा से यहाँ की बेगिनती खंडसालें नष्ट हो गई। आज भी जो चल रही हैं उनकी दशा अच्छी नहीं है। अतः खंडसालों को बढ़ाने की जरूरत है। परन्तु इस रोज़गार से किसान को तीन-चार महीने से अधिक काम नहीं मिलता, और यह काम भी निश्चित मौसिम में करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि जब बेकार रहे तब कर लिया और जब खेती पर काम हुआ तब छोड़ दिया। ऐसे मौसिमों में यह काम होता है जबकि खेती का काम किसान के पास बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यह कोई सुभीते का घरेलू धन्धा नहीं हो सकता।

सरकार ने भारत के लाखों रुपये खर्च करके शाही कमीशन के द्वारा

गाँव का पहाड़ खुदवाया, जिसने बड़े परिश्रम से तीन चूहे खोद निकाले ।
उसकी राय में :—

१—कल-कारखानों से किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हो सकता है ।

२—गाँव के व्यवसाय और घरेलू धन्धे बढ़ाये जा सकते हैं ।

३—भारत में किसान लोग ऐसी जगहों पर जाकर बस सकते हैं जहाँ खेती के लायक जमीन है ।

यही तीन बातें हैं जो खेती के शाही कमीशन को सूझीं । इतनी भारी रिपोर्ट में चरखे के बारे में कमीशन ने कोई चरचा नहीं की । जितने रोज़गार कमीशन ने सुझाये हैं उन रोज़गारों पर हम विचार कर चुके । जो रोज़गार ऐसे हैं जिनमें विलायती मशीनों का खर्च है उनकी हमने जान-बूझकर छोड़ दिया है । भारत काफ़ी लुट चुका, और मशीनें मंगाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं । मशीनों वाले रोज़गार हमारे दरिद्र किसानों के लिए नहीं हैं । कल-कारखानों से ज्यादा फ़ायदा विदेशियों को है । यह बात इतनी जाहिर है कि इसपर बहस करने की ज़रूरत नहीं । भारत के भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाकर बसने के सुभीते लोग समझते हैं, और इस तरह के फेरफार हो रहे हैं, पर इनसे भयानक बेकारी नहीं मिटती । विदेशों में जाकर हम इज्जत के साथ उसी दिन बस सकेंगे जिस दिन हमको यह अधिकार हो जायगा कि हम अपने देश में किसी विदेशी को बसने दें या न बसने दें । अभी हम अपने घर में गुलाम हैं, विदेशों में जाकर अपनी और बेइज्जती नहीं करानी है । इसलिए कमीशन की तीनों सिफ़ारिशें हमारे किसी काम की नहीं हैं ।

३. बेकारी का सच्चा इलाज

दरिद्र भारत के लाखों रुपये खर्च कराकर खेती के शाही कमीशन को जो बातें सूझीं वे सब प्रायः विलायत के मशीन बनाने वालों के

फायदे की थीं। भारतवर्ष में सूर्य के समान चमकते हुए चरखा-आन्दोलन की तरफ़ कमीशन की निगाह भी न उठ सकी, वह फिर भी अंधेरे में ही रहा और जान-बूझकर कोई ऐसा सहायक काम भारत के बेकार किसानों के लिए न खोज सका जिससे सारा भारत सहज में लाभ उठा सके। पर कमीशन चरखे की सिफ़ारिश करता ही क्यों? चरखे की बरबादी का कारण जो हुकूमत हो वही चरखा चलाने की सिफ़ारिश भी करे, यह कैसे हो सकता है?

हमने अच्छी तरह सब तरह के कामों पर विचार किया है। जितने तरह के काम अब तक सुझाये गये हैं हम उन्हें बिल्कुल नापसन्द नहीं करने। इनमें से कितने ही ऐसे काम हैं जिन्हें भारत के लोग मुद्दत से करने आये हैं। कुम्हार, बढ़ई, लोहार, धोबी, चमार, पासी, छोपी, रंगरेज़, धरकार, दबगर, सोनार, माझी, केवट, दरज़ी, जुलाहे आदि सब तरह के पेशेवर भारत में अबतक मौजूद हैं, जो अपने-अपने पेशे करते हैं। कुछ सुधारकों की यह राय है कि दरिद्र किसान इन पेशों में से कोई-कोई पेशे अख्तियार करलें, परन्तु यह प्रस्ताव हमारे किसी लाभ का नहीं है। हमारे देश में ये सब पेशेवाले देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रायः उतने ही पेशेवाले हैं जितनों की ज़रूरत है न कम है न ज्यादा। समाज में इन कामों में छीना-झपटी करना दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, मुद्दत से स्थापित समाज-साम्य को विचलित कर देने के प्रस्ताव अवश्य हैं। इसका फल यही हो सकता है कि भारत के लोगों में आपस में ही रोटी की चढ़ा-ऊपरी का कड़ुवापन और भी ज्यादा बढ़ जाय। हम लोगों को अपने समाज के पिछले इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अत्याचारों से पीड़ित होकर देश के कोरी, कोष्ठी, जुलाहे, ढेड़ और ताँती

लोगों ने जब देखा कि हमारा कपड़े की बुनाई का रोज़गार नहीं चल सकता तो उन्होंने और पेशे अख्तियार कर लिये। उनका सबसे अधिक भार खेती के ऊपर पड़ा। इस तरह किसानों की गिनती बढ़ गई, और खेती जब इतना भारी बोझ सम्हाल न सकी तो दरिद्रता के सताये हुए लोग गिरमिट की गुलामी में नाम लिखा-लिखाकर अपना घर-बार छोड़ दूर देशों में गुलाम बन गये। आपस की चढ़ा-ऊपरी का कितना भयानक नतीजा हुआ ! नहीं, हम ऐसा काम नहीं चाहते जिससे देश बरबाद हो। हाँ, हम यह ज़रूर चाहते हैं कि जिन रोज़गारियों के रोज़गार छिन गये उन्हें वे वापस मिलें। समाज का कल्याण इसीमें है। कोरी, कोष्ठी, ताँती, डेड़, जुलाहे आदि बुनाई करनेवाली जितनी जातियाँ अपने काम को नहीं तो नाम को ढो रही हैं। उन्हें उनका काम वापस मिले, उनके करघे फिर से चलने लगें, उनका रोज़गार फिर से हरा हो जाय। बहुत-से लोग तो किसानों में ऐसे मिल गये हैं कि वे पहचाने नहीं जाते कि पहले कभी ताँती थे। कपड़े की बुनाई के रोज़गार में इतनी गुंजाइश है कि इस कला को सीख लेनेवाले किसान अगर ताँती हो जायँ और भारत में इतना खद्दर तैयार होने लगे कि हमारी खपत से उपज बहुत बढ़ जाय, तो हम फिर संसार के बाज़ारों में अपना सुन्दर खद्दर बेचने लग जायँ। इस उपाय से खेती पर चढ़ा हुआ बोझ ज़रूर हलका हो सकता है। इसी तरह नोनियों का रोज़गार भी फिर से चल निकलना चाहिए। इस वक्त नोनियों की बहुत बड़ी संख्या मजूरी और बेलदारी के काम में लगी हुई है। अनेक नोनिये और-और काम कर रहे हैं। नमक का क़ानून रद्द हो जाय तो नोनियों का रोज़गार फिर से शुरु हो जायगा और नमक के क्षेत्रों के आसपास के दरिद्र किसान भी उसे अपना सकेंगे।

गाँवों के सुधार के लिए कुछ देशभक्तों का प्रस्ताव है कि कुएँ-तालाब वैज्ञानिक ढंग से खुदवाने, पक्के कराने, नालियाँ बनवाने, सड़कें कुटवाने, मदरसे के मकान बनवाने, उपयुक्त स्थानों पर धर्म-शालायें और कुएँ बनवाने आदि के काम ज़िला बोर्ड की ओर से ऐसे निकाले जा सकते हैं जिनसे किसानों को अपने-अपने गाँवों में सहायक काम मिल सकता है। ये सब काम बहुत अच्छे हैं और जो ज़िला-बोर्ड गाँवों के सुधार के लिए इस तरह के काम करावें वे सचमुच किसानों को बहुत कुछ लाभ पहुँचा सकते हैं। ये सब काम हैं भी ऐसे कि जिनमें खर्च बहुत लगता है और इसलिए ज़िला-बोर्ड जैसी संस्था ही इन्हें करा सकती है। ग़रीब किसानों के पास धन नहीं है कि वे सहकारिता द्वारा इस काम को पूरा कर सकें। इस तरह के जितने काम मिलें, बेकार किसानों को चाहिए कि उन सबको भरसक अपने अधिकार में कर लें।

परन्तु इन सब कामों को करने में न तो किसान को सारी बेरोजगारी का समय लगा देना संभव होगा और न वह इन कामों को फुटकर घड़ियों में सम्हाल सकेगा। उसे तो कोई ऐसा काम चाहिए जो वह अपनी फुटकर घड़ियों में अपने हाथ की पहुँच में पा जाय—किसीसे मांगना न पड़े। वह किसी तरह पर भी अपनी फालतू घड़ियों को काम में लाने में किसी दूसरे का मोहताज न हो। इस तरह का काम चरखे के सिवा और कोई नहीं है।

चरखा कभी किसी ज़माने में समाज के किसी एक अंग का रोजगार नहीं हुआ है। बच्चे, जवान, बूढ़े, नर-नारी जो चाहें चरखा चला सकते हैं। आटा पीसना, रई चलाना और चरखा कातना हरेक गृहस्थ के घर के तीन बड़े ज़रूरी काम हैं। ये काम बहुत-से किसानों के घर आज भी होते हैं। घर की स्त्रियों के लिए गृहस्थी में ये काम मंगलमय

और शुभ समझे जाते हैं। पिसा हुआ आटा, दूध, दही, मट्ठा ये सब चीजें नित्य के खाने के काम में आनेवाली हैं। चरखे से कता हुआ सूत इकट्ठा किया जाता है और उसके कपड़े बनते हैं। पहले तो किसान के परिवार के लिए ही कपड़ा चाहिए, फिर परिवार से बचा तो देश में कपड़े पहननेवालों की क्या कमी है? मनुष्य की तीन भारी आवश्यकतायें हैं। खाना, कपड़ा और रहने के लिए घर। चरखे का सूत इन तीन में से एक बड़ी आवश्यकता को पूरा करता है। भारत में आज सूत कातने और कपड़े बुनने की बड़ी भारी जरूरत भी है। यह जरूरत कम-से-कम साठ करोड़ रुपये सालाना की है, क्योंकि इसीके लगभग दाम का विदेशी कपड़ा हमारे देश में हर साल आता है, और उसके बदले उन्हीं दामों का अनाज खिचकर चला जाता है। हमें इतिहास बताता है कि हमारा घर-घर का घरेलू धन्धा विदेशी कपड़े के व्यापारियों के प्रसाद से छिन गया।^१ जिन दिनों चरखा चलता था उन दिनों किसानों में इतनी बेकारी न थी, और बे रोजगारी की घड़ियों में काम करने के लिए और सब धंधों के सिवाय चरखा भी एक व्यापक धन्धा था।

चरखे चलाने में जितने सुभीते हैं उतने किसी एक घरेलू धंधे में नहीं पाये जाते। वे सुभीते हम नीचे एक-एक करके दिखलाते हैं:-

१. और जितने काम हैं उनमें बल और परिश्रम इतना लगता है कि निर्बल और रोगी उन्हें नहीं कर सकते। लेकिन चरखा कातना ऐसा सुगम काम है कि उसे बच्चे, बूढ़े, निर्बल और रोगी सभी सुभीते से कर सकते हैं। किसीको इस काम में कड़ी मेहनत का कष्ट नहीं होता। यह काम मनबहुलाव-सा लगता है। इसमें अगर थकान भी मालूम होती है तो वह बहुत देर तक बैठने की थकान होती है।

१. “हाथ की कताई-बुनाई”: सस्ता साहित्य मंडल, दिल्ली। मू०॥२॥

२. चरखा कातने का सामान सस्ता और सुलभ होता है। हर गांव में आसानी के साथ बन जा सकता है। घर के भीतर यह बिलकुल थोड़ी जगह लेता है। इसकी रचना इतनी सीधी-सादी है कि इसकी मामूली मरम्मत के लिए किसी खास कारीगर की खोज नहीं करनी होती। ज्यादा-से-ज्यादा गांव के बड़ई और लोहार का काम पड़ता है।

३. इसके लिए कच्चा माल हर किसान के बस की चीज है। किसान चाहे तो उत्तम से उत्तम कपास उपजा सकता है, और छोटे पैमाने पर हर कातनेवाला अपने हाथ से ओट कर और धुन कर पूनयाँ बना सकता है। इन बातों में किसी दूसरे की मदद की जरूरत नहीं पड़ती।

४. इस धंधे का कच्चा माल बरसों तक रक्खा जा सकता है, खराब नहीं होता। किसान चाहे तो साल भर के काम के लिए कच्चा-माल इकट्ठा रख सकता है। इसके लिए किसी गोदाम की जरूरत नहीं है।

५. इस घरेलू कारबार के लिए किसी पूंजी की खोज नहीं होती, साहूकार से उधार लेने की भी जरूरत नहीं है। गांव में लकड़ी सस्ती होती है, मजूरी भी कम देनी पड़ती है, सब काम थोड़ में होजाता है। और जितने घरेलू रोजगार हैं उनमें ये सुभीते नहीं हैं।

६. और जितने कारबार हैं इन सबमें कच्चा माल प्रायः जितना खर्च किया जाता है उसीके हिसाब से तैयार माल उपजता है और उसके दाम चढ़ते हैं, परन्तु सूत कातने की कला ऐसी सुन्दर और मनोमोहक है कि जितना ही बारीक और बढ़िया सूत काता जाय उतना ही कम कच्चा माल लगता है और उतना ही कीमती सूत तैयार होता है। इस तरह कला में जितनी बढ़ती होती है, कच्चे माल की जरूरत में उतनी ही कमी होती जाती है।

७. सूत की कताई एक उत्तम प्रकार की कला होने के कारण

किसान का इस काम में खूब मन लगता है, उसके परिवार भर को कम-से-कम एक उत्तम कला की शिक्षा मिलती है, साथ ही अपने जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत भी पूरी होती है।

८. अगर सूत अपने परिवार की जरूरत-भर कता तो साल-भर के कपड़े के खर्च में किसान को बड़ी किरायात होती है। अगर सूत अपनी जरूरत से ज्यादा कत गया तो उससे लाभ उठानेवाले ग्राहक उसे अपने ही गाँव में बहुत मिल जाते हैं, उससे भी अधिक सूत तैयार हो तो किसी पास की सूत मंडी, सूत बाजार या हफ्तावारी पेंठ में सूत की बिक्री सहज में हो जा सकती है, और काननेवाले किसान के लिए आमदनी का एक द्वार खुल जाता है।

९. सूत की कताई बहुत कम मिलती है। तीन-चार घंटे की मेहनत में अगर तीन-चार पैसे मिल गये तो बहुत समझना चाहिए। देखने में तो यह रकम बहुत कम मालूम होती है, परन्तु परिवार में जो चार प्राणी हों और हरेक दो पैसे रोज की कताई करें, तो परिवार की आमदनी चार रुपये मासिक या अड़तालीस रुपये साल बढ़ जाती है। आदमी पीछे औसत-आमदनी किसान के लिए नौ पैसे रोज हो जाय, या आठ ही पैसे रोज होजाय तो दरिद्र किसान के लिए यह अच्छी वृद्धि है। जो सौ रुपये महीने कमाता है उसका वेतन सवा सौ हो जाय तो उसे उतनी तृप्ति और उतना सुख पचीस रुपया मासिक बढ़जाने पर नहीं होगा जितना सुख और तृप्ति सात पैसे रोज की आमदनीवाले को एक या दो पैसा रोज बढ़ जाने पर हो सकती है।

१. महात्माजी के आदेश पर अब सूत-कताई की मजूरी में काफ़ी वृद्धि होगई है और महात्माजी उसे आठ आने रोज पर ले आने का इरादा रखते हैं। —सम्पादक

१०. गाँव में ही किसी दूसरे के यहाँ जाकर कोई काम करके इतनी ही या इससे ज्यादा आमदनी हो तब भी वह सुभीते का काम नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों के यहाँ काम करने में समय का निश्चय करना जरूरी होगा और उसकी मरजी पर काम करना होगा। अपने घर के चरखे में आदमी को आज़ादी है। वह अपनी मरजी से काम करेगा। स्वतंत्र होकर काम करने के लिए चरखा एक नमूना है। घरेलू धंधे के रूप में चरखा आर्थिक स्वराज्य की मूर्ति है, और हर आदमी के छुटकारे और संयम की निशानी है।

११. दिन-रात में जब कभी फुरसत हुई चरखा कातने लग गये। जब कभी काम पड़ा, चरखा छोड़कर दूसरा काम करने लगे। इस तरह बीच-बीच में काम रोक देने से कताई में रत्ती-भर भी नुकसान नहीं है। और रोजगारों में इतनी उलझन है कि आदमी एकाएकी काम छोड़कर कहीं जा नहीं सकता।

१२. हमारे देश के किसान छः महीने के लगभग खेत के काम से खाली रहते हैं। इस अध्याय में हम और सुधारकों के सुझाये हुए जितने कामों की चर्चा कर आये हैं उनमें इस सुभीते के साथ किसान अपना खेत से बचा हुआ सारा समय काम में नहीं लगा सकता। परन्तु सबसे ज्यादा सुभीते की बात यह है कि मुख्य तौर से किसान अपनी खेती का काम करे। खेती के काम से जितना वक्त उसे बचे और वह सुभीते से लगा सके तो ऐसे धंधों में लगावे जिनमें अच्छी मजूरी खड़ी हो सके। जैसे एक कुम्हार खेती से बचे समय में मिट्टी के बरतन बनावे, पकावे और बेच भी ले। इसपर भी उसे समय बच जायगा, जिसमें उसके पास कोई काम न रहेगा। साल में चार-पाँच महीने जब बरसात के पड़ते हैं तब वह मिट्टी के बरतनों का काम नहीं कर सकता। इन दिनों वह सुभीते के साथ चरखा

कात सकता है। इस तरह हर किसान खेती के सिवाय ज्यादा मजूरी देनेवाले और धंधे करके भी बहुत-सा फालतू समय रखता है। इस फालतू समय को उसे चरखा कातने में जरूर लगाना चाहिए। मानलो कि साल में तीन महीना ऐसा फालतू समय किसान को मिलता है कि वह घर बैठे आठ-नौ घंटें चरखा रोज कात सकता है। इस तरह उसकी साल-भर की आमदनी में कम-से-कम दस-बारह रुपये बढ़ जाते हैं। जिन लोगों को साल में तीन महीने इस तरह से बचते हैं, ऐसे नर-नारी, बूढ़े, जवान, बच्चे सब मिलकर पन्द्रह करोड़ से कम न होंगे। अगर हम मान लें कि औसत आदमी पीछे दस रुपये साल की आमदनी हुई, तो इन पंद्रह करोड़ प्राणियों की आमदनी साल में डेढ़ अरब के लगभग हो जाती है। यह तो हुई केवल कताई की मजूरी। एक रुपये के खदर में साढ़े चार आना कातनेवाले को मिलता है। हिसाब के सुभीते के लिए अगर हम मानलें कि खदर की लागत में चौथाई हिस्सा कताई है तो इस तरह छः अरब रुपयों का खदर साल में तैयार हो सकता है। हमारे देश में इतने खदर में केवल दो अरब का खदर खप जायगा, बाकी चार अरब का खदर हम विदेशों में बेचने के लिए लाचार होंगे। इससे यह प्रकट है कि असल में पन्द्रह करोड़ प्राणियों को तीन महीने तक आठ-नौ घंटे रोज काम करने की भी जरूरत नहीं है। केवल पाँच करोड़ प्राणी छः महीने चार-पाँच घंटे रोज अगर चरखा कातें तो इतना खदर तैयार हो सकता है कि बम्बई, अहमदाबाद आदि के मिलों की जरूरत बिलकुल न रह जाय और जो भारी पूंजी और मुनाफा आरामतलब सेठों और रईसों के पास उनके भोग-विलास के लिए इकट्ठा होता है वह सब दरिद्रों में थोड़ा थोड़ा करके बट जाय, और बैटाई में व्यर्थ का कोई खर्च न हो। मानलो कि सोलह करोड़ ऐसे आदमियों में हर आदमी को दो-दो आना मजरी रोज

बैठवानी है, जो इकट्ठे किसी कारखाने में काम नहीं करते, दूर-दूर गाँवों में बसते हैं। इनके पास दो करोड़ रुपये रोज पहुंचवाने हैं। कोई विधान ऐसा नहीं है कि हम कफायत के साथ किस तरह सोलह करोड़ प्राणियों में दो करोड़ रुपये रोज बंटवा सकें। डाकखाने में मनीआर्डर का खर्च रुपया सैकड़ा लगता है। साहूकारों में हुंडी का रेट चार आने सैकड़ा है। डाकखाने का खर्च जगह-जगह बैटाई के प्रबन्ध के अनुसार बढ़ा हुआ है। दो आना आदमी पीछे बैटाई का खर्च हर तरह पर डाकखाने से ज्यादा ही पड़ेगा। अगर हम डाकखाने के बराबर मान लें तो दो करोड़ रोज की बैटाई के लिए कम-से-कम दो लाख रुपया रोज ऊपर से लगेगा। घर-घर चरखा कातने के काम में कम-से-कम रुपये सैकड़ों की तो बैटाई की ही बचत होती है। इसलिए चरखे से हर बात में देश के धन की रक्षा है, और समान रूप से जितने लोगों को जितने धन की बड़ी जरूरत है, चरखे के द्वारा उतना धन उनके पास पहुँच जाता है।

१३. विदेशों से हमारे देश में औसत माठ करोड़ का सूती माल हर साल आता है। इसीने हमारे देश में भारी बेकारी फैलाई है। चरखे के द्वारा हम एक निशान से दो शिकार मारते हैं। एक ओर से हम अपनी बेकारी दूर करते हैं और दूसरी ओर से हम विदेशियों की लूट का द्वार बंद कर देते हैं। इस तरह चरखे से एक पंथ दो काज हैं। और रोजगारों में विदेशी लूट से बचने का उपाय नहीं है—चरखे की कताई में है।

हमने इस प्रकरण में बेकार किसानों को दिये जानेवाले सब तरह के सहायक कामों पर विचार किया है। किसान का प्रधान काम खेती-बाड़ी है। खेती-बाड़ी के काम से फुरसत मिले तो वह ऐसा कोई काम करे जो उसे सहज में मिल सके, जिससे उसकी खेती-बाड़ी में कोई रुका-

वट न पड़ें और जिसमें उसे खेती-बाड़ी से ज्यादा मजूरी मिले। परन्तु इस सहायक धंधे से भी उसकी बेकारी का पूरा नहीं पड़ सकता। वह अपना बाकी समय चरखा कातने में लगाकर देश का और अपना उद्धार करे। जिस किसान को चरखे से ज्यादा मजूरी देनेवाला कोई सहायक काम न मिले वह चरखा कातना ही अपना कर्तव्य समझे। किसी किसान को यह न भूलना चाहिए कि चरखा कातने में कपास की खेती, कपास की ओटाई और धुनाई भी शामिल है। इन सब की भी अलग-अलग मजूरी होती है। एक रुपये के खद्दर में रुई उपजाने के लिए तीन आना बिनौला साफ करने के लिए दो पैसे, धुनने के लिए सात पैसे, और कातने के लिए साढ़े चार आने मिलते हैं। इस तरह एक रुपये के खद्दर में पौने दस आने किसान के पास पहुँच सकते हैं। खद्दर की लगभग दो-तिहाई कीमत अपनी मेहनत से किसान ले सकता है। दरिद्र किसान के लिए खद्दर का यह काम उसकी दरिद्रता दूर करने का सबसे सहज, सुलभ और सुकर साधन है।

भूमि पर अधिकार और बारडोली-विजय

१. किसान की लाचारी

हमारे देश के डेढ़सौ बरस पुराने पराधीनता के रोग के मुख्य लक्षण बेकारी और दरिद्रता हैं। इन दोनों का आपस का बड़ा घना सम्बन्ध है। इनमें से बेकारी के इलाज पर हमने पिछले अध्याय में विचार किया है। इसमें संदेह नहीं कि देश का शासन ठीक तरह का होता तो बेकारी का इलाज करने का काम उसीका था। अगर और सब दशायें हमारे अनुकूल होतीं तो इस रोग के दूर करने के लिए उचित उपाय न कर सकने वाली सरकार को एकदम बदल दिया जाता। परन्तु हमारी दशायें मुद्दत से विपरीत चली आ रहीं हैं। उनके होते हम सरकार के बदलने में अभी-तक हम समर्थ नहीं हुए। हम यह भी देखते और जानते हैं कि यह भयानक बेकारी विदेशियों के स्वार्थ की नीति से हमारे देश में मुद्दत से बराबर बढ़ती आ रही है। इसलिए हमारी यह आशा कि विदेशी सरकार या उसका कोई कमीशन इस बेकारी का कोई सच्चा इलाज ढूँढ निकालेंगे, बिल्कुल व्यर्थ है। हाँ, हमारे किसान भाई चाहें और थोड़ा स्वावलम्बन की ओर झुकें तो इस बेकारी की भयानक दशा को वे आप—बिना किसी बाहरी मदद के—दल सकते हैं। ऐसे ही स्वाधीन उपायों के ऊपर हमने पिछले अध्याय में विचार किया है। सब किसान एकमत हों, दृढ़ संकल्प करके, आलस्य और लापरवाही छोड़कर, अपने फूटे भाग्यों के भरोसे बैठ रहने की बान छोड़कर, संकट में एकमात्र सहायक 'भगवान

का नाम लेकर अगर दिनरात की अपनी बची घड़ियों में चरखे की अनन्य उपासना में लग जायें तो उनका आधा संकट दूर होजाय । बेकारी के पंजे से जब छुटकारा मिल जाय, तब वे समझें और सोचें कि और कौन-कौन से उपाय करने चाहिए, जिनमें किसान की सुख-समृद्धि और दरिद्रता मिटे । यह पक्की तौर से समझ लेना चाहिए कि पराधीनता रोग के निवारण के महा-यज्ञ में चरखा पहला संकल्प है । इस विधान को ठीक रीति से पूरा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं । सिवाय बेकारी रोग के और बाकी जितने सुधार हैं वे सब-के-सब ब्रिटेन की फौलादी मुट्ठी में ऐसे कसे हुए हैं कि जबतक इस फौलादी मुट्ठी को अपने दृढ़ संकल्प की भयानक आंच में पिघलाकर हम बहा न देंगे तबतक एक भी साधन हम काम में नहीं ला सकते ।

इस तरह का सबसे पहला प्रश्न भूमि के अधिकार का है । ब्रिटिश राज्य ने अपना सिद्धान्त यह रक्खा है कि भूमि की असली मालिक सरकार है । इसी नाते वह अपनेको आधे मुनाफ़े की हक़दार समझती है, और प्रायः सभी दशाओं में आधे से ज्यादा मुनाफ़ा प्रजा को चूस-चूसकर वसूल कर लेती है । लेकिन अनादिकाल से भारत में भूमि प्रजा की मिल्कियत चली आई है और राजा का अधिकार इतना ही है कि प्रजा की मिल्कियत की रक्षा के लिए राजा भूमि की उपज के दसवें हिस्से से छठे हिस्से तक कर के रूप में ले । इस कर की वसूली भी ज़बरदस्ती कभी नहीं हुआ करती थी । प्रजा से माँगकर यह कर लिया जाता था, और प्रजा उसे खुशी से अदा करती थी, क्योंकि स्वयं प्रजा ने ही मनु को रक्षार्थ कर देने की रज़ामन्दी ज़ाहिर की थी ।

आजकल जिन-जिन प्रान्तों में रैयतवारी प्रथा है, उनमें सरकार से सीधा सम्बन्ध है । सरकार मालिक और किसान आसामी हैं । जहाँ

जमींदारी की रीति चलती है वहाँ जमींदार असल में जमीन का मालिक नहीं बल्कि एक तरह का ठेकेदार है जो रैयत और सरकार के बीच में नफ़ा खाता है। उससे जो कुछ ठेका हो चुका है उसीके अनुसार वह सरकार के खजाने में मालगुजारी जमा करता है और रैयत से जो कुछ वसूल करता है उसमें से मालगुजारी की रकम बाद करके बाकी रकम वह अपनी जेब में भरता है। सरकारी मालगुजारी वसूल न हो तो यह ठेकेदारी या जमींदारी बिक जाती है। इसी तरह लगान न दे सके तो किसान खेत से हाथ धो बैठता है। कैसे आश्चर्य की बात है कि रक्षा की मजूरी इतनी बढ़ गई कि जिस चीज़ की रक्षा के लिए वह मजूरी दी जाती है वह चीज़ ही मजूरी में जब्त हो जाती है ! जिस कर को देने के लिए किसान को आये दिन अपने कर्जों के बोझ को बढ़ाये जाना पड़ता है और जो धीरे-धीरे सारी मिल्कियत को खा जाता है, वह कर अवश्य ही अपने उद्देश्य का विरोधी है। हमारे यहाँ के नीतिकारों ने लिखा है कि राज। पेड़ से गिरे हुए फलों की तरह प्रजा की आय का वह हिस्सा कर के रूप में वसूल करे जो प्रजा के लिए बिल्कुल फ़ालतू हो और जिसकी वसूली से प्रजा को किसी तरह का कष्ट न हो। परन्तु यहाँ कष्ट का तो कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ तो सारी मिल्कियत समाप्त हुई जा रही है।

जो कर अपना उद्देश्य पूरा नहीं करता, जिससे रक्षा के बदले विनाश होता है, उस कर का समूल विनाश करने में ही प्रजा की रक्षा है। भारत के किसान ने हाथ जोड़े विनतियाँ कीं, दरख्वास्तें दीं, वकीलों और अहलकारों की जेबें भरीं, शान्त भाव से रुपये-पैसे के रूप में अपना खून बहाया, अपने दुधमुँहे बच्चों को हड्डी की ठठरी बनाया, कुटुम्बियों को और अपने-आपको भूखा रक्खा और हाकिमों को घी-दूध खिला-पिलाकर मोटा किया, तब भी उनकी सुनाई न हुई। इतनी लाचारी की

दशा किसानों की केवल इसीलिए हुई कि वे धर्म, नीति, क्रायदा-कानून को सदा से मानते आये। इनका मानना उनकी अनादि काल की परम्परा है। सच तो यह है कि भारत की परम्परा में क्रायदा-कानून और धर्म-नीति के सामने सिर झुकाने के सिवाय किसान ने और कुछ जाना ही नहीं। जिन्हें यह पता लग भी गया कि हम न्याय, अनुशासन, नीति-धर्म, क्रायदा-कानून के नाम से ठगे जा रहे हैं, वे भी यह नहीं जानते कि इस छल का मुकाबला हम किस तरह पर करें। अकेले अगर हम भारी कर देने से इनकार करते हैं तो हमारी जायदाद बिक जाती है। सब कोई मिलकर इसका विरोध करें तो भारी संगठन की जरूरत पड़ती है, जिसमें सैकड़ों बाधायें हैं। किसान चारों ओर से घिरा हुआ है। सरकारी धौंस, जमींदार की जबरदस्ती, पटवारी की चालें, चौकीदार और पुलिस का आतंक, साहूकार का दबाव, और अहलकारों के जुल्म सब-के-सब चारों ओर से किसान को दबाये हुए हैं। किसान बेचारे को उभरने के लिए कहीं सांस नहीं है। वह भारतवर्ष का तीन-चौथाई भाग है। इस तरह देश के तीन-चौथाई भाग को सरकार ने अपनी कपट-नीति से लाचार कर रक्खा है। इस माया-जाल से बचने का कोई साधन दिखाई नहीं पड़ता था। पर गांधीजी की सत्याग्रह की रीति ने एक नये साधन का द्वार खोल दिया है। एक-एक सत्याग्रह का विस्तार से वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। इसीलिए केवल एक बारडोली के सत्याग्रह का इतिहास हम यहाँ संक्षेप से देते हैं।

२. बारडोली का सत्याग्रह

इस पुस्तक के पढ़नेवालों के सुभीते के लिए हम यहाँ बारडोली के सत्याग्रह की कथा संक्षेप में लिख देना चाहते हैं।

गुजरात प्रान्त के सूरत जिले में बारडोली नाम का एक परगना है।

बारडोली और चौयासी ताल्लुके की तीस वर्ष की लगान की अटकल की मियाद सन् १९२७-२८ में पूरी होती थी। इसलिए सरकार ने तत्कालीन उत्तरविभाग के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री० एम० एस० जयकर को १९२४ में असिस्टेंट सेटिलमेंट आफिसर के स्थान पर नियुक्त करके भेजा। उन्होंने १९२४-२५ में रिवीजन शुरू किया और ११ नवम्बर सन् १९२५ को सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करदी। श्री जयकर ने वैसे तो अपनी रिपोर्ट में सिर्फ २५ फी सेंकड़े के इजाफे की ही सिफारिश की, लेकिन गाँवों के वर्गीकरण में उन्होंने २३ गाँवों को ऊपर के दरजे में चढ़ा दिया, जिससे असल में लगान में कुल इजाफा तीस फीसदी तक पहुँच गया। श्री जयकर ने यह रिपोर्ट मि० ए० एम० मैकमिलन के पास भेजदी, जो उन दिनों विलायत में थे। वहाँसे उन्होंने थोड़ी बहुत टीका-टिप्पणी करके वह रिपोर्ट लौटादी। तब श्री जयकर ने उसे सेटिलमेंट कमिश्नर मि० एण्डरसन के पास भेज दिया। मि० एण्डरसन ने श्री० जयकर की रिपोर्ट की खूब खबर ली। कहा—“श्री जयकर ने बिना आधार के ही अपनी इमारत खड़ी करदी है। भला, बन्दोबस्त की रिपोर्ट कहीं इस तरह लिखी जाती है?” मि० एण्डरसन ने यह भी लिखा कि, “श्री जयकर की रिपोर्ट के सत्तावन से पैंसठ तक पैराग्राफ तो बिलकुल व्यर्थ कहे जा सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने लगान बढ़ाने की जो सूचनायें की हैं, उनका समर्थन करना तो दूर, उन्हीं पैराग्राफों से उलटे उनके विरोध में दूसरे कुछ दलीलें आसानी से मिल सकती हैं। इसलिए वास्तव में वे भयंकर ही हैं।” श्री जयकर की रिपोर्ट के खिलाफ मि० एण्डरसन ने सिर्फ इतना ही लिखकर बस नहीं किया, उन्होंने तो साफ-साफ यहाँतक लिख दिया कि “अगर सरकार लगान बढ़ाने की हद पचहत्तर फीसदी कायम कर देती तो शायद श्री जयकर पैंसठ फीसदी लगान-वृद्धि को भी

उचित और न्याययुक्त कहकर किसानों पर पैसठ फीसदी इजाफा करने की सिफारिश करते।” इस तरह मि० एण्डरसन ने श्री जयकर की रिपोर्ट को तो बिलकुल रद्दी साबित कर दिया, लेकिन खुद बिना जाँच किये, अटकल-पच्चू लगाकर, यह फैसला कर दिया कि उन्तीस फीसदी इजाफा करके रिपोर्ट को उत्तर-विभाग के कमिश्नर मि० चेटफील्ड के पास भेज दिया जाय। मि० चेटफील्ड ने रिपोर्ट पर लिखा “मुझे, बार-डोली सम्बन्धी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ कि मि० एण्डरसन ने थोड़े लगानवाले गाँवों को ऊँचे दरजे के गाँवों में शामिल कर दिया है।” यह लिखते हुए भी उन्होंने मि० एण्डरसन के किये हुए इजाफे को मंजूर कर लिया।

बारडोली के किसानों ने इस मनमानी-घरजानी कार्रवाई के खिलाफ बहुत-कुछ लिखा-पढ़ी की। उन्होंने मि० चेटफील्ड के पास इस आशय की कई दरखास्तें भेजीं कि लगान गलत आधार पर कूता गया है। लेकिन मि० चेटफील्ड ने उन सबको फ़िजूल बताकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और बन्दोबस्त के कमिश्नर की सिफारिशों की यानी उन्तीस फीसदी इजाफे की ताईद करते हुए मामले को बम्बई-सरकार के रेवेन्यू मिनिस्टर के पास भेज दिया। इस तरह क़ानून और क़ायदे के ठेकेदारों ने खुद क़ानून और क़ायदे को ताक़ पर रख दिया। क्योंकि क़ायदा यह है कि बन्दोबस्त के अफ़सर को पहले खूब अच्छी तरह पूरी आर्थिक जाँच करनी चाहिए, और जब वह यह जाँच पूरी करके अपने प्रस्ताव ऊपर के हाकिमों के पास भेजे तब इजाफे की वजह तथा अपने प्रस्तावों वगैरा के साथ सरकार उस रिपोर्ट को काश्तकारों की जानकारी के लिए प्रकाशित करती है। अर्थात् जनता को उसपर अपनी अर्जियाँ, दरखास्तें, शिकायतें, आपत्तियाँ आदि पेश करने का मौका देती हैं। जब जनता की तरफ़

से सब शिकायतें वह सुन लेती है, तब उनका यथायोग्य उत्तर देकर अपनी उचित करवाई करके जितना लगान घटाना-बढ़ाना हो उतना घटा-बढ़ाकर उसे कानून का रूप देती है। लेकिन बारडोली के मामले में न तो अफसर बन्दोबस्त ने पूरी तरह आर्थिक जाँच की और न रिपोर्ट तैयार हो जाने पर किसानों को उसपर अपने उत्तर पेश करने का मौका ही दिया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल के शब्दों में अफसर बन्दोबस्त ने “जाँच करते समय किसानों को खबर तक नहीं भेजी। बस, सर्किल इन्स्पेक्टर को अपने साथ में लेकर हरेक गाँव में दो-दो मिनट उहर कर जन्म-मरण के रजिस्ट्रों पर दस्तखत किये और चलते बने। इस तरह वह एक-एक दिन में चार-चार पाँच-पाँच गावों में घूम लिये। कई बार तो पटेलों को उपर्युक्त रजिस्टर समेत अपने मुकाम पर बुलवा लिया और उनपर दस्तखत करके बरायनाम पूछ-ताछ करली और बस।” अब रही रिपोर्ट किसानों के लिए प्रकाशित होने की बात, सो जो कुछ होता है वह यह है कि ताल्लुके के प्रधान दफ्तर में रिपोर्ट की एक अंग्रेजी प्रति रखदी जाती है और किसानों से यह आशा की जाती है कि वे उसे पढ़कर अपनी शिकायतें भेजें।

किसानों ने इस धाँधलेबाजी की तरफ सरकार का ध्यान दिलाने के लिए कई अजियाँ भेजीं। सारे ताल्लुके में कई सभायें की गई और उनमें इस बन्दोबस्त का विरोध करनेवाले कई प्रस्ताव भी पास किये गये। सरकार से यह प्रार्थना भी की गई कि वह लगान में जो मनमाना इजाफ़ा कर दिया गया है उसे रद करदे। इन सभाओं में से कई में तो कौंसिल के मेम्बर भी उपस्थित थे। लेकिन सरकार के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। कौंसिल में भी इस सवाल को उठाया गया। खास-खास काश्तकारों का एक डेप्युटेशन भी महकमा बन्दोबस्त के मेम्बर मि० रियू

से मिला। मि० रियू के हुक्म के मुताबिक किसानों से अर्जी लिखवाकर भी उनकी खिदमत में भिजवादी गई, लेकिन हुआ वही ढाक के तीन पात ! सरकार ने इन सब बातों की रत्तीभर भी परवा नहीं की और १९ जुलाई १९२७ के दिन एक प्रस्ताव द्वारा लगान २९.०३ से घटाकर २१.९७ यानी कुछ कम बाईस फीसदी कर दिया और यह भी जाहिर कर दिया कि इस बन्दोबस्त के खिलाफ जितनी भी दलीलें पेश की गई हैं गवर्नर-इन-कौंसिल उनपर खूब अच्छी तरह विचार करके इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि लोगों ने इजाफ़ा लगान के खिलाफ जितनी दलीलें पेश की हैं वे सब गलत हैं।

बारडोली के किसान केवल इतना ही चाहते थे कि सरकार की तरफ से लगान में जो इजाफ़ा किया गया है उसके ऊपर निष्पक्ष विचार कराया जाय। इतनी बात पर भी राज़ी हो जाना सरकार ने अपने रोबदाब के खिलाफ समझा। तब इतनी बात करा लेने के लिए, बारडोली ने अपना दृढ़ निश्चय कर लिया। उसने जब देखा कि किसी उपाय से सरकार टस से मस नहीं होती, तो महात्माजी के सत्याग्रह शस्त्र से काम लिया गया। ६ सितम्बर १९२७ को एक परिषद् ने निश्चय किया कि सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया जाय। ४ फ़रवरी १९२८ की सभा में सरदार वल्लभभाई ने लोगों की अच्छी तरह जाँच करली और जब देखा कि लोग सत्याग्रह के लिए पूरे तौर पर तैयार हैं, उन्होंने दो दिन बाद बम्बई-सरकार को पत्र द्वारा स्थिति की सूचना दी और निष्पक्ष पंच नियुक्त करने के लिए प्रार्थना की। इधर लगान की वसूली की शुरू की तारीख थी। तलाटियों ने वेठियाओं के द्वारा लगान भर देने की डुग्गी गाँव-गाँव पिटवादी, परन्तु तहसील में लगान की एक कौड़ी भी नहीं पहुँची। इधर गवर्नर ने यह लिखवा

भेजा कि सरदार का पत्र विचार और कार्रवाई करने के लिए माल-विभाग को भेज दिया गया है। यह केवल टालमटूली की बात थी। सरदार ने इसपर यही निश्चय किया कि लड़ाई छेड़ दी जाय। १२ फरवरी की विराट सभा में यह निश्चय किया गया :—

“बारडोली ताल्लुके के काश्तकारों की यह परिषद् प्रस्ताव करती है कि हमारे ताल्लुके के लगान में सरकार ने जो वृद्धि जाहिर की है वह अनुचित, अन्याय और अत्याचारपूर्ण है। ऐसा हम मानते हैं। इसलिए जबतक सरकार वर्तमान लगान को ही सम्पूर्ण लगान के बतौर लेने अथवा निष्पक्ष समिति के द्वारा इस लगान-वृद्धि के मामले की जांच फिर से कराने के लिए तैयार न हो, तबतक हम सरकार को लगान बिलकुल न दें। सरकार हमसे जबरबस्ती लगान वसूल करने के लिए जब्ती, लालसा वगैरा जिन-जिन उपायों का अबलम्बन करे उनसे होने-वाले कष्टों को हम शान्तिपूर्वक सहन करें।

बढ़ाये हुए लगान को छोड़कर पुराने लगान को ही सम्पूर्ण लगान समझकर सरकार लेना चाहे तो उसे हम फौरन भर दें।”

इस निश्चय के साथ लड़ाई की दुंदुभी बज गई। हरेक गाँव फौजी छावनी बन गया। सत्याग्रहियों की डाक नियुक्त हो गई। हर गाँव सैनिकों का दल बन गया। सत्याग्रह-छावनियों के दलपति मुक़र्रर हो गये। खुफ़िया स्वयंसेवकों का भी दल बना। प्रकाशित करने लायक ख़बरें छपने के लिए शाम को सूरत भेज दी जाती थीं। जवाब देने लायक बातों का जवाब, सरदार की आज्ञायें तथा सत्याग्रह-समाचार जो रात को छपने के लिए भेजे जाते थे इन सबको लेकर सुबह मोटरें भिन्न-भिन्न विभागों की ओर चल देती थीं और दिन के १२ बजे के लगभग हर विभाग-पति के पास पहुँच जाती थीं। इस तरह २४ घंटे के अन्दर

हरेक ज़रूरी बात पर सरदार का हुक्म हरेक विभाग-पति के पास पहुँच जाता और उसपर अमल भी होने लगता था। जिन गाँवों में मोटरें नहीं पहुँच पाती थी उनमें डाक और सत्याग्रह-समाचार स्वयंसेवक लोग पहुँचा देते थे। हर केन्द्र पर यह बन्दोबस्त था कि गाँव में कोई खास बात हो जाने पर अक्सर २-३ घंटे के अन्दर ही प्रधान कार्यालय में पहुँच जाती थीं। ऐसे समयों में मोटरों की स्पेशल छूटती थी। कभी-कभी सरकारी तारघर भी काम में लाये जाते थे। सत्याग्रही मोटरों के सिवाय निजी और कम्पनियों की मोटरें भी ताल्लुके में किराये पर चलती थीं और इस तरह के काम करती थीं।

सारे संगठन में कठोर अनुशासन से काम लिया जाता था। कोई स्वयंसेवक अपने नायक या विभाग-पति से यह न पूछता था कि यह काम क्यों करना चाहिए, या इतनी देर में यह काम मुझसे न हो तो मैं क्या करूँ? जिस स्वयंसेवक में ढिलाई पाई जाती थी उसे तुरन्त अयोग्य कहकर लौटा दिया जाता था। उन सबमें तपस्या थी संयम था, त्याग था, और देश-सेवा की लगन थी। स्वयंसेवक भी राष्ट्रीय तथा सरकारी हाईस्कूलों और कालेजों के विद्यार्थी थे, जो त्याग और सेवा-धर्म के भावों से भरे थे और इस सत्याग्रह की लड़ाई में राजनीति, अर्थशास्त्र, तथा समाज-विज्ञान का व्यावहारिक अध्ययन कर रहे थे। गाँवों में सत्याग्रही पहरेदार थे, जो किसीपर हथियार चलाना तो क्या कठोर वचन का भी प्रयोग न करते थे। ऐसे लोग गाँवों के चारों ओर पहरा देते रहते थे और ज्यों ही किसी तलाटी (पटवारी) या अधिकारी को देखते तो शंख, नक्कारा या बिगुल बजाकर सारे गाँव को सजग कर देते थे। बस, गाँव-भर में सन्नाटा छा जाता, मकानों के बाहर से ताले लगाकर किसान अन्दर चले जाते, सड़कें मूनी हो जातीं, लगान

उगाहनेवाले सरकारी अधिकारी जब्ती करने आते तो हर मकान पर ताले पड़े देखते थे। पंच बनने, जब्ती का सामान पहुँचाने या बोली बोलने की कौन कहे, उनकी बात पूछनेवाला भी वहाँ कोई न मिलता था। जो सामान जब्त किया जाता था, वह जहाँ-का-तहाँ पड़ा रह जाता था। धीरे-धीरे यह काम इस कमाल को पहुँच गया कि जब्ती करनेवाले सरकारी अफसरों को अपने आराम या सुभीते के लिए किसी चीज की जरूरत होती तो लाचार होकर सत्याग्रह छावनी पर आकर उन्हें माँगना पड़ता था। इसीपर बम्बई के 'टाइम्स' ने घबराकर लिखा था कि बारडोली से सरकारी राज उठ गया है।

शुरू-शुरू में भूल से और सरकार की पट्टी में आकर कुछ लोगों ने रियायती लगान अदा कर दिया, पर वे लोग पछताये। अनेक पटेलों ने और तलाटियों ने इस्तीफे दे दिये। फरवरी का महीना बीत चला, लगान वसूल न हुआ। समय पर लगान न देने से लगान का एक-चौथाई बढ़ाकर उसके सहित काश्तकार से जब्ती द्वारा या और किसी तरह बसूल किया जाता था। २७ फरवरी को कई गाँव के रहनेवालों को ऐसे नोटिस दिये गये। परन्तु नोटिस से क्या होता है? सरकार के पास कुरकी और जब्ती के सिवाय कोई उपाय न था। इसलिए बारडोली के पड़ोस के मांडवी ताल्लुके में सरकारी अफसरों ने यह जाँच शुरू की कि बारडोली के किसानों की भैंसें तथा ज़मीने लेने को ग्राहक मिलेंगे या नहीं? किसानों में पड़ोस का धर्म जागृत हुआ, उन लोगों ने जगह-जगह सभायें करके निश्चय किया :—

(१) बारडोली के किसानों के यहाँ जब्ती हो तो यहाँ से कोई पंच बनकर न जाय। अधिकारियों को ठहरने के लिए मकान और गाड़ी वगैरा न दें। कोई उनकी किसी तरह बेगार न करे।

(२) हमारे ताल्लुके से कोई किसान बारडोली के किसानों की ज़मीन न ले, न जोते, न जुतवाये। ज़मीन मुफ्त मिलती हो तो भी न ले।

(३) सत्याग्रह के लिए चन्दा एकत्र करें।

प्रायः सभी पड़ोसियों ने यह समझ लिया कि बारडोली-सत्याग्रह केवल बारडोली के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए है। इस तरह संगठन और आन्दोलन बारडोली और आस-पास के ताल्लुकों में जोर पकड़ रहा था। इसी बीच सरकार और सरदार में लम्बी-चौड़ी लिखा-पढ़ी चल रही थी और बम्बई की धारा-सभा में मेम्बर लोग अपनी ओर से पूरा जोर लगा रहे थे। इसी समय वड़वान के प्रसिद्ध कवि श्री० फूलचन्दभाई शाह के बनाए लड़ाई के गीतों से गुजरात की भूमि गूँज रही थी। बच्चे, जवान, बूढ़े नर-नारी सबके बीच इन गीतों में जोश फैल रहा था।

जब जस्त्रियाँ शुरू हुई, उस समय वालोड़ में एक और तमाशा हो गया। वहाँके तहसीलदार दो साहूकारों के यहाँ ज़ब्ती करने गये। दोनों सेठ तहसीलदार से मिले हुए थे। जब तहसीलदार तीन पटवारियों को लेकर गाँव में पहुँचे तो सारे गाँव में खबर होगई और लोग तुरन्त अपने-अपने घरों में ताला लगाकर बैठ गये। दोनों मेंकों को भी खबर मिली, पर उन्होंने दरवाज़े बन्द नहीं किये। तहसीलदार ने आकर कुरकी का नाटक किया और गल्लों में रक्खे हुए नोटों का बण्डल लेकर चलता हुआ। इस बात की खबर फैलते ही सारे ताल्लुके में गुस्से की भयानक आग भड़क उठी। गाँव-गाँव ने इनके सामाजिक बहिष्कार का डरावा किया, परन्तु सरदार ने भरी सभा में लोगों को समझाया :—

“जोश में आकर आप लोग कुछ भला-बुरा न कर बैठें। इस तरह डर दिखाने से कोई कायर शूर नहीं हो सकता। किसीको टेका लगा

कर खड़ा करने से वह हमेशा थोड़े ही खड़ा रह सकता है ? जो अपनी प्रतिज्ञा के महत्व को समझता है, जिसे अपनी इज्जत का खयाल है, वह तो कभी लगान अदा नहीं करेगा, चाहे सारा गाँव अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भले ही लगान अदा करदे ।

“यदि आपको यह डर हो कि इन दोनों को क्षमा कर देंगे तो दूसरों का भी पतन होगा, तो उसे भी दिल से निकाल बाहर कर दें । इस तरह यह काम नहीं चल सकता । ऐसी प्रतिज्ञावाली लड़ाइयों में हरेक आदमी का यही संकल्प होना चाहिए कि सारा गाँव भले ही लगान जमा करदे, मैं कभी न दूँगा ।

“मुझे इन बहिष्कार के प्रस्तावों आदि की खबर मिल चुकी है, जिनपर आप विचार कर रहे हैं । पर मैं आपसे यह कहूँगा कि अभी इन बातों की जल्दी न करें । हम सरकार के साथ लड़ने चले हैं, खुद हमारे ही अन्दर जो कमजोर लोग हैं उनसे लड़ने के लिए नहीं । इनसे लड़कर भी आप क्या करेंगे ? ये तो आपसे भी डरते हैं और सरकार से भी डरते हैं । इसीलिए तो जब्तियों के ऐसे नाटक उन्हें करने पड़ते हैं । हमें सत्याग्रही का धर्म न छोड़ना चाहिए । वह बड़ा मुश्किल है । क्रोध के लिए उसमें कहीं स्थान ही नहीं है । यह लड़ाई आपस में लड़ने के लिए नहीं छोड़ी गई है । निर्माल्य लोगों को पैरों-तले रौंदने के लिए हमने यह युद्ध नहीं छोड़ा है । यह मानना झूठ है कि जिसके पास धन है, ज़मीन है, वह बहादुर है । अरे, इनपर तो हमें दया आनी चाहिए कि ऐसा इनका जीवन है ! गरीब, अपढ़, अजान लोगों के अंगूठे काट-काटकर तो इन्होंने ज़मीन इकट्ठी की है, और फिर इन्हीं ज़मीनों पर ख़ूब मुनाफ़ा लेकर किराये पर उठा दिया है । और इन ऊँचे किराये के अंकों को देख-देख कर ही सरकार ने इनके पाप के फल-

स्वरूप सारे ताल्लुके पर लगान बढ़ाया है। और जब आप इस लगान वृद्धि के विरोध में युद्ध छोड़ बैठे हैं तब यही साहूकार लोग फिर आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं। अगर आपको अपनी शक्ति का पूरा-पूरा भान हो जायगा तो आपको किसी प्रकार का दबाव डालने की जरूरत नहीं रहेगी। सब अपने-आप सीधे होते चले जावेंगे।

“हमारी इस अहिंसा-धर्म की लड़ाई में यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि हम तो आपनी ओर से मजबूत रहें, परन्तु हमारा कोई भाई अगर अपनी कमजोरी से कोई खोटा काम कर बैठे तो हम बहुत ज्यादा उसके फेर में न पड़ें। हम अगर अपने काम में चौकस रहेंगे तो काम कभी न बिगड़ेगा। और यदि कोई बुरा काम करे और उसके साथ फिर भी हम भलाई करें तो उसका फल अच्छा ही होगा। हमारा बिगड़ा हुआ भाई आगे चलकर राह पर आ सकता है। इसलिए बुरे पर मिट्टी डालकर हमें उसे भुला देना चाहिए और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसी कुमति हममें उपजे उससे पहले मृत्यु की गोद में हम सो जायें।”

कुरकी के नोटिस घर-घर चिपकाये जाने लगे। कुरकी के अफसर दौरे लगाते थे, परन्तु शंख-नक्कारे आदि बजाकर पहरेवाले सबको सचेत कर देते थे। अहलकार लोग सुनसान गाँव देखकर हैरान हो लौट जाते थे। अफसरों को अपने बँगलों पर भी चैन न था। वे जहाँ डेरा डालते थे वहाँ भी सत्याग्रही स्वयंसेवक कहीं पास में कुटिया डालकर अपना थाना बना लेते थे, और उनके सारे समाचार पैरगाड़ियों और घोडों पर बैठकर चारों ओर पहुँचाने लगते थे। ऐसे जबरदस्त संगठन को देखकर सरकार हैरान हो गई। ज़मीन और खेतों की कुरकी के नोटिस तो लग ही गये थे, अब दमन और जबरदस्ती के जोर पर कुरकी होने लगीं। जब्ती-

अफसर आपस में चढ़ा-ऊपरी करने लगे कि कौन अपने काम में सफल होता है। अहलकारों को दमन करने के अधिकार भी मिल गये। १९ अप्रैल से यह काम बड़े जोरों से शुरू हुआ। कुरकी के खास आफिसर के साथ, कई मजिस्ट्रेट हथियारबन्द पुलिस, चुने हुए पठान और तीन मोटरें लेकर कुरकी का काम शुरू किया गया। एक डिप्टी पुलिस सुपरिण्टेण्डेन्ट खास तौर पर मुकर्रर हुआ। खुफिया पुलिस का भी एक दल तैनात हुआ। इस तरह सज-धजकर गाँव में दिन-रात सरकारी डाके पड़ने शुरू हुए। खुले मकानों पर डाका पड़ना तो कोई बात न थी, और दरवाजों पर इधर-उधर टूटी-फूटी खाट और पलंग सहज में मिल जाते थे। पर इन्हें भी उठाने को आदमी न मिलते थे। सरकारी डाकेवाले दीवारों को फाँदकर भी घर के भीतर घुसने लगे। जो माल मिलता, सिपाहियों को ही लादकर ले जाना पड़ता था। बैल न मिलने पर पठानों को छकड़े भी खींचने पड़ते थे। कुरकी के अफसरों को जब और कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने चरते हुए पशुओं पर हाथ लगाया। बैलों की कुरकी नहीं कर सकते थे, भागती गायों को पकड़ने में कठिनाई होती थी। अतः उन्होंने भैंसों को पकड़ना और बेदरदी से पीटना शुरू किया। एक भैंस पर इतनी मार पड़ी कि वह मर गई। यह देखकर और भैंसों का भी पकड़ा जाना कठिन होगया। किसी-न-किसी ढंग से जो भैंसें जन्त भी की जा सकीं उनको पानी और चारा देने का कोई बन्दोबस्त न था। यह जन्ती भी अंधाधुंध थी। पता न था कि कौन भैंस किस किसान की है। इन भैंसों में कुछ ऐसे लोगों की भी थीं जिनके ज़मीन न थी और जिनसे लगान नहीं पाना था। उन लोगों ने नोटिस दिये कि हमारी भैंसें वापस करो, नहीं तो अदालत में घसीटेंगे।

घर पर सामान न मिलता था तो कपास या दूसरे माल की राह

चलती गाड़ियाँ तक ज़ब्त करली जाती थीं। ज़मीनों की कुरकी भी धूम से हुई। तीस-तीस हजार की ज़मीनें डेढ़-डेढ़, दो-दो सौ रुपयों के लिए कुरकी पर चढ़ीं। और इसी तरह डेढ़-डेढ़ सौ की भैंसें पाँच-पाँच रुपये पर नीलाम हुई।

सत्याग्रहियों के पहरे से, बाजे से, जय-घोष से, डाक से और अद्भुत संगठन से घबराकर ३ मई को ताल्लुके भर में नोटिस चिपकाये गये, जिनके द्वारा कोशिश की गई कि स्वयंसेवक लोगों को इन कामों से रुकावट हो, और गिरफ्तारियों और जेल की धमकियाँ दी गई। किसानों को भी जोश आया। कलक्टर को मोटर मिलना मुश्किल होगया। तीन बैल-गाड़ियाँ मंगवाई। किराये पर देनेवाले किसानों को जब उनकी भूल मालूम हुई तो उन्होंने गाड़ीवानों को मना किया। सामान लद चुका था, पुलिसवालों ने उतारने न दिया। लाचार हो गाड़ी और बैल छोड़कर हाँकनेवाले और किसान लोग चले गये। इस घटना पर सरकार ने श्री रविशंकर भाई को ५ मास १० दिन की कड़ी कैद की सजा दी, और इस सजा पर महात्माजी ने अपनी असीस दी। रविशंकरजी से तो आरम्भ किया गया, फिर तो किसी-न-किसी बहाने काम करनेवालों और स्वयंसेवकों में जो-जो अगुआ थे वे सभी धड़ाधड़ जेल जाने लगे, और सत्याग्रह के चौथे महीने में बारडोली ताल्लुके भर में गुण्डे पठानों का राज्य शुरू होगया। सरकार संगठित डाकेजनी से संतुष्ट न हुई, अब गुण्डों के राज्य में यह पूछने की जरूरत न थी कि जिसका यह मकान है उसमें हमें कुछ पाना है या नहीं? बाड़ों में, गाँवों में, खेतों में दिन-रात पठान घूमते पाये जाने लगे। रात के एक-एक, दो-दो बजे किसानों के दरवाजे खट-खटाये जाते और उन्हें इस तरह पुकारा जाता मानों कोई सगा सम्बन्धी आया हुआ है। अब हाल यह था कि राह चलते आदमी, चाहे वे कहीं

के हों, बारडोली की सड़कों पर लुट जाते थे, उनकी गाड़ियाँ और पशु छिन जाते थे, और उनकी दोहाई सुननेवाला नहीं था। ये लोग चाहे जिसके घरों में घुस जाते थे और मनमानी चीजें उठा लेजाते थे। अंधेर यहाँतक बढ़ा कि स्त्रियों के सतीत्व पर भी आक्रमण होने लगे। दिन-दहाड़े की चोरी, ज़बरदस्ती, डाका, लूट और तरह-तरह के जुल्मों की शिकायतें सरकार तक बरम्बार पहुँचती भी गई, तो भी बम्बई-सरकार ने यह कहकर गुण्डों को चाल-चलन की सनद दे दी कि “सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उनका व्यवहार हर तरह पर आदर्श-रूप रहा है।” सरकार के एक बड़े खैरख्वाह और किसानों के बड़े हितैषी बननेवाले अदलजी बहराम नाम के एक पारसी सज्जन किसानों को बहकाने के लिए, कि वे लगान देने को राजी हो जायँ, समाचारपत्रों में सरकार की खैरख्वाही के लेख छपवाने लगे। एक ओर से जहाँ कमिशनर और बहरामजी सरकार की ओर से अन्दोलन कर रहे थे, दूसरी ओर से देश के बड़े-बड़े नेताओं में यह खलबली पड़ी हुई थी कि हम बारडोली की इस अद्भुत लड़ाई को चलकर देखें। सरदार वल्लभभाई यह नहीं चाहते थे कि भारत के बड़े-बड़े नेता बारडोली में आकर इस लड़ाई को अखिल-भारतीय रूप दें। उन्होंने महात्माजी को ही आने से रोका। श्री राज-गोपालाचार्य और श्री गंगाधरराव देशपांडे को सरदार ने बारडोली आने से रोका। गुजरात के बाहर के अनगिनत स्वयंसेवकों की अर्जियाँ आईं, परन्तु सरदार ने धन्यवाद देकर उन्हें आने से रोक दिया। पठानों के अत्याचार ऐसे बढ़ गये थे कि बाहर से चन्दे की मदद की ज़रूरत मालूम हुई। सरदार ने अपील की और महात्माजी ने उसे दोहराया। फल यह हुआ कि केवल भारत नहीं बल्कि संसार के भिन्न-भिन्न भागों से चन्दा आने लगा। सब जगह से इस अद्भुत संग्राम के साथ सहानुभूति प्रकट की जाने लगी।

सरदार के लाख रोकने पर भी कुछ नेता तो आकर ही रहे। पहले-पहल श्री भरुचा और नरीमान आये। श्री नरीमान ने बारडोली में ५,००० किसानों की सभा में कहा :—

“मैं तो आपकी टीका करनेवाले से कहूँगा कि यहाँ आकर पहले किसानों की हालत देखो, तब आपको सच्ची हालत मालूम होगी। चन्द घण्टों में ही मैंने यहाँकी हालत को देख लिया है। सारा ताल्लुका जेल बन गया है। बेचारे किसान दिन-दिन भर अपने जानवरों को लेकर घर में बन्द रहते हैं। लोग कहते हैं कि चोर, लुटेरों और पिण्डारियों को निकालकर अंग्रेज यहाँ राज कर रहे हैं। पर मैं तो कहूँगा कि और कहीं चाहे जो हो, बारडोली में तो आज पिण्डारियों, पठानों और बम्बई के गुण्डों का ही राज्य है। इस ताल्लुके में आजकल घूमनेवाले पठान वही बम्बई के पठान हैं जिनके पीछे रात-दिन पुलिस घूमती रहती है, जो वहाँ लोगों के गले काटते फिरते हैं। अब ये बदमाश किसान बहनों से भी छोड़छाड़ करने लगे हैं। मैं कहता हूँ, सरकार के लिए इससे अधिक लज्जाजनक और कुछ नहीं हो सकता। यह लड़ाई तो मामूली लगान-वृद्धि की थी। पर सरकार ने इसे बहुत बिशालरूप दे दिया है। इसलिए अब कहा जा सकता है कि आप तो सारे देश के लिए लड़ रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि देश के बड़े-बड़े नेताओं का, जो परिषदें और प्रस्ताव करते रहते हैं, ध्यान अबतक बारडोली की तरफ क्यों नहीं आकर्षित हुआ ? मेरा तो ख्याल है कि पिछले सौ वर्ष में सरकार की जालिम नीति का सामना करने के लिए यदि कोई सच्चा आन्दोलन हुआ है तो वह बारडोली का सत्याग्रह है। मैं कहता हूँ कि अगर एक वर्जन ताल्लुके भी इस तरह संगठित हो जायें और आधे वर्जन ऐसे सेनापति पैदा

हो जायें तो उसी क्षण स्वराज हमारे हाथ में आ जाय । मैं तो बम्बई के लोगों से जाकर कहूँगा कि धारासभा में प्रस्ताव पास करने से कुछ होना-जाना नहीं । सरकार से कैसे लड़ना चाहिए तथा लोगों का किस तरह नेतृत्व करना चाहिए, यह अगर देखना हो तो बारडोली जाकर देख लो । शेष सारी लड़ाइयाँ और नेतापन व्यर्थ हैं ।”

सूरत की ज़िला कांग्रेस में, जो २७ मई को हुई, बारडोली में पठान राज्य पर किसानों में उनकी वीरता और कष्ट सहने पर सहनुभूति प्रकट की गई, उनका अभिनंदन किया गया, सरदार के अहसान माने गये, और सरकार को चेतावनी दी गई ।

इस बीच सरकार ने लगान अदा करने की मीयाद १९ जून तक बढ़ाकर कहा कि अगर उस तारीख तक भी लगान जमा न हुआ तो सारी ज़मीनें छीन ली जायेंगी, परन्तु जो १९ जून तक लगान देदेंगे उनपर चौथाई दंड भी नहीं लगेगा । मगर बारडोली की लड़ाई इस तरह के बहकावों से बड़ी दूर जा पड़ी थी ।

पठानों के अत्याचारों की पुकार वहाँ पहुँची सही, पर उनके एका-एक हटाये जाने से सरकार के रोब में फर्क पड़ता था । अब सरकार यह स्वीकार करने लगी कि पठानों के रखने में उसे विशेष लाभ नहीं है । किसानों की जो लिखा-पढ़ी सरकार से होती थी वह इकट्ठी और सरदार की मारफ़्त होनी थी, परन्तु सरकार को संगठन खलता था । वह कहती थी कि अलग-अलग दरखवास्तें पेश करोगे तो सुनवाई होगी । इसके जवाब में सरदार ने अपने एक भाषण में यों कहा :

“भला ऐसा भी मूर्ख कोई होगा जो इतनी बड़ी सुसंगठित सरकार से अलग-अलग लड़कर सफलता की आशा करे ? सरकार के पास इतनी भारी फ़ौज है, बन्दूकें हैं, तोपें हैं, तिसपर भी तो वह सारे काम संगठित

रूप से करती है। प्रजा को सिर्फ माल के महकमे से शिकायत है और उसीसे उसने लड़ाई छेड़ी है। परन्तु सरकार ने तो जनता पर जुल्म करने के लिए न्याय-विभाग को कलंकित किया, कृषि-विभाग को भी न छोड़ा, और आबकारी-विभाग को तो प्रत्यक्ष अपना शस्त्र ही बना लिया। कितने ही मास्टरो को इस युद्ध में दिलचस्पी लेते देखकर उन्हें भी बदल दिया और इस तरह विद्या-विभाग जैसे निर्दोष और पवित्र विभाग को अपवित्र कर दिया। पुलिस-विभाग तो सबसे आगे है ही। इस तरह वह तो सुसंगठित रूप से हर तरफ से लोगों पर जुल्म कर रही है, और किसानों से कह रही है कि तुम अकेले रहो ?

“सीधी-सी बात तो है। किसानों से मैं साफ़ कहूँगा कि जो तुम्हारे साथ विश्वासघात करे उसे तुम कभी माफ़ न करो। ‘माफ़ न करो’ के यह मानी नहीं हैं कि उसे मारो या पीटो। नहीं। यह न करो। आप तो उसे यह कह दो कि हम सबको एक नाव में बैठकर जाना है। अगर किसीको नाव में छेद करना है तो वह नाव से उतर जावे। हमारा-उसका कोई सम्बन्ध नहीं। यह संगठन आत्मरक्षा के लिए है, किसीको दुःख देने के लिए नहीं। आत्म-रक्षा के लिए भी संगठन न करना आत्म-हत्या करने के समान है। हम तो पौधे को भी जानवरों से बचाने के लिए बाड़ वगैर लगाकर सुरक्षित रखते हैं। तब जब इतनी बड़ी सरकार से लोहा लेना है, तो अपना संगठन भी न करें ?”

सरकार के सारे कामों में पटेल और पटवारी मदद दिया करते थे। इस लड़ाई में पटवारियों को सरकार की मदद करने के लिए सत्याग्रह की दशा में अपने हाथ से नोटिस चिपकाने पड़े, डुंगी पीटनी पड़ी, सिर पर बस्ता लाद-लादकर घूमना पड़ा, ज़ब्त की अफ़सरों के लिए चौका-बासन करना पड़ा और रमोई बनानी पड़ी। इधर तो

सरकारी अफसरों की हर तरह की सेवा करने के लिए झुकना पड़ा और उधर गाँव के लोगों के सामने दुरदुर होना पड़ा और गाँव के लड़के 'बावला कुता' कहकर उन्हें चिढ़ाने लगे। इतने पर भी उनकी दशा यह हुई कि सरकार और प्रजा दोनों उन्हें सन्देह की निगाह से देखते थे। इस दुर्दशा को न सहकर अनेक पटवारियों ने इस्तीफे दे दिये।

अब स्वयंसेवकों को छोड़कर सरकार ने गिरफ्तारी के अस्त्र का प्रयोग किसानों पर करना आरम्भ किया। इस मास के आरम्भ में करीब १८ गिरफ्तारियाँ हुई, जिनमें से अधिकांश किसान ही थे। सिर्फ एक-दो गुजरात-विद्यापीठ के विद्यार्थी थे। कई दिन तक उनपर मामला चलता रहा। कहने की आवश्यकता नहीं कि सरकारी आक्षेप झूठे थे। पर सत्याग्रही अपना बचाव तो करते ही न थे। इसलिए सबने चुपचाप अपने-अपने बयान पेश करके जिन्हें जो सजा सुनाई गई उसको हँसते हुए स्वीकार कर लिया और तपस्या के लिए चले गये। वे जिस दिन जेल गये, जनता ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ विदा किया। स्टेशन पर हज़ारों का झुण्ड था।

१२ जून को सारे देश में बारडोली-दिवस मनाया गया। देश में सैकड़ों सभाओं में बारडोली के सत्याग्रह का रहस्य लोगों को समझाया गया। सत्याग्रह के लिए चन्दा एकत्र किया गया और सत्याग्रहियों के प्रति सहानुभूति तथा सरकार की दमन-नीति की निन्दा करनेवाले प्रस्ताव पास किये गये।

१२ जून १९२८ तक ३,६१२ खालसा नोटिस जारी हो चुके थे और सत्याग्रह-कोष में ८२०८७३।।। एकत्र हो चुके थे।

१२२ पटेलों में से ८४ ने इस्तीफे दे दिये, ४५ पटवारियों में से १९ ने नौकरी छोड़ दी। इस तरफ से सरकार का एक अधिकारी लिखता

कि ताल्लुका दबता जा रहा है, अब नहीं तो थोड़ा दमन और कि वह औंधे मुँह गिरा, पर दूसरी तरफ़ से पुलिसवाले लिखते कि लोग दिन-दिन कट्टर हुए जा रहे हैं और मरने पर भी तुले हैं, अपनी टेक न छोड़ेंगे। सरकार ने ठीक परिस्थिति की जाँच के लिए एक खास पुलिस अफ़सर मिस्टर हेली को भेजा। मि० हेली के साथ कमिश्नर भी आया। मि० हेली ने रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है और न पठानों का काम है। इसपर पठान लोग हटा दिये गये।

इस समय तक बम्बई-धारासभा के कोई १६ सदस्यों ने अपने इस्तीफ़े दे दिये, और फिर सभी बारडोली के प्रश्न को लेकर अपनी जगहों के लिए खड़े हुए। सबके सब फिर से चुन भी लिये गये।

“भारत-सेवक-समिति (सर्वेण्ट्स ऑफ़ इण्डिया सोसायटी) ने न केवल इस आन्दोलन से सहानुभूति दरसाई बल्कि सरकार से ज़ोर देकर इनकी माँग पूरी करने की प्रार्थना भी की।

इसके बाद बम्बई के इण्डियन-चैम्बर, ऑफ़ कामर्स के कुछ सहृदय मित्र गोलमेज़ कॉन्फ़्रेंस के लिए सरकार को राज़ी करने लगे। जून महीने के प्रारंभ में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास कमिश्नर से मिलने के लिए सूरत गये। साथ ही उन्होंने इस विचार से सरदार वल्लभभाई को भी वहाँ बुलाया कि कमिश्नर और उनके बीच रूबरू कुछ खानगी तौर से बातचीत हो जाय। उन दिनों सरदार को काम की बड़ी गड़बड़ी थी। उन्होंने श्री महादेव देसाई को सूरत भेज दिया। श्री महादेव भाई की मि० स्मार्ट से खूब बातचीत हुई, जिसमें महादेवभाई ने यह देखा कि मि० स्मार्ट हर तरह से सत्याग्रह को तोड़ने पर तुले हुए हैं। मि० स्मार्ट का यह खयाल था कि अधिकांश सत्याग्रही जून के अन्त तक आत्म-समर्पण कर देंगे। सर पुरुषोत्तमदास ने मि० स्मार्ट को समझाया

कि “आपका मत ग़लत है। आपको सत्याग्रहियों की सहन-शक्ति का पता नहीं है। जब्ती-अफ़सरी तथा पानों के व्यवहार ने सरकार को बदनाम कर दिया है।” इसके बाद उन्होंने अपने चैम्बर से यह कहा कि यदि सरकार नहीं मानती तो हमारे प्रतिनिधि श्री लालजी नारणजी बारडोली के प्रश्न पर कौंसिल से इस्तीफ़ा क्यों न दें ? तब चैम्बर के अध्यक्ष श्री मोदी ने सरकार की नीयत जानने के लिए गवर्नर से पत्र-व्यवहार शुरू किया, पर इसका कुछ भी नतीजा न निकला। उत्तर में गवर्नर ने जो पत्र भेजे उनमें सत्ता-मद भरा था। फिर भी उन्होंने सोचा कि शिष्ट-मण्डल लेकर गवर्नर से रूबरू मिलना चाहिए और उससे समझौते की बातचीत प्रत्यक्ष करनी चाहिए। इसलिए सत्याग्रहियों की आवश्यक शर्तें जानने के खयाल से सर पुरुषोत्तमदास साबरमती पहुँचे, और वहाँ उन्होंने वल्लभभाई को भी बुलवाया। महात्माजी से मिलकर वह श्री लालजी नारणजी तथा श्री मोदी को लेकर गवर्नर से मिलने पूना गये। पर इस बार भी उनको बड़ी निराशा हुई। सर पुरुषोत्तमदास चाहते थे कि गवर्नर सरदार वल्लभभाई को एक गोलमेज़ कान्फ़ेंस में बुलावें और उनसे समझौता कर लें। पर ऐसा नहीं हुआ। तब वह स्वयं खानगी तीर से गवर्नर से मिले। गवर्नर उनसे बड़ी अच्छी तरह मिले, पर अपनी बात को उन्होंने नहीं छोड़ा। उनकी शर्त वही थी—सत्याग्रही पहले बढ़ा हुआ लगान अदा कर दें या पुराना लगान जमा कराके वृद्धि की रकम किसी तीसरे पक्ष के पास जमा करा दें, तब जाँच हो सकेगी। शिष्ट मण्डल तो यह आशा लेकर लौटा कि संभव है इस शर्त पर दोनों पक्ष का समझौता हो जाय। अतः जब सर पुरुषोत्तमदास पूना से बम्बई लौटे तो वह वल्लभभाई से मिले और शिष्टमण्डल से गवर्नर की जो बातचीत हुई थी वह सब मुनाई। पर स्पष्ट ही सरदार इन शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकते

थे । अतः यह प्रयत्न भी असफल ही रहा । लालजी नारणजी ने सरकार की हठ को अनुचित बताते हुए धारा-सभा से अपना इस्तीफा दे दिया ।

जुलाई के आरंभ में बारडोली-सत्याग्रह का समर्थन करने के लिए भड़ौच में एक जिला परिषद् हुई, जिसके स्वागताध्यक्ष श्री कन्हैयालाल मुनशी थे और अध्यक्ष श्री खुरशेदजी नरीमान ।

ज्यों-ज्यों लोकमत प्रबल होता गया, सरकार की स्थिति साँप-छछूँदर की-सी होती गई । दमन करती है तो संसार में बदनाम होती है, क्योंकि बारडोली के किसान अखंड शान्ति का पालन कर रहे थे । इधर उनकी माँग के सामने अपना सिर झुकाती है तो सरकारपन ही मारा जाता है । यदि वह झुक जाय तो उसकी प्रतिष्ठा ही क्या रही ? फिर यह प्रश्न केवल बारडोली का तो था नहीं । यहाँ तो आये दिन उसे किसी-न-किसी ताल्लुके में नया बन्दोबस्त करना ही पड़ता है । सभी जगह के लोग इसी तरह ताल ठोक कर फिरंट हो जायँ तब तो उसके लिए यहाँ शासन करना भी असंभव हो जाय । अन्त में 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया' ने अपने विशेष संवाददाता को बारडोली भेजा । तीन लम्बे-लम्बे और चौंका देनेवाले लेख निकले । चार-पाँच दिन के अन्दर सारे संसार में यह खबर फैल गई कि "हिन्दुस्तान के बम्बई इलाके में बारडोली नाम का एक ताल्लुका है । वहाँ महात्मा गांधी ने बोलशेविज्म का प्रयोग करना शुरू किया है । प्रयोग बहुत हदतक सफल हो गया है । वहाँ सरकार के सारे कल-पुर्जे बन्द हो गये हैं । गांधी के शिष्य पटेल का बोल-बाला है । वही वहाँका लेनिन है । स्त्रियों, पुरुषों और बालकों में एक नई आग सुलग उठी है, और इस दावानल में राजभक्ति की अन्त्येष्टि क्रिया हो रही है । स्त्रियों में नवीन चैतन्य भर आया है । अपने नायक वल्लभभाई पटेल में वे अनन्य भक्ति रखती हैं । वह उनके गीतों का विषय हो रहा

है। पर इन गीतों में राजद्रोह की भयंकर आग है। सुनते ही कान जल उठते हैं। निःसन्देह यदि यही हाल रहा तो आश्चर्य नहीं कि यहाँ शीघ्र ही खून की नदियाँ बहने लगे।” इत्यादि।

और ब्रिटिश शेर नींद से अपने होंठ चाटता हुआ जमुहा कर उठा। उसने गर्जना की—“सम्राट की सत्ता का जो अपमान कर रहा हो उसकी मरम्मत करने के लिए साम्राज्य की सारी शक्ति लगादी जायगी।” फलतः वायुमण्डल में अफवाहें उड़ने लगीं कि बारडोली में सम्राट की सत्ता की रक्षा के लिए फौज आरही है। सिपाहियों के लिए खाटें, तम्बू, रसद, सामान वगैरा की व्यवस्था हो रही है। लेकिन बारडोली के निर्भय किसान इससे भयभीत नहीं हुए।

सरकार की विपरीत मनोदशा और किसानों के क्लेश देखकर देश के बड़े-बड़े नेता अपनी सेवायें अर्पण करने के पत्र सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम भेजने लगे। सरदार वल्लभभाई पटेल की गिरफ्तारी की अफवाहें भी उड़ने लगीं। तब महात्माजी ने भी उन्हें लिखा कि जब जरूरत हो, मुझे खबर कर देना; आजाऊँगा। डा० अनसारी, पं० मदनमोहन मालवीय, पं० मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय आदि ने भी इसी आशय के पत्र सरदार के नाम भेजे। सरदार शार्दूलसिंह ने तो देश में बारडोली से सहानुभूति-सूचक व्यक्तिगत सत्याग्रह छोड़ने की सिफारिश भी की। शिरोमणि अकाली दल ने अमृतसर के तमाम जत्थों को इस आशय की एक गश्ती चिट्ठी भेजी कि यदि बारडोली की न्याय्य माँगों को सरकार इसी तरह ठुकराती रही तो शिरोमणि अकाली दल को उसकी सहायता के लिए जाना पड़ेगा, इसलिए अकाली भाई अपने बारडोली-स्थित किमान भाइयों के लिए आवश्यक कष्ट सहने को तैयार रहें।

इधर बारडोली से पठान हटा लिये गये और अब उनके स्थान पर हथियारबन्द पुलिस आ गई। मि० स्मार्ट हारकर अहमदाबाद लौट गये। किसानों की कठोर तपस्या विजयी हुई। यह देखकर मेघराज इन्द्र गद्गद् हो गये। वह आकाश से वर्षा द्वारा उनपर अभिषेक करने लगे। किसानों ने महीनों से बन्द किये हुए अपने मकानों को खोला और अपनी प्यारी ज़मीन को निर्भयतापूर्वक जोतने लगे, यद्यपि यह कहा जाता था कि उनमें की कई बिक चुकी हैं। कुछ लोगों को यह भी आशंका थी कि सरकार उन लोगों पर शायद मामला चलाये, जो बिकी हुई ज़मीनों पर हल चलायेंगे। पर एक भी किसान इस बात से नहीं डरा, न पीछे हटा। बहनें तो इससे भी आगे बढ़ गई थीं। कुमारी मणिबेन पटेल और श्रीमती मीठांबेन पेटिट ने बिकी हुई ज़मीनों पर अपने रहने के लिए कुटियायें बनवालीं।

ज़मीन की ज़ब्त की नोटिस छः हज़ार से भी ऊपर निकल चुके थे। कितने ही स्वयंसेवक जेल गये, जानवर भी बीमार हुए। सबने बड़े-बड़े नुक्सान उठाये। बारडोली तबाह हो गई, परन्तु किसीने पीछे पाँव नहीं रक्खा। सरकार और सरदार के बीच समझौते की कोशिश भी हुई, परन्तु उसमें सफलता न हुई। अन्त में २३ जुलाई को धारासभा में गवर्नर ने अपना अन्तिम निश्चय यह सुनाया कि सरकार माँगी हुई निष्पक्ष, स्वतंत्र और सम्पूर्ण जाँच के लिए तैयार है, केवल इसी शर्त पर कि लोग नया लगान पहले जमा कर दें और यह आन्दोलन बन्द कर दिया जाय।

सरकारी शर्तों में आन्दोलन बन्द करने की शर्त तो फ़ौरन पूरी की जा सकती थी, अगर सरकार निष्पक्ष जाँच की माँग बिना किसी और शर्त के मंज़ूर कर लेती, परन्तु नया लगान पहले कैसे जमा हो सकता

था ? झगड़ा जो इस बात का था कि या तो सरकार बड़े हुए लगान को रद करदे, या अगर इसे वह न्याय्य समझती है तो सत्य के निर्णय के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र समिति से जाँच करावे। फिर नया लगान पहले ही से अदा कराने पर किसान कब राजी होने लगे ? इस सत्याग्रह में वे हार कब गये थे ?

अतः सरदार वल्लभभाई तथा उनके किसान अड़ गये। पर इस समय श्री रामचन्द्र भट्ट नामक धारा-सभा के एक सभ्य के हृदय में एकाएक करुणा का संचार हुआ। उन्होंने, किसानों की तरफ से नहीं, किसानों के लिए सरकारी खजाने में ताल्लुके के बड़े हुए लगान के रुपये जमा करा देने की इच्छा प्रकट की। पिछले अकाली-सत्याग्रह के समय भी इसी तरह सर गंगाराम 'गुरु-का-बाग' की ज़मीन अपने यहाँ रहन में रखने के लिए राजी हो गये थे। सरकार के भाग्य से या किसी अज्ञात अदृश्य की प्रेरणा से आनवान के समय, जबकि देश के बलाबल को नापने का समय आजाता है, कोई ऐसे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं जिनके हृदय में एकाएक देश-भक्ति और भ्रातृ-प्रेम का उदय हो जाता है। श्री रामचन्द्र भट्ट ने भी यह रकम जमा करने की इच्छा प्रकट करके संसार की आँखों में सरकार की प्रतिष्ठा की बड़े मौक़े पर रक्षा कर ली। क्योंकि यही एक ऐसी बात थी जिसपर दोनों पक्ष अड़े हुए थे। इसके बाद तो सुलह का मार्ग बहुत आसान हो गया। यह सारी व्यवस्था धारा-सभा के के सभ्यों द्वारा हुई।

गांधीजी ने गवर्नर के भाषण पर क्रोध न करने की जनता को सलाह दी। उनकी माँग को फिर जनता के सामने रक्खा और अन्त में श्री रामचन्द्र भट्ट के उपर्युक्त कार्य पर अपने विचार इस तरह प्रकट किये :—

“जिस बड़े हुए लगान को अदा न करने के लिए सत्याग्रह छेड़ा

गया था, उसे बम्बई के किसी गृहस्थ ने सरकार में जमा करा दिया है, ऐसा अखबारों में छपा है। यदि सरकार को इतनी बड़ी रकम भेंट करने का वह विचार ही कर चुके हों, तो उन्हें कौन रोक सकता है ? यदि ऐसी भेंट से सरकार अपना मन सन्तुष्ट करले तो हम उसका द्वेष न करें। बम्बई में रहनेवाले बारडोली ताल्लुके के इन गृहस्थ ने यह रुपये जमा कराके अपना नुकसान किया या जनता का, इसका निर्णय आज नहीं हो सकता। यह रकम सरकार के लिए तुच्छ है। पर यदि उससे उसे सन्तोष हो जाय और वह सुलह करने पर राजी हो जाय तो सुलह कर लेना सत्याग्रही का धर्म है।”

पर कहीं कोई यह खयाल न करले कि सरकार झुक गई है। अतः लंदन से सहायक भारतमंत्री अर्ल विण्टर्टन को भी गवर्नर के भाषण का समर्थन करने की जरूरत दिखाई दी। उनसे पूछे गये प्रश्नों का जवाब देते हुए अर्ल विण्टर्टन ने हाउस ऑफ कामन्स में कहा :—

“आज बम्बई की धारा-सभा में सर लेसली विल्सन ने बारडोली के सम्बन्ध में जो शर्तें पेश की हैं, वे पूरी न की गईं तो बम्बई-सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह आन्दोलन को कुचल दे और जनता को कानून का आदर करने पर मजबूर करे। इसमें भारत-सरकार और साम्राज्य-सरकार पूर्णतया उसके साथ हैं। शर्तों के न मानने के साफ़ मानी यह होंगे कि आन्दोलन-कर्त्ताओं के दुःख असली दुःख नहीं हैं। वे ख़ामख़वाह सरकार को झुकाकर अपनी बातें मानने पर मजबूर करना चाहते हैं।”

इस प्रकार सरकार ने तो ऊपर से तो तानाशाही दिखाई, पर भीतर-ही-भीतर श्री रामचन्द्र भट्ट को प्रेरणा की गई कि बारडोली के किसानों की तरफ़ से नया लगान चुका देने की रज़ामन्दी ज़ाहिर करें।

ऊपर से उनसे कहा गया कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, सूरत के ही प्रतिनिधियों की बात सुनेंगे; परन्तु जब उन प्रतिनिधियों की सूरत नही नज़र आई, तब भट्टजी की बात चुपचाप मान ली गई। इस कथा के विस्तार में न जाकर संक्षेप में इसका अन्त इस प्रकार सरदार के शब्दों में ही कर देना चाहते हैं :—

“परमकृपालु ईश्वर की कृपा से हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसका सम्पूर्ण पालन हो गया। हम लोगों पर बढ़ाये गये लगान के बारे में हम जैसी जाँच चाहते थे सरकार ने वेंसी जाँच-समिति का नियुक्त करना क़बूल कर लिया है। खालसा ज़मीनें किसानों को वापस मिलेंगी, जेल में गये हुए सत्याग्रही छोड़ दिये जायेंगे, पटेल और तलाटियों को फिर उनकी नौकरी पर रख लिया जायगा, और भी जो छोटी-छोटी माँगें हमने पेश की थीं उनकी स्वीकृति हो गई है। इस तरह हमारी टेक पूरी करने के लिए हमें परमात्मा का उपकार मानना चाहिए।

“अब हमें पुराना लगान अदा कर देना चाहिए, बढ़ा हुआ लगान नहीं। मैं आशा करता हूँ कि पुराना लगान अदा करने की सारी तैयारी आप करके रखेंगे। लगान जमा कराने का समय आते ही मैं सूचना कर दूँगा।

“अब सब लोग अपने-अपने काम-काज में लग जावें। अभी तो हमें बहुत-सा उपयोगी काम करना है। उसे इकट्ठा करने की तैयारी तो हमें आज से ही करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त सारे ताल्लुके में रचनात्मक काम करने के लिए भी हमें खूब प्रयत्न करना पड़ेगा। इस विषय में तफ़्सीलवार सूचना फिर दी जायगी।

“संकट के समय आत्म-रक्षा के लिए जिन ख़ास लोगों से हमें सम्बन्ध तोड़ना पड़ा तथा दूसरी तरह के व्यवहार भी पंचों की आज्ञा

से बन्द करने पड़े, उनपर पंचों को चाहिए कि वे फिर विचार करें। जिन्होंने हमारा विरोध किया, उनका भी हमें तो विरोध न करना चाहिए। सारी कटुता को भुलाकर अब हमें सबसे प्रेमपूर्वक हिलना-मिलना चाहिए। बारडोली के किसानों को अब इस बात के समझाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए।”

बारडोली की लड़ाई स्वराज्य के लिए न थी। वह जिस बात के लिए थी उसमें उसे पूरी विजय हुई। गुरु-का-बाग के सत्याग्रह में भी सिक्ख लोग एक विशेष बात के लिए लड़े थे और उसमें उन्हें पूरी सफलता हुई थी। खेड़ा, बोरसद और नागपुर के झंडा-सत्याग्रह में भी खास-खास बातों पर सत्याग्रह हुआ और सबमें सत्याग्रहियों की जीत हुई। इन सब सत्याग्रहों में विशेषता यह थी कि शत्रु-पक्ष से जितने अत्याचार होते थे, सत्याग्रही उन्हें सहता परन्तु अपनी बात पर अड़ा रहता था। दूसरे पक्ष को किसी तरह का कष्ट नहीं पहुँचाता था और न बदले का भाव मन में लाता था। जिस बात पर अड़ता था उसे पूरा करके ही छोड़ता था, चाहे इस कोशिश में जान क्यों न चली जाय। किसानों को इस तरह की लड़ाई सीखने के लिए सत्याग्रह का इतिहास जानना जरूरी है। अफ्रीका के सत्याग्रह से लेकर चम्पारन, खेड़ा, गुरु-का-बाग, बोरसद और नागपुर के सत्याग्रह का इतिहास भी बारडोली के साथ-साथ पढ़ने लायक है।^१

१. इन सब सत्याग्रहों का इतिहास संक्षेप में ‘मण्डल’ से प्रकाशित ‘कांग्रेस का इतिहास’ में दिया गया है। इसका मूल्य २।।) है। —सम्पादक

विदेशी राज्य से असहयोग और सत्याग्रह

१. विदेशी राज्य प्रजा के राज़ी हुए बिना नहीं रह सकता

किसी देश की प्रजा के लिए पहले तो यह बात स्वाभाविक नहीं है कि किसी दूसरे देश का राज्य पसंद करले। यदि ऐसा कभी हो भी तो प्रजा इसलिए विदेशी राज्य पसन्द कर सकती है कि विदेशी राज्य से उसका कल्याण हो। परन्तु जिस विदेशी राज्य से प्रजा का कल्याण भी नहीं होता, वह प्रजा की रजामन्दी से नहीं बल्कि जबरदस्ती शासन करता है। यह बात केवल विदेशी शासन की ही नहीं है। बेन, रावण, कंस जरासंध आदि विदेशी राजा न थे, तोभी प्रजा पर जबरदस्ती कठोर शासन करते थे। बेन को ऋषियों ने मार डाला। रामचन्द्रजी ने रावण का वध किया। कंस और जरासंध को श्रीकृष्ण ने मारा, ये राजा थे और अपनी जबरदस्ती से राज्य करते थे, इसलिए इन्हें मार डाला गया और उनकी जगह पर कोई अच्छा हाकिम राजा बना दिया गया। परन्तु आजकल अंग्रेजों के राजा का तो नाम ही नाम है। असल में राज्य तो अंग्रेजी प्रजा करती है और उस अंग्रेजी प्रजा में भी उस वर्ग के लोग असल में राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखते हैं जिनके हाथ में अंग्रेजी राज्य का अधिकार है और जो सारी प्रजा के एक छोटे से धनवान अंश है। जिनका स्वार्थ न केवल भारतवर्ष के बल्कि दुनिया भर के शोषण में है। एक आदमी का राज्य हो तो अत्याचार को दूर करने के लिए उसे ही दूर कर दिया जाय, परन्तु जब एक समूह-का-समूह या जाति-की-

जाति राज्य करती हो तो पहले तो उन सबको नष्ट कर देना सम्भव नहीं है, दूसरे व्यक्तियों को नष्ट करने से दुर्नीति या अत्याचार का नाश नहीं हो सकता ।

कोई आदमी या कोई समाज दूसरे आदमी या दूसरे समाज पर बिना उसकी रजामन्दी के अत्याचार नहीं कर सकता । कोई आदमी या समाज कभी अत्याचार सहने के लिए राजी हो भी जाय, तो उसकी रजामन्दी का कारण केवल उसकी दुर्बलता है । भारत की प्रजा इसी दुर्बलता के कारण मुट्ठी-भर अंग्रेजों की गुलामी में फंस गई । यहाँ के आदमी और यहाँ के समाज जुल्म सह लेने के लिए राजी होगये । इसीलिए विदेशियों ने धीरे-धीरे हमारे देश में अपना कदम मजबूत कर लिया । आज भी कुछ गया नहीं है । हम चाहें तो आज भी अपनी जान पर खेल जायें और निश्चय करलें कि 'आज से हम विदेशियों का अत्याचार नहीं सहेंगे ।' फिर हमारे छुटकारे में कुछ भी देर नहीं लगती ।

हमारे किसान भाइयों को अपनी इज्जत का, अपनी स्वतंत्रता का और अपने भले-बुरे का खयाल न रहा हो ऐसी बात नहीं है । हमारे यहाँ के शांत और सीधे किसान अपने दुःख और झगड़े गाँव की पंचायत के सामने पेश किया करते थे । जब पंचायतें तोड़ डाली गई, तब उन्हें समझाया गया कि अपने झगड़ों का निपटारा तुम अंग्रेजी अदालतों में कराया करो, वहाँ बहुत अच्छा न्याय होगा । अंग्रेज रोजगारियों ने अदालत का रोजगार खड़ा करके अपनी आमदनी बढ़ाई । सीधे-सादे किसानों ने इसका रहस्य न समझा । अहलकार, वकील, दलाल, आदि जिनकी मुट्ठियाँ गरम होने लगीं वे इस रोजगार में शरीक होगये और इसमें मदद पहुँचाने लगे । अपने भाइयों से लड़-लड़ाकर किसान बरबाद होने लगा और आपस की लड़ाई और फूट के पीछे अपना खून चूसनेवाले विदेशी

हाकिम को भूल गया, जिसने कि अन्धाधुन्ध मालगुजारी और लगान वसूल करने के लिए कानून बनाने का काम अपने हाथ में रक्खा था। किसान देखता था कि अपने भाइयों से लड़ने में तो हमें अच्छे दाम देकर थोड़ी-बहुत सफलता मिल भी जाती है, हम अपने को बरबाद करके अपनी मूछें खड़ी कर सकते हैं, परन्तु जहाँ सरकार से मुकाबला करना पड़ता है वहाँ तो हम अपने सर्वस्व की बाज़ी लगा दें तो भी हमारी मूछें नीची ही रहेंगी। पर इतना जानकर भी किसान कुछ कर नहीं सकता था। उसके गाँव के मुखिया अपने नहीं रह गये; वे विदेशी सरकार के गुलाम हो गये। अपनी पंचायतें टूट गईं और सरकार के विरुद्ध फरियाद सुननेवाला कोई नहीं रहा। पटवारी, चौकीदार, पुलिस, तहसीलदार सबके सब सरकार के आदमी ठहरे, सरकार के विरुद्ध उसकी कोई सुननेवाला नहीं है। ऐसी दशा में किसान हर तरफ़ से दबकर पिस गया। आज भी उसके लिए ऐसा कोई इलाज या साधन देख नहीं पड़ता जिससे उसका उद्धार हो सके।

वे जिस दिन सरकार के आदमियों की बात मानकर उनकी कही बातों पर राजी होगये और विदेशियों की मदद करने लगे उसी दिन से उन्होंने गुलामी की जंजीर अपनी गरदन में डाल ली। किसी जुल्म को सहने के लिए, किसी दुर्नीति को मान लेने के लिए, किसी अनुचित काम को करने के लिए राजी हो जाना आदमी को पाप का भागी बनाता है। अनुचित लगान देने के लिए किसान का राजी हो जाना अपनेको नष्ट करने के पाप का भागी होना है। अपने यहाँ के रोजगार को चौपट करके दूसरों का रोजगार बढ़ाना पाप है। अपने गाँव के आदमियों को भूखों मारकर विदेशियों की दावत करना घोर पाप है। अपने यहाँ का खद्दर का रोजगार नष्ट होगया। कोरी, कोष्ठी, जुलाहे, ताँतिये और

नोनिये बेरोजगार होगये और किसानों ने मोहवश विदेशी कपड़े पहनने में अपनी इज्जत मानी। यह भारी भूल हुई। इस भारी भूल का प्रायश्चित्त एक ही तरह से हो सकता है, कि वे विदेशी राज्य से असहयोग करें।

२. असहयोग

किसान ने बहुत थोड़े-थोड़े से लालच में आकर विदेशी सरकार से सहयोग किया है। विदेशी कपड़े महीन और सस्ते बनते हैं। महीन के लालच से उसने विदेशी पहनना शुरू किया। नोनियों का तो कानून से रोजगार छिन गया। बुनकर बेरोजगार होकर तितर-बितर होगये। बहुत ज्यादा गिनती ऐसे बेरोजगारों की रोजी की तलाश में इधर-उधर घूमती थी। इनमें बहुतरे खेती में लग गये। गोचर-भूमि के मिलाने से खेती बढ़ी तो सही, पर खेतिहरों की बढ़ी हुई गिनती के सामने वह कुछ न थी, इस लिए खेत पर काम करनेवालों की गिनती बहुत बढ़ गई। बढ़ी हुई बेकारी से बहुत-से लोग आवारा घूमने लगे। विदेशी सरकार की कुटिल नीति से पैसे की माया फैली। चलनसार सिक्का सस्ता कर दिया गया। बेकार किसान और मजदूर, जिन्हें कोई रोजी नहीं मिलती थी, गाँव छोड़कर बाहर जाने लगे। इधर जाल बिछा था, चिड़ियों के आने की देर थी। सीधे-सादे देहाती फँस गये। अच्छे-से-अच्छे चुने हुए जवानों ने थोड़े-से रुपयों के सहारे के ऊपर अपनी अनमोल जानें बेंच दी, और विदेशी सरकार की सेना में भरती होगये। जिन्हें सेना या पुलिस में जगह न मिली वे अरकाटी के जाल में फँस गये। ये बेचारे नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। सेना और पुलिस इन्हीं बेरोजगार किसानों से भरी पड़ी है। इन्ही पुलिस और सेनावालों के भाई-बन्धुओं के ऊपर विदेशी सरकार मनमानी करती है और जब उसके मुकाबले में लड़ने के लिए अहिंसा-

त्मक युद्ध होता है तब सत्याग्रहियों की सहायता करने के बदले यही भूले हुए भाई उलटे उन्हींपर डंडे और गोलियाँ बरसाते हैं।

किसान को इसलिए, विदेशी सरकार से असहयोग करना चाहिए। विदेशी कपड़ा मत पहनो, क्योंकि उसके तार-तार में आपकी दरिद्रता उलझी हुई है। आपका परिवार बहुत कुछ उसीकी बदौलत भूखों मर रहा है। विदेशी कपड़े का त्यागना और खदर का तैयार करना दोनों साथ-साथ चलनेवाली बातें हैं। विदेशी कपड़े के त्याग का साफ़ यही मतलब है कि हर किसान अपने लिए खदर तैयार कराने का उपाय करे। खदर का उपाय किये बिना विदेशी कपड़ों का त्याग करना बिल्कुल निरर्थक है। क्योंकि हम बिना किसी तरह के कपड़े के रह नहीं सकते। पिछले अध्याय में हम यह दिखा आये हैं कि किसानों की बेरोज़गारी दूर करने के लिए खदर की तैयारी और विदेशी का बहिष्कार ज़रूरी है। इस अध्याय में हम यह दिखाते हैं कि विदेशी कपड़ा पहनना पाप है और अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है। इस पाप से बचने के लिए हमें विदेशी का त्याग और खदर का ग्रहण करना चाहिए।

विदेशी कपड़े के त्याग से और खदर के ग्रहण से हमको चारों पदार्थ मिलते हैं। हम आत्मघात के महापातक से बचकर आत्म-रक्षा के धर्म के भागी होते हैं। बेरोज़गारों को काम देकर और उनकी दरिद्रता दूर करके हम अर्थ के भागी होते हैं। मुदत से भूली हुई कातने और बुनने की सुन्दर और कोमल कला को फिर जिलाकर और उसे बढ़ावा देकर हम काम के भागी होते हैं। लंकाशायर के दुनिवार गक्षसी पाश में बंधे हुए अपने देश को बन्धन से छुड़ाकर हम मोक्ष के भागी होते हैं। इस तरह विदेशों से असहयोग करके हम अकेले कपड़े में ही चारों पुरुषार्थ पाते हैं।

परन्तु असहयोग का काम इतने से ही पूरा नहीं होता। आपस में फूट भी हमें दूसरों के बन्धन में फँसा देती है, अतः उसका भी परित्याग करना चाहिए।

एक बात और भी है। किसान कर्ज के बोझ में लदाहुआ है। साहूकार अपना रुपया छोड़नेवाला नहीं। वह किसान को अदालत घसीटेगा। डिगरी करावेगा। जायदाद कुर्क करावेगा। वह पंचायत को न मानेगा। इसी तरह बहुत सम्भव है कि ज़मींदार गांव की पंचायत बनने में ही बाधा डाले और विदेशी सरकार से असहयोग करने में किसी तरह राज़ी न हो। इसलिए जहाँ साहूकार और ज़मींदार समझाने-बुझाने से भी न मानें वहाँ उनके बिना ही पंचायत बनानी पड़ेगी और सत्याग्रह और अहिंसा के बल से अन्त में पंचायत अपनेको मनवा लेगी और उसकी विजय भी होगी। सारांश यह कि ज़मींदार और साहूकार चाहे कितना ही विरोध करें, किसानों को अपनी पंचायतें बनानी चाहिएँ।

असहयोग का बहुत बड़ा अंग नशे का त्याग है। हम अबतक असहयोग के निज पहलुओं को देखते आये हैं, उनमें से सबसे बड़ा पहलू नशे के त्याग का है। नशे की सब चीज़ों के ऊपर सरकार ने महसूल लगा रक्खा है और उसमें उसको खासी आमदनी है। यह एक बहाने की बात है कि महसूल ज्यादा लगाने से नशे का प्रचार घटेगा। पहले शुरू-शुरू में कम महसूल लगाकर नशे का खूब प्रचार किया गया। जब नशेबाज़ों की चसका लग गया, तब महसूल बढ़ाने का यही मतलब है कि सरकारी आमदनी बढ़ जाय। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो नशे के इस्तैमाल को पाप न ठहराता हो। नशे का प्रचार करके विदेशी सरकार भारत के लोगों का धर्म और धन दोनों हर लेती है। इसलिए नशे से असहयोग करने का यह मतलब है कि हम अपने धन और धर्म

दोनों की रक्षा करें। शराब, ताड़ी, गाँजा, भंग, चरस, चंडू, अफीम ये सभी नशे हमारा धर्म भी बिगाड़ते हैं, हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं, हमारे पैसों को भी बरबाद करते हैं। इस तरह जिन नशीली चीजों से हमारा धन भी जाय, धर्म भी जाय, और हमारी स्वतन्त्रता छिनकर हमारी गर्दनों में गुलामी की जंजीर पड़े उनसे असहयोग करना तो हमारा पहला काम है। इसमें ज़मींदार और साहूकार कोई बाधा नहीं डाल सकते। नशे का इस्तेमाल करनेवालों को आप ही अपना जी कड़ा करके इस पाप का परित्याग कर देना चाहिए। नशा बेचनेवाले जब ग्राहक न पावेंगे तो आप अपना रोज़गार छोड़ देंगे।

३. सत्याग्रह

असहयोग तो अधर्म से और असत्य से सम्बन्ध छोड़ देना है। हम जिस काम में बुराई देखते हैं उस काम से अलग हो जाते हैं। हम जिस काम को ठीक नहीं समझते उसमें अपनी तरफ़ से किसी तरह की मदद नहीं पहुँचाते। यह धर्म का एक पक्ष है—एक पहलू है। हमने पाप में हिस्सा नहीं लिया, हम पाप के भागी नहीं हुए। परन्तु इतने से ही हमारे कर्तव्य पूरे नहीं होते। हमें तो जो सत्य है और जो धर्म है उसका पालन करना कर्तव्य है।

जो हठि राखें धर्म को, तेहि राखें करतार।

धर्म और सत्य में कोई भेद नहीं है। धर्म सत्य है और सत्य धर्म है। जिसमें सचाई नहीं है वह धर्म कभी नहीं हो सकता। सत्याग्रह सत्य के लिए अड़ जाना और अपने प्राणों की बलि करके भी सत्य को पाना है। सत्याग्रह ही असहयोग का वह दूसरा पहलू है जो हमारे ग्राम-संगठन के काम की बुनियाद है। जब हम यह जानते हैं कि हमारी खेती से इतनी पैदावार नहीं हुई है कि हम उतना लगान दे सकें जितना

कि सरकार मांगती है, तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस सत्य पर अड़ जायँ कि हम उतना ही लगान अदा करेंगे जितना कि खेती की रक्षा करने के लिए राजा का हक़ होता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार राजा को पैदावार के छठे भाग से अधिक लेने का अधिकार नहीं है। जहाँ इससे अधिक लिया जाता है वहाँ अधर्म किया जाता है। सत्य यह है कि राजा छठा भाग ले और प्रजा के धन की रक्षा करे। इसी छठे भाग के भीतर लगान मालगुजारी आदि सब कुछ है। इस समय लगान और मालगुजारी के नाम से किसान लुट जाता है। इस लूट से बचने के लिए उसे सत्याग्रह करने की ज़रूरत है। लेकिन किसान को हिंसा का खयाल तक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वे लाखों तरह के संकट और जुलम सहते आये हैं, जी कड़ा करके और थोड़े संकट और जुलम सह लेना कबूल कर लें, और इस बात के लिए सच्ची टेक कर लें कि हम सब संकट सहेंगे, जान दे देंगे, पर झूठा लगान न देंगे और न अत्याचार करनेवालों पर गुस्सा करेंगे न बदला लेंगे और न उनको तकलीफ़ पहुँचायेंगे। सत्य और अहिंसा के ब्रती किसान कभी हार नहीं सकते। सत्य की सदा जय होती है। परन्तु साथ ही यह याद रहे कि हिंसा सत्य नहीं है। अहिंसा सत्य है। हिंसा छल है। अहिंसा निष्कपट सत्य है। छल से मिला हुआ सत्य कभी नहीं होता। अहिंसा और सत्य कभी अलग नहीं हो सकते। अहिंसा और सत्य में ही भारत की जीत है।

इसके लिए बारडोली की लड़ाई की कथा विस्तार से पढ़ने लायक है। हमने जिस पुस्तक के आधार पर और जिसके अनेक अवतरण देकर पिछले अध्याय में बारडोली की विजय का वर्णन किया है वह “विजयी बारडोली”।

१. “विजयी बारडोली” : श्री बंजनाथ महोदय लिखित। प्रकाशक—
सस्ता-साहित्य-मण्डल, दिल्ली। मूल्य २। ३०

है। यह पुस्तक सत्याग्रह की इच्छा करनेवाले हर किसान को आदि से अन्त तक पढ़ डालनी चाहिए। औरों के उदाहरणों का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है; और ब्राडोली की लड़ाई तो हर तरह पर आदर्श लड़ाई हुई है।

ज़मींदार, साहूकार और किसान

अनाज, कपड़े, बरतन, गृहस्थी के सामान, घर, वाग-बगीचे, खेत मैदान, सोना, चांदी, मणि, रत्न, हाथी, घोड़े, रथ, गाड़ियाँ आदि सवारी, गाय, बैल आदि ढोर—ये सब-के-सब उस मनुष्य के धन कहलाते हैं जो इनका मनचाहा उपभोग कर सकता है और दूसरों को इनका उपभोग करने देने का या न करने देने का अधिकारी होता है। जो सम्पत्ति हमने ऊपर गिनाई है उसमें से किसीके पास थोड़ी और किसीके पास बहुत होती है। इसी हिसाब से हम किसीको कम और किसीको ज्यादा धनवान कहते हैं। जिनके पास इतने अन्न-वस्त्र का संग्रह नहीं है कि वे बिना हाथ का काम किये या बिना एक या कई इन्द्रियों से पूरा परिश्रम किये गुजारा न कर सकें, वे धनवान कहे जाने के अधिकारी नहीं हैं। वे धन के नाते तो दरिद्र हैं। हाँ, शक्ति के नाते हम उनको शक्तिमान कह सकते हैं। परन्तु धन भी एक शक्ति है, और ऐसी-वैसी नहीं बहुत भारी शक्ति है। धनवानों के पास वह शक्ति भी मौजूद है जो दरिद्रों के पास है और उसके अनिरिक्त धन की भी अपार शक्ति है। अगर हम ताकत का मुकाबला करें तो एक धनवान एक कंगाल की अपेक्षा अपार शक्ति रखता है, क्योंकि दरिद्र और धनवान दोनों की शरीर-शक्ति तो बराबर है परन्तु धनवान के पास धन की शक्ति अत्यधिक है। इस हिसाब से धनवान और निर्धन दोनों में यदि झगड़ा हो तो धनवान के मुकाबले में निर्धन कभी खड़ा नहीं हो सकता। कभी अगर निर्धन अपने जैसे सौ

निर्धनों को धनवान का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा करे तो शायद धनवान को कुछ भय हो जाय। परन्तु सौगुनी जन-शक्ति का मुकाबला करने के लिए संभव है कि धनवान की धन-शक्ति कहीं अधिक बलवती ठहरे और वह अपने धन-बल से एक के बदले दसगुनी और सौ के बदले हजार गुनी जन-शक्ति पैदा करले। अच्छी मजूरी और बहुत ललचानेवाला इनाम रखकर अमीर आदमी चाहे तो सौ आदमियों के मुकाबले के लिए एक हजार आदमी रख सकता है। जरूरत की घड़ी पर मजूरों के एक हजार के दल को भी, जो एकाएकी काम पड़ने पर, भीड़ पड़ने पर इकट्ठे होगये हों, मुद्दतों के सीखे-पढ़े सिपाही सौ भी हों तो सहज में खदेड़ सकते हैं और अपनेसे दस गुनी या ज्यादा गिनती के आदमियों को हरा सकते हैं। जिसके पास धन-बल है वह जन-बल भी पैदा कर सकता है। इस तरह सदा से निर्धन या दरिद्र लोग धनवानों की अधीनता में रहते आये हैं। राजा, जमींदार, साहूकार, कारखानेदार, व्यापारी आदि सभी धनवानों की श्रेणी में आते हैं और सबका निर्धनों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि ये लोग मनुष्य न हों, इनमें हृदय न हो और काम, क्रोध, लोभादि अवगुणों के साथ-साथ दया, क्षमा, करुणा, श्रद्धा, उपकार आदि के भाव भी न हों तो ये सहज ही राक्षस-रूप होकर निर्धनों को बरबाद कर सकते हैं और साथ ही अपने भविष्य को भी बिगाड़ सकते हैं। आसुरी सम्पत्ति दूसरों का भी क्षय करती है और अपना भी। दैवी सम्पत्ति दूसरों की रक्षा करती है और अपनेको भी मुरक्षित रखती है।

निर्धन के पास अपने शरीर की शक्ति की ही सम्पत्ति है, चाहे वह मानसिक हो चाहे कायिक। परन्तु व्यक्ति यदि चाहे तो और व्यक्तियों की शक्ति अपने साथ जोड़कर सामूहिक जन-शक्ति पैदा कर सकता है।

जिस व्यक्ति में संगठन-शक्ति हो वह और व्यक्तियों की शक्ति को अपने साथ जोड़ सकता है, और इस तरह के संगठन करनेवाले अनेक मनुष्य हों तो जन-बल का संगठन हो जाना सहज है। धनवान के संगठित जन-बल के मुकाबले में इस प्रकार निर्धनों का संगठित जनबल भी खड़ा हो सकता है और उनकी धनवानों से बराबर की लड़ाई हो सकती है।

परन्तु एक ऐसी दशा भी आ सकती है जिसमें धनवान जन-शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। जब दरिद्र या निर्धन यह समझने लग जाय कि यह धनवान हमको ही कुल्हाड़ी का बंट बनाता है और धन का लोभ देकर हमारे ही हाथों हमारे भाइयों का खून कराता है तो उसके मन में अपनेआप खटका पैदा होजाता है। साथ ही जब विरोधी निर्धन भाई उसके मनोभाव को बढ़ावा देते हैं और उसे धन-लोभ से हटाकर निर्धन भाइयों के साथ सहानुभूति की ओर खींच ले जाते हैं तो धनवान को आदमी कम मिलते हैं। ज्यों-ज्यों निर्धनों का समूहन बढ़ता है, उनमें आपस की सहानुभूति लोभ को संवरण करने में सक्षम होती जाती है और एकता का भाव दृढ़ होता जाता है। त्यों-त्यों धनवान का संग जन-शक्ति छोड़ती जाती है, अन्त में धनवान एक ओर होता है और जन-शक्ति दूसरी ओर मुकाबले में खड़ी होती है। धन-शक्ति और जन-शक्ति का जहाँ इस प्रकार का संघर्ष होता है वहाँ विजय-पताका जन-शक्ति के ही हाथ रहती है। परिणाम यह देख पड़ता है कि धनवान की अपेक्षा जनवान में अधिक बल है। इसलिए धनवान को उचित है कि जन-शक्ति को अपनी ओर रक्खे।

राज-शक्ति क्या है ? राज-शक्ति वही धन-शक्ति है जिसने राज-सेना तथा धन के बल से जनबल को अपनी ओर कर रक्खा है, चाहे वह सेना हो, चाहे सभा हो और चाहे सहानुभूति हो। राज-शक्ति को बनाये

रखने के लिए सहानुभूति नितान्त आवश्यक है। इसके बिना सेना और सभा ठहर नहीं सकती। चाहे राजशक्ति किसी एक व्यक्ति की हो चाहे समूह की हो परन्तु संगठन और सामूहिक सहानुभूति उसके विधायक हैं।

हमारे यहाँ के पहले धनवान जमींदार हैं। जमींदार शब्द फ़ारसी है। इसका संस्कृत पर्याय भूपति है और हिन्दी भुइँहार है। बहुत संभव है कि जो आजकल जमींदार हैं वे पहले कभी स्वतंत्र या कर देनेवाले राजा रहे हों अथवा किसी बड़े राजा के ठेकेदार रहे हों या विदेशी सत्ता की स्थापना के बाद अधिकार मोल लेकर जमींदार हो गये हों। जमींदारी कैसी ही हो, खेती करनेवाले किसान जमींदारों की प्रजा कहलाती हैं। परन्तु ऐसी बात नहीं है कि जो जमींदार है वह खेती नहीं करता। शायद ही कोई ऐसा जमींदार हो जिसके अपने खेत जोते, बोये न जाते हों और और जिसकी अपनी फसलें न कटती हों। हमारी समझ में किसान दोनों ही हैं, चाहे जमींदार हो चाहे काश्तकार। जमींदार तो दरभंगा सरीखे महाराजा बहादुर भी हैं और काशिराज सरीखे राजा भी हैं, जिनके पास अपार धन है, परन्तु साथ ही छोटे-छोटे जमींदार भी हैं, जिनके पास किसी गाँव में एक या दो पाई से ज्यादा हिस्सा नहीं है और जो असल में भूखों मरते हैं और मेहनत मजूरी करके पेट भरते हैं। इसलिए हर जमींदार को हम धनवान नहीं कह सकते। किसानों में ऐसे जमींदार किसान भी हैं, जिनके यहाँ सैकड़ों एकड़ की खेती होती है, खण्डसालें हैं और खेती के बहुत कारबार हैं। ऐसे किसान भी हैं जिनके पास जमींदारी के नाम एक पाई भी नहीं है, परन्तु वे बहुत-से जमींदारों से अधिक धनवान हैं। इसीलिए न तो हर जमींदार धनवान कहला सकता है और न हर किसान और काश्तकार दरिद्र कहला सकता है। परन्तु जब हम किसान और जमींदार दोनों के नाम लेकर बातचीत करते हैं तब हमारा मतलब होता

है उन दरिद्र जमींदारों या काश्तकारों से जो धनवान जमींदारों के आधीन होते हैं। उस प्रसंग में जमींदार कहने से धनवान जमींदार या ताल्लुकेदार ही समझा जाता है। इन धनवान जमींदारों से दरिद्र किसानों का वास्ता है, जिनमें ऐसे मजदूर भी हैं जो किसानों के सहायक हैं और स्वयं खेतिहर नहीं हैं।

हमारे देश में साहूकार महाजनों की भी एक श्रेणी है जो सूद पर रुपया देकर और खेतों को अपने यहाँ बन्धक रखकर जमींदारी बाग और जायदाद के मालिक होगये हैं। यद्यपि ये धनवान जमींदार होचुके हैं, तथापि साहूकारी या लेन-देन इनके यहाँ जारी हैं। ये अबतक साहूकार बने हुए हैं। साथ ही बहुत-से ऐसे जमींदार भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ लेन-देन का कारबार जारी कर दिया है। ये जमींदार होते हुए भी साहूकार हैं। इस तरह साहूकारी और जमींदारी दोनों प्रायः सम्मिलित व्यवसाय बन गई हैं। किसान काश्तकार भी हैं और कर्जदार भी हैं। जिस तरह धनवान जमींदारी और साहूकारी दोनों साथ ही करता है उसी तरह किसान दरिद्र खेतिहर भी है और कर्जदार भी है।

विदेशी सरकार भारतवर्ष में धन के ही लोभ से स्थापित है। उसने आरम्भ से धनियों के ऊपर ही अपना अधिकार जमा रक्खा है। राज-शासन में जब कभी भाग देने की बात आई है तब धनियों को ही उसने मिलाया है। जहाँ कहीं बन पड़ा है वहाँ उसने जमींदारों और व्यापारियों के हाथ मजबूत किये हैं और यह विदेशी सरकार के लिए बिलकुल स्वाभाविक बात थी, क्योंकि वह स्वयं व्यापारियों की ही सरकार है। उसका लाभ इसीमें है कि भारतवर्ष के व्यापारी बराबर उसकी मदद करते रहें। कौंसिलों में, सभाओं में, दरबारों में, बड़ी-बड़ी नौकरियों में, निदान सभी जगह अंग्रेजी सरकार ने धनवानों को ही अधिकार दिये

हैं। इस तरह न केवल उसने धन का लाभ उठाया है, बल्कि साथ ही उसने धनवानों और धनहीनों के बीच नित्य की बढ़ती हुई गहरी खाई खोद दी है और दोनों वर्गों में फूट डालकर अपनी स्थिति को मजबूत कर रक्खा है। धनवान समझते हैं कि आये दिन सरकार हमारी रक्षा करेगी, इसलिए सरकार को हमेशा खुश रखना चाहिए। इस तरह धनवानों का और सरकार का स्वार्थ सम्मिलित हो गया है, और अपने ही देश के धनवान और निर्धन भाइयों में झगड़े की बुनियाद मजबूत हो गई। पंजे की सब अंगुलियाँ आपस में एक-दूसरे की मजबूती और मदद के लिए थीं परन्तु भारत में यह हुआ कि बड़ी अंगुलियाँ विदेशी स्वार्थियों की अंगुलियों से मिल गई और छोटी उंगलियों को बेकार और उनके अधीन कर दिया गया।

जमींदार किसानों से लगान, नजराना, भांति-भांति की भेंट और बेगार तक लेते हैं। किसान की मजाल नहीं कि इनकार कर सके। अगर वह करे भी तो जमींदार की मदद में बड़ी खर्चीली अदालतें कायम हैं। वह सिर उठाने की हिम्मत करे तो जमींदार की मदद को सरकार की पुलिस के डंडे मौजूद हैं; और अगर जरूरत हो तो गोली, बारूद और सेना भी निहत्थे नर-कंकालों को खड़े भून देने को तैयार हैं। मजूरों और किसानों को दबाने के लिए बड़ी कौंसिलों में कानून बन सकते हैं। मजूरों और किसानों के लाभ के कानून बनने में बाधाओं का कोई अन्त नहीं है। हम मजूरों और किसानों की वकालत में ये बातें नहीं कह रहे हैं। यह तो हमारे देश में नित्य घटनेवाले ऐतिहासिक तथ्य हैं। एक मुद्दत से धनवानों और निर्धनों के बीच ऐसा व्यवहार चला आया है जिससे निर्धन लोग धनवानों को अपना बैरी समझने लगे हैं और धनवान लोग निर्धनों के साथ वे व्यवहार करते भी नहीं लजाते जो किसी समय गुलामों के साथ किये जाते थे।

पिछली चौथाई शताब्दी से यहाँके मजूर और किसान भी कुछ-कुछ चेतने लगे हैं। जो लहर संसार में जोरों से बही वह हिन्द महासागर में हिलोरें मारे बिना न रही। यह आन्दोलन पिछले कई बरसों से जोर पकड़ने लगा है। आज किसान और मजदूर दोनों जगे हुए हैं। किसानों का आन्दोलन जगह-जगह चल रहा है। वे अत्याचार सहते-सहते थक गये हैं। मजदूरों की हड़तालें बड़े-बड़े स्थानों में होती रहती हैं। भारत-वर्ष में कोई प्रान्त ऐसा नहीं जहाँ मजदूर और किसान सन्तुष्ट हों।

किसानों का आन्दोलन अवधप्रान्त में ताल्लुकेदारों के विरुद्ध बड़े जोरों से चल चुका है। रायबरेली में एक वीर ताल्लुकेदार ने निहत्थे दरिद्रों पर गोलियाँ चलाके यश कमाया था। यह किसानों के उपद्रव के अनेक उदाहरणों में से एक है, अभी तो दमन बहुत आसान है, क्योंकि सभी किसान चेतने नहीं हैं। परन्तु यह तो अभी आरम्भ है, आगे चलकर किस दरजे का विकास होगा, यह कौन कह सकता है ?

पुलिस और हिन्दुस्तानी सेना में वही लोग काम करते हैं जिनके भाई देश के मजूर और किसान हैं। जब धनवान भी अपने लिए चपरासी, जमादार, फेरीदार, बल्लमदार, खिदमतगार, ग्वाले और गुण्डे आदि तलाश करता है तो इन्हीं मजदूरों के भाई-बन्धु इन कामों के लिए मिलते हैं। अभी तो इतनी खैरियत है कि उनके लिए ये दरिद्र लोग नौकरी करने को मिल जाते हैं और समय पड़ने पर उनकी रक्षा करते हैं और नमक अदा करते हैं। परन्तु जिस दिन ये चेत जायँगे उस दिन पहले तो इनमें से जो ईमानदार हैं वे अपने भाइयों के विरुद्ध धनवानों की नौकरी करने को तैयार न होंगे और जो इस दरजे की ईमानदारी नहीं रखते या पेट के पीछे ईमानदारी की उतनी परवा नहीं करते, वे धनवानों की नौकरी करते हुए भी जब देखेंगे कि वे हमारे

भाइयों का विरोध करते हैं अथवा भाइयों का स्वार्थ धनवानों का साथ देने से बिगड़ता है, तो वे नमक की ज़रा भी परवा न करेंगे और ठीक जोखिम के समय अपने अन्नदाताओं का साथ छोड़ देंगे। इतना ही नहीं, कोई आश्चर्य नहीं है कि जब सहानुभूति की मात्रा बढ़ जायगी तब ये अपने अन्नदाताओं को दगा भी दे सकते हैं। आजकल आन्दोलनों के जैसे लक्षण दीखते हैं उनसे यही पता चलता है कि हमारे देश के लिए कुशल नहीं है।

हमारे किसान और देशों के किसानों की अपेक्षा अधिक शान्त हैं, अधिक सौम्य हैं, अधिक सहनशील हैं और अधिक समझदार भी हैं। यह सब होते हुए भी इनको ठीक मार्ग पर ले चलने के लिए अमीरों और गरीबों दोनों के लिए तटस्थ, निःस्वार्थ, संगठनकारी दिमागों की जरूरत है। हमारी समझ में हमारे मजूरों और किसानों को अभीतक ऐसा नेतृत्व दुर्लभ है। और शायद कुछ काल तक मजूरों और किसानों में इतनी योग्यता न पैदा हो सके कि वे अपने बीच से कोई अच्छा नेता और संगठन-कर्त्ता खोज लें। जबतक उनका योग्य संगठन न होजाय तबतक उन्हें एक भयानक भीड़ समझना चाहिए जिसका मनोविज्ञान अच्छे-अच्छे विचारकों के लिए भी जटिल समस्या है। यह भयानक भीड़ आये दिन जो न करे सो थोड़ा। यह ऐसे-ऐसे उपद्रव कर सकती है जिसको क़ाबू में लाना हवाई जहाज़ों, मशीनगनों और सेनाओं के वश की बात नहीं है। अगर किसी भीड़ ने किसी गाँव को लूट लिया या आग लगा दी तो भयंकर हानि तो होगई। पीछे से हवाई जहाज़ और मशीनगनें आकर उस हानि को तो किसी तरह लौटा नहीं सकतीं, बल्कि उससे भी अधिक हानि पहुँचा सकती हैं। यह समझना खामखयाली है कि आगे के होनेवाले उपद्रव इन सभ्यता-

युक्त उपद्रवों से रुक जायँगे। मल से मल धोया जाय तो वह नहीं छूटता। एक उपद्रव के सहारे हम दूसरे उपद्रव को दूर करना चाहें तो उपद्रव घटने के बदले एक और एक ग्यारह हो जाते हैं। चौरीचौरा-हत्याकाण्ड अभी लोगों को याद होगा। अंधी और बहरी जनता ने पुलिस के ऊपर जो नाहक अत्याचार किया उसका कितना भयानक परिणाम हुआ? भारत के स्वराज्य पाने में यह दुर्घटना जिस तरह बाधक हुई वह तो सभी जानते हैं, परन्तु इस बात की ओर कम लोगों का खयाल गया होगा कि जितने भाइयों के ऊपर भीड़ ने वह अत्याचार किया था उससे कितने गुने अधिक भाई उस प्रतिक्रियात्मक उपद्रव में फाँसे गये जो अमन, दमन और मुकदमों और सजाओं के रूप में उस दुर्घटना के बाद हुआ। हुआ जो कुछ, परन्तु अन्ततः परिणाम यह हुआ कि उपद्रव और उसकी प्रतिक्रिया दोनों में हमारे देश की ही हानि हुई।

जो सच्चे देशभक्त हैं, जो सच्चे राष्ट्र-हितैषी हैं, वे ऐसा कोई उपद्रव नहीं चाहते जिसमें अन्ततः हमारे अमीर या गरीब किसी भाई का रक्ती-भर भी नुकसान हो और देश का रक्ती-भर भी फ़ायदा न हो। चौरीचौरा-हत्याकाण्ड ऐसी ही दुर्घटनाओं में से एक है, जिससे भारत की भयानक हानि हुई। रक्ती-भर लाभ न किसी व्यक्ति को हुआ न देश को।

भीड़ का मनोविज्ञान ठीक-ठीक समझनेवाले और उसके अनुसार उस बड़े धारा-प्रवाह को इष्ट दिशा में ले जानेवाले नेता हमारे देश में बहुत नहीं हैं। तो भी इतने काफ़ी हैं कि वे भीड़ को ठीक दिशा में ले जा सकते हैं यदि उन्हें काम करने दिया जाय। परन्तु जब कहीं उपद्रव खड़ा होता है तब इन स्वाभाविक नेताओं को तो सरकार भीड़ के पास नहीं जाने देती, उलटे दमन पर उतारू हो जाती है। मोपला-उपद्रव में,

पंजाब के उपद्रवों में, शान्ति के अवतार जगद्वन्द्य गांधीजी तक को सरकार ने रोक दिया। सरकार एकमात्र दमन ही जानती है। तो क्या भीड़ का दमन करना ही उपद्रव-शान्ति का एकमात्र उपाय है? क्या अमीरों को गरीबों पर अत्याचार करने में खुशी से मदद करनेवाली विदेशी सरकार की सहानुभूति अधिक लाभकारी है? या धनवानों के लिए ज्यादा सुभीते की बात यह है कि गरीबों के साथ सहानुभूति करें, उनके हृदय को अपने बस कर लें, अपने अच्छे सलूक से अपने गरीब भाइयों को अपना लें, इस हद तक कि आये दिन किसी उपद्रव के समय यही निर्धन भाई धनवानों की ढाल हो जायँ और जिस तरह धनवानों और निर्धनों के बीच भाई-चारे का सम्बन्ध पहले था उसी तरह अब भी हो जाय? हमारी समझ में इस बात में किसीका मतभेद नहीं हो सकता कि दूसरा ही उपाय उपयुक्त है। उन दोनों प्रश्नों को दूसरे शब्दों में हम यों कह सकते हैं कि अमीरों के लिए दो राहें खुली हुई हैं, अर्थात् वे वर्तमान काल में विदेशी राज का साथ दें या स्वदेशी प्रजा का? अभी तक हमारे अमीर लोगों में उन लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जो राजा का साथ देते हैं वे; धनवान जो प्रजा का साथ दे रहे हैं बहुत थोड़े हैं और वे इस समय कांग्रेस के पक्ष के ही लोग हैं। परन्तु कांग्रेस के वे धनवान जो प्रजा से सहानुभूति रखते हैं और राजा के पक्षपाती नहीं हैं, मजूरों और किसानों पर कुछ थोड़ा-सा प्रभाव रखते हैं। इस प्रभाव का रहस्य यह है कि वे किसान को अपना भाई समझते हैं, और उनपर उस तरह की कड़ाई और जबरदस्ती नहीं करते जैसा कि ज़मींदार लोग आम तौर पर किया करते हैं। साधारण ज़मींदारों का भाव अद्भुत होता है। वे गरीब किसानों को अपना गुलाम समझते हैं। कुछ जातियाँ तो ऐसी हैं जिनको निठुराई से पीटकर और जिनका अपमान

करके काम लेना वे अपना हक़ समझते हैं। गरीब चमार या पासी को जब चाहा बुलवाकर बेगार में जोत दिया। उस गरीब ने ज़रा भी नहीं-नहीं की तो जूतों से उसका पिट जाना निश्चय ही है। यह अपमान और यह अत्याचार हर ज़मींदार निर्भय होकर करता है। वह जानता है कि पुलिस और थानेदार हमारी तरफ़दारी करेंगे। रिश्वत देने को इस दरिद्र के पास पैसे कहाँ हैं ? लगान वसूल करने के लिए किसी किसान को बुलाकर जेठ की कड़ी धूप में घंटों बिठलाकर दण्ड देना ज़मींदारों की एक मामूली रीति है। साहूकार तो दूसरे तरह के अत्याचार करता है। वह खेत-बारी बंधक रख लेता है और जब उसके ब्याज पर ब्याज चढ़ने लगते हैं तो अन्त में उसके पुरखों की जायदाद कौड़ियों के मोल नीलाम होकर साहूकार के पेट में चली जाती है। शराब, साहूकार और ज़मींदार तीनों मिलकर किसान के तन-मन-धन पर कब्ज़ा कर लेते हैं।

असल में ज़मींदार केवल बीच का दलाल है। सरकार ने ब्रिटिश-भारत की सारी ज़मीन को अपनी मिल्कियत बना रक्खा है। ज़मींदार तो नाम-ही-नाम को ज़मीन का मालिक है। वह अगर मालगुज़ारी न दे तो उसकी मिल्कियत खतम हो जाय। ज़मींदार वह बीच का दलाल है जो विदेशी सरकार को अपनी नाममात्र की मिल्कियत को किराया देकर अपने धन के बल से किसानों पर अत्याचार करने का अधिकार मोल ले लेता है। परन्तु हम यह दिखा आये हैं कि धन-बल कितना ही बड़ा हो, जन-बल से आगे ठहर नहीं सकता। किसानों और मजदूरों के चेत जाने पर ज़मींदार अपने अत्याचारों को जारी नहीं रख सकता। मोटरावन हथियावन, घोड़ावन, नचावन आदि के नाम से जो कर वह दरिद्र किसानों से ले-लेकर मौज उड़ाता है वह बिल्कुल ज़बरदस्ती है। अपने अधिकारों को समझनेवाले किसान इस लूट-खसोट को चुपचाप नहीं सह

सकते। उन्हें सहना भी नहीं चाहिए। वह लगान की रकम में अलग लुटते हैं, तरह-तरह के करों से अलग तबाह होते हैं, फिर बेगार ऊपर से। पंचायत का यह कर्तव्य है कि पहले जमींदारों को समाझने की कोशिश करे कि इन अत्याचारों को बन्द कर दें, और अगर जमींदार न माने तो पंचायत को असहयोग और सत्याग्रह से काम लेना चाहिए। ऐसी दशा गाँवों में पैदा की जा सकती है कि जमींदार का सिपाही किसान को जूते या डंडे लगाने से इन्कार करदे। और किसान जमींदार के हाथ पिटे और चूँ न करे। अपना प्राण दे दे। परन्तु जमींदार की अन्याय की आज्ञा न मानें। किसीसे कोई बिना उसकी रजामन्दी के एक पाई भी नहीं पा सकता, और एक तिनका भी नहीं, खिसकवा सकता। बेगार में तो मजदूर और किसान को साफ़ इनकार कर देना चाहिए।

जमींदार और किसान की इस लड़ाई में किसान लोगों को यह बिल्कुल न भूलना चाहिए, कि जमींदार भी हमारा ही भाई है। इसलिए उसको, उसके परिवार को और उसके पशुओं को या उसका पक्ष निवाहनेवालों को खाने-पीने पहनने, और छाया में रहने आदि साधारण मनुष्यों की आवश्यकताओं से वंचित न किया जाय। उसे किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाय।

यह भी भूलने की बात नहीं है कि जन-बल आदि ठीक संगठित रूप से काम में लाया जाय तो बहुत बड़ी ताक़त है; और अगर संगठन न हो तो जन-बल एक भयानक भीड़ है जिसकी ताक़त किसी एक निश्चित कार्य के लिए तो कोई कीमत नहीं रखती, बल्कि ठीक उद्देश्य के अनुकूल काम करने की योग्यता न होने के कारण अनन्तमुख, अनन्त जीभ और अनन्त हाथ-पाँव रखनेवाली और अनन्त दिशाओं में जानेवाली ताक़त है जिसका उपयोग कुछ भी नहीं है। जन-बल का इसीलिए बहुत उचित

और नियमित संगठन होना बहुत ज़रूरी है। संगठित जन-बल अपार और अपरिमेय शक्ति है। उसके अनगिनतियों कान हैं, मगर एक ही बात के सुननेवाले हैं। उसकी असंख्य आँखें हैं, मगर एक ही निशाने को देखनेवाली हैं। उसकी असंख्य जीभें हैं, पर एक ही बात एक ही साथ एक ही स्वर में कहनेवाली हैं। उसके बेगिनती हाथ हैं, परन्तु वे सब एकसाथ एक ही समय में एक ही दिशा में एक ही काम के लिए उठनेवाले हैं। उसके अनगिनत चरण हैं जो एक ही दिशा में एक ही हिसाब से निरन्तर आगे बढ़ते रहनेवाले हैं। ये सारी इन्द्रियाँ एक ही मनुष्य की इन्द्रियों की तरह एकता के सूत्र में बँधी हुई एक-सी ही क्यों दीखती हैं ? इसका कारण यह है कि यह महान् जन-बल हज़ारों सिर रखते हुए भी एक ही सिर रखता है। एक ही संगठन करनेवाले दिमाग के ताबे होकर सारी बातें उसी दिमाग के आदेश के अनुसार करता है। ऐसे संगठित जन-बल का जो नेता है उसीका दिमाग सारी जनता के नख से शिखा का तक का काम करता है।

हमारे देश का जन-बल किसान है, और धन-बल ज़मींदार और साहू-कार है। इसमें सन्देह नहीं कि संगठित जन-बल के सामने धन-बल कुछ भी नहीं है। परन्तु जन-बल के संगठित होने की शर्त बहुत कड़ी है। जो किसान जन-बल की सेना में संगठित होना चाहें उन्हें तो अपने प्राणों का मोह छोड़कर इस सेना में भरती होना पड़ेगा। यह वह लड़ाई नहीं है कि जिसमें सिपाही को वरदी के लिए खर्च करना पड़े, या बारकों में रहना पड़े, या अपने साथियों के साथ कई साल तक दलेल करना पड़े। गाँव के जन-बल के विकास में ऐसी रीति-रस्मों की ज़रूरत नहीं है। तो भी उसे अपने बहुत-से बचे हुए समय में से संगठन की शिक्षा पाने के लिए कुछ-न-कुछ अवश्य खर्च करना पड़ेगा। उसे असहयोग

और सत्याग्रह की विधियाँ सीखनी पड़ेंगी। रत्ती से रवा तक सारे विचार छोड़कर अपने नायक के आज्ञा-पालन में आँख मूँदकर जुट जाना सीखना होगा। उसके आज्ञा-पालन में प्राण भी चले जायें तो उनका कोई हिसाब नहीं करना होगा। हर तरह पर अपनेको बलिदान कर देना पड़ेगा। सेना में हरेक के लिए अपनी-अपनी जगह होती है। उसे किसी दूसरे की जगह का लालच न करना होगा। जो काम उसे सौंपा जाय, बुरा-भला, खरा-खोटा, चाहे जैसा हो, सिपाही का काम है कि उसे पूरा करे। जब एक बार सिपाही ने अपने नायक की आधीनता मानली तो उसने अपना लड़ाई के सम्बन्ध में स्वतंत्र विचार भी उसीके हाथ सौंप दिया। क्योंकि युद्ध में जन-बल को चलानेवाला दिमाग एक ही होना जरूरी है।

यह लड़ाई शान्ति, अहिंसा और सत्य की लड़ाई है। इसके सिपाही इस बड़े सत्य को कबूल करते हैं कि कोई प्राणी किसी क्षण भी बिना कर्म किये नहीं रह सकता। इसीलिए कोई किसान जो संगठित जन-बल में मिलकर काम कर रहा है, अपने एक पल को भी बेकार न खोवेगा। वह हर घड़ी चरखा या तकली के पवित्र यज्ञ में लगा रहेगा।

पंचायत के पीछे जब उसकी मदद करने के लिए किसानों का ऐसा संगठित जन-बल होगा जिसके भरोसे पंचायत जरूरत पड़ते ही असह-योग और सत्याग्रह ठान देगी, उस समय किसी जमींदार या साहूकार की यह हिम्मत नहीं हो सकती कि पंचायत की न्यायोचित आज्ञा न माने और अगर ऐसी हिम्मत किसीने की भी तो उसे उलटे मुंह की खानी पड़ेगी।

किसान, साहूकार और जमींदार के पारस्परिक सम्बन्ध सुधरे बिना काम नहीं चल सकता। जो बेगारियाँ और जबरदस्तियाँ अबतक चलती रही हैं उनका अन्त तो होना ही है, परन्तु उनका अन्त करने के लिए न

तो शस्त्र या हिंसा का प्रयोग करना होगा और न किसी बाहरवाले से सहायता माँगकर अपनी बेआब्रह्मई करानी होगी।

धरती का मालिक

आजकल जो ज़मींदार के नाम से पुकारे जाते हैं वे किसान असल में उतनी ही धरती के मालिक हैं जितनी पर उनकी अपनी खेती होती है। बाक़ी और खेतीबाड़ी, जिनके लिए वह औरों से लगान वसूल करते हैं, असल में उनकी मिल्कियत नहीं है। वह तो उन लोगों की मिल्कियत है जो उसे जोतते-बोते और उसमें से अनाज पैदा करते हैं। ज़मींदार कई प्रान्तों में उनपर इज़ाफ़ा लगान कर देता है और अगर वे बढ़ा हुआ लगान नहीं देते तो उन्हें बेदखल भी कर देता है। जहाँ कहीं तीस साल में बन्दोबस्त होने का रिवाज है वहाँ तो ज़मींदार कुछ दिन तक इज़ाफ़ा लगान करके फ़ायदा उठाता रहता है। परन्तु बन्दोबस्त के समय सरकारी मालगुज़ारी की अटकल बढ़े हुए लगान से लगाई जाती है और वह बढ़ा हुआ लगान सदा के लिए बढ़ जाता है। ज़मींदार को जो फ़ायदा मिलता था, अब उतना नहीं मिलता, इसलिए लालची ज़मींदार फिर लगान बढ़ाता है। किसान के इस दुःख का कभी अन्त नहीं होता। किसान भी यह समझ जाता है कि हम ज़मीन की उपज बढ़ाते हैं, तो उसका फ़ायदा लगान बढ़ाकर ज़मींदार ले लेता है और हमें कुछ नहीं मिलता; इसी तरह उपजने की ताक़त अगर हम बढ़ा दें, और बढ़ा हुआ लगान न देना चाहें तो खेत हमारे हाथ से निकल जाता है। इस तरह खेत की ताक़त और हैसियत बढ़ाने में किसान अपना कोई फ़ायदा नहीं देखता। जो चीज़ असल में अपनी मिल्कियत नहीं है उसकी तरक्की में हम अपने-को क्यों वृथा घुलावें? भारत का किसान देखता है कि यहाँकी धरती ग़ैरों की मिल्कियत है। इसीलिए इस देश में खेती की तरक्की नही

होती। विदेशी सरकार ने खेती की तरक्की के नाम से देश में जो खर्चीली संस्थाएँ खोल रखी हैं उनका किया कुछ भी नहीं हो सकता। पहले तो वे खासकर विलायती मेशीनों के बिकवाने के लिए और उनके विज्ञापन के सुभीते के लिए सफ़ेद हाथी की तरह हैं, दूसरे अगर वे खेती की तरक्की कराना भी चाहें तो तबतक नहीं करा सकतीं, जबतक कि किसानों के मन में यह बात न बैठ जाय कि हमारे खेत हमारी मिल्कियत हैं। हमारे देश के सुधारकों ने खेती के सुधार पर बड़ी-बड़ी कोशिशें की हैं, परन्तु उनसे क्या होता है ? असली रुकावट जबतक दूर न होगी, खेती में तरक्की नहीं हो सकती।

जबतक सरकार का मनमाना क़ानून है तबतक किसानों की मिल्कियत कुछ भी नहीं है। गाँव की पंचायत के ही अधीन जब गाँव की खेती का बन्दोबस्त होगा, जब सब तरह पर पंचायत ही रक्षा करने लगेगी, तभी वह पंचायती क़ानून बनेंगे जिनसे कि खेती की रक्षा होगी और खेत किसानों की मिल्कियत होगी; साथ ही साहूकार के चंगुल से बचाने के लिए पंचायत को यह निश्चय कर देना पड़ेगा कि कोई किसान अपने किसी खेत को बेच न सकेगा। और न किसी किसान के हल, बैल, खेत आदि जीविका देनेवाली मिल्कियत कभी किसी क़ानून में नीलाम पर चढ़ सकेगी। जैसे प्राचीन काल में किसीको ज़मीन बेचने का अधिकार न था, वैसे ही अब भी पंचायत के क़ानून से किसी किसान को यह अधिकार न होगा कि वह अपने खेत बेच सके। लम्बी मुद्दत के लिए भोग-बन्धक रख देना भी एक प्रकार से बेचना ही है।

किसी किसान को यह अधिकार न होना चाहिए कि अपनी ज़रूरत से दूने से अधिक खेत रख सके। जितनी खेती उसकी सामर्थ्य से बाहर है, उसे चाहिए कि उसे उन लोगों में उसे बाँट दें जिनको कि अपने और

अपने परिवार के लिए खेतों की आवश्यकता है। पंचायत ऐसा नियम कर सकती है कि मिलिक्यत पानेवाला किसान उसके बदले पंचायत द्वारा ठहराई हुई रकम छोटी-छोटी किस्तों में कर के सूद-सहित दे डाले। डेनमार्क की स्वदेशी सरकार ने ऐसे क़ानून बनाकर छोटे-छोटे मिलिक्यत-दार पैदा कर दिये हैं, जिनके होने से सारा राष्ट्र पहले से अधिक सुखी और समृद्ध होगया है। प्रजा-भक्त सरकार ने ऐसे क़ानून बना दिये हैं कि बहुत छोटी हैसियत के लोग सरकार से ही नाममात्र के सूद पर रुपये लेकर और धीरे-धीरे आठ-दस बरसों में चुकता करके मिलिक्यतदार बन गये हैं। हमारे यहाँ पंचायतें भी थोड़ी हैसियत के लोगों को मदद करके अच्छी हैसियतवाले बना सकती हैं। वह बेमिलिक्यतवाले मजूरों को मिलिक्यतदार भी कर सकती हैं। जिन-जिन किसानों के खेतों के टुकड़े दूर-दूर पड़ गये हैं, उन्हें आपस में राज़ी करके ऐसा बन्दोबस्त करा सकती हैं कि हरेक किसान के अपने खेत पास-पास हो जायँ। कर्ज़ पाटने के लिए भी पंचायतें ऐसा कुछ बन्दोबस्त कर सकती हैं कि साहूकार नाम मात्र के ब्याज के ऊपर छोटी-छोटी किस्तों में अपना पावना वसूल करने को राज़ी हो जायँ।

गाँव की पंचायत से बग़ावत करनेवाले या उसे क़ायम न होने देने-वाले ज़मींदारों और साहूकारों का मुकाबला करने के लिए सत्याग्रह की विधि जो हमने ऊपर बताई है वह ग्राम-संगठन के काम में पड़नेवाली बाधाओं को दूर करने के लिए है, परंतु पंचायत का रचनात्मक काम बहुत बड़ा है। बेकारी दूर करने के लिए, पहले अध्याय में जो खद्दर का काम हमने बताया है, पंचायत का वह पहला रचनात्मक काम समझा जाना चाहिए। लगान और मालगुजारी को ठीक मर्यादा के भीतर लाकर देश में जो ही सरकार हुकूमत करती हो और उचित रीति से

रक्षा का काम करती हो उसे रक्षा मात्र के लिए भूमि कर के रूप में देने का प्रबन्ध करना यह दूसरा रचनात्मक काम होगा । किसानों को धरती का सच्चा मालिक बनाकर किसानों में हाथ की अंगुलियों की तरह तारतम्य रखकर उनकी फिर से बँटाई करना और खेती की मिल्कियत को भरसक पास-पास कराकर इसे सुभीते का व्यवसाय बनाना पंचायत का तीसरा रचनात्मक काम होगा । भूमि-कर के देने का ऐसा बन्दोबस्त करना कि वह रुपयों में न दिया जाकर खेती की उपज के अंश में दिया जाय, और यह अंश भी भूमि-कर के नाते उन्हीं लोगों को देना पड़े जिनके खेतों से कम-से-कम उपजवाले सालों में भी अपने परिवार के साल-भर के खर्च के लिए उपज को निकालकर फालतू उपज बचती हो । यह बन्दोबस्त गाँव की पंचायत का चौथा रचनात्मक काम होगा । ये चार रचनात्मक काम मुख्य होंगे, और गाँव की पंचायत को सबसे पहले इन्हीं कामों की जिम्मेदारी अपने सिर पर लेनी होगी ।

इसका मतलब यह नहीं है कि पंचायत का जो नित्य का काम है—अर्थात् शिक्षा, रक्षा व्यवसाय, विनोद और सेवा, इन पाँचों को ग्राम की पंचायत किसी आगे आनेवाले युग के लिए उठा रखे । पंचायत के नित्य और निमित्त के कर्तव्य तो आगे अलग दिखावेंगे । यहाँ तो हमने उन जरूरी कामों का निर्देश किया है, जिनका करना हमारे देश की असाधारण परिस्थिति के कारण गाँव की पंचायतों के लिए अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है ।

कर्जा और मुकदमेबाजी

१. ऋण-भार

आज भारतवर्ष के किसानों के सिर पर सात-आठ अरब रुपयों के कर्ज का बोझा है। यह बोझ दिन-पर-दिन बढ़ता चला जा रहा है। जिस किसान की आमदनी छः पैसे रोज के लगभग है, उसे पापी पेट को भरने के लिए अन्न तो मिलता नहीं, वह बेचारा अपना ऋण चुकाने के लिए रुपया कहाँसे लावेगा। साल-भर में किसान जितना ही सिर पीछे कमाता है लगभग उतना ही उसके सिर पर कर्जा भी रक्खा हुआ है। जिस आदमी की आमदनी साल में बारह सौ रुपये हो वह अपने ऊपर एक हजार रुपये का ऋण बहुत भारी बोझ मानता है और उसके चुकाने के लिए विशेष उपाय करता है। जिसकी आमदनी इतनी कम हो कि उसे चौबीस घंटे में एकबार भी उससे भर पेट भोजन न मिल सके, वह अपनी साल-भर की आमदनी की बराबर की रकम भला कैसे चुका सकेगा ? किसान तो असल में सरकार की करतूतों से दिवालिया बन गया है। वह तो किसी तरह पर अपना ऋण चुका नहीं सकता। उधर साहूकार भी उससे पाई-पाई वसूल करने के लिए तुला बैठा है। साहूकार की निठुराई और बेदरदी मशहूर है। वह अपने रोजगार की बदौलत घर बैठे रईस बन गया है। ब्याज की कड़ाई को कानून और अदालत ने बहुत कुछ कम कर दिया है, यह बात सही है। यह भी सही है कि सहकार-समितियों ने कुछ मालदार किसानों को भी

इस दिशा में लाभ पहुंचाया है। परन्तु यह लाभ बहुत थोड़ा है। हमारे देश के दरिद्र किसानों को रत्ती-भर भी लाभ नहीं पहुँच सकता।

किसानों के सिर पर ऐसा भारी कर्ज का बोझ कैसे पड़ गया ? यह बड़ा विकट सवाल है। इसमें बहुत कुछ तो हमारे किसान भाइयों का दोष है, तो भी सरकार का दोष थोड़ा नहीं है। जिन दिनों किसान सुखी और समृद्ध था, उसके पास खाने-पहरने की कोई कमी न थी। उसे भूमि-कर देकर भी इतना बचता था कि आये दिन उत्सव और मंगल के कामों में और तीज-त्यौहारों पर वह जी खोलकर खर्च करता था और खुशियाँ मनाता था। उसके वे सुख के दिन तो कभी के बीत गये, पर उसके मन का हौसला न गया। वह ऐसे मौकों में जी खोलकर खर्च करने में अपनी आबरू समझता आया है। जब वह देखता है कि हमारी आमदनी से इतना नहीं बचता कि हम काम-काज में लगा सकें तो वह साहूकार की शरण लेता है और यह आशा रखता है कि धरती-माता की कृपा से कभी तो हमारे भले दिन आवेंगे और हम ऋज्ज के बोझ से छुटकारा पायेंगे। दुर्भाग्य से ऐसे भले दिन तो कब के लद गये। अब तो वे सपने में भी देखने को नहीं मिलते। किसान उनकी बाट देखते-देखते सूद को इस हदतक बढ़ने देता है कि वह मूल से कई गुना ज्यादा हो जाता है और उसकी आँखों के देखते-देखते उसके बाप-दादों की जायदाद धीरे-धीरे गायब होती चली जाती है तब भी ऋण का पिशाच उसको बराबर भयभीत करता ही रहता है। परन्तु किसान को उसकी दरिद्रता की अवस्था ने इतनी काफ़ी चेतावनी दी है। कि वह अब काम-काज पड़ने पर पहले के मुक्ताबले में बहुत कम खर्च करता है। और चादर देखकर टाँग पसारना सीख गया है। जाति की पंचायतें और सुधार की सभायें उसके काम-काज के खर्च को बराबर घटाती रही हैं।

इस तरह अब जो भी ऋण उसके सिर पर है पहले के मुकाबले काम-काज उसका प्रधान कारण नहीं है। उसका मुख्य कारण तो आज लगान और मालगुजारी है, जिसकी किस्में निश्चित समय पर चुका देना बहुत जरूरी है। सरकारी पावना चुकाने के लिए किसान को क्या कुछ नहीं करना पड़ता। सरकारी दूतों की भाँति-भाँति की यातनाओं से लाचार होकर उसे कुएँ को छोड़कर खाई में गिरना पड़ता है और साहूकार की शरण में जाकर मुँहमाँगे सूद पर कर्ज लेना होता है और इसी कर्ज से ज़मींदार की और सरकार की माँग चुकानी पड़ती है। आज जो उसके ऊपर कर्जों का भारी बोझ है वह ज्यादा करके इसी कारण बराबर बढ़ता आया है।

साहूकार के ब्याज लगाने की विधि अद्भुत है। वह अक्सर साढ़े-सैंतीस रुपया सेंकड़ा सालाना व्याज माँगता है और बेचारे किसान को इतने कड़े सूद को मान लेने के सिवाय कोई गति नहीं है। पर यह सूद महीने-महीने देना वाजिब ठहराया जाता है, और न देने पर एक महीने के सूद पर दूसरे महीने ही सूद-दर-सूद लगाया जाने लगता है। इस भयंकर महाजन की चक्की के नीचे पिसकर किसान का चूरा हुए बिना नहीं रह सकता। कानून ने इस विधि को न्यायसंगत नहीं ठहराया है, और विदेशी क़ानून के दरवाजे को खटखटाया जाता है, तब यद्यपि न्यायाधीश ऐसे भयंकर व्याज को दिलाना नहीं मंजूर करता, तो भी इस जुल्म की कोई सज़ा नहीं दी जाती। ज्यादा-से-ज्यादा ऐसे भयानक अत्याचार पर न्यायाधीश मुस्कुरा देता है और उपेक्षा करता है। कानून ने इस लूट की कोई सज़ा नहीं ठहराई है। इस अत्याचार से सभी किसान पीड़ित रहते हैं। जो अदालत तक घसीटे जा सकते हैं वही मजरे में रहते हैं। परन्तु अदालत तक सबको जानें की नौबत नहीं आती। सीधे-सादे

ईमानदार किसान ब्याज का सब नहीं तो कुछ अंश समय पर सहायता करनेवाले उस अत्याचारी साहूकार के पास शुद्ध कृतज्ञता के भाव से पहुँचाते रहते हैं। साहूकार की एक तरह से बंधी आमदनी बनी रहती है। असल के चुकता करने की तो बात ही क्या है, पूरा न अदा होने के कारण सूद ही बढ़ता रहता है। इस तरह थोड़े-से रुपये देकर साहूकार किसान से गुलामी का दायमी पट्टा लिखवा लेता है। जो ब्रिटिश जाति यह घमण्ड करती है कि हमारे राज्य में गुलामी की प्रथा नहीं है, उसीकी करतूतों की बदौलत सैकड़ों दरिद्र किसान साहूकारों के यहाँ सारे जीवन गुलामी करते देखे जाते हैं।

२. यह बोझ कैसे हलका हो ?

जबतक आजकल की वह परिस्थिति बनी हुई है जिसका वर्णन हम ऊपर कर आये हैं तबतक इस बोझ के हलका करने के लिए कोई ऐसा उपाय नहीं किया जा सकता जिसका कोई विशेष प्रभाव पड़ सके। जबतक खून चूसनेवाला कड़ा लगान, निठुराई और हृदय-हीनता से वसूल किया जाता रहेगा, तबतक इस कर्ज का सिलसिला बंद नहीं हो सकता। एक देश डेनमार्क है, जहाँकी सरकार नाम मात्र के सूद पर खरीदी जानेवाली जायदाद की ज़मानत पर रुपये देकर दरिद्र मजदूरों को मिल्कियतदार किसान बनाती है, और एक हमारा भारत देश है जहाँकी सरकार खूनचूसने वाली मालगुजारी ऐसी कड़ाई के साथ वसूल करती है कि मिल्कियत वाले किसानों को भारी कर्ज लेकर थोड़े ही दिनों में बेमिल्कियत का कंगाल बना देती है। स्वदेशी और विदेशी हुकूमत में यह भारी अन्तर है। जहाँ इतना भारी जुल्म है वहाँ छोटे-मोटे सुधारों से क्या काम बन सकता है ? गाँव की पंचायत का यह बड़ा ज़रूरी काम है कि किसान को इस जुल्म और

ज़बरदस्ती से बचाले जिसमें वह आगे को कर्ज का बोझा बढ़ाने के लिए लाचार न हो।

पंचायत के सामने ऋण-भार को हलका करने का सवाल बड़ा ज़बर-दस्त है। पंचायत को यह उचित है कि इस सम्बन्ध में न्यायसंगत कानून बनावे। साहूकार का असल रुपया डूबना नहीं चाहिए। उसके रुपये पर साल-साल के हिसाब से उचित व्याज भी मिलना चाहिए। जो व्याज मिती पूजने पर भी न दिया जाय उसे मूल में जोड़कर आगे चलकर उस मिश्रित रकम पर व्याज लगाना भी न्यायसंगत है, पर इस सूद-दर-सूद के देने के लिए इस समय किसान समर्थ नहीं है, न आगे बहुत काल तक वह समर्थ हो सकता है। इसलिए पंचायत को इस सम्बन्ध के कानून बनाने पड़ेंगे अथवा पंचायत के संगठन के समय जो सरकार हो उससे इस सम्बन्ध के उचित कानून बनवाने पड़ेंगे। कानून ऐसे होने चाहिए कि मंहने योग्य व्याज की दर मुक़र्रर करदें और अगर कोई साहूकार उस व्याज से अधिक का हिसाब लगाकर किसी किसान से वसूल करना चाहें तो ऐसा करना दंड के योग्य अपराध समझा जाय। इस तरह का कानून बनने से महाजन के साथ अन्याय भी न होगा, किसान लुटेगा भी नहीं और अत्यधिक व्याज वसूल करनेवाली मुकदमेबाज़ी भी कम हो जायगी।

पंचायत को अथवा स्वराज्य-सरकार को ऐसे कानून की भी रचना करनी पड़ेगी कि जिस किसान को परिवार को खिलाने पहराने के बाद उपज से इतना न बचता हो कि भूमि-कर और ऋण की किस्त दोनों ही दे सके वह किसान ऐसा दिवालिया ठहराया जाय जिससे साहूकार को छोटी-छोटी किस्तों में मूलधन मात्र लौटवा दिया जाय। उससे कम हैसियत के किसान ऐसे दिवालिये ठहराये जायँ जिनसे कुछ भी वसूल

नहीं हो सकता। इसमें सन्देह नहीं कि साहूकार का इसमें नुकसान है, परन्तु आज भी कौन साहूकार ऐसा है जिसके कर्जदार दीवालिये होकर इस तरह मूल तक हज़म न कर जाते हों। दीवालियेपन की जो आजकल ठहराई हुई हद है, हमारे इस प्रस्ताव से उसका कुछ थोड़ा निस्तार हो जायगा। यह कोई अनोखी बात नहीं है।

पंचायत को एक और ज़रूरी काम करना होगा। उसे कर्जदार किसानों के ऊपर कुछ थोड़ी-सी वाजिब कड़ाई करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे कायदे बनाने होंगे कि वे काम-काज पढ़ने पर एक हद के भीतर खर्च करने को लाचार किये जायँ। वह खेती से बचे हुए समय को उपज बढ़ाने के काम में लगावें और अपने खाने पहरने के ऊपर बचा हुआ उपज का अंश पंचायत को उस समय तक बराबर देता रहे, जबतक कि उसका कर्जा चुकता न हो जाय। इस तरह कर्ज के लेने और देनेवाले दोनों को बड़ा सुभीता होगा।

ऐसा भी कानून बनवाने की ज़रूरत होगी कि ज़रूरत पड़ने पर किस-किस तरह पर किसान कर्ज ले और किस-किस विधि से कर्ज का लेना वर्जित रहे। जैसे यह कानून बन जाना तो बड़ा ज़रूरी है कि कोई किसान अपनी ज़मीन बेच न सके। लेन-देन सन्बन्धी कानून जब ठीक-ठीक रीति से बन जायँगे—चाहे पंचायत बनावे या सरकार—तभी किसान भारी कर्ज के बोझ से छुटकारा पा सकेगा। ऐसा कानून तो पंचायतों को बना ही देना चाहिए जिससे सूद की रकम बहुत घट जाय और ऐसी हद के भीतर हो जाय कि अब ज़रूरत पड़ने पर कर्जदार को आगे शंशट में न पड़ना पड़े। इसी हद के भीतर महाजन सूद ले सके और अगर साहूकार इतने कम सूद को मंजूर न करे तो किसान को ऐसे सुभीते पंचायत की ओर से दिये जायँ कि ज़रूरत के वक्त उसे कर्ज ज़रूर

मिल सके। ग्राम-पंचायतों के संगठन के बाद सहकार-समितियों से किसानों को ऐसा लाभ पहुँच सकता है।

३. मुकदमेबाजी

ऋण का मुकदमेबाजी से भी बड़ा सम्बन्ध है। ऋण के लिए मुकदमेबाजी की जाती है और मुकदमेबाजी के लिए ऋण लिया जाता है। मुकदमेबाजी किसानों का एक बड़ा जबरदस्त रोग है। ज़मींदार और किसान के बीच लगान, हक, दस्तूर, नजराना, बाग, ऊसर आदि के झगड़े चलते रहते हैं। ज़मींदार की मर्जी बिना किसान पेड़ की एक डाली भी नहीं कटवा सकता। किसी गरीब किसान ने अपना पापी पेट भरने के लिए तालाब में से मछलियाँ पकड़ीं, और उधर ज़मींदार का क्रूर टूट पड़ा। इस तरह के झगड़े तो ज़मींदार और किसान के बीच में होते ही रहते हैं। पारिवारिक झगड़े भी कम नहीं हैं। भाई-भाई लड़ जाते हैं। बँटवारे का झगड़ा पैदा हो जाता है। पट्टीदारों में परस्पर डाँड-मेड़ का झगड़ा लगा रहता है। विरासत और हकीयत के झगड़े भी कम नहीं हैं। साहूकार कर्ज वसूल करने के लिए भी दावा दाथर किया करता है। फिर आपस के ऐसे झगड़े भी होते रहते हैं जिनका अंत तुरन्त की डंडेबाजी, अंग-भंग और कभी-कभी हत्या तक में होता है। माल, दीवानी और फौजदारी तीनों तरह के मुकदमे हमारे गाँवों से निकलकर दूर-दूर की अदालतों में जाते हैं, और गाँव की गाढ़ी कमाई अदालतों के अनउपजाऊ खानेवालों में बँट जाती है। और बहुत-सा रुपया आज-कल स्टाम्प, कोर्ट-फीस, टिकट आदि के रूप में विदेशी सरकार के हाथ लगता है। किसान शारीरिक दुःख भी उठाता है, धन भी खोता है और जब एक दफे अदालत के चक्कर में फँस गया तो कर्ज लिये बिना आगे का कोई काम उसका चल ही नहीं सकता। अगर उसकी जीत भी हुई तो

अदालती बन्दर-बाँट में उसकी डिगरी की कीमत कुछ भी नहीं रह जाती। अब वह क़र्ज़ कहाँ से अदा करे ?

इस चक्कर में वह बिलकुल अपनी ही मूर्खता से नहीं फँसा। सीधे-सादे किसान को फँसाने के लिए विदेशी सरकार ने एक महाजाल बिछा रक्खा है। जब गाँवों में पहले पंचायत थी तब वह इस जाल में नहीं फँसता था। बिना कौड़ी खर्च कराये पंचायत उसका सारा काम कर देती थी। बेचारों ने बंदर-बाँट की रीति को न समझा और जाल में फँसकर तबाह होगये। आज फिर भी वही गाँव की पंचायत किसान को इस तबाही से उबार सकती है। मुकदमे के लिए किसान की क़र्ज़दारी की ज़िम्मेदारी भी सरकार पर है।

मुक़दमेबाज़ी तो आदि से अंत तक क़र्ज़दारी का कारण हो जाती है। जहाँ चार बरतन होते हैं वहाँ खन-खन होना स्वाभाविक है। परिवार बड़ा हुआ, भाई-बन्धु बढ़े, तो आपस में दरिद्रता के कारण लड़ाई झगड़ों का बढ़ जाना बिलकुल स्वाभाविक है। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें सभी प्राणी समझदार और सहनशील हों। समझदार और सहनशीलों के बीच में भी नासमझ और उतावले प्राणी निकल आते हैं। दरिद्रता रही-सही समझदारी को भी बिगाड़ देती है। भाई-भाई लड़ जाते हैं। दलाली से रोटी कमानेवाले इसी ताक में रहते हैं और नासमझ उतावले बिगड़ैल भाई को फुसलाकर फूट की धार को तेज़ कर देते हैं। जो झगड़ा आसानी से सुलझ जानेवाला भी होता है उसमें ऐसी उलझन पैदा कर देते हैं कि वह अदालत को गये बिना नहीं रहता। थोड़ी-सी जायदाद भाई-भाई की लड़ाई में बारह-बाट होजाती है। मुक़दमेबाज़ी के लिए मुद्दई-मुद्दालेह दोनों क़र्ज़ लेते हैं। अन्त में बन्दर-बाँट के बाद मुक़दमे का खर्च और क़र्ज़ा सिर पर आता है। फिर मान

लो कि १० बीघे की खेती होती थी तो इक्की खेती करने में एक ही हल, बैल और हलवाहे से काम चल जाता था, अब पाँच-पाँच बीघे जो दो भाइयों में बँटे तो उसमें हल, बैल और हलवाहा किसी-न-किसी भाई को अलग रखना ही पड़ेगा। यह सब भी कर्ज के ही बल से हो सकता है। यही झगड़ा अगर अदालत न जाता और गाँव की पंचायत में ही पेश होता तो दलाल की तो दुर्दशा हो जाती। लेने के देने पड़ जाते। झगड़ने-वालों को कौड़ी न खर्च करनी पड़ती। नासमझ झगड़ालू भाई को समझा-बुझाकर ऐसा राजी किया जाता कि अलग हल, बैल और हलवाले की भी जरूरत न पड़ती। इस उदाहरण से पढ़नेवालों को यह समझ में आ जायगा कि मुकदमेबाजी किस तरह खर्च बढ़ाती है, कर्जदार बनाती है और धन को चुसवाकर विदेशी सरकार के पास पहुँचवाती है। अगर पुरानी पंचायतें सरकार की कृपा से नष्ट न होगई होतीं तो यह सारी नौबत न आती। इसी लिए जैसे लगान की वसूली में सरकार कर्जदारी का कारण बनती है वैसे ही मुकदमेबाजी में भी। कर्जदारी का मूल सरकार है।

सरकार लगान पर कर्जदारी में फँस जाने का अपराध किसान को ही लगाती है। कहती है कि हम तो फसल तैयार हो जाने पर लगान का रुपया वसूल करते हैं। यह तो सच है। अगर किसान से लगान के रुपये के बदले ज़मींदार या सरकार पैदावार का कोई निश्चित अंश लेकर लगान की भरपाई लिख दिया करते तब तो उतना दोष सरकार का न होता, परन्तु वास्तव में होता यह है कि फसल तैयार हो जाने के समय से ही सरकारी पावना चुकाने के लिए किसान को लाचार होकर पैदावार को बेच डालने की चिन्ता होती है। सभी किसान एक ही समय में जब अपनी-अपनी पैदावार को बेच डालने को तैयार हो जाते हैं तो मण्डी में माल ज्यादा हो जाता है और घटी हुई माँग के कारण

उपज को बहुत सस्ते भावों पर बेच डालना पड़ता है। अगर उसे रकम चुकाने की उतावली न हो तो किसान अपनी उपज को अपने पास उस समय तक जमा रखे जबतक कि बाज़ार में भाव बहुत ऊँचा न चढ़ जाये। फिर वह मुभीते के साथ बेचे तो उसी माल के बहुत अच्छे दाम किसानों के हाथ आवें। अगर इसपर यह कहा जाय कि किसान कर्ज लेकर सरकारी पावना चुकावे और फिर मुभीते से उपज की बिक्री करके महाजन का ऋण चुका दे, तो यह भी विचार करना चाहिए कि इस तरह के कारबार में उसे क्या मुभीता हो सकता है? महाजन का सूद-दर-सूद उतने ही समय में इतना नढ़ जा सकता है कि मुभीते से बिक्री का जो लाभ हो उससे अधिक महाजन को रकम देनी पड़े। और विदेशी सरकार रुपये के बदले उपज का ही अंश क्यों नहीं लेती? उसके कई कारण प्रत्यक्ष हैं। एक तो उसे पैदावार के बेचने का बन्दोबस्त करना पड़ेगा, दूसरे जो लगान ठहरा दिया जाता है वह अच्छी पैदावारवाले सालों के हिसाब में होता है। परन्तु अच्छी पैदावार होती कब है? ऐसी दशा में उपज का अंश लेने में विदेशी सरकार का सरासर नुकसान है। जिस साल पैदावार बहुत कम होती है उस साल तो समझना चाहिए कि पैसा के उपासक पच्छाहियों के देवता ही कूच कर जायेंगे। इन स्पष्ट कारणों से सारे भारत में विदेशी सरकार ने लगान की रकम रुपयों में ही वसूल करने का नियम रखा है। इसलिए किसान को कर्ज-दार होने के लिए उसीने लाचार किया है। अपराध उसीका है।

अगर और किसी काम के लिए पंचायत न बने और गाँवों का हमारी बताई विधि से संगठन भी हो सके, तब भी मुकदमेबाजी से किसान की रक्षा करने के लिए गाँव-गाँव में ऐसी पंचायत की ज़रूरत है जो किसानों को मुकदमेबाजी के महापातक से रोके और उनके झगड़े आप ही चुकावे।

गो-रक्षा

१. अंग्रेज़ी शासन के पहले

प्राचीन हिन्दू राज्यों में भी गो-भक्षी राक्षसों की चरचा जहाँ-तहाँ इतिहासों और पुराणों में पाई जाती है। देवता और असुर सभी ज़मानों में हुए हैं, और दोनों का युद्ध हर युग और हर समय में बराबर होता आया है। गो-भक्षक मुसलमान भी हैं, परन्तु इतने नहीं जितने कि अंग्रेज़। मुसलमानों का राष्ट्रीय भोजन गोमांस नहीं है, परन्तु अंग्रेज़ों का तो यह राष्ट्रीय भोजन है। मुसलमानों के समय में भी इतना गोवध नहीं होता था जितना आज हो रहा है।

सन् १९२९ के दिसम्बर में लाहौर में अखिल भारतीय गो-परिषद् के सभापति-पद से बाबू गोविन्ददासजी ने अपने भाषण में कहा था:—

“फयबा-हुमायुनी जिल्द १ पन्ना ३०७ पर लिखा है, ‘इस्लाम की मज़हबी नियत से गोहत्या ज़रूरी नहीं है। नीचे लिखा फतवा मौलाना अब्दुलहसन मुहम्मद अब्दुल्ला, मुहम्मद अब्दुलवहाब, अब्दुलहमीद काजी मुहम्मदहुसेन आदि कई मुसलमान मौलवियों के दस्तखतों से मशहूर हुआ है—‘गोवध कोई ज़रूरी बात नहीं। अगर कोई मुसलमान छोड़ देता है तो गुनाह नहीं करता। अगर कोई मुसलमान गाय न काटे या गोमांस न खावे तो उसके मज़हब पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। झगड़े टालने के लिए और खासकर ऐसी जगहों में जहाँ झगड़े या बुरे विचार पैदा होने का अन्देश है, गाय की क़रबानी न होनी चाहिए। किसीके

मजहबी जज्जबात को चोट पहुँचाने का इस्लाम मजहब सबक नहीं सिखाता ।' मुसलमानों के राज्य में भी गाय की कुर्बानी बहुत दूर तक बन्द थी । डाक्टर सैयद महमूद ने अपनी एक किताब 'काऊ प्रोटेक्शन अन्डर मुस्लिम रूल' में लिखा है—'मुस्लिम राज्य की शुरुआत से ही कसाइयों पर फ्री गाँव १२ जीतल का खास टैक्स लगाया गया था । यह (टैक्स) मुसलमानी राज्य की शुरुआत से फीरोजशाह तुगलक के वक्त तक यानी २०० वर्ष तक बराबर जारी रहा । जब बाबर तख्तनशीन हुए तब उन्होंने अपने बेटे हुमायूँ को पोशीदा वसीयत नामा लिखा, जिसमें गाय की कुर्बानी कतई बन्द करने का फ़रमान जारी किया था । आईन-ए-अकबरी और दूसरी किताबों से यह बात साफ़ जाहिर होती है ।' मशहूर इतिहास लेखक सर विन्सेण्ट स्मिथ ने 'अकबर दी ग्रेट मोगल' में लिखा है, कि 'अकबर के राज्य में गाय की कुर्बानी के वास्ते फाँसी की सज़ा थी । आज भी कई मुस्लिम राज्यों में गाय की कुर्बानी बन्द है ।'

लन्दन यूनीवर्सिटी के खोज-विभाग के रिसर्च-स्कालर श्री० अब्दुरहीम नामक एक मुसलमान विद्वान ने अपनी खोज में इस बात का पता लगाया है कि मुगल बादशाह जहाँगीर के ज़माने में गो-वध बिल्कुल बन्द कर दिया गया था और गो-घातक को फाँसी का दण्ड दिया जाता था ।' उन्होंने उस समय के आसरे में हालैण्डवालों के एक कारखाने के यूरोपियन कर्मचारी के लेख को उद्धृत करते हुए अपनी इस खोज की पुष्टि की है । इस यूरोपियन का नाम फ्रान्सिस्को पालसर्ट था और उसने उक्त कारखाने में सन् १६१८ से लेकर १६२९ तक असिस्टेन्ट से लेकर चीफ़ मैनेजर तक का काम किया था । फ्रान्सिस्को ने अपने लेख में लिखा

१. २ मार्च, १९३३ के 'स्वदेश' से उद्धृत ।

है कि “इस देश में किसी गाय या बैल की हत्या नहीं की जाती, क्योंकि इन पशुओं से यहाँ ठीक उसी तरह से खेती का काम लिया जाता है जैसे हालैण्ड में घोड़ों से। बादशाह ने गाय-बैलों की हत्या करने की मनाही करदी है। जो कोई हत्या करता है, उसे फाँसी की सज़ा दी जाती है। उन्होंने भैंसों की हत्या करने की आज्ञा देदी है। बादशाह ने यह क़ानून हिन्दू राजाओं, बनियों और अपनी प्रजा को, जो गौओं को सबसे बड़ा देवता और प्राणीमात्र में सबसे अधिक पवित्र मानते हैं, प्रसन्न रखने के लिए बनाया है। ये लोग बादशाह और सरकार पर कभी-कभी इस बात का दबाव डालते हैं कि कुछ त्योहारों पर बाज़ारों में मांस नहीं बिकने जाना चाहिए और कोई भी आदमी न मछली पकड़े और न किसी जानवर की हत्या करे। इन आज्ञाओं से कभी-कभी प्रजा को असुविधायें होती हैं। ये लोग हम लोगों के विपरीत, गर्मी की वजह से ज्यादा भोजन नहीं कर सकते, बल्कि पानी बहुत ज्यादा पीते हैं, जिससे वे कमज़ोर और मोटे हो जाते हैं।” उपर्युक्त उद्धरण देकर श्री० अब्दुर्रहीम ने अपने सहधर्मी भारतीय मुसलमानों से अपील की है कि वे अपने बड़े-बड़े मुगल बादशाहों की सहनशीलता से शिक्षा ग्रहण करें और देश की एकता के लिए अपने देशवासियों को प्रसन्न करने के हेतु अधिक उदारता और विवेक में काम लें। इसके साथ ही आपने हिन्दुओं से उक्त यूरोपियन फ़ार्मिसको के कथन की ओर ध्यान देने तथा मुसलमानों की असुविधाओं का पूरा ध्यान रखने की प्रार्थना की है।”

मुसलमान हाकिम भी एक तो हिन्दुओं का लिहाज़ करके, दूसरे खासकर अन्नधन की तरह गोधन को भी बड़ी भारी सम्पत्ति समझकर उसकी रक्षा करते थे।^१ आज भी अमेरिका, कनाडा, ईंग्लिस्तान, यूरोप

आदि जितने देशों में खेती होती है उनमें गोपालन पर बहुत बड़ा जोर दिया जाता है। खुद अंग्रेजों के देश में गायों की बड़ी सेवा होती है और और गायें बहुत ज्यादा दूध देती हैं, परन्तु भारत के गोधन की रक्षा की तरफ़ उनका ध्यान नहीं है। भारत में अपनी हुकूमत बनाये रखने के लिये वह जो गोरी सेना रखते हैं उसको भोजन के लिए नित्य गोमाँस चाहिए। इन्हीं गोरों के लिए बड़े भारी परिमाण में नित्य गोवध होता रहता है। सिविलयन और सेना दोनों के खाने के लिए १२ से लेकर २० लाख तक गौवों का वध होता है। यह क्रिया हिन्दुओं की आँखों के सामने नहीं होती, इसलिए इस बात पर न तो कोई उत्तेजना होती है। और न कोई धर्म-प्राण हिन्दू इस महा गोवध को ख्याल में ही लाता है।

सूखे माँस, चमड़ा, हड्डी, चरबी, सींग आदि की बिक्री से जीवित गाय की अपेक्षा ज्यादा आमदनी होती है, इसलिए विदेशी व्यापारी और भी गोवध कराया करते हैं। यह रोज़गार तभी से चल पड़ा है जब से यह देश अंग्रेजों के हाथ आया। सूखे माँस पच्छाहीं गोभक्षी खाते हैं। इस रोज़गार के लिए ३५ से लेकर ४५ लाख तक संख्या में गोवध हुआ करता है। केवल चमड़े की तिजारत में ६० से ७० लाख तक गोवंशी मारे जाते हैं। इस तरह अंग्रेजों की बदौलत साल में सवा करोड़ के लग-भग गोवंशियों का नाश होता है। कुरबानी करने लिए बेचारे मुसलमान मुफ्त बदनाम हैं। कुरबानी के नाते जितना गोवध होता है वह और

हुसैन साहब बी० ए० बी० एल० ने “भारत में दूध देने वाले पशुओं की रक्षा” नाम की एक पोथी सन् १९२३ में छपवाई थी। उसमें उन्होंने गोरक्षा के पक्ष में मुस्लिम धर्म के प्रमाण दिये हैं। उसके सिवाय और भी बामहुतकके अंक दिये हैं। पुस्तक पढ़ने योग्य है।

कारणों की अपेक्षा केवल नाममात्र है। इस तरह गोवंश का नाश अधिकांश भोजन और व्यापार के लिए ही होता है।

वध के सिवा एक और तरह से भी हमारे यहाँ गाय-बैल की कमी होती जाती है। इस देश के चुने हुए अच्छे-से-अच्छे मवेशी भी हिन्दुस्तान के बाहर, दूसरे देशों के कल्याण के लिए भेज दिये जाते हैं। सन् १९२४-२५ में इस तरह भेजे जानेवाले बैलों और सांडों की गिनती १०,१९५ थी, वही सन् १९२८-२९ में १९,३५४ होगई। बाहर जाने वाले मवेशियों की गिनती इस तरह बराबर बढ़ती ही जा रही है। विदेशों में अच्छे सांडों से तो गोवंश बढ़ाने का काम लिया जाता है; परन्तु बैलों से उस तरह से काम नहीं लिया जा सकता, उनका मांस ही काम में आता है। क्योंकि अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया सभी गोरे देशों में हल जोतने का और गाड़ी खींचने का काम घोड़ों से लेते हैं। बैलों से इस तरह के काम केवल हमारे देश में लिये जाते हैं।

इस प्रकार चाहे इस देश में गोरों और मुसलमानों के खिलाने के लिए और चाहे व्यापार के लिए गोवंश का नाश किया जाता है और चाहे यहाँ से भू-भाग से हटाकर उन्हें बाहर भेज दिया जाता हो, हमारे देश के गोधन में हर तरह नित्य कमी होती जा रही है। इस तरह की दिनोंदिन की बढ़ती हुई कमी कैसे रोकी जाय, यह पहला सवाल है। गोधन जो नित्य घटता जा रहा है, पहले इस घटी को हम रोक लें तब बढ़ाने की चिन्ता करना उचित होगा। बढ़ाने की चिन्ता पहले ही हम करें और नित्य की घटती का द्वार बंद न करें तो हम गोवंश बढ़ाने में कभी सफल नहीं हो सकते। अब तक जो असफलता हुई है उसका रहस्य यही है।

लेकिन जहाँ हम इतनी बड़ी गिनती में नित्य के गोवध का कारण

अंग्रेजों को ठहराते हैं, वहाँ हमें यह न भूलजाना चाहिए कि आज तक गोवध को दूर करने में हमारी ज़िम्मेदारी बहुत भारी है, और हम भी परदेशी गो-भक्षियों से कम दोषी नहीं हैं। इस बात को हम बिसरा नहीं सकते कि कटने के लिए गायें बेचने वाले हमी हैं। अगर हम अपने गाय-बैल-बछड़े उनके हाथ न बेचें तो यह गोहत्या कभी हो नहीं सकती। आम तौर पर हममें से बहुत से लोग बूढ़ी और लंगड़ी-लूली गायें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से कसाइयों के हाथ बेच डालते हैं। किसानों और ग्वालों में से बहुतेरे जो शहर के भीतर या शहर के पास अपना रोज़गार करते हैं, दूध देनेवाली या गाभिन गाय खरीद कर जब तक दूध होता है तब तक रुपये कमाते हैं और जब दूध टूट गया तो घर बैठकर खिलाने की बला टालने के लिए गाय को बेंच डालते हैं और दूसरी दूध देनेवाली मोल ले लेते हैं। उनका रोज़गार चोखा हो जाता है, परन्तु गाय कसाईखाने में चली जाती है। देश में गोरक्षिणी सभायें हैं और पिंजरापोल हैं। पर ये संस्थायें इतनी थोड़ी हैं कि इनसे बहुत कम रक्षा होती है। बेचारे किसान और ग्वाले भी क्या करें, वे तो आप भूखों मरते हैं, और मरता क्या न करता ? भूखी माँयें जब अपनी संतान का परित्याग कर देती हैं, तो फिर ये कंगाल गोवंश का परित्याग करें तो अस्वाभाविक नहीं है। अतः ग्वाले और किसान ऐसा सत्याग्रह कर सकते हैं कि भारत की एक भी गाय गोभक्षियों के अधिकार में न जाने पाये। इस काम के लिए गाँव-गाँव में पिकेटिंग हो सकती है। और गोवंश की रक्षा का पूरा उपाय हो सकता है। इस काम में मुसलमान भाई जब तक हमारी मदद न करेंगे तब तक हमें कभी सफलता नहीं हो सकती। परन्तु असहयोग और सत्याग्रह की लड़ाई में किसी दल, किसी जाति या किसी समाज-विशेष के रूठ बैठने से हार नहीं हो

सकती । सबके एक में मिल जाने से जीत आसान जरूर हो जाती है ।

जहाँ तक चारे का सम्बन्ध है वहाँ तक सरकार हर तरह पर जिम्मेदार है । किसान की असमर्थता भी उसीके कारण है । इसलिए किसानों को प्रयत्न करके जंगलों में ढोर चराने और लकड़ी लेने का अपना पुराना अधिकार उससे वापस लेना चाहिए ।

जब विदेशी कारणों से उपजा हुआ गोबध बन्द होजाय और ढोरों के लिए गोचर-भूमि मिल जाय और चरने के लिए जंगलों का द्वार खुल जाय, तो तीन-चौथाई गोरक्षा निश्चित समझनी चाहिए । जब किसानों की बेकारी पहले अध्याय में बताये हुए उपायों से दूर होजायगी, और जब खद्दर के द्वारा विदेशी माल का पूरा बहिष्कार हो जायगा, तब किसानों के पास अनाज की कमी न रहेगी, वे भूखों न मरेंगे और अपने ढोरों को भर पेट खिला सकेंगे । तब गोवंश के सुधार का सवाल दो चार वर्षों का प्रश्न रह जायगा । तब सस्ती लकड़ी जलाकर अनमोल गोबर को वे खाद के काम में लावेंगे, और तब खेतों से कुबेर का गड़ा खजाना निकल पड़ेगा । किसान फिर आसानी के साथ ऋण भार से अपने को मुक्त कर सकेगा, और गोरक्षा के पुण्य प्रभाव से भारत का सौभाग्य लौट आवेगा ।

संगठन का श्रीगणेश

१. संगठन की ज़रूरत

देश में जब स्वराज्य हो जायगा तब उसका क्या रूप होगा, इस बात के ऊपर बहुत शास्त्रार्थ हो चुका है। इस शास्त्रार्थ में बेचारे किसान की वकालत करनेवाला, दरिद्रों के लिए अपने को मिटा देनेवाला जो पुरुषोत्तम है उसने उपेक्षा का भाव दिखाया। बात यह है कि जो लोग पूर्ण स्वराज्य का रूप नहीं देखे हुए हैं वे उसके भावी रूप का निश्चय नहीं कर सकते, साथ ही जब हम यह देखते हैं कि भारतवर्ष किसानों का देश है और हर दस आदमी में ७ आदमी खेती पर निर्वाह करते हैं तो इसमें हमें तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि स्वराज्य असल में किसानों का ही हो सकता है। अगर किसानों का न हुआ तो १० में तीन आदमियों का स्वराज्य असम्भव कल्पना है। थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि मुट्ठी भर पढ़े-लिखे लोगों ने राज्य की स्थापना करली, तो भी जब तक किसानों का संगठन न होगा तब तक देश दरिद्र बना रहेगा और देश की दरिद्रता जब तक दूर न होगी तब तक स्वराज्य का उद्देश्य सिद्ध न होगा, और जिस काम में उद्देश्य ही पूरा न हुआ, वह काम पूरा कैसे कहा जा सकता है ?

देश में मजूरों तक का संगठन हो गया है, और सारे भारत के मजूर अब अपने प्रतिनिधि अखिल भारतीय मजूर संघ में भेजते हैं। परन्तु मजूरों का संगठन उन बड़े शहरों का संगठन है जिनमें मिलें हैं।

और कल-कारखाने हैं। इस संघ में वे लाखों और करोड़ों मजूर नहीं शामिल हैं जो नाम को तो किसान हैं पर जिन्हें खेती से भरपूर मजूरी नहीं मिल सकती, इसीलिए वे गाँवों में अपने भाई किसानों के यहाँ या ज़मींदारों के यहाँ मजूरी करते हैं या बड़ी-बड़ी बस्तियों और कस्बों में और छोटे-छोटे शहरों में बेलदारी, पल्लेदारी या कुली का काम करते हैं। मजूर-संघ के संगठन में यह कमी है, और यह कमी थोड़ी नहीं है।

किसानों का संगठन कितना ज़रूरी है, यह प्रतिपादन करना आज व्यर्थ ही मालूम पड़ता है। संगठन न होने से किसानों को जितने कष्ट होते हैं उनका वर्णन समय-समय पर देश के हितैषी करते रहे हैं। अब सवाल सिर्फ यही है कि संगठन का आरम्भ किया कैसे जाय। पं० श्री-कृष्णदत्त पालीवाल के शब्दों में “ज़रूरत है इस बात की कि हिन्दुस्तान में, इस पन्थों के मुल्क हिन्दुस्तान में, किसान-पन्थ चले। किसानों के संगठन का काम ही महात्मा गोखले के शब्दों में हमारा धर्म होजाय। इस पन्थ को माननेवाले बाबा किसान-दास गाँव-गाँव में पैदा हो जायें। वे बाबा किसानदास गाँव की किसान-कुटी में रहें। एक वक्त चुकटी माँग लाया करें, उससे अपना पेट भरें और दिन-रात किसानों की भलाई की बातें सोचें। उनकी सेवा करने, उनका संगठन करने में उन्हें उनकी भलाई की बातें बताने में लगे रहें। उन्हें मिलकर सफ़ाई के साथ रहने और चरखा चलाने की शिक्षा देते रहें। लिखा-पढ़ी करके उनकी ज़रूरतें पूरी कराते रहें और उनकी शिकायतें दूर कराते रहें। गाँव-गाँव में किसान-कुटी हों। एक-एक किसान-कुटी में किसानों की कालीमाई, धरतीमाई, भारतमाई की मूर्ति और उसका मन्दिर हो। हर मन्दिरमें बाबा किसानदास हो जो चटकी से आये हुए आटे से किसानों

की माई को भोग लगाकर खुद प्रसाद पावे। इस किसान-पन्थ में हर गाँव में किसानों की सभा का होना धर्म हो। उस सभा का मेम्बर होना और उसकी आज्ञा मानना हरेक किसान का धर्म हो। किसान-पन्थ में जो किसान-सभा का मेम्बर न बने वह और जो किसान सभा कायम न करे वह गाँव धर्म-विमुख समझा जाय और जो झूठी गवाही दे वह सबसे बड़ा पापी समझा जाय। गाँव-गाँव में किसानों की कथायें हों। गाँव-गाँव में किसानों को किताबें पढ़कर सुनाई जाँय। गाँव-गाँव में यह गूँज उठे कि पन्थ तो किसान-पन्थ है और सब पन्थ झूठे हैं। हर किसान का यही कथन हो कि बाबा तो बाबा किसानदास है और सब बाबा झूठे हैं। जिस दिन यह होगा उसी दिन किसानों का उद्धार भी हो सकेगा। इससे पहले हरगिज नहीं-हरगिज नहीं।”

२. आरम्भ कैसे किया जाय ?

सचमुच गाँवों का वास्तविक संगठन गाँववाले ही कर सकते हैं। किसानों का संगठन करने के लिए ऐसे ही नेताओं की जरूरत है जो बाबा किसानदास बनकर गाँवों में अपनी कुटी बनालें और गाँव की चुटकी पर अपना निर्वाह करें। कोई शहर का आदमी जिसे किसान के कामों का और उसके जीवन का कोई तजुरबा नहीं है, इस तरह का बाबा किसानदास बनने की योग्यता नहीं रखता। वह कुटुम्बी किसान भी जो परिवार के पालन-पोषण और व्यवसाय और दरिद्रता के चहले में फँसा है, बाबा किसानदास बनकर नहीं बैठ सकता। बाबा किसान दास अपनी पूजा कराने के लिए नहीं होंगे। वह दरिद्रनारायण की उपासना करने के लिए अपने सुखों का त्याग कर देंगे। वह जो कुछ संगठन करेंगे उसमें आनेवाले संकटों के सहने के लिए अपनी आहुति पहले देंगे। परन्तु अभी तो वह किसान-पन्थ चला नहीं है जिसमें गाँव-

गाँव में किसानदास का अवतार होगा । इस पंथ को चलाने के लिए अभी कुछ प्रारम्भिक उद्योग करने होंगे ।

पूर्ण स्वराज्य के वर्तमान आन्दोलन में हजारों आदमी ऐसे हैं जो ग्राम-संगठन के शुरू के काम के लिए बहुत उपयुक्त हैं । हमारे राष्ट्रीय विद्यापीठों में और कांग्रेस की संस्थाओं में ऐसे लोगों को अधिक नहीं तो आठ-दस दिन की शिक्षा देने की जरूरत है, जिससे वे शुरू के काम कर सकें । इन्हें ग्राम-संगठन के लिए स्वयंसेवक बनाकर थोड़े ही समय में ऐसा तैयार किया जा सकता है कि वे साल दो साल के लिए त्यागपूर्वक गाँवों में काम कर सकें । परन्तु हर जगह तो राष्ट्रीय विद्यापीठ नहीं हैं, और यह काम तो हर जिले में बहुत ज़ोरों से करने की जरूरत होगी । ऐसे स्वयं सेवकों की गिनती भी थोड़ी नहीं होगी । अगर छः महीने के लिए १०-१० गाँवों का संगठन करने के लिए एक एक स्वयं सेवक रखा जाय, तो सात लाख गाँवों के लिए सारे भारत में काम करने को सत्तर हजार आदमी चाहिए । संगठन के शुरू का काम कराने के लिए हर गाँव में एक-एक नेता खोज लेने के लिए हर गाँव का एक-एक मंडल बनाने के लिए यदि एक आदमी छः महीने तक परिश्रम करता रहे तो काफी है, और सत्तर हजार की संख्या भी बहुत बड़ी नहीं है । हर जिला कांग्रेस कमेटी अपने को ग्राम-संगठन का बोर्ड बनाले और अपना यह कर्तव्य समझे कि जिले में जितने गाँव हैं उन गाँवों के दशमांश स्वयं-सेवक बनाकर उन्हें ज्यादा-से-ज्यादा आठ-दस

१. मुझे इस बात का अपना तजर्बा है कि चार घंटा रोज़ काम कराके ८ दिन में धुनने और कातने की पूरी शिक्षा दी जा सकती है । २-३ घंटे और शिक्षा देकर संगठन का काम अच्छी तरह समझाया जा सकता है । —लेखक

दिन तक में आरम्भिक काम की शिक्षा दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं है । जो लोग कांग्रेस के प्रमुख नेता भी हैं और देश में गाँवों की दशा से पूरे परिचित हैं, उन लोगों को कांग्रेस की कार्य-समिति की आज्ञा पर एक उपयुक्त समिति बनकर ग्राम-संगठन की आवश्यकताओं पर पूरा विचार करना चाहिए । किसान-संघ की रचना और साधारण नियमावली का एक नमूना तैयार कर दें, दस-दस गाँवों पर नियुक्त होनेवाले स्वयं सेवक को क्या-क्या करना होगा इसका निर्देश पूरा-पूरा कर दें और आठ दिन के भीतर खतम होने लायक ऐसी विषयावली बना दें जिसपर व्यवहार करते हुए स्वयं-सेवक को कोई अडचन न पड़े । यह बोर्ड जिला कांग्रेस कमेटियों से सीधा संबंध रखकर सारे भारत में ग्राम-संगठन के आरम्भिक काम का पूरा प्रबन्ध करे । यह काम कांग्रेस का ही है और कांग्रेस का संगठन ऐसा है जो आज ही गाँव-गाँव पहुँच सकता है । सरकार ने जो जिला बोर्ड बना रखे हैं उनके संगठन से जिला कांग्रेस कमेटी का संगठन अधिक सुगम और सुकर होगा ।

जब हमने स्वयं सेवक तैयार कर लिये और उन्हें गाँव-गाँव में तैनात करना है, तो जिला कांग्रेस कमेटी का यह काम होगा कि अपनी तहसील कमेटियों से सलाह करके दस-दस गाँवों के मंडल बनाले और किसी कांग्रेस नेता को उन स्वयं-सेवकों के साथ भेजें कि मंडल के मुख्य-मुख्य गाँवों में स्वयं-सेवकों को लेजाकर संगठन की कुटिया बनादे और गाँव वालों को बुलाकर वह ग्राम सेवक उनको सौंप दें । कांग्रेस के उस नेता का यह भी कर्तव्य होगा कि वह समय-समय पर दौरा करके देखे कि कैसा काम हो रहा है, ग्राम-सेवकों को सहायता पहुँचावे और जो-जो ग्राम-सेवक अपना काम करने में किसी तरह असमर्थ हो जायें उनकी जगह पर दूसरे ग्राम-सेवक का काम करने के लिए प्रबन्ध कर दें ।

३. किसान-संगठन का स्थायी काम

किसान-संगठन का जो काम लड़ाई के समय में शुरू किया जाय वह केवल लड़ाई के दिनों के लिए ही न समझा जाय। यह तो वह काम है जो परीक्षा की कसौटी पर कसा जा चुका है। जो काम लड़ाई के समय में भी सफल हो चुका वह साधारण समय में तो और भी अधिक सफल होना ही चाहिए। पशु-बल वाली सेना में सिपाही लोगों को तभी तक काम रहता है जब तक मारकाट होती रहती है। जिन घड़ियों में बेकारी के भयानक रोग का इलाज किसान-संगठन का पहला काम है; इस बेकारी को दूर करके संगठन की शिक्षा पाने वाला किसान फिर भी निश्चिन्त नहीं रह सकता। पिछले अध्यायों में वर्णित असहयोग और सत्याग्रह, धनवान-निर्धन का सम्बन्ध, ऋणभार, मुकदमे-बाजी और गोवध बंद करने के लिए उसे बहुत बहुत काम करने हैं। साथ ही उन्हें अपने-अपने गाँव के लिए स्थायी रूप से शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, विनोद और सेवा के कामों का संगठन भी करना है। साधारण समयों में संगठन का काम उसके लिए सारे जीवन का काम है।

किसान-संघ के संगठन के सम्बन्ध में ६ अगस्त १९२९ के “सैनिक” में एक स्कीम प्रकाशित हुई थी। वही योजना हम यहाँ एक मसविदे के तौर पर देते हैं कि ग्राम-संगठन करनेवालों को अपनी नियमावली बनाने में सहायता मिले। हमने इसमें आवश्यक परिवर्तन इसलिए कर दिये हैं कि यह नियमावली समय के अनुकूल हो जाय:—

कृषि-जीवी-संघ

किसान सभाओं का नाम किसान-संघ रक्खा जाय, जिसमें जिनकी जीविका खेती से चलती है वे सभी किसान-सभा के मेम्बर हो सकें—

किसान तथा ज़मींदार सभी उसमें शामिल हो सकें यह सभा अपनी तरफ़ से किसानों और ज़मींदारों में सहयोग स्थापित करे।

संघ का उद्देश्य

हर शान्त और न्याय्य तरीके से—

- (१) खेती और खेती से गुज़र करनेवालों की तरक्की करना;
- (२) किसानों को जो हक़ मिले हुए हैं, उनकी रखवाली करना;
- (३) जो हक़ खेती और खेती से गुज़र करनेवालों की तरक्की और बहतरी के लिए और मिलने चाहिए वे दिलाना;
- (४) गाँवों और गाँववासियों की सेवा और सुधार का काम करना, तथा

(५) किसानों का बहुत मज़बूत, सदा के लिए संगठन कायम करना और उसके द्वारा ग्राम-स्वराज्य स्थापित करना हो।

उद्देश्य-पूर्ति के साधन

इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सभा निम्नलिखित उपायों से काम ले—

(१) शिक्षा द्वारा किसानों को उनके नैतिक हक़ों और कर्तव्यों का ज्ञान कराना, जिससे वे अनैतिक कार्यवाहियों से अपने को बचा सकें और अपने कर्तव्यों का पालन करके अपना भला कर सकें।

(२) महकमा खेती, महकमा नहर, महकमा तन्दुरुस्ती, महकमा तालीम, महकमा सहयोग समिति, महकमा माल, महकमा उद्योग-धन्धे वगैर का और ज़िला सभा का किसानों और किसानों के फ़ायदे के लिए ज्यादा-से-ज्यादा और सर्वोत्तम उपयोग करना। इन महकमों से किसानों को ज्यादा-से-ज्यादा मदद दिलाना। किसानों की सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए प्रचार करना, उनमें आपस में प्रेम और

मिलकर काम करने का भाव पैदा करने की कोशिश करना। उनके आपसी झगड़े-मिटाने के लिए पंचायतें कायम करना। उनकी शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, विनोद और सेवा के प्रबन्ध कराना।

मेम्बर

हरेक किसान फिर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, जिसकी उम्र अठारह साल से ज्यादा है, संघ का मेम्बर हो सकता है। मेम्बरी की फीस चार आने फसल रखी जाय। इस तरह अगर ज़िले भर में दस हजार मेम्बर बना लिये जायँ और मामूली तौर पर दो फसलों का हिसाब रक्खा जाय तो किसान सभा को पाँच हजार रुपये साल की आमदनी हो सकती है, जिससे किसानों की सेवा और सुधार के लिए एक-एक ज़िले में पचासों सुशिक्षित, सुसंगठित कार्यकर्त्ता, रखे जा सकते हैं। किसान सभा के सुव्यवस्थित बाकायदा दफ्तर रखे जा सकते हैं। किसानों की सेवा के छोटे-छोटे कार्य करके उनके लिए सभा द्वारा मुफ्त कानूनी सलाह, मुफ्त चिकित्सा वगैरे का इन्तज़ाम करके उन्हें हर महकमे से मदद दिला कर, सुख-दुःख में उनका साथ देकर, जुल्मों और मुसीबतों से उन्हें बचाकर चार आना फसल लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। चार आने का नाज तो फसल पर गरीब-से-गरीब किसान राह चलते फ़क़ीर को दे देता है !

(१) जिस गाँव में कम-से-कम दस मेम्बर हो जायँगे, उसमें गाँव की किसान-सभा कायम की जा सकेगी परन्तु किसान-सभा में साधारणतया घर पीछे एक सदस्य रहेगा।

(२) किसान-सभा के संगठन की इकाई हलका किसान-सभा होगी।

(३) हर ज़िले में ज़िला-सभा के चुनाव के जितने हलके होंगे उतने ही हलके किसान-सभा के भी होंगे।

(४) कम-से-कम पचास मेम्बर होने पर हलका किसान-सभा कायम हो सकेगी ।

(५) हलके की किसान-सभा की कार्यकारिणी के मेम्बरों की तादाद पचास तक हो सकती है । इन मेम्बरों और कार्यकारिणी के पदाधिकारियों—सभापति, उपसभापति, मन्त्री, उपमन्त्री, कोषाध्यक्ष, हिसाब-निरीक्षक तथा ज़िला-सभा के लिए दो मेम्बरों का चुनाव हलके-भर के मेम्बर वैसाख सुदी १५ तक कर लिया करेंगे ।

(६) चुनाव की इत्तिला तमाम मेम्बरों को नाई या स्वयंसेवकों के हाथों पहले चिट्ठियाँ भेजकर या डौंडी पिटवाकर या नोटिस बँटवाकर कम-से-कम सात दिन पहले करनी होगी । चुनाव में वे ही मेम्बर वोट दे सकेंगे जिनकी फ़ीस चुनाव से एक दिन पहले तक सभा के दफ्तर में जमा हो चुकी होंगी ।

ज़िला किसान सभा

(७) ज़िला किसान-सभा की कार्यकारिणी में जितने हलके होंगे उसके दुगने तथा उनके बाद की दहाई में जितने कम होंगे उतने और मेम्बर होंगे । यानी अगर किसी ज़िले में इक्कीस हलके होंगे तो इक्कीस दूनी बयालीस और आगे की दहाई के आठ और यानी कुल पचास मेम्बर होंगे ।

(८) हरेक हलके से दो मेम्बर चुनकर आया करेंगे । आगे की दहाई को पूरा करने के लिए जितने मेम्बर और ज़रूरी होंगे उन्हें हलकों के चुने हुए मेम्बर बैठकर चुनेंगे ।

(९) इन मेम्बरों का तथा ज़िला-सभा-पदाधिकारियों, के सभापति, उपसभापति, मन्त्री, उपमन्त्री, कोषाध्यक्ष, आय-व्यय निरीक्षक तथा सूबे सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव गंगा दशहरा तक हो जाना चाहिए ।

(१०) मेम्बरी की फ्रीस में से एक-चौथाई सूबे की सभा को, एक-चौथाई ज़िला सभा को, और एक-चौथाई हलका सभा को देना होगा। बाक़ी एक चौथाई गाँव की किसान-सभा के पास रहेगा। जहाँ गाँव की किसान-सभा न होगी वहाँ उसका हिस्सा हलका सभा को मिलेगा। सूबे की सभा न होगी तो उसका हिस्सा ज़िला सभा को मिलेगा।

(११) ज़िला-सभा की वे ही हलका-सभायें अपने प्रतिनिधि भेज सकेंगी जिनके मेम्बरों की फ्रीस का चौथाई ज़िला-सभा को मिल चुका होगा। आधे से अधिक हलके के प्रतिनिधि चुने जाने पर ही ज़िला-सभा का बाकायदा संगठन हो सकेगा। हाँ, जहाँ संगठन पूरा न हो सकेगा वहाँ यानी शुरू में काम करने के लिए अस्थायी ज़िला कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं।

(१२) ज़िला सभा ज़रूरी समझे तो तहसील के हलके के प्रतिनिधियों तथा तीन बाहरी मेम्बरों की एक तहसील-सभा कायम कर सकती है।

सूबा सभा

(१३) सूबा सभा में हर ज़िले के दो-दो चुने हुए प्रतिनिधि रहेंगे, सूबा सभा के कुल मेम्बरों की तादाद, अपने पद के कारण जो मेम्बर हैं उनको छोड़कर, एक सौ इक्कीस होगी। ज़िले के चुने हुए प्रतिनिधियों के अलावा जितनी जगहें बचेंगी उनका चुनाव तथा सूबा सभा के पदाधिकारियों का चुनाव ज़िले के प्रतिनिधि आषाढ़ वदी पन्द्रह यानी अमावस तक कर लिया करेंगे।

(१४) कम-से-कम आधे से अधिक ज़िलों के चुने हुए प्रतिनिधि होने पर ही सूबा सभा का बाकायदा संगठन हो सकेगा। हाँ, जबतक

ज़िलों का संगठन न हो पावे, तबतक यानी शुरू में स्थायी सूबा सभा बनाई जा सकती है।

(१५) सूबा सभा के भूतपूर्व सभापति प्रान्तीय कमेटी के अपने पद के कारण मेम्बर माने जायेंगे, लेकिन उनके लिए यह ज़रूरी होगा कि वे प्रान्त की किसी मूल किसान-सभा के सदस्य हों।

(१६) हलका-सभा के निर्वाचन के बाद चुने हुए मेम्बरों, पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की नामावली ज़िला-सभा के पास भेजदी जायगी और इस तरह ज़िला कमेटी के निर्वाचन के बाद चुने हुए मेम्बरों, पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों की नामावली सूबा सभा के पास भेजदी जायगी।

(१७) हलका-ज़िला और सूबा सभायें अपने काम को ठीक तौर से चलाने के लिए एक छोटी-सी पंचायत या कार्यकर्ता कमेटी बना सकती हैं।

(१८) गाँव, हलका, ज़िला और सूबा सभा के मेम्बर वही हो सकेंगे जो किसी-न-किसी किसान-सभा के मेम्बर हैं।

(१९) हरेक सभा में कोरम उसके कुल मेम्बरों का पाँचवाँ हिस्सा होगा। इससे कम मेम्बरों की हाज़िरी में सभा की कार्रवाई मान्य नहीं होगी। हाँ, मुलतवी-शुदा मीटिंग हो सकती है।

(२०) साधारण हलका, ज़िला और सूबा सभा की बैठकें महीने में एक बार हुआ करेंगी। इनकी सूचना कम-से-कम एक हफ्ते पहले होजानी चाहिए। सब बातें बहुमत से तय हुआ करेंगी।

(२१) संघ का रुपया बैंक में जमा किया जायगा।”

पालीवालजी ने ऊपर लिखी योजना ग्राम-स्वराज्य की दृष्टि से नहीं लिखी है, बल्कि विदेशी सरकार को मानकर ही वह योजना

बनाई गई है। हमारी राय में हर गाँव की किसान-सभा में हर घर से एक सदस्य चुनकर जाना चाहिए। इस सभा का यह काम होगा कि वह गाँव के कामों के लिए आवश्यक धन-संग्रह करने का बन्दोबस्त करे। यह बन्दोबस्त बेहरी, चंदा या किसी तरह का कर लगाकर करना होगा। यह फसल पर चार आने वाले चन्दे से बिलकुल अलग होगा। स्वराज्य होजाने पर किसानों के संगठन के खर्च और इन किसान-सभाओं को चलाने के लिए सूबे को, ज़िले को, तहसील को, और गाँवों को जो कर दिया जाना चाहिए वही यह कर होगा। ये किसान-सभायें गाँव के भीतर स्वराज्य की इकाई बनावेंगी, और किसान-संगठन को चलाने वाले खर्च के आलावा शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, विनोद और सेवा के काम के लिए एवं समय-समय पर सत्याग्रह की लड़ाई के लिए जो कुछ खर्च करना होगा वह फसल पर चार आने के इस चंदे के सिवाय होगा। गाँव की किसान-सभा इसके लिए उचित धन मंजूर करेगी और कर के रुपये किसान-सभा की अन्तरंग को देगी।

किसान-सभा की मुख्य कार्यकर्त्री सभा अन्तरंग सभा होगी, जिसमें किसान-सभा का सभापति, गाँव का मुखिया, सभा का मंत्री और दो मदस्य मिलाकर कुल पाँच आदमी होंगे। यही पंचायत असल में गाँव पर हुकूमत करनेवाली पंचायत होगी। किसान-सभा की आज्ञा के अनुसार यह पंचायत धन का संग्रह करेगी, हरेक विभाग को मंजूर किया हुआ खर्च देगी और वर्ष के अन्त में सबसे हिसाब का ब्योरा लेगी और धन का सारा हिसाब देखभाल कर और जाँचकर किसान सभा की सालाना बैठक में पेश करने के लिए ज़िम्मेदार होगी।

इस पंचायत के सिवाय शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, विनोद और सेवा के लिए पाँच और पंचायतें होंगी जो किसान-सभा अपने सदस्यों में से

या बाहर के लोगों में से चुनेगी। यह भी जरूरी न होगा कि जो आदमी एक पंचायत का मेम्बर हो चुका है वह दूसरी पंचायत का मेम्बर न हो।

शिक्षा-पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि गाँव के बूढ़े-बच्चे नर-नारी सबकी शिक्षा के लिए उचित उपाय करे। शिक्षा उन बातों की हो जिनकी किसान के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है। शिक्षा पढ़ने-लिखने की भी हो और विनोद के विषय में भी हो। किसी बाहरी परीक्षा या प्रमाणपत्र के अचीन कोई शिक्षा न रक्खी जाय।

रक्षा-पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि सारे गाँव की रक्षा का बन्दोबस्त करे। गाँव के लिए पहरूये चाहे तनख्वाह देकर रक्खे, और चाहे गाँव के सेवा-दल के आदमियों की बारी बाँध दे। खेती और व्यवसाय की रक्षा के लिए भी बन्दोबस्त करना रक्षा-पंचायत का काम होगा। इनके सिवाय आये दिन विदेशी आक्रमणों से बचने के लिए उपाय करने पड़ेंगे और सारे गाँव को असहयोग और मत्याग्रह की शिक्षा देकर अपनी स्वतंत्रता और स्वराज्य की रक्षा के लिए बराबर तैयार रहना पड़ेगा। विदेशी व्यापार भी एक तरह की चढ़ाई समझी जायगी और उससे गाँव की रक्षा करना भी इसी पंचायत का काम होगा। गाँव के भीतर आपस के झगड़े जो किसान-सभा के भीतर होंगे वे सब इसी रक्षा-पंचायत में पहले आवेंगे। रक्षा-पंचायत का निपटारा अगर दोनों पक्षों में से किसीको मंजूर न होगा तो वह गाँव की किसान-सभा में अपील करेगा। किसान-सभा का फैसला आखिरी होगा।

व्यवसाय-पंचायत का काम होगा कि वह किसानों के सब तरह के व्यवसाय के सुधार और संगठन का बन्दोबस्त करे और ऐसे उपाय करे कि किसान फिजूलखर्ची से बचे और कर्जदारी से छुटकारा पा जाय। शिक्षा-पंचायत से मिलकर इस पंचायत को भी गाँव के व्यव-

साथ और व्यापार की रक्षा के लिए पूरा उद्योग करना पड़ेगा ।

विनोद-पंचायत का यह काम होगा कि तीज-त्योहार, मेले आदि का प्रबन्ध करे, उन्हें किसानों के लिए लाभदायक बनावे । नित्य के खेल-कूद, व्यवसाय आदि का प्रबन्ध करे और नशे आदि कुटेवों से किसानों को दूर रखे । किसानों के मेहनती जीवन को जिन-जिन नैतिक उपायों से सुखी बनाया जा सकता है वे सब उपाय इस पंचायत को करने होंगे ।

सेवा-पंचायत का काम हर तरह की सेवा है । रोगी की सेवा के लिए वैद्य का प्रबन्ध, औषधि का बन्दोबस्त, रोगी की परिचर्या आदि इस सेवा-पंचायत का एक विभाग होगा । भूखों मरते हुए किसी भाई को अन्न पहुँचाना, लंगड़े-लूले अपाहिज के खाने-कपड़े का बन्दोबस्त करना, जिसके छाया न हो उसके लिए छाया का उपाय करना, जिसे किसी दुर्घटना से चोट लग गई हो, जो जल गया हो, जिसे ज़हरीले जानवरों से या ज़हरों से पीड़ा हो, उसका कष्ट दूर करना, एकाएकी किसी आफत के आजाने पर पीड़ितों की रक्षा करना इत्यादि सभी काम सेवा-पंचायत के हैं । सेवा-पंचायत अपने अधीन एक संगठित सेवा-दल रखेगी जो ज़रूरत पड़ने पर उचित सेवा किया करेगा । इसी सेवा-दल से रक्षा-पंचायत भी काम लिया करेगी ।

ये पाँचों पंचायतें अपने-अपने काम में एक-दूसरे की बराबर सहायता करेंगी और हर तरह पर गाँव की किसान-सभा के अधीन होंगी ।

अंतरंग की चर्चा करते हुए हमने मुखिया की चर्चा की है । गाँव का मुखिया गाँव का सबसे बड़ाबूढ़ा और समझदार आदमी होगा, जो गाँव की भलाई की सब बातें, जिनका सम्बन्ध गाँव के बाहर के लोगों से होगा, आप जाकर निपटावेगा । इसका चुनाव लम्बे समय के लिए हुआ करेगा, जैसे पाँच या सात बरस, और ज़रूरत होगी तो मुद्दत पूरी

होने पर फिर उसीका चुनाव हो सकेगा। गाँव का नेता इसी मुखिया को समझना चाहिए। यह किसान-सभा का सभापति भी चुना जा सकेगा, परन्तु तीन-तीन साल के चुनाव में यह जरूरी होगा कि एक ही आदमी लगातार सभापति न चुना जाय।

४. गाँव के नेता की उत्पत्ति

आज किसानों की इतनी भारी आबादी होते हुए भी उनमें इतना जीवन नहीं है कि आये दिन के संकटों में कोई उनके ही बीच से निकलकर उनका अगुवा बने और संकट को दूर करने के लिए उपाय करे और करावे। करोड़ों कण्ठ भावों से भरे होते हुए भी वाणी के न होने से जड़ और गूंगों की तरह चुप हैं और चुपचाप विपत्ति झेलते हैं। पर ऐसी दशा अब नहीं रह सकती। भारत की उर्वरा भूमि महात्मा गांधी जैसे पुरुषोत्तम के आदर्श के ऊपर चलनेवाले असंख्य वीरों के खून से सींची जा रही है। सच्चे भारतवासी किसान हैं और उन्हीं किसानों में से इसी धरती से बहुत जल्दी ही नये जीवन वाले किसान-नेता एका-एकी निकल पड़ेंगे, जो अहिंसा और सत्य के अनुयायी होंगे और जो किसान-संगठन और ग्राम-संगठन को अपने हाथों में ले लेंगे। उस समय गाँवों में नेताओं की कमी नहीं रहेगी। उस समय बड़े बोल वाले पढ़े-लिखे नेताओं की तलाश न होगी। यही गाँव के सभापति होंगे, मुखिया होंगे, संगठन करनेवाले होंगे। जबतक ऐसे नेता पैदा नहीं हो जाते तबतक हमारे देश में जो लोग वर्तमान लड़ाई में अगुवा हो रहे हैं उन्हींसे संगठन के काम में मदद लेनी पड़ेगी। उन्हींसे भावी नेता के निर्माण, उपनयन और शिक्षा की आशा करनी पड़ेगी।

इन लोगों का काम भी थोड़ा नहीं है। सोते हुए कृष्णों और हलधरों को जगा देना, और उन्हें उस काम में सचेत कर देना जो देश

उनसे चाहता है, थोड़ा नहीं है। आजकल के हमारे काम करनेवाले दागबेल डालनेवाले लोग हैं जिसे देखकर आगे आनेवाली पीढ़ियाँ अपने-अपने रास्ते समझेंगी और उन्हें जल्दी-से-जल्दी अपना कार्यक्रम निश्चित करने में बड़ी मदद मिलेगी। बात यह है कि किसानों को अपने पैरों पर खड़े होना है। किसानों के अगुवा किसानों को ही होना है। बाहर का आदमी उनका काम बहुत दिनों तक नहीं कर सकेगा। उनकी योग्यता भी उसमें न होगी। किराये के टट्टू पर मंजिल तक पहुँचने में लँगड़े-लूलों को ही सबसे ज्यादा सुभीता होता है। मजबूत टाँगों वाले हट्टे-कढ़े लोग ऐसी रद्दी सवारी के बस में होकर धीरे-धीरे चलना कभी पसंद न करेंगे। क्रान्ति का वेग अपाहिजों और लाचारों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है। इसीलिए किसानों को अपना अगुवा आप होना पड़ेगा। अपना संगठन आप करना पड़ेगा। उन्हें इसके लिए कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए।

: ८ :

किसानों का आर्थिक सुधार और उनकी माली हालत को जाँच

१. किसानों का खर्च घटाने की ज़रूरत

पिछले अध्यायों में हम कई बातें ऐसी कह आये हैं जिनसे किसानों के खर्च का बोझ ज़रूर हलका होजायगा। आदमी की माली हालत सुधारने के लिए सबसे सीधा उपाय यही है, कि उसका खर्च घटाया जाय और उसकी आमदनी बढ़ाई जाय। यों तो साधारण रीति से अगर वह कपास की खेती करे और अपने लिए खद्दर बनाने का उपाय करे तो उसके कपड़े का कुछ खर्च घट जाता है और उसकी आमदनी कुछ बढ़ जाती है। परन्तु उसके खाने और कपड़े का खर्च तो बहुत थोड़ा है। उसका भारी खर्च तो लगान है, और ज़मींदार, पुलिस व पटवारी को खुश रखने के लिए दी जानेवाली तरह-तरह की घूस है, नज़राना है, बेगार है, मुकदमेबाज़ी है, नशा है। जहाँ नहर है वहाँ पानी के दाम हैं, तरह-तरह के हक़ दस्तूर हैं, नमक पर अप्रत्यक्ष कर है, कचहरियों और दफ़्तरों की दौड़ है, आये दिन के तीज-त्यौहार उत्सव का खर्च है, ब्याह आदि संस्कार और मरनी-करनी का खर्च है। ये सब जीवन के अत्यंत आवश्यक खर्च नहीं हैं, परन्तु तरह-तरह के दबावों से दबकर और लाचारी से उन्हें ये सब खर्च करने पड़ते हैं। खेती की उपज बढ़ाने के लिए जो खर्च उन्हें करना चाहिए, अनेक कारणों से उससे हाथ खींचना पड़ता है और इन मदों में ज़बरदस्ती खर्च करना पड़ता है।

पिछले अध्यायों में जिन परिवर्तनों का वर्णन हम कर आये हैं, उनके होजाने पर उसका खर्च बहुत घट जायगा। पर हमारी राय में सबसे ज्यादा बोझा और सबसे बड़ी खर्च की मद वह कर है जिनके चुकाने के लिए किसान पिसान हुआ जा रहा है। इन सबमें सबसे ज्यादा कमर-तोड़ सरकारी लगान है।

डेनमार्क में वहाँ की सरकार की ओर से संवत् १८५६ में पहले-पहल एक क़ानून ऐसा बनाया गया, जिससे बड़ी-बड़ी खेती वाली रियासतें जो सरकारी थीं या सार्वजनिक थीं छोटे-छोटे टुकड़े करके सुभीते के साथ छोटे किसानों को छोटी जोतें नीलाम में देकर उनकी मिल्कियत बना दी गई। यह काम बराबर धीरे-धीरे बढ़ाया गया और उस क़ानून में सुभीते के परिवर्तन होते रहे। अंत में संवत् १९७६ के क़ानून से सब मिलाकर कुल ८३,९८० एकड़ ज़मीन छोटी-छोटी जोतों में बँट गई। और वहाँ की सरकार को ६५ करोड़ रुपये की आमदनी हुई। वहाँ छोटी-छोटी जोतों का औसत १७ एकड़ के लगभग रक्खा गया है। इस तरह लगभग ५ हज़ार के नई जोतें बन गई।^१

डेनमार्क की नक़ल करना हमारे लिए बिलकुल असंभव है। डेनमार्क की सारी आबादी हमारे एक बड़े ज़िले से ज्यादा की नहीं है, परन्तु उसका क्षेत्रफल हमारे यहाँ की एक छोटी कमिश्नरी के लगभग का है। वहाँ आबादी के हिसाब से खेती की ज़मीन बहुत ज्यादा है। हमारे देश में आबादी वहाँ के मुक़ाबले अत्यन्त घनी है। ब्रिटिश भारत में कुल ज़मीन जिसमें खेती होती है, लगभग साढ़े बाईस करोड़ एकड़ के है। किसानों

१. Small Holdings in Denmark—25 years Legislation, by L. Th. Arnskov, 1924, Reprinted from the Danish Foreign Office Journal by Dyva & Jeppesen, Copenhagen.

की आबादी, बच्चे-बूढ़े, नर-नारी मिलाकर अगर साढ़े बाईस करोड़ मानली जाय तो भी सिर पीछे एक ही एकड़ पड़ता है। बिहार में जहाँ आबादी बहुत घनी है, किसानों की जोत का औसत आधे एकड़ से कम ही पड़ता है। मद्रास अहाते के उन जिलों में जहाँ रयतवारी रीति है, प्राणी पीछे एक से लेकर पाँच एकड़ तक जोत होती है। डाक्टर मान ने हिसाब लगाया है कि दक्षिण में सैकड़ा पीछे साठ जोतें पचास एकड़ से कम हैं। बंगाल में संवत् १९७८ की मर्दुमशुमारी की रिपोर्ट में टामसन साहब इस बात को क़बूल करते हैं कि वहाँ जितनी खेती होती है, मुश्किल से षेती तीन एकड़ हर काम करनेवाले को पड़ती है। आसाम में औसत जोत तीन एकड़ से भी कम है, और संयुक्त प्रान्त में केवल ढाई एकड़ है।

भारतवर्ष में तो भारी-भारी थोक की खेती कहीं होती ही नहीं। डेनमार्क में १७ एकड़ के लगभग जो छोटी जोत का औसत रक्खा गया है, वह ब्रिटिश भारत के सिर पीछे एक एकड़ के औसत से १७ गुना ज्यादा है। पंजाब और बम्बई प्रान्तों में और प्रान्तों से जोत का औसत कुछ बड़ा है। डेनमार्क का औसत भारत के बड़े-से-बड़े औसत के ड्योढ़े से कुछ अधिक ही है।

अंग्रेजों के आने से पहले और उनके शुरू के समय में मामूली तौर से जोतें बड़ी होती थीं। नौ-दस एकड़ से बड़ा ही औसत था, परन्तु अब दो एकड़ से ज्यादा की अकेली जोतें बहुत मुश्किल से रह गई हैं। अब जोतों की संख्या दूनी से ज्यादा हो गई है, और १०० में ८१ जोतें एक एकड़ से कम की हैं, और ६० जोतें ५ एकड़ से कम की हैं।

१. Land and Labour in a Deccan Village, by Sir Harold Mann.

संवत् १९७८ की मर्दुमशुमारी में खेतिहरों की आबादी सैंकड़ा पीछे ७१ ठहराई गई हैं, इस ७१ में भी सबके सब खेत में काम नहीं करते। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो खेत पर गुजारा तो करते हैं, पर आप खुद कोई खेती नहीं करते। संवत् १९५८ की रिपोर्ट में यह लिखा है कि एक भारी गिनती ऐसे लोगों की बढ़ गई है जिनके पास ज़मीन नहीं है। उन सूबों में जहाँ बराबर अकाल पड़ जाया करता है, या उन ज़िलों में जहाँ गाँवों की आबादी बहुत बढ़ गई है, बिना ज़मीनवाले खेतिहर मज़ूर भी बढ़े हुए हैं। जिन बरसों में फसल की दशा साधारण होती है, उनमें भी खेत पर काम करनेवाला मज़ूर घोर दरिद्रता और दुःख में दिन काटता है। आबादी बढ़ गई है, पुराने परिवार टूटते गये हैं, मुकदमे बाज़ी के दलालों ने फूट डालकर जायदाद का लगातार बँटवारा कराने में कोई कोर-कसर नहीं रक्खी। इस तरह देश में खेतों के बहुत छोटे-छोटे भाग भी हो गये हैं और खेती बहुत दूर-दूर पड़ गई है। कभी-कभी एक ही आदमी की जोत इतनी दूर-दूर पर और ऐसी बिखरी होती है कि खेती करना कठिन हो जाता है और लाभ कुछ नहीं होता।

जब देश की ऐसी दशा है तब स्वराज्य-सरकार भी एकाएकी जोतों का औसत तो बढ़ा न सकेगी। जितनी ज़मीन पर खेती होती होती है और किसानों की जो आबादी है, उसका बढ़ाना-घटाना मनुष्य के अधिकार में नहीं है। स्वराज्य-सरकार धीरे-धीरे देश के खोये हुए कारबार और मरे हुए व्यवसायों को फिर खोजकर और जिलाकर बहुत से बेघरती के किसानों को तथा लाचारी से किसान बन जानेवालों को उनमें लगा सकती है। इस तरह जोत का औसत काल पाकर बढ़ सकता है। परन्तु इसमें बहुत दिन लगेंगे। जो लोग डेनमार्क और अमेरिका की

रिपोर्टों को पढ़कर लुभा जाते हैं, उन्हें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए ।

अपनी परिस्थिति को देखते हुए लगान को घटाकर आधे से कम कर देना एक उपाय मालूम होता है । दूसरा उपाय यह है कि जिन किसानों की आमदनी पाँच सौ रुपये साल से कम है उनसे कोई लगान न लिया जाय । इसके ऊपर जिसकी आमदनी ५००) से लेकर हजार रुपये साल तक हो उससे कम-से-कम- लगान लिया जाय । इसके ऊपर किसान की आमदनी ज्यों-ज्यों बढ़ती जाय, लगान की दर भी अधिकाधिक ऊँची होती जाय । इसके लिए देश में ऐसा कानून बन जाय कि ज़मींदार इज़ाफा लगान न कर सके । फिर से बन्दोबस्त होकर सरकार की ओर से जो लगान मुकर्रर हो जाय उसमें ज़मींदार बिल्कुल हाथ न डाल सके । ज़मींदारी की रीति अगर चलती रहे तो उसके ऊपर ऐसा नियन्त्रण होना चाहिए कि ज़मींदार अच्छे-से-अच्छे किसान की तरह सुख से रहे, और उसकी जो फालतू आमदनी हो—और यह आमदनी मालगुज़ारी अदा कर देने पर बची हुई रकम में आँकी जाय—उसपर आमदनी का बहुत बढ़ा हुआ कर लगाया जाय ।

किसानों के ऊपर लदे हुए बोझ को हलका करने के सिवाय उनके सुधार के लिए बेकारी का दूर करना और दूर-दूर पर बिखरी हुई जोतों को पंचायत द्वारा फिर से बाँटकर किसान की सब जोतों का पास-पास हो जाना, ये दो ज़रूरी काम होंगे । ये दोनों उपाय हम पहले सुझा चुके हैं । पिछले अध्यायों में जो-जो उपाय हम बता आये हैं उनको व्यवहार में लाने के दस बरस के भीतर ही, हमको पूरा विश्वास है, किसान न केवल ऋण से मुक्त हो जायगा, बल्कि उसकी दशा इतनी सुधर जायगी कि वह दोनों जून पेट भर भोजन कर सकेगा ।

२. अनाज और कच्चे माल की खींच कम करनी पड़ेगी

जब हम विदेशों से कपड़ा मँगाना एकदम बन्द कर देंगे और विदेशी माल पर बाधक कर लगा देंगे, तो फल यह होगा कि विदेशों से आनेवाला माल बहुत घट जायगा और उसपर लगे हुए बाधक कर की आमदनी सरकार के हाथों में आवेगी। विदेशी माल के ही बदले में हमारे यहाँ का अनाज और कच्चा माल बाहर चला जाता है। इस तरह इसका बाहर जाना कम होजायगा। इधर तो दशा यह हो गई है कि गेहूँ कनाडा और आस्ट्रेलिया से आने लगा है। इससे बढ़के और क्या विपदा होगी कि अनाज के लिए भी हम औरों के मोहताज हो गये हें ? ऊपर बताई हुई विधि से हमारे देश का बहुत थोड़ा अनाज बाहर जाया करेगा। किसान चाहे लगान देता हो या न देता हो, उसके लिए यह भी क़ानून कर देना पड़ेगा कि वह अपने साल-भर के खाने से कुछ ऊपर रखले तभी अनाज बेचने पावे। उससे लगान भी लिया जाय तो उपज के ही अंश में लिया जाय, या कम-से-कम यह बात उसकी मर्जी पर छोड़ दी जाय—जैसा कि मुसलमानी राज्यों में था—कि वह चाहे उपज का अंश दे और चाहे तो उसकी आंकी हुई क़ीमत दे दे। इस तरह किसान के घर में खाने का टोटा नहीं रह सकता और इस समय अनाज की जो भारी खींच है उससे छुटकारा मिल सकता है।

एक बात और दोहराने में हम हर्ज़ नहीं समझते। जबतक किसान के ऊपर ऋण का भार है तबतक पंचायत उसके ऊपर यह दबाव रखे कि सामाजिक कामों में वह एक पैसा भी खर्च न करे। फ़सल पर खुश होकर खुले हाथों दान न दे। वह वही दान दे और वही खर्च करे जिसे पंचायत मंज़ूर करे। इस तरह खर्च पर नियंत्रण रहेगा। खर्च इस प्रकार घटे और चरखा आदि सहायक कामों से उसकी आमदनी बढ़े, तो उसकी

मिल्कियत अडोल हो जाने के कारण वह तन, मन, धन लगाकर अपनी उपज बढ़ावे। इस तरह उसकी आमदनी भी बढ़ जायगी।

३. जाँच की विधि

आजकल हमारे किसानों की माली हालत जैसी और जितनी खराब है, वैसी और उतनी खराब संसार में कहीं के किसानों की नहीं है। वर्तमान समय में इसीलिए किसानों की माली हालत की जाँच की ज़रूरत नहीं है। आज उनकी जो दशा है वह पशुओं से भी गई-बीती है। जब वे भरपेट भोजन पाने लगेंगे, जब उनके कंधों से कर्ज का बोझ उतर जायगा, और शांति और सुख के जीवन को कुछ साल तक बिता लेंगे, तब और तभी वह समय आवेगा कि उनकी माली हालत की जाँच की जाय और उन्हें अधिक सुखी और समृद्ध बनाया जाय।

स्वराज्य की स्थापना हो जाने पर ही किसानों की हालत सुधर सकती है। जब वे शुभ दिन आयेंगे तब गाँवों का संगठन भी हो चुका रहेगा। कम-से-कम वह प्रारम्भिक संगठन हुआ रहेगा, जिसके बिना स्वराज्य हो ही नहीं सकता। उस समय हर किसान अपना राजा होगा, और पंचायतों के काबू में अपनेको रखकर वह अपनेको सुधारेगा, अपनी माली हालत वह पहले के कई सालों में इतनी अच्छी ज़रूर बना लेगा कि पेट भर रूखी-सूखी रोटियाँ ज़रूर पा सके। इस दशा के दस-पाँच बरस बाद इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि उसकी आर्थिक दशा की उचित जाँच की जाय।

उसका गाँव उसकी इकाई होगी। किसान की चौबीसों घंटे, तीसों दिन और बारहों मास की ज़रूरतों के अनुसार गाँवों में सभी तरह के लोग बसते होंगे। उन सब लोगों का जीवन किसानों का ही जीवन होगा, उनके रहन-सहन का परिमाण लगभग एकसा होगा। ये सब-के-सब किसान ही

समझे जायँगे । माली हालत की जाँच में गाँव के हर रहनेवाले की गिनती की जायगी, दूध पीते बच्चे से लेकर अपाहिज बूढ़े तक गिने जायँगे । ये लोग क्या खाते-पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे घरों में रहते हैं ? कब-कब क्या-क्या काम किया करते हैं ? इनके ओढ़ने-बिछाने के सामान कैसे हैं ? कौन कितना कातता है, कितना बुनता है ? किसके यहाँ किन-किन चीजों की कितनी-कितनी खेती होती है ? किन-किन के पास कितनी-कितनी और किस मालियत की जायदाद है ? खाट पर सोते हैं या ज़मीन पर ? खाट है तो कैसी है और किस मालियत की है ? बरतन कैसे और किस मालियत के हैं ? पानी का क्या प्रबन्ध है ? रोशनी का क्या सामान है ? इनपर कितना खर्च होता है ? कपड़े-लत्तों पर कितना खर्च होता है ? नित्य का खर्च क्या है ? महीने-महीने का क्या खर्च होता है ? किन-किन चीजों पर कितना सालाना खर्च पड़ता है ? घर के भीतर सजावट का भी सामान है या नहीं ? है तो किस तरह का है और किस मालियत का है ? स्त्रियों के शरीर पर गहने-पाते हैं या नहीं ? है तो किन दामों के हैं ? किन-किनको किसान ने अपनी कमाई से बनवाया है ? कौन-कौन और कितने के गहने बहू को माता-पिता से मिले हैं ? किसान के पास कितने ढोर हैं और किन दामों के हैं ? उसके और-और व्यवसाय के क्या-क्या सामान हैं और किन-किन दामों के हैं ? खेती आदि व्यवसाय में वह कितना लगाता है ? कितने-कितने दामों की मजूरी वह खुद करता है, और कितनी-कितनी मजूरी देकर वह औरों से काम लेता है ? उसकी लागत के मुकाबले हरेक व्यवसाय से क्या औसत उपज होती है और उस उपज की क्या मालियत होती है ? उस उपज का कितना भाग रक्षा आदि के लिए कर के रूप में देना पड़ता है ? जिन किसानों को उनकी दरिद्रता

के कारण कोई कर नहीं देना पड़ता उनकी माली हालत की भी पूरी जाँच होनी चाहिए ।

माली हालत के साथ-साथ गाँव की परिस्थिति की भी जाँच होनी चाहिए । गाँव के आस-पास के खेतों की ज़मीन कैसी है ? औसत बर-सात कैसी हुआ करती है ? सिंचाई के लिए क्या-क्या सुभीते हैं और आम तौर पर इसमें कितना खर्च पड़ता है ? मज़दूरी की दर क्या है, ज़रूरत पड़ने पर मज़ूर मिलते हैं या नहीं ? माल के ढोने और बाज़ार तक लेजाने में क्या खर्च पड़ता है ? बाज़ार कितनी दूर है और उसके क्या-क्या सुभीते हैं ? तैयार माल या फालतू अनाज गाँव से दूर बड़ी-बड़ी मंडियों में भेजने के क्या-क्या साधन हैं ? ढोरों के लिए चारे के क्या सुभीते हैं ? जलावन किस तरह के सुभीते से मिल सकता है और काम में आता है ? इन सब बातों का प्रभाव भी किसान की माली हालत पर पड़ता है ।

गाँव में शिक्षा का क्या प्रबन्ध है ? बच्चों की शिक्षा के लिए कितनी पाठशालायें हैं ? किस काम की शिक्षा दी जाती है ? शिक्षा में क्या खर्च पड़ता है ? प्रबंध कैसा है ? पढ़ानेवाले गाँव के ही हैं या बाहर के ? उन्हें क्या-क्या लाभ गाँव से मिलता है ? बड़ों की शिक्षा का क्या बन्दोबस्त है ? कथा-पुराण का क्या बन्दोबस्त है ? इसमें क्या खर्च पड़ता है ? उसका बन्दोबस्त गाँव के बाहर से है या गाँव के भीतर के लोगों के द्वारा ही है ? गाँव की तन्दुरुस्ती का क्या हाल है ? गाँव में कितने वैद्य हैं ? कोई चिकित्सालय है या नहीं ? उसमें कितने रोगी औसतन नित्य आते हैं ? कितने किसानों का अपने खर्च से इलाज होता है ? कितने रोगियों का इलाज पंचायती खर्च से होता है ? सार्व-जनिक खेल-कूद, मेले-तमाशे, क्या-क्या और किस-किस तरह के होते

हैं ? इन सबमें क्या सार्वजनिक खर्च पड़ता है ? सिर पीछे औसत गाँव में कितना खर्च पड़ता है ? सेवा-दल या गांववाले कितना खर्च करते हैं ? गाँव के पंच किन-किन कामों के लिए भत्ता लेते हैं ? सभा और पंचायत के सम्बन्ध में क्या-क्या और कितना खर्च होता है ? इत्यादि सार्वजनिक जमा-खर्च की भी विवरणी बनानी होगी ।

अमेरिका और डेनमार्क की इस प्रकार की जाँच की रिपोर्टें अनुशीलन के योग्य हैं । उनसे पता चलता है कि प्रजा की माली दशा की जाँच सरकार की ओर से कितनी अच्छी तरह होती है । वहाँ यह काम करनेवाले राज्य की ओर से भेजे हुए अर्थ-शास्त्र के पंडित कर्मचारी होते हैं । वे लोग पूरे वैज्ञानिक ढंग से निश्चित समयों पर यह काम करते रहते हैं, परन्तु उनके यहाँ भी यह काम नया है इसलिए वे समझते हैं कि इसमें बहुत पढ़े-लिखे होने की जरूरत है, जबकि हमारा अनुमान है कि जब इस तरह की जाँच करने के लिए उपयुक्त समय आवेगा तब किसानों में से ही ऐसे योग्य और शिक्षा पाये हुए लोग निकलेंगे जिनके बन्दोबस्त में हर गाँव में किसान-सभा ऐसी माली जाँच का दफ्तर खोल देगी और गांव से ऐसी रिपोर्ट तहसील-सभाओं में जायेंगी और तहसील-सभायें इन रिपोर्टों को आपस में खूब मिलाकर तहसील-भर के लिए औसत निकालेंगी और अपनी तहसील-भर की रिपोर्ट इकट्ठी कर-करके जिला-सभा को भेजेंगी । जिला-सभा जिले के भौगोलिक विभाग को समझकर विविध भागों में इन रिपोर्टों को बाँटेगी और समझने लायक साररूप बनाकर प्रान्तीय सभा के पास भेजेंगी, प्रान्तीय सभा का संपत्ति-शास्त्रीय विभाग प्रान्त-भर की रिपोर्टों का संकलन करेगा । यह रिपोर्ट सारे प्रान्त की आर्थिक दशा बतावेगी । इस रिपोर्ट से पता लगेगा कि किसानों ने पिछले कितने वर्षों में कितनी तरक्की की है और उनकी

माली हालत ज्यादा अच्छी बनने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं। इस तरह की समय-समय पर की हुई जाँच से यह पता लगेगा कि हमारे पशुवत् जीवन-निर्वाह करनेवाले किसानों की दशा सुधरी या नहीं ? मनुष्य के जीवन के लिए जिन-जिन चीजों की ऐसी जरूरत है कि उनके बिना काम ही नहीं चल सकता, वे सब चीजें उनको मुलभ हुई या नहीं ? जिस सरकार ने इतना भी बन्दोबस्त नहीं कर पाया उसे बिलकुल असफल समझना चाहिए और जाँच की कसौटी पर सुधार के जो उपाय खरे न ठहरें उनका तो तुरन्त ही परित्याग उचित है। हमने जो सुधार के उपाय बताये हैं उन्हें व्यवहार में लाने के कुछ काल पीछे उनकी जाँच ऊपर बताई विधि से अवश्य होनी चाहिए।

शिक्षा-पंचायत

१. वर्तमान शिक्षा-प्रणाली के दोष

किसानों के फ़ायदे का काम वही सबसे अच्छा हो सकता है जो उनकी ज़रूरत और इच्छा के अनुकूल हो, जिसका बन्दोबस्त वे स्वयं करें और जिसके संचालन में उनका ही विकसित विचार काम करे। आजकल जिस तरह की तालीम दी जा रही है, वह किसान के लिए कौड़ी काम की नहीं है। किसान के बालकों को आजकल की शिक्षा बाबू बना देती है, फिर पढ़ा-लिखा किसान का बेटा या तो मुद्रिंसी करता है, या कहीं मुहरिंरी का काम बरसों की खोज से ढूँढ़ निकालता है, या अपनेको मुकदमेबाज़ी में कुशल बना लेता है। उसे खेती के काम से घृणा हो जाती है। हमारे देश का कोई किसान इस तरह की तालीम से संतुष्ट नहीं है। परन्तु बेचारा करे क्या ? अगर इन मदरसों में न भेजे तो बालक अपढ़ रह जाते हैं और यह बात उसके बाप-दादों की चाल से विपरीत है। वह नहीं चाहता कि उसकी सन्तान निरक्षर रहे और माता-पिता को कर्तव्य-पालन न करने के लिए बैरी समझे। जब पढ़ने को भेज देता है तब वह मानों अपनी सन्तान से हाथ धो बैठता है। खेतों पर मेहनत करने का पवित्र काम पढ़े-लिखे लड़कों की निगाहों में नीच दिखाई देता है। जिस काम में ताक़त और मेहनत लगती है, जिसमें मज़बूत हाथ-पाँवों का काम है, जिसमें कलियुग में प्राणों की रक्षा करने-वाले पवित्र अन्न के उपजाने की विधि है, जिसमें बल और मरदानगी

की जरूरत है, उस काम की बड़ी कीमत को न समझकर आजकल का अभागा किसान का बेटा स्त्रियों के योग्य लिखने-पढ़ने के नाजुक काम को, जिसमें बेहद कृत्रिमता है, बड़ी धूर्तता है, और हृद दर्जे की गुलामी है, ज्यादा इज्जत और आबरू का काम समझता है और उसीपर अपने पवित्र होनहार जीवन को आजकल की पच्छाहीं सभ्यता के मोह में पड़कर बलि कर देता है। जहाँ बाप अपना पानी आप भरने में, अपनी लकड़ी आप काटने में, अपना बोझा आप ढोने में, गौरव समझता है, वहाँ बेटा इन कामों के करने में शरमाता है और मौक़ा पड़ने पर कुली की तलाश करता है। इस तरह का भाव किसान के काम के लिए लाभ-कर नहीं है, और किसान ने सचमुच इस तरह बेटे को खो दिया है। किसान के बेटे की शिक्षा का तो उद्देश्य यह होना चाहिए कि बेटा बाप से बढ़कर किसान हो। परन्तु आज तो वह अपने बाप के पेशे को निन्द्य समझता है।

साथ ही एक दूसरा दोष भी है। वह जितना समय शिक्षा में लगाता है, उतना अगर अपने बाप के साथ खेती का काम व्यावहारिक रीति से सीखने में लगाता तो किसान के काम में थोड़ा-बहुत कुशल हो जाता, और घृणा भी न होती। यह बात नहीं है कि किसान के काम के सीखने में उसे समय बहुत लगे। असली जरूरत तो यह है कि खेतों में मेहनत का काम करने की आदत डालने के लिए बचपन से ही काम में लगने की जरूरत है। बच्चा जब खेतों में आने-जाने लायक हो और छोटा-मोटा काम करने के लायक हो जाय तभीसे खेत की थोड़ी-सी क्यारियाँ उसके काम करने के लिए छोड़ देनी चाहिएँ और उसे प्रेमपूर्वक काम बतला देना चाहिए। छुटपन से ही खेती में उसे इस तरह रस हो जायगा, और उसे मामूली लिखने-पढ़ने और हिसाब का ज्ञान कराने के लिए

खेती के साथ-ही-साथ हर गाँव के भीतर बन्दोबस्त हो सकता है। उसे लोअर या अपर की सनद हासिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे सबसे ज्यादा ज़रूरत व्यावहारिक ज्ञान की है, जो उसे अपने ही घर अपने ही खेतों में मिल सकता है। ढोरों की सेवा, कपास की खेती, लोढ़ना, ओटना, धुनना और कातना ये खेती से अलग काम हैं और ये सब वह अपने घर सीख सकता है। गोपालन और चर्खा शास्त्र पर जो अनेक पुस्तकें बाज़ार में हैं उनमें से एक की भी उसे ज़रूरत न पड़ेगी। यही सब चीज़ें कुशल किसान बनने के लिए उसे सीखनी चाहिए, परन्तु जिला-बोर्ड ने जो स्कूल स्थापित कर रखे हैं उनमें इन बातों की तालीम नहीं दी जाती। परीक्षा पास करने के लिए जो कोर्स मुकर्रर हैं उसमें कुछ थोड़ी-सी खेती की पोथियाँ भी होती हैं। पहले तो और पोथियों की भीड़-भाड़ में मदरसे का लड़का खेती की पोथियों पर ध्यान कम देता है, दूसरे इन पोथियों में मसाला भी इतना मामूली होता है कि उसे अपने खेत पर जाकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में बहुत-कुछ सहायता नहीं देता। इस तरह ज़िला-बोर्ड के चलाये हुए मदरसों से उसे कोई विशेष लाभ नहीं है।

लाभ न होकर केवल उसका समय ही नष्ट होता तो भी काफ़ी हानि थी। परन्तु और भी हानि इसके साथ-साथ है। विदेशियों की भेदनीति ने कोने-कोने के गाँवों तक काम किया है। गाँवों के मदरसों में भी जहाँ केवल हिन्दी से काम चल सकता था, या केवल उर्दू की पढ़ाई होनी चाहिए थी, जिससे कि बहुत कुछ बचत हो जाती, वहाँ भी जितने लड़के पढ़ते हैं उन सबके दिमागों में जबरदस्ती उर्दू-हिन्दी दोनों को ठूसने की कोशिश की जाती है। इस अस्वाभाविक कोशिश में विभाग के अफ़सरों को खुश करने के लिए पढ़ने और पढ़ानेवाले दोनों जी तोड़

कोशिश करके भी सफल नहीं होते । यह बात नहीं है कि देहातवाले उर्दू से घृणा करते हैं । वे तो खुशी से लड़कों को उर्दू पढ़ाये जाने के लिए राजी हो जाते हैं, चाहे उसमें बच्चों का कितना ही नुकसान हो । किसानों को इस बात का लालच होता है कि हमारा लड़का उर्दू पढ़ जाय, तो हमारे मुकदमेबाजी के काम में बड़ी मदद मिल जायगी । सम्मन और अर्जी-नालिशें पढ़ लेगा, और उसे कचहरी के गुरगे धोखा न दे सकेंगे । परन्तु जब लड़का कचहरी की घसीट लिखावट वाले सम्मन को भी नहीं पढ़ सकता तब अन्हें अन्त में निराश होना पड़ता है । इस तरह लड़के के दिल और दिमाग के ऊपर बड़ी कोमल अवस्था में दो बिल्कुल भिन्न लिखावटों के सीखने का भारी बोझ डाल दिया जाता है । इससे इन दोनों अँगों से जरूरत से ज्यादा परिश्रम पढ़ने के कारण स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता ।

जो तालीम का तरीका चल रहा है वह किसान के हक में बहुत ही बुरा है । हमें गुलाम बनानेवाला और पराधीन रखनेवाला है । अपने भले के लिए हमारे देश के हर किसान का यह कर्तव्य होगा कि वह इस शिक्षा-विधि से असहयोग करे और ऐसे मदरसों का पूरा बहिष्कार करे । साथ ही गाँव के बच्चों की शिक्षा का बन्दोबस्त शिक्षा-पंचायत के स्वतंत्र हाथों में सौंपे ।

ज़िला बोर्ड ने लड़कों की कुशिक्षा का तो बन्दोबस्त कर दिया । परन्तु उसने बड़ों की शिक्षा के लिए कोई उपाय न किया । यह एक तरह से अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद उसके बन्दोबस्त में बड़ों की शिक्षा भी उसी तरह निकम्मी होती और हमें पछताना पड़ता ।

२. पंचायत कैसी शिक्षा दे ?

बच्चों या बड़ों किसीकी शिक्षा के लिए किसी बाहरी अधिकारी

के प्रमाणपत्र या सनद की जरूरत नहीं है। शिक्षा-पंचायत गाँव के उन लोगों के द्वारा बनी होनी चाहिए जो गाँव की आवश्यकताओं को खूब समझते हैं, और जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि कैसी शिक्षा पढ़नेवालों को लाभदायक होगी। हमारी राय में तो बच्चों की छुटपन से ही किसानों की शिक्षा होनी चाहिए, और किसानों की शिक्षा में हम उन सब बातों को शामिल करते हैं जिनसे किसान समझदार, सभ्य और विवेकी सवज्ञा जायगा। किसानों की शिक्षा में पढ़ना-लिखना और जरूरतभर हिसाब का जानना शामिल होगा। पढ़ना उसे इतना आजाय कि वह जनता के लिए निकलनेवाले किसी साधारण अखबार को पढ़ सके और तुलसीदास जी के रामचरितमानस (रामायण) को गा सके और थोड़ा-बहुत समझ सके। लिखना हम इतना सिखा देना चाहते हैं कि वह किसान-सभा का मंत्री बना दिया जाय तो सभा की कार्रवाई लिख सके। हिसाब हम इतना सिखा देना चाहते हैं कि वह शासन या राष्ट्र-पंचायत के हिसाबिये का काम कर सके और अपने व्यवसाय का बहीखाता भी ठीक-ठीक रख सके। इतिहास और भूगोल के पढ़ाने में हम अभी उसका समय नहीं बिगाड़ना चाहते, क्योंकि इन विषयों पर किसानों के लायक पोथियाँ अभी छपी नहीं। जब वह समाचारपत्र पढ़ने-लायक हो जायगा, तब वह इतिहास और भूगोल की ठीक पोथियाँ अपने आप पढ़ लेगा। इन विषयों पर किसानों के लायक तबतक समयानुसार अच्छी-अच्छी पोथियाँ छप भी जायँगी। पढ़ने-लिखने का काम बस इतना ही काफ़ी होगा। अच्छा शिक्षक इतनी पढ़ाई के साथ-साथ दो तरह की शिक्षा देगा। एक तो व्यवसाय की और दूसरे तन-मन-वचन की शुद्धता और स्वास्थ्य की। यह शिक्षा जबानी भी होगी और व्यावहारिक भी।

गाँव के पुरुषों को ये विषय जानने चाहिएँ:—

- (१) खेती ।
- (२) ओटाई, धुनाई, कताई ।
- (३) तात्कालिक उपचार ।
- (४) बच्चों की रक्षा और सार-सम्हाल ।
- (५) स्वास्थ्य-रक्षा ।
- (६) सफ़ाई ।
- (७) पशु-पालन ।
- (८) मरी आदि सार्वजनिक संकटों के समय रक्षा ।
- (९) दिल-बहलाव, खेल आदि ।
- (१०) गाना-बजाना ।

इनकी उचित शिक्षा के लिए हर तरह का सुभीता करना पंचायत का कर्तव्य होगा ।

व्यावसायिक शिक्षा में पहली और मुख्य शिक्षा होगी खेती-बाड़ी की । यह शिक्षा घर भी मिलेगी और पाठशाला में भी । खेती-बाड़ी के बाद कपास के ओटने, रुई के धुनने, और पूनियों के कातने की शिक्षा मुख्य होगी । खेती-बाड़ी और कताई का कारबार सारे भारत के प्रायः सभी गाँवों में होगा । इसलिए इन दो व्यवसायों की शिक्षा भारत के लिए सार्वभौम होगी । हर पाठशाला को ये दो शिक्षायें देनी ही पड़ेंगी । हर शिक्षा-पंचायत को इन दोनों व्यवसायों को सिखाने का पूरा प्रबंध करना पड़ेगा । इसमें साधारणतया दो बरस लगेंगे, परन्तु जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है । जरूरत पड़े तो इतने ही विषय को चार वर्ष में पढ़ाया जाय, और फिर लड़कों को गाँव में ऐसे कामों के लिए छोड़ दिया जाय जिनमें उनकी पाई शिक्षा काम लग सके । लड़कों को यह

काम दिया जाय कि वे अखबार पढ़कर सुनाया करें, मण्डलियाँ बनाकर रामायण गाया करें, भूगोल और इतिहास की पोथियाँ अपढ़ किसानों को सुनाया करें, गाँववालों की चिट्ठियाँ लिखा करें। माली पंचायत से माँगकर लिखने का काम करें। गाँव के हिसाबिये के काम में मदद दें। जहाँ मकान कुआँ आदि बनता हो वहाँ लगनेवाले मसाले या मजूरी आदि का हिसाब किया करें। बड़ों के साथ खेती में जाकर खेती-बाड़ी के काम में मदद दें और अपनी क्यारियों या अपने अलगाये हुए खेतों का सारा काम अपने-अपने घर के लिए करना ही चाहिए। इस तरह जो-जो काम उन्होंने दो से लेकर चार बरस तक सीखे हैं, उनका बराबर अभ्यास बना रहेगा।

कुछ ज्यादा होशियार होजाने पर अपने घर का स्वतंत्र काम इन्हीं नौजवानों को करना होगा। एकबार फिर कुछ बरसों के बाद इन्हीं व्यवसायों की फिर से शिक्षा देनी होगी, परन्तु वह शिक्षा बहुत ऊँचे दरजे की होगी और उसके लिए शिक्षा-पंचायत को विशेष प्रबंध करना होगा। गाँव के प्रचलित व्यवसायों के विशेषज्ञ लोग आकर किसी सुभीते के केन्द्र में पाठशाला स्थापित करके ३ महीने से लेकर ६ महीने तक शिक्षा देकर जवान किसानों को उनके कामों में दक्ष कर दें। यह समय दक्ष होने के लिए थोड़ा नहीं है। डेनमार्क में इसी तरह जवान किसानों को शिक्षा दी गई है और अबतक दी जाती है। इसमें उनको बड़ी सफलता हुई है। इस तरह की शिक्षा अगर बचपन में दी जाय तो ४-५ वर्ष लगने पर भी सफलता की आशा नहीं की जा सकती। जब किसान समझदार होगया और उसे अपने व्यवसाय का कुछ अनुभव होगया तो उस समय की दी हुई शिक्षा जल्दी हृदयंगम होजाती है और उसे तुरंत ही व्यवहार में लाने का मौका भी मिलता है। इस तरह दोनों अवसरों

पर मिलाकर शिक्षा का कुल समय कम-से-कम ढाई बरस और अधिक-से-अधिक चार बरस का होता है। अगर यह सारी शिक्षा एकबारगी दी जाय तो बजाय ढाई और चार बरस के पाँच-सात बरस जरूर लग जायें। इस विधि से शिक्षा-दान में बड़ी किफायत होती है। शिक्षा भी इस तरह से ऐसे प्रकार की दी जायगी जिससे किसानों को हर तरह का लाभ हो।

शिक्षा-पंचायत का यह भी कर्तव्य होगा, कि वह बड़ों और बूढ़ों की शिक्षा का भी प्रबंध करे। लड़कियों को भी उपयुक्त शिक्षा देनी होगी। पढ़ना-लिखना और हिसाब तो लड़कियों को उतना ही सिखलाना होगा जितना लड़कों को, परन्तु जिन व्यवसायों की शिक्षा लड़कों को दी जाती है उन्हीं व्यवसायों की शिक्षा लड़कियों को भी दी जाय यह जरूरी नहीं है। लड़कियों को उन व्यवसायों की शिक्षा अवश्य दी जाय जिनका काम साधारणतया घर-गृहस्थी में पड़ता है। ओटाई, धुनाई, कताई आदि की शिक्षा तो लड़कियों को जरूर ही देनी चाहिए। इसके सिवाय घर-गृहस्थी में अनाज साफ़ करना और खाने के लायक कर देना, भोजन पकाना, दही-दूध आदि के सारे काम करना, बरतन साफ़ करना, घर की सफ़ाई, सीना-पिरोना, बूटा-कसीदा आदि का काम, पंखे, दौरी, टोकरी पिटारे आदि का बनाना, कागज को गलाकर भाँति-भाँति की चीजें तैयार करना, टोपी, बनियाइन, मोजे, तौलिया आदि बुनना इत्यादि इस तरह के काम हैं जो अच्छी घर-गृहस्थी में लड़कियाँ बिना पाठशाला गये सीख सकती हैं। तब भी इनमें से कुछ कामों को पाठशाला में सिखाने का बन्दोबस्त हो तो ज्यादा सुभीता होगा। अपने इन सीखे हुए कामों को लड़कियाँ यदि जारी रखेंगी तो दिनोंदिन कुशल होती जायेंगी। बड़ों की शिक्षा के लिए पंचायत को ऐसा बन्दोबस्त करना होगा कि उनके लिए गाँव में चुनी हुई अच्छी पुस्तकों के मिलने और पढ़ने का

सुभीता रहे। समाचारपत्र भी उनको मिलते रहें। उनके मानसिक विकास के लिए समय-समय पर इतिहासों और पुराणों की कथा का भी प्रबंध होना चाहिए। अच्छे कथा कहनेवाले देश, काल और परिस्थिति का विचार करके उत्तम-उत्तम कथायें सुनाकर उनका बड़ा उपकार कर सकते हैं। समय-समय पर मेले-तमाशे और अभिनयों से भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। बाज़ार, मंडी और नुमाइशों में भी जाने से अनेक तरह की शिक्षा मिलती है।

गाँव में विशेष शिक्षा का प्रबन्ध हर जगह नहीं हो सकता। परन्तु किसी केन्द्र में पुरोहिता आदि की विशेष शिक्षा का बन्दोबस्त करना ही पड़ेगा, जहाँ थोड़ीसी ज्योतिष, कुछ पूजा-पाठ त्योहारों के काम, घर व कुआँ आदि बनाने के नियम, रोगी का औषधोपचार, रोगी-सेवा, स्वास्थ्य के नियम, शौचाचार, भोजन आदि के नियम—यह सब कुछ बरस दो बरस में अच्छी तरह सिखाया जा सकता है। गाँव का पुरोहित, वैद्य, इंजिनियर और ज्योतिषी एक ही आदमी होसकता है।

सामाजिक दोषों के सुधार का काम भी शिक्षा का ही काम है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र की ही शिक्षा है। इसलिए गाँव की पाठशाला की प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर मेले-तमाशे और बाज़ार तक की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का सुधार हो, बिगाड़ नहीं। नीति की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवहार से दी जा सकती है। अहिंसा और सत्याग्रह की लड़ाई नीति की व्यावहारिक शिक्षा देती है, परन्तु इस तरह की शिक्षा देने के लिए उपयुक्त शिक्षक वही होसकते हैं, जो अपने जीवन में नीति और धर्म को व्यवहार में लाते हैं। शिक्षा ऐसों ही के हाथ में होनी चाहिए। जिसमें वास्तविक व्यवहार नहीं है, उसकी मौखिक शिक्षा का प्रभाव भी छात्रों पर नहीं पड़ सकता।

३. मंडलियाँ

जो शिक्षा आदमी को जीवन के लिए उपयोगी बनाती है उसका आरम्भ बड़े और समझदार होने पर होता है। जो आरम्भिक शिक्षा बचपन में मिलती है वह तो केवल उपयोगी शिक्षा पाने के लिए पात्र बनाती है। बड़े होने पर दिल और दिमाग़ दोनों के दोनों बढ़कर पात्र में शिक्षा की अधिक समाई पैदा कर देते हैं। ऊपर बताई हुई पाठशाला के सिवाय अनेक तरह की मण्डलियाँ गाँवों में स्थापित होसकती है, जिनसे कि शिक्षा भी मिले और गाँवों की भलाई का काम भी होसके। अमेरिका की एक कमेटी ने शिक्षा के ये सात उद्देश्य बताये हैं :—

१. स्वास्थ्य;
२. व्यावहारिक विधियों का ज्ञान;
३. कुटुम्ब का योग्य सदस्य होना;
४. पेशा;
५. ग्रामिकता;
६. अवकाश के समय का सदुपयोग; और
७. सदाचार

हमारे गाँव के लोगों की शिक्षा के लिए भी यही सातों उद्देश्य हमारी निगाह में उपयोगी जँचते हैं। इन सातों में ग्रामिकता एक महत्व का शब्द है। ग्रामिकता का भाव आज भी हर गाँव के रहनेवाले में मौजूद है। हर किसान अपने गाँव की बड़ी ममता रखता है और हर तरह पर उसकी भलाई चाहता है। अभी पंचायतों का संगठन नहीं हुआ है। जब होजायगा तब वे गाँव की सब तरह की भलाई करने और उसकी हर बुराई को दूर करने के लिए अपनेको जिम्मेदार समझने लगेंगी।

शुरू-शुरू में यह काम भिन्न-भिन्न मंडलियों के रूप में सहज में हो

सकेगा। शिक्षा पाने के लिए दस से लेकर अठारह वर्ष तक के लड़के और लड़कियाँ ओटने, धुनने, कातने और बुनने के काम के किए इकट्ठा बन्दोबस्त कर सकते हैं। अपने-अपने कामों का हिसाब रखें, इकट्ठे माल जमा करें, इकट्ठे ही बेचें और होड़ के साथ एक-दूसरे की देखा-देखी अपने-अपने काम में चोखाई पैदा करें। इसी तरह तरकारियाँ उपजाने में, शहद उपजाने में, उत्तम-से-उत्तम कपास उपजाने में, अच्छी-से-अच्छी भेड़ें पालने में, उत्तम-से-उत्तम घी-दूध के काम में, खदर की रंगाई-छपाई में, कपड़े के काट और सिलाई में, ऐसी मंडलियाँ बनाकर और होड़ लगाकर गाँव के लड़के और लड़कियाँ चोखे-से-चोखे काम करने लग जायेंगे और बढ़िया-से-बढ़िया माल तैयार होने लगेगा। इस शिक्षा के साथ-साथ कला की भी बढ़न्ती है। ऐसी ही मंडलियाँ पढ़ने-लिखने और अच्छे आचार-विचार के प्रचार में उपयोगी होसकती हैं।

लड़कों की यही मण्डलियाँ धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बड़ों की मंडलियाँ बन जायेंगी और सब तरह के गाँव के व्यवसायों में भी इस तरह बराबर उन्नति होसकती है। नये-नये साप्ताहिक या सप्ताह में दो-तीन बार वाले बाज़ार बढ़ाये जा सकते हैं। नये मेले और उत्सव कायम किये जा सकते हैं।

४. साक्षरता

हमारे देश में यह भारी भ्रम फैलाया गया है कि अक्षरों का ज्ञान ही बड़ी भारी शिक्षा है। यह भ्रम फैलाकर और आरम्भिक शिक्षा में कमी करके भारतवासियों को निरक्षर और नालायक बनाया गया है। इस समय सैकड़ा पीछे ७ से अधिक साक्षर नहीं हैं। यह विदेशी हुकूमत का प्रसाद है। यद्यपि यह हम जानते हैं कि शिक्षा और साक्षरता एक ही चीज़ नहीं हैं, तो भी निःसन्देह साक्षरता में बड़ा सुभीता है, इसलिए

इसका प्रचार जोरों से होना चाहिए। नागरी अक्षरों का सिखाना बहुत आसान है। कोई स्वयंसेवक चाहे तो एक महीने में नित्य शाम को पढ़कर सारे गाँव को साक्षर भी कर सकता है और चरखा कातना भी सिखा सकता है। जहाँकी मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहाँ भी इसी तरह वहाँकी मातृभाषा की आरम्भिक शिक्षा दी जा सकती है। मातृभाषा की आरम्भिक शिक्षा और अक्षर-ज्ञान सहज है। देवनागरी की तरह वह भी हर तरह पर सुलभ होसकता है। जबतक गाँवों को पूरा स्वराज्य प्राप्त नहीं होजायगा, तबतक तो शुरू-शुरू में काँग्रेस के स्वयंसेवकों को हर गाँव के लिए एक महीने भर का काम जरूर करना पड़ेगा। हर ज़िले में काफ़ी बड़े-बड़े मदरसे हैं, जहाँके बड़े लड़के एक साल गर्मी की छुट्टी का एक महीना सहज में दे सकते हैं। इस तरह अगर काँग्रेस अपने-अपने जिले में कसकर काम करे तो एक साल में ही सैकड़ों पीछे सात के बदले साक्षरों की संख्या सत्तानवे होजाय। साक्षरता इस तरह बढ़ जाने पर अच्छी-से-अच्छी कोई पोथी किसान के हाथ में दी जा सकती है, जिसे वह पढ़कर समझ सके और सीखे हुए अक्षर भूल न जाय। हिन्दी बोलने-वाले प्रान्तों में तो तुलसीदासजी के 'रामचरितमानस' से बढ़कर कोई उपयोगी पोथी नहीं होसकती। राष्ट्रभाषा की दृष्टि से भी इसी पोथी का अन्य प्रान्तों में प्रचार होसकता है, जैसा कि दक्षिण में होरहा है।

ग्राम-संगठन का पहला काम शिक्षा है। इसके बिना कोई काम शुरू नहीं होसकता। यह काम गाँववाले आरम्भ नहीं कर सकते। यह तो काँग्रेस को ही करना पड़ेगा। सातवें अध्याय में हमने यह दिखा-लाया है कि संगठन का काम कैसे शुरू किया जाय।

: १० :

रक्षा-पंचायत

शान्ति के समय में चोरों, डाकुओं, हत्यारों, ठगों और इसी प्रकार के और अत्याचारियों से रक्षा करने के लिए पुलिस का बन्दोबस्त होता है और युद्ध के समय में देश के जान-माल की रक्षा के लिए सेना रक्खी जाती है। इसका मतलब यह है कि देश के बाहर से जब कभी अपने देश पर चढ़ाई हो तो दुश्मन का मुकाबला किया जाय। यह मुकाबला हथियारों से ही होता है और इसमें एक-दूसरे को पीड़ा पहुँचाई जाती है। खून बहाया जाता है और अच्छे-से-अच्छे वीर देश की रक्षा के लिए जान देते हैं। परन्तु कोई किसी देश पर चढ़ाई क्यों करता है ? साधारणतया यही बहाना किया जाता है कि अमुक देश ने हमारी अमुक हानि की है, हमारे साथ अमुक बुरा सलूक किया है, इसलिए हम उसका बदला लेंगे। परन्तु अच्छी तरह विचार करके देखा जाय तो सब झगड़ों की तह में लोभ, क्रोध, बदला लेने का भाव, अपने पशुबल का नशा, और इसी तरह के नीच विकार ही काम करते रहते हैं। चोर, डाकू, लुटेरे और ठग भी जो कुछ प्रजा पर अत्याचार करते हैं उसकी तह में भी काम, क्रोध लोभ, मद, मत्सर आदि नीच वृत्तियाँ काम करती रहती हैं। सत्याग्रह और अहिंसा की भारी लड़ाई के बाद भी हमको ऐसा न समझना चाहिए कि मनुष्य का स्वभाव एकदम बदल जायगा और काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर का संसार से लोप होजायगा। ये विकार तो सृष्टि के साथ हैं, ये न हों तो सृष्टि का

विकास नहीं होसकता । हाँ, एक बात है, कि इस समय बहुत-सी चोरी, डाके, लूट आदि दरिद्रता के कारण भी होते होंगे । स्वराज्य के होने पर इनकी गिनती जरूर कम होजायगी । परन्तु ये अपराध मनुष्यों से थोड़े-बहुत होते ही रहेंगे और इनसे प्रजा की रक्षा की जरूरत बाकी ही रहेगी ।

भारतवर्ष में अहिंसा और सत्य की जब पूरी तरह पर विजय हो जायगी तब एक देश के दूसरे देश पर चढ़ाई करने का जोखिम जरूर ही मिट जायगा । इसलिए पशुबल की सेना रखने की जरूरत जब प्रान्तों को ही पड़ने की सम्भावना नहीं है, तो गाँवों को तो इसकी जरूरत पड़ ही नहीं सकती । चोरों-डाकुओं से रक्षा करने के लिए पुलिस की तो जरूरत होती ही है । गाँव का सेवादल ही गाँव के लिए जरूरी पुलिस का काम करे, इस दल का संगठन बहुत उत्तम रीति से होना चाहिए । इसकी उचित शिक्षा होनी चाहिए । चोरों से मार खाकर और अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें पकड़ लेना और फिर न्याय की पंचायत के सामने उन्हें हाजिर करना उनका कर्तव्य होना चाहिए । अभियोग सिद्ध होजाने पर अभियुक्त को दंड देना न्याय-पंचायत ही का काम है । यह दंड भी न्याय-पंचायत का कर्तव्य होगा और शायद यह दंड बिलकुल नये ढंग का हो, परन्तु इस दंड से चोरी घट जायगी । डाकों में और लूट में कमी होजायगी । प्राचीन काल के दंडों की तरह न तो दाहिना हाथ कलम करने की जरूरत है और न कौड़ों से मारने की आवश्यकता है । चोरी का कारण दरिद्रता हो तो उसे मिटा देना समाज का कर्तव्य होगा । जाति-जाति की और पेशे-पेशे की पंचायतें अपनी ओर से अपने अपराधियों को सामाजिक दंड देंगी और इससे अगर आचरण का सुधार न हुआ तो इस तरह के बन्दीखाने भी रखने होंगे जिनमें बन्दी से अच्छा सलूक किया जायगा । उसे सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी जायगी और उसे

कोई-न-कोई धर्म का ऐसा धन्धा सिखाया जायगा कि वह अपने सुधार की मियाद काटकर ईमान की मेहनत करके कमाने-खाने लगेगा। यह कोई खयाली बात नहीं है। मेगस्थनीज़ ने लिखा है कि भारतवर्ष में लोग मकानों में ताले नहीं लगाते थे और चोरियाँ सुनने में नहीं आती थीं। बहुत सम्भव है कि हाथ काटने के बहुत कठोर और अमानुषी दंड के भय से उस समय चोरियाँ कम होती हों। परन्तु उनका नाम जो नहीं सुना जाता था उसका कारण नैतिक सुधार ही हो सकता है, क्योंकि उसीके लगभग कठोर वध का दंड थोड़े ही समय पहले इंगलिस्तान में दिया जाता था तब भी वहाँ चोरियाँ इतनी घटी हुई नहीं थीं। शिक्षा और सामाजिक दंड से नैतिक अपराध बहुत घटाये जा सकते हैं।

जान-माल की रक्षा केवल चोरों और डाकुओं से ही नहीं की जाती। फैलनेवाले रोगों से इतनी जानें जाती हैं कि उनका मुक्काबला युद्ध में मरनेवालों से सहज ही किया जा सकता है। आग लगने से किसानों के खलिहान-के-खलिहान भस्म होजाते हैं। घर-द्वार नष्ट होजाता है। जब एकाएकी बाढ़ आजाती है तो गाँव-का-गाँव उजड़ जाता है। आदमी और पशु डूब जाते हैं और बह जाते हैं। खेती-बाड़ी तबाह होजाती है। जब टिड्डी-दल की चढ़ाई होती है तो हाहाकार मच जाता है और वह दुर्भिक्ष पड़ता है कि टिड्डियों को आदमी खाजाते हैं और टिड्डियाँ आदमी को खाजाती हैं। ऐसी दशा में भी रक्षा करने की आवश्यकता होती है। गन्दगी के कारण अनेक रोग फैल जाते हैं और संयम और सफ़ाई न रखने से आदमी जवानी में ही बूढ़ा होजाता और बुढ़ापा आने के पहले ही मर जाता है। इसलिए जान और मान की रक्षा इन उपद्रवों से करने की ज़रूरत है।

सचाई, अहिंसा और न्याय-बुद्धि के भाव की कमी से आये दिन

आपस के झगड़े गाँवों में भी होते रहते हैं। ये झगड़े भी होते ही रहेंगे। इनको निपटाने के लिए आज कचहरियों के जाल में फँसकर किसान बरबाद हो रहा है और अदालतों का उनकी बरबादी की बदौलत रोज़-गार चलता है। उनमें जाने से किसानों का कल्याण न होगा। गाँव की न्याय-पंचायतों से ही गाँववाले का भला हो सकता है।

इस तरह रक्षा-पंचायत के तीन विभाग तो जरूर होने चाहिए— (१) पहरा-दल, (२) स्वास्थ्य-रक्षा-मण्डल, और (३) न्याय-पंचायत। पहरा-दल सेवा-दल का वह भाग होगा जो अपने पहरे बाँधकर बारी-बारी से बस्ती के भीतर गश्त लगाया करेगा। ऐसी दशा में किसी एक चौकीदार के रखने की जरूरत न होगी। आग लगने पर, बाढ़ आने पर, टिड्डी आदि के उपद्रवों पर इसी दल को काम करना चाहिए। ऐसी सार्वजनिक विपत्तियों के आने पर इस पहरेवाले दल की सहायता सारा गाँव करेगा। परन्तु साधारण अयस्था में यह पहरा-दल ही काफी होगा।

स्वास्थ्य-रक्षा-मण्डल का काम बहुत भारी होगा। हर किसान को सफ़ाई और संयम के साथ रहने के लिए शिक्षा देनी होगी। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, शरीर और कपड़ों की सफ़ाई कैसे रखनी और कैसे नहाना-धोना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, अपने कपड़ों की सफ़ाई कैसे रखनी चाहिए, अपने घर-द्वार को कैसे शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए और किस तरह अपने हाथों से ही अपने सफ़ाई के सारे काम करने चाहिए—ये सब बातें हर किसान को मालूम करानी चाहिए और हर बच्चों को सिखानी चाहिए। इस तरह की स्वास्थ्य-शिक्षा का प्रचार इसी मण्डल का काम होगा। परन्तु गाँवों में सबके घरों से नालियाँ बहती हैं, जिनसे गलियों में बड़ी गन्दगी रहती

है। मकान के सामने घूरा है, जिसमें कूड़ा-कचरा सड़ा करता है। गन्दी नालियों में गन्दे कीड़े बिजबिजाया करते हैं। जहाँ गाय-बैल बाँधे जाते हैं वहाँ उनके मल-मूत्र से यों ही गन्दगी बनी रहती है। मकानों के पास ही अक्सर गड्ढे होते हैं, जिनमें बरसाती पानी भरा रहता है, कोई जमी रहती है और लकड़ी-पत्तियाँ और कभी-कभी मैला भी बहता रहता है। लोग उसीमें आबदस्त लेते हैं, कुल्ला करते हैं, मिट्टी मल-मलकर हाथ धोते हैं और लोटा माँजते हैं। इसी पानी में मच्छर का परिवार बढ़े जोरों से बढ़ता है और इन्हीं गड्ढों की बदौलत फ़सली बुखार फैलता है। गाँव के लोग मैदान में, खेतों में, घरों के पास बेधड़क पाखाना फिरते हैं। मैला सड़ता और सूखता रहता है। उसपर मक्खियाँ भिनकती रहती हैं और अपने गन्दे पाँव लेकर वे बस्ती के भीतर घरों में जाकर भोजन के पदार्थों पर बैठती हैं और उन्हें गन्दा कर देती हैं। लोग जगह-जगह थूकते-ख़खारते हैं और जूठा-कूड़ा इधर-उधर डाल देते हैं। इन गन्दी आदतों से गाँववालों को मुक्त करना है। घरों की भी बड़ी दुर्दशा है। हवा और रोशनी के आने की गुंजाइश कम रहती है। भीतों पर और छतों में गर्द-गुबार, जाले, कीड़े-मकौड़े घिरे रहते हैं। बदन पर का कपड़ा दरिद्रता और आलस्य के कारण बहुत दिनों तक न तो बदला जाता है और न धोया जाता है। बच्चों के मुँह पर लीबड़ लपटा हुआ है। गन्दी जगह लोट रहे हैं। माता-पिता को जब अपनी सफ़ाई का ध्यान नहीं है तो लड़कों की सफ़ाई का क्या होगा ? गोबर-सा उत्तम और सोने के बराबर क्रीमती खाद पाथ कर जला दिया जाता है। आदमी का मैला ऊपर-ही-ऊपर सूखकर बीमारी फैलाने का कारण होता है। प्राचीन काल में गोबर और गोमूत्र में लक्ष्मी का बास इसीलिए था कि ये चीज़ें खाद के काम में आती थीं। खेत में गड्ढे बनाकर और अगर ज़रूरत

हो तो मामूली टट्टी लगाकर गाँव के लोगों के बैठने के लिए बहुत-से पाखाने बन सकते हैं। इस तरह जिस खेत को खाद देकर बलवान करना मंजूर हो उसमें नालियाँ खोद-खोदकर और पट जाने पर टट्टियाँ हटाकर सारे खेत का सुधार भी होसकता है और हर फरागत होने-वाला अगर उठते समय मैले को काफ़ी मिट्टी से ढकता जाय तो न तो गाँव में मक्खियों द्वारा गन्दगी फैले और न आदमियों की आँखों को, नाकों को और तन्दुरस्तों को किसी तरह का कष्ट पहुँचे। गाय-बैल के मूत्र को इकट्ठा करने के लिए चोबन्चे बन सकते हैं, जिनमें खेत की सूखी मिट्टी इस तरह डाली जासकती है कि पेशाब उसीमें समा जाय और वह मिट्टी समय-मसय पर निकालकर अनाज और तरकारियों के खेतों में खाद की तरह छिड़क दी जाया करे। गोबर के लिए बस्ती से कुछ दूर पर या मैदान में एक इस तरह का गड्ढा बनाया जाय कि सारा रोज़-का-रोज़ उसमें डाल दिया जाया करे और उसको खेत की मिट्टी से इसलिए ढक दिया जाया करे कि गन्दगी न फैले और ज़रूरत पड़ने पर यही खाद खेतों में डाल दी जाया करे। यह 'एक पन्थ दो काज' वाला प्रबन्ध स्वास्थ्य-रक्षा-मण्डल के संगठन से ही होसकता है। मण्डल ही लोगों को सफ़ाई सिखा सकता है और ग़ाँच और संयम की उनसे प्रतिज्ञा लेसकता है।

गलियाँ, सड़के, चौपाल, मंदिर, मसजिद, कुएँ, तालाब, धर्मशाला, मराय, पाठशाला, खेलने के मैदान, अखाड़े, बाज़ार की जगहें, सभी सार्वजनिक हैं। स्वास्थ्य-मण्डल का यह कर्तव्य होगा कि इनकी सफ़ाई रखने का पूरा बन्दोबस्त उन लोगों से कराये जिनका इन जगहों से अधिक घना सम्बन्ध हो। इसी तरह इन जगहों की मरम्मत का बंदोबस्त भी स्वास्थ्य-मण्डल के ही जिम्मे होना चाहिए। ज़रूरत समझी जाने पर

नई सड़कें, नई धर्मशाला, नये कुएँ, पाठशाला आदि तैयार कराने का बन्दोबस्त भी उसे ही करना होगा। यह सब काम गाँव की किसान-सभा के खर्च से हो, चन्दे से हो, किसीके दान से हो, या गाँववालों की आपस की शारीरिक मेहनत-मजूरी से हो, चाहे जैसे हो, परन्तु होना जरूरी है।

गाँव में आवश्यकता समझी जाय तो अस्पताल बनाना भी स्वास्थ्य-मण्डल का ही काम होगा। परन्तु उसे यह तो हर हालत में देखना होगा कि गाँव के आसपास पाई जानेवाली काष्ठ-औषधियाँ, पथ्याहार, जल, मिट्टी, वायु, धूप, व्यायाम, मालिश आदि स्वाभाविक और सुलभ विधियों से इलाज करनेवाला कोई समझदार वैद्य गाँव में है या नहीं। न हो तो एक किसी ऐसे वैद्य की जरूरत गाँव के ही किसी रहनेवाले को यह काम सिखलवाकर पूरी करनी चाहिए। महामारी, हैजा, चेचक, फसली ज्वर आदि फैलनेवाली बीमारियों के होजाने पर किसानों की रक्षा करने के लिए, या इसी तरह की लगनी या पसरनी बीमारियों से पशुओं को बचाने के लिए, सदा उचित उपायों से सजग रहना स्वास्थ्य-मंडल का ही काम होगा। इस तरह पर प्राणों की रक्षा करने के उपाय करना स्वास्थ्य-मंडल का एकमात्र कर्तव्य होगा।

स्वास्थ्य-रक्षा-मंडल के दफ्तर में जन्म, स्वास्थ्य की दशा और रोज़गार की हालत और मरण तक का सारा विवरण हर मानव-प्राणी का रहा करेगा और हर दसवें बरस अंकों का मुक्ताबला करके एक रिपोर्ट तय्यार की जायगी, जिससे पता चलेगा कि गाँव के जनबल ने कितनी उन्नति की है।

न्याय-मण्डल का काम भी जान-माल और नीति व सत्य की रक्षा का ही है। न्याय-पंचायत में वही लोग चुने जाने चाहिए जो गाँव में निडर, ईमानदार और परमेश्वर से डरनेवाले समझे जाते हों और जो

किसीका पक्षपात न करते हों। रक्षा-पंचायत ऐसे ही आदमियों को चुनकर न्याय-मण्डल में रखेगी। जिसे नालिश करनी होगी उसे न्याय-मण्डल के सदस्यों में से दो को अपना पंच चुनकर अपनी फरियाद उनसे कह देना होगी। ये दो सज्जन न्याय-मण्डल के मंत्री से मुद्दालेह को बुलवावेंगे और उनसे अपने दो पंच और चुनवा लेंगे। चारों मिलकर एक सरपंच उसी मंडल के सदस्यों में से चुन लेंगे और पाँचों मिलकर पंच की कचहरी का समय ठहराकर मुद्दई-मुद्दालेह को सूचना दे देंगे। इस ठहराये हुए समय पर पंच की अदालत बैठेगी और फैसला कर देगी। फैसला पंचायत-मंडल की पोथी में लिखा जाया करेगा। इन पंचों के फैसले पर अपील किसान-सभा में हो सकेगी। परन्तु गाँव के भीतर के झगड़े उस गाँव की किसान-सभा से आगे न जा सकेंगे।

एक गाँव के जो झगड़े दूसरे किसी गाँव से होंगे उनके लिए दोनों गाँवों से चुने हुए पंचों की कचहरी में उनका मुकदमा होगा और अगर कई गाँवों में कोई झगड़ा फैला तो हर गाँव से न्यायी प्रतिनिधि चुने जायेंगे, किसी केन्द्र में कचहरी बैठेगी, पाँच से अधिक सदस्य हो सकेंगे और उनके फैसले की अपील बड़ी केन्द्रस्थ किसान-सभा में हो सकेगी। इस किसान-सभा का फैसला ही आखिरी होगा।

व्यवसाय-पंचायत

किसान के मुख्य-मुख्य तीन व्यवसाय हैं—(१) खेती, (२) गोपालन, और (३) वाणिज्य-व्यापार। इन्हीं तीनों व्यवसायों के अन्तर्गत गाँवों के रहनेवालों के सभी पेशे आजाते हैं। हल, चरखे, चरखी आदि बनाने के लिए लोहार, बड़ई आदि, मोट, ताँत आदि बनाने को और मरे पशुओं को काम में लाने को चमड़े आदि के व्यवसायी चमार, बांस की चीजें बनाने को बंसफोर आदि तो खेती के अंग ही समझे जाने चाहिएँ। परन्तु खेती करनेवाले को कपड़े चाहिएँ, उनके धोनेवाले चाहिएँ, रंगने और छापनेवाले चाहिएँ, बरतन बनानेवाले चाहिएँ, हजामत के लिए नाई चाहिए। ये तो जीवन के लिए जरूरी बातें हुई। परन्तु मनुष्य केवल खाने-पहने पर ही अपना जीवन निर्भर नहीं करता। उसे सौन्दर्य और कला की भी जीवन की सुखी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। निदान, जितने पेशे हैं, जितने शिल्प हैं, सभी खेती के अधीन हैं। सबका विकास गाँव से ही आरम्भ होता है। शहरों में बस्ती बड़ी होने से और राजा, साहूकार, महाजन तथा राजपुरुषों के अपनाने से शिल्प-कला एवं ललित कलाओं का विकास अपनी पराकाष्ठा को पहुँचता है। गाँव से ही आरंभ होने के कारण सभी पेशे और सभी कला के लोग गाँवों में पा जाते हैं। इनमें से बहुत-से व्यवसायी ऐसी वस्तुयें तैयार करते हैं जं गाँवों के भीतर खर्च होजाने पर भी बच रहती हैं और जिनको खपां के लिए उन्हें ऐसे गाँवों में भोजना जरूरी होता है जहाँ वस्तुयें कम तैया

होती हैं, या नहीं तैयार होतीं। इसके लिए जगह-जगह हाट और बाज़ार खुलते हैं, जहाँ बेचने और खरीदनेवाले जुटते हैं। सुभीते के लिए गाँव के बिकनेलायक माल इकट्ठे करके लोग लेजाते हैं और एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ ग्राहक जुटते हों। इस तरह खेती के काम में जैसे केवल खतने नहीं बल्कि और तरह से उपजे माल भी शामिल हैं, उसी तरह वाणिज्य में खेती ही नहीं बल्कि कारीगरों के बनाये, खानों से निकले, जंगलों से संग्रह किये, सभी तरह के माल शामिल होते हैं। इसी तरह गोपालन में मुख्य काम गाय-बैल का पालना है, परन्तु गोपालन के साथ-साथ भेड़, बकरी, भैंस, घोड़े, गधे, सुअर आदि पशु और बत्तख, मुरगी आदि पक्षी भी शामिल हैं। बहुत जगह मछली मारना भी पेशा है और खेती के ही अन्तर्गत समझा जाता है। यह “पालन” नहीं है। इसी तरह पशुओं और पक्षियों का शिकार करना, “व्याघ्र” आदि का काम भी गाँवों में होता है। परन्तु जो हत्या के काम हैं, वे रक्षा के कामों में शामिल नहीं होसकते। किसान का काम रक्षा का है, हत्या का नहीं। हमारे प्राचीन ग्रन्थों में व्याघ्र, चांडाल, कुत्ते खानेवाले, कसाई, चिकवा आदि हत्यारों के लिए गाँव से बाहर रहने की जगहें होती थीं। इनका हत्या का पेशा ऐसी घृणा से देखा जाता था कि ये बड़े अपवित्र और गन्दे समझे जाते थे। परन्तु समाज में इनकी जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए इनके उपयुक्त गन्दा काम देखकर बदले में इन्हें मजदूरी दी जाती थी। यही नीच श्रेणी के शूद्र थे। नीच श्रेणी के शूद्र आज भी मौजूद हैं। इन्हें उठाने की कोशिश होरही है। ये शिल्प-कर्म करने लगजायें और हत्या के कर्म छोड़ दें तो समाज के लिए बड़े ही उपयोगी होजायें।

गाँवों को पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी और शिक्षक इन चारों की भी ज़रूरत है। ये चारों भी व्यवसाय हैं, परन्तु विद्या-सम्बन्धी हैं। किसानों

के लिए इनकी भी जरूरत है, परन्तु इनकी अदला-बदली या बँटाई की जरूरत नहीं पड़ती। इनको ऊँचे प्रकार की मजूरी में गिन सकते हैं। इसी लिए व्यवसाय-पंचायत में इनके शामिल होने की जरूरत नहीं है।

इस प्रकरण में हम उन्हीं व्यवसायों के संगठन पर विचार करेंगे जो सम्पत्ति को उपजाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको प्रजा में उचित रीति पर बाँटते हैं और परस्पर अदला-बदली करते हैं।

व्यवसाय-पंचायत का उद्देश्य यही होना चाहिए कि सम्पत्ति उपजे और बढ़े, प्रजा में जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार उचित अदला-बदली होती रहे, उसकी बँटाई ठीक क्रम से हो, और उबरे हुए माल को उन लोगों में सहज उपाय से पहुँचाया जाय जिनको उसकी जरूरत है। इन उद्देश्यों का सबसे उत्तम साधन यही है कि व्यवसाय के संबंध में व्यवसायी लोग जितने काम करें वे इकट्ठे मिलकर करें। इसीलिए व्यवसाय-पंचायत का यही काम होगा कि वह अपनी ओर से सहयोग-समितियाँ बनावे।

सहयोग-समितियाँ सरकार की ओर से देश में बनीं सही, परन्तु वे उस हवेली की तरह तैयार हुई जिसकी नींव आकाश में दी गई हो। तात्पर्य यह कि गाँव के रहनेवालों के सुभीते के लिए जो संस्था बने उसे तो गाँवों में ही पैदा होना चाहिए और बढ़ते-बढ़ते देश में फैलकर बड़ा रूप धारण करना चाहिए, पीछे उसकी रक्षा के लिए चाहे सरकार कानून भले ही बनादे। वर्तमान सरकार की सहयोग-समितियाँ ठीक विपरीत विधि से बनी हैं। इसीलिए न तो उनसे जितना चाहिए उतना लाभ होसका और न प्रचार ही होसका। उनमें एक बड़ा और अनिवार्य दोष यह है कि उनसे दरिद्र और कंगाल किसान लाभ नहीं उठा सकता। यह दोष उन्हें और भी निकम्मी कर देता है।

खेती करनेवाले अपनी सहयोग-समिति खेती के सुभीते के लिए बनाकर बहुत लाभ उठा सकते हैं। मानलो कि चार किसानों के पास चार-चार बीघे ही खेत हैं। एक हल और एक जोड़ी बैल तो उनमें से हरेक को चाहिए। इस तरह अलग-अलग तो उन्हें चार हल और चार जोड़ी बैलों की जरूरत हुई। पर चारों मिलकर काम करें तो दो जोड़ी बैलों और दो हलों से काम चल सकता है। उन्हें बीजों की जरूरत पड़ी। हरेक फुटकर खरीदेगा तो महँगे पड़ेंगे। अगर इकट्ठे सब मिलकर खरीदेंगे तो सस्ते पड़ेंगे। मिलकर कुएं खुदवाने और इकट्ठे काम लेने में भी इसी तरह सुभीता होगा। खड़ी फसल की रक्षा करने के लिए भी परस्पर सहायता काम में आती है। अनाज की बिक्री के समय भी बाहरी व्यापारी से भाव के निश्चय में, रुपयों के लेन-देन में सहयोग लाभदायक है। बिकने के लिए माल को बाज़ार एकसाथ भेजने में भी सुभीता है। इसी तरह गाँव में जरूरी माल के मँगवाने में भी मिलकर काम करने में ही सुभीता है। इस तरह किसान अगर मिलकर काम करें तो बड़ी किफ़ायत से उनका काम होसकता है। व्यवसाय-पंचायत का काम है कि वह अपने प्रबंध से खेती करनेवालों की ग्राहक-मंडली, साहूकार-मंडली आदि सहयोग-मंडलियां बनाकर सुभीते से काम होने का बन्दोबस्त करे।

गाँवों में कई पेशेवाले होसकते हैं। कहीं-कहीं तो गाँव-के-गाँव कुम्हारों से ही बसे हैं। किसी गाँव में कोरी-ही-कोरी या जुलाहे-ही-जुलाहे हैं। इस तरह के गाँवों में तो कुम्हारों, कोरियों या जुलाहों की मंडली आसानी से बन सकती है। गाँवों में जो पेशेवाले प्रधान हों उनकी मंडली उसी गाँव के लिए होनी काफ़ी है। परन्तु अधिकांश गाँव तो मिले-जुले लोगों से ही बसे होते हैं जिनमें प्रधान बस्ती किसानों की ही

होती है। इनमें तो किसानों की विविध सहयोग-मंडलियाँ बन ही जायँगी। परन्तु इन मिली-जुली बस्तियों में जो इक्के-दुक्के पेशे वाले रहते हैं, उन्हें भी सहयोग करनेवाली पंचायतों के लाभों से वंचित न रहना चाहिए। ऐसे मिले-जुले सौ-पचास गाँवों के रहनेवाले हर पेशे-वालों की अपनी मिली-जुली पंचायत वा मंडली होनी ही चाहिए। जैसे कुम्हार, लोहार, सोनार, धोबी, नाई, तेली चमार आदि दो-एक घर तो हरेक गाँव में होने ही चाहिए। इस तरह के पचास गाँवों में पचहत्तर या सौ घर तो जरूर होंगे। जहाँ इनकी इस तरह की पंचायतें नहीं हैं वहाँ इनकी पंचायतें या मंडलियाँ बन जानी चाहिए। इनकी रचना इन पेशेवाले अपनेआप न करें तो गाँवों की व्यवसाय-पंचायतों को आपस में मिलकर इनकी इस काम में सहायता करनी चाहिए।

कारीगरों की मंडलियाँ तो विशेषरूप से इसलिए बननी चाहिए कि उनकी कला बराबर उन्नति करती जाय और जनता के लिए वे जो काम करें वह उत्तम-से-उत्तम हो। उसमें सचाई और नीति पूरी तौर से बरती जाय। कोई कारीगर अपने पवित्र धर्म में खोटाई करे, सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग से डिग जाय, या कला की हानि करे, तो उसकी मंडली की ओर से उसे कड़े-से-कड़ा दंड दिया जाय।

व्यवसाय की जितनी मंडलियाँ हों उन सबका एक ही लक्ष्य यह सचाई और ईमानदारी, उपकार और अहिंसा की पूरी रक्षा करते हुए उस व्यवसाय की हर तरह पर उन्नति बराबर होती ही जाय।

व्यवसाय-पंचायत का काम अपने अन्तर्गत सहयोग की मंडलियाँ खोलकर ही पूरा नहीं होजाता। सहयोग-मंडलियों का निर्माण उसका मुख्य काम है, परन्तु साथ ही उसका यह भी कर्तव्य है कि अपने गाँव की परिस्थिति को अच्छी तरह ध्यान में रखकर खेती, पशुपालन और

वाणिज्य में जिन-जिन उपायों से उन्नति होसके वे उपाय स्वयं करे और मंडलियों से करावे । कृषि-विभाग से सहायता ले, कृषि-शास्त्र का अनुशीलन करके निरन्तर सुधारों पर विचार करता रहे । इस तरह पर खेती करावे कि अधिक-से-अधिक उपज बढे । सिंचाई का उत्तम-से-उत्तम बन्दोबस्त करे । माल की ढुलाई के लिए उचित उपाय करता रहे और गाँवों से बात-चीत करके अपने यहाँका उबरा माल दूसरे गाँवों में और दूसरे गाँवों का उबरा माल अपने गाँवों में मँगवाकर बँटवावे या खपवावे, जिससे कहीं आवश्यक माल जमा होकर न रह जाय ।

व्यवसाय-पंचायत बराबर नये व्यवसायों की खोज में भी रहेगी और गाँवों के बेकारों को भरसक काम दिलाने का जतन करती रहेगी । वह यह भी देखभाल रखेगी कि गाँव में कितने दरिद्र ऐसे हैं कि काम कर लेने पर भी उन्हें खाने-पहरने को काफ़ी नहीं मिलता और वे दरिद्रता के कारण सफलता से कोई काम नहीं कर सकते । गाँव के ऐसे कंगालों को मदद देकर उभारना और उन्हें ऊँचे उठाकर अपने पैरों पर खड़ा करना व्यवसाय-पंचायत का परम-कर्तव्य है । यह सब सुधारों का एक ही सुधार है ।

व्यवसाय-पंचायत को गाँव के लोगों के खर्च पर भी अंकुश रखना होगा । तीज-त्योहार पड़ने पर भी गाँव का कोई परिवार सीमा से बाहर खर्च न कर सकेगा । परिवार में जब कभी काम-काज पड़ेगा, परिवार के नायक का कर्तव्य होगा कि वह व्यवसाय-पंचायत से अनुमति लेकर खर्च करे । जो मनुष्य ऋणी होगा, उसे तो काम-काज, त्योहार-उत्सव आदि पर अपना भी अधिक खर्च करने का अधिकार न होगा । उसके उत्सवों में उसके और समृद्ध पड़ोसी उसे निमन्त्रण करके उसके त्योहार को तबतक पूरा करते रहें जबतक वह कर्ज से छुटकारा न पा

जाय। यह तपस्या है, संयम है; इसे किसीको बुरा न समझना चाहिए।

व्यवसाय-पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि भरसक थोड़ा-बहुत मूल ऋण चुकाने का हरेक ऋणी के लिए बन्दोबस्त करती रहे और साहूकार पर अंकुश रखे कि वह अत्यन्त हलके ब्याज से ही ऋणी को छुटकारा देदे।

व्यवसाय-पंचायत का यह भी कर्तव्य होगा कि जिन लोगों के पास कोई मिल्कियत न हो और वे ऐसी मिल्कियत खरीदना चाहें कि जिसमें वे गुजर-बसर कर सकें, तो उनके लिए ऐसी छोटी मिल्कियत के खरीदवाने में भरसक सहायता करे।

व्यवसाय-पंचायत का एक विभाग ऐसा होगा जो हर किसान के व्यवसाय का ब्योरा अपनी बही में रखेगा। इसी विभाग के अधिकार में गाँव का पटवारी और उसका दफ्तर भी होगा। उसकी सारी देख-भाल पंचायत करेगी और पटवारी का वेतन पंचायत देगी।

व्यवसाय-पंचायत के सम्बन्ध में हमने विविध पेशों और जातियों की मण्डलियों की चर्चा की है। परन्तु यह सभी जानते हैं कि विविध जातियों का संगठन देश में मौजूद है। सबकी पंचायतें हैं। ये पंचायतें पहले पेशे की रही होंगी, परन्तु आज उनका संगठन पेशे की भलाई या उन्नति के लिए नहीं मालूम होता। उनके सामने तो आज केवल रोटी और बेटी के प्रश्न उपस्थित होते हैं। वे पंचायतें सामाजिक हो गई हैं, व्यावसायिक नहीं हैं। परन्तु प्रायः हर जाति का नाम उस जाति के पेशे की सूचना देता है। जान पड़ता है कि हिन्दू-समाज का प्राचीन संगठन पेशों के अनुसार था और उसकी पंचायतें भी उन-उन पेशों की रक्षा और उन्नति के लिए थीं। यह बात भी सही है कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी के एक ही व्यवसाय में लगे रहने से उस व्यवसाय में पूर्णता आजाती है। उस

वंश का आदमी उस व्यवसाय में कुशल, दक्ष और परिपूर्ण हो जाता है। माता-पिता की कुशलता और दक्षता का प्रभाव सन्तान पर पड़ता ही है। सहवास और सहभोजन इसमें सहायक होता है। इसीलिए ये व्यावसायिक पंचायतें प्राचीन काल में इस बात पर बहुत कड़ी निगाह रखती होंगी कि एक व्यवसायवाले का रक्त-सम्बन्ध उसी व्यवसायवाले के साथ हो। सहभोज और सहवास भी भरसक विशेष व्यवसाय के भीतर ही हो। काल पाकर उस विचार का केवल अन्तिम अर्थात् रोटी-बेटी के सामाजिक व्यवहार का ही विषय उसका मुख्य ध्येय रह गया और व्यवसाय की रक्षा जो पहले मुख्य उद्देश्य था वह धीरे-धीरे गौण विषय हो गया। अब भी हमारी समझ में व्यवसाय को मुख्यता देकर इन जातियों की जीवित विद्यमान पंचायतों को हम ठीक मार्ग पर लगा सकते हैं और बने-बनाये काम को सुधार सकते हैं। मेरी समझ में जाति-पाँति के तोड़नेवाले भूल पर हैं और उनकी निर्दिष्ट क्रान्ति बड़े परिमाण में सफल भी नहीं होसकती। बने-बनाये काम को नासमझी से बिगाड़ने का प्रयत्न समीचीन नहीं समझा जा सकता। जाति-पाँति ने ही हिन्दू-समाज की रक्षा की है। स्वतन्त्रता खोने का दायित्व इनपर नहीं है।

व्यवसाय-पंचायत को हमारे गाँवों में बड़े परिश्रम का काम करना है। खेती का काम चौपट होचुका है। खदर का काम लोग भूल गये हैं। गोपालन और पशुपालन की कला का फिर से विकास करना है। वाणिज्य-व्यापार को फिर से चलाना है। हाट-बाज़ार का रंग बदलना है। मिल्कियत का भाव किसानों में पैदा करना है। उनके ऋण का बोझ उतारना है, उनका खर्च घटाना है, उन्हें खाना-कपड़ा देना है, जन-धन दोनों की रक्षा करके दोनों को बढ़ाना है। यह काम थोड़ा नहीं है। इसका सारा भार इसी पंचायत पर है।

शासन-समिति से सलाह लेकर व्यवसाय की नीति निर्धारित करना, रक्षा-पंचायत से मिलकर धन-जन की यथेष्ट रक्षा में पूरी सहायता लेना, शिक्षा-पंचायत से मिलकर गाँववालों को ऐसी शिक्षा देने के बन्दोबस्त में मदद देना जिससे कि खोये हुए व्यवसाय फिर मिल जायें और उनकी एक मिनट की शिक्षा भी निरर्थक न हो, और सेवा-पंचायत से मिलकर ऐसे उपाय करना कि गाँववालों की भयानक बेकारी मिटे—यह सहकारिता का व्यवहार व्यवसाय-पंचायत के लिए अत्यन्त आवश्यक होगा।

शासन और अर्थ-समिति को यही व्यवसाय-पंचायत समय-समय पर यह सलाह देगी कि गाँववालों से किस प्रकार किस हिसाब से कर लिया जाय, अथवा सभी कामों में किस प्रकार सहकारिता प्राप्त की जाय, और व्यवसाय की दशा देखकर ही खर्च का संयम किया जायगा।

सेवा-पंचायत

सेवा-पंचायत के दो विभाग होंगे । एक मजूर-मण्डली और दूसरी विहार-मण्डली ।

हर गाँव में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके कोई मिल्कियत नहीं है और न वे ऐसे समर्थ हैं कि जल्दी किसी मिल्कियत के अधिकारी हो सकें । यह मजूरी भी कई तरह की हो सकती है । किसीमें शारीरिक बल और परिश्रम अधिक चाहिए और किसीमें कम । किसीमें लगातार काम करना पड़ता है और किसीमें बीच-बीच में रुककर । जहाँ इंजन या बैलट चलता है वहाँ मजूर को लाचार हो निरंतर लगे रहकर बिना रुके काम करना पड़ता है । वहाँ उसे मनुष्य से यंत्र बन जाना पड़ता है । परन्तु हमारे सौभाग्य से यंत्र की विपत्ति गाँवों में नहीं है । यहाँके मजूरों को किसान का ही काम करना पड़ता है । अच्छा-खासा तगड़ा मजूर हल जोतता है, पटेलता है, बोता है, सिंचाई करता है, बैलों की सेवा करता है । रोपाई, निराई, कटाई, ढुलाई, ढँवाई आदि काम खेती के अन्तर्गत हैं । इसके सिवा गाड़ी जोतना और चलाना, भीत उठाना, घर की छवाई करना, लकड़ी काटना, पानी खींचना, दौरी चलाना आदि भी गाँव के मामूली काम हैं । इन सब कामों में भी साधारण कुशलता के बिना काम नहीं चलता । ये सभी बल और श्रम के काम हैं । जिसकी जीविका का और कोई साधन नहीं है वह काम करके मजूरी लेता है । जिस किसान से ये सारे काम अपने बूते से नहीं

होसकते वह मजूर रखकर काम लेता है। ये सारे काम प्रतिष्ठित और पवित्र हैं, और यद्यपि ये मजूरी लेकर किये जाते हैं तो भी जिसके लिए किये जाते हैं उसे तो मजूरी देकर भी मजूर का अहसान मानना चाहिए। मजूरी तो उस काम करनेवाले के निर्वाह के लिए दी जाती है, परन्तु वह जो अपनी स्वतंत्रता और समय और आराम को छोड़कर काम करता है वह विशेषरूप से “सेवा” करता है। सेवा पवित्र काम है। रुपये-पैसे या अन्न से उसका बदला नहीं होसकता। किसीके त्याग का बदला रुपये-पैसों के द्वारा नहीं दिया जासकता।

जिसके पास मिल्कियत है वह भी मेहनत करता है और वही मेहनत करता है जो मजूर करता है, परन्तु अपनी मिल्कियत पर आप ही जो काम करता है उसकी मजूरी न तो लेता है न जोड़ता है। इसी-लिए यह नहीं कहा जासकता कि वह मजूरी करता है; परन्तु उसका और मजूर का काम असल में एक ही है।

अनेक ऐसे मिल्कियतवाले भी हैं जो अपनी जमींदारी या साहूकारी की आमदनी पर जीते हैं, मेहनत करना अपना अपमान समझते हैं, आराम की, सुस्ती की और बेकारी की जिन्दगी काटते हैं। इनका काम मजूर करते हैं। ऐसे लोगों की गिनती साधारण किसानों में नहीं हो सकती। ये धनवान पूँजीपति समझे जासकते हैं।

हम देख चुके हैं कि साधारण किसान और मजूर गाँव में काम एक ही तरह का करते हैं। इनका काम घोर शारीरिक परिश्रम का है। इनमें कई काम इस तरह के हैं कि बगैर मिल-जुलके किये हो नहीं सकते। छप्पर उठाने के लिए बहुत-से आदमियों की मदद लेनी पड़ती है। फिर साधारण मजूरी के काम में भी एक मजूर दूसरे से अधिक कुशल होसकता है। इसीलिए मजूरों का संगठन होजाय और जो काम

मजूर करें वे अपनेसे अधिक कुशल मजूर से सीखकर अधिकाधिक उत्तमता से करें तो गाँव के सारे कामों में उन्नति होसकती है। खेतों को समथर बनाना, उनकी मेड़ें ऐसी बनाना कि पानी बहकर निकल न जाय, सिंचाई की नालियों की ढाल ठीक करना, उचित मात्रा में पानी पहुँचाना बहुत परख और बड़ी समझदारी का काम है। मूस, घूस, टिट्टी आदि से खेतों की रक्षा के उपाय करना बड़ी कुशलता का काम है। ये सब काम जो अच्छा सीखा हुआ है वही खेती की अच्छी मजूरी कर सकता है। गोपालन के काम में जो होशियार होगा वही बैलों की ठीक सेवा कर सकेगा। जोतना, बोना आदि भी कुशलता के काम हैं। मिट्टी की भीत भी टेढी-मेढी और पोली उठाना एक बात है और सीधी-सुडौल और ठस बनाना बिलकुल दूसरी बात है। सुन्दर कुआँ खोदना और बँधवाना बड़ी कारीगरी का काम है। इन सब कामों में कुशलता सबको एक ही ढंग से नहीं आसकती। जो कम अवस्था के हैं उनको बड़ी अवस्थावालों से सीखना ही पड़ता है। गाँव में सभी मजदूर सभी काम नहीं करते।

मजूरों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं। एक शिल्पी और दूसरे साधारण।

शिल्पी वे मजूर हैं जो विशेष प्रकार की कला में निपुण हैं और उसका रोजगार करते हैं। नोनिया नमक का रोजगारी है। वह कुएं भी खोदता है और बेलदारी भी करता है। तेली तेल पेलता है और बेचता भी है। कुम्हार मिट्टी के बरतन बनाता है, आवा लगाता है, खपरे बनाता है। ज़रूरत पड़े तो ईंट भी पाथे और पकावे। चमार चमड़े सिझाता है और चमड़े की सभी काम की चीजें बनाता है। सरेश, तांत आदि भी तैयार करता है। गडेरिया भेड़-बकरी पालता है, ऊन उतारता

है, कातता है, कम्बल आदि बनाता और बेचता है। बेंसफ़ोर बाँस काटकर सादी और चित्रित भाँति-भाँति की सुन्दर चीज़ें बनाता है। बढ़ई व लोहार लकड़ी और लोहे का काम करते हैं और अपनी ओर से सामान बनाकर बेचते भी हैं। सोनार सोने-चाँदी का काम करता है। निदान ये सभी शिल्पी मजूर हैं। कारीगर हैं और रोज़गारी हैं। इनकी अलग-अलग पेशेवाली पंचायतों की चर्चा हम कर आये हैं।

साधारण मजूर मोटे काम करते हैं और अपनी ओर से कोई रोज़गार नहीं करते। इनकी पंचायत भी होनी चाहिए। इनकी एक मंडली मजूर-मंडली बने जिसमें हलवाहे, बेलदार, पेशराज, दीवाल उठानेवाले, छप्पर छानेवाले, पानी भरनेवाले, डोली-बहूँगी ढोनेवाले, गाड़ीवान, चौकीदारी करनेवाले, हरकारे, नाई, बारी आदि सभी मोटे काम करनेवाले शामिल हों। इन्हें चाहिए कि अपने-अपने काम में बढ़न्ती करें और उन कामों को मुख्य रखकर, दूसरी तरह की कला—पढ़ना-लिखना, गाना-बजाना, चित्रकारी आदि—सीखें। अपने-अपने काम में सचाई, अहिंसा, त्याग, सेवा, धर्म आदि पर निगाह रखते हुए तरक्की करें।

२. विहार-मंडली

शासन, शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, सेवा सभी परिश्रम के काम हैं। दिनभर जो मेहनत करता है उसे खाने-कपड़े, नहाने-सोने आदि कामों के सिवा जी बहलाने और शरीर और मन की थकान मिटाने की ज़रूरत भी पड़ती है। ऐसा न करे तो उसका शरीर और मन दोनों जल्दी जवाब देदेंगे, और उसके जीवन के दिन घट जायँगे। बचपन की अवस्था खेल-कूद और निश्चिन्त रहने की अवस्था समझी जाती है। यह अवस्था तन्दुरुस्ती को ठीक रखनी है, आयु को बढ़ाती है और प्राणी को सुखी

रखती है। जिसका बचपन कभी नष्ट नहीं होता वह सदा सुखी रहता और दीर्घायु होता है। दिन के अन्त में कुछ समय सबके लिए ऐसा होना चाहिए कि चिन्ताओं से बिल्कुल अलग होकर खेल-कूद, गाना-बजाना, कथा-कहानी आदि में खर्च हो। यह प्रवृत्ति स्वाभाविक है। इसीलिए जहाँ कहीं इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को छुटकारे के साथ विचरने का अवसर नहीं मिलता वहाँ इस कमी की पूर्ति के लिए आदमी नशे के द्वारा अपनी चिन्ताओं को बिसराने का जतन करता है। शराब, ताड़ी, भंग, गांजा, चरस, अफीम, कोकेन, तमाखू आदि की लत इसीलिए पड़ जाती है। नशे से थोड़ी देर के लिए बेहोशी-सी आकर चिन्तायें तो दूर होजाती हैं, पर दिल, दिमाग, तन्दुरुस्ती, आयु, धन सभी नष्ट होते हैं। बैरी छल करना चाहता है तो नशे में करके सहज ही अपना मतलब साध लेता है। सब तरह का नशा मनुष्य का बैरी है और एक बैरी का दूसरे को मिलाकर अधिक बलवान बन जाना स्वाभाविक ही है। नशा-रूपी बैरी से छुड़ाने के लिए और गाँव में रहनेवालों के सौख्य और आयु को बढ़ाने के लिए हर गाँव में बिहार-मंडली का होना उसी तरह जरूरी है जिस तरह शिक्षा या रक्षा-पंचायत का। इस मंडली में गाँव के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हरेक के मन-बहलाव का बन्दोबस्त होना चाहिए।

मन-बहलाव भी दो तरह का होसकता है। एक तो वह जिससे मन-बहलाव में शरीक होनेवाले लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके। दूसरा वह जिसका उद्देश्य कोई विशेष लाभ न हो, केवल जी बहलाने का ही सामान हो। किसी-किसी में मन-बहलाव तो कम है पर लाभ अधिक है। जैसे दंड, बैठक, मुगदल आदि कसरत। इनसे स्वास्थ्य की रक्षा होती है और कसरत करनेवाले का बल और वीर्य बढ़ता है। इसम

लाभ बहुत है पर दंड, बैठक आदि में मेहनत बहुत है और मन-बहलाव कम है, साथ ही यह वह काम नहीं है जो थके शरीर पर किया जाय। खेती और बागवानी में जिन्हें पूरी मेहनत नहीं करनी पड़ती या जिनको इन कामों से छुट्टी मिल चुकी है उनके लिए इस तरह के व्यायाम बहुत जरूरी हैं। यह नियम होजाना चाहिए कि उन समयों में जब कि किसान को फुरसत रहती है, गाँव का हर नौजवान गाँव के अखाड़े में शरीक हो और दंड-बैठक के सिवाय लकड़ी, बनेठी, गदका, फरी, कुश्ती, मलखम्भ के खेल, दौड़ आदि सभी तरह के खेलों में शरीक हो। इनमें से दो-एक को छोड़कर तो बाक़ी में पूरा दिलबहलाव है। निशाना मारनेवाले खेल या जिनमें होड़ लगती है वे खेल तो बड़े लोकप्रिय समझे जाते हैं। व्यायाम केवल मनोरंजन की सामग्री नहीं है। इसे तो जरूरी काम समझना चाहिए और बीमारों को छोड़कर सबके लिए अनिवार्य होजाना चाहिए।

व्यायाम के बाद खेल-कूद का नम्बर आता है। गाँवों में बहुत तरह के खेल-कूद की चाल है। प्रायः सभी खेल हाथ-पाँव को मजबूत करनेवाले हैं। कबड्डी बहुत अच्छा खेल है। इसमें साँस का भी अभ्यास होता है और हाथ-पाँव भी मजबूत होते हैं। अभी हाल में मदरसों में स्काउटों या चरों के खेलों का प्रचार हुआ है। इनमें खेल भी है, मनोरंजन भी है, और समाज की सेवा भी है। चाहिए कि हर गाँव अपने नौजवानों को सेवा-रूप में संगठित करे। उन्हें मनोरंजन के साथ-साथ समाज-सेवा की यह उत्तम शिक्षा है।

सेवा-समिति के इन चरों को ऐसे सब तरह के काम सिखाये जाने चाहिए कि जिनकी आये दिन जरूरत पड़ा करती है और जिनके लिए समाज ने कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किया है। जैसे (१) आकस्मिक

चिकित्सा; (२) रोगी की सेवा; (३) आवश्यकता के समय पर गाँव की पहरेदारी; (४) आग, बाढ़ आदि विपत्तियों पर गाँव की रक्षा; (५) आवश्यकता पड़ने पर सेना का काम। खेल-कूद के सिवाय ये पाँच काम गाँव के चरों या सेवकों को पूरी तरह से सिखाये जाने चाहिए। यही सेवा-समिति समय पर शिक्षा-पंचायत, रक्षा-पंचायत और व्यवसाय-पंचायत की भी सहायता करेगी। इसे गाँव की सेना समझना चाहिए।

बच्चों, बूढ़ों, जवानों, स्त्रियों, पुरुषों के मन-बहलाव की सामग्री भी भिन्न-भिन्न होगी। गाने-बजाने में, कथा-पुराण में, मेले-तमाशों में तो सभी शरीक हो सकते हैं। परन्तु बच्चों के बहुत-से खेल आपस में ही खेलने के होते हैं। गुड़ों और खिलौनों के साथ खेलने में छोटे बच्चों को ही रस आता है। छोटे-छोटे किस्से-कहानियाँ, पहेलियाँ, बुझीवल जो बड़े-बूढ़े बच्चों से कहते हैं उनमें तो सबको रस आता है। इन्हींके सिलसिले में पुराणों की कथायें भी आती हैं। इनमें मन-बहलाव का मन-बहलाव है और अच्छी-से-अच्छी शिक्षा भी मिलती है। शतरंज, गंजफे और चौसर घर बैठे के खेल हैं। इनसे हाथ-पाँव मजबूत नहीं होते, परन्तु जो लोग खेतों में कड़ी मेहनत करके आते हैं और जिनके साथ खेलने को ज्यादा लड़के और हमजोली नहीं मिल सकते वे अपना कोई साथी खोजकर अगर ये खेल खेलें तो ज्यादा हर्ज नहीं है। परन्तु इन खेलों में फँसनेवाले खराब होजाते हैं। इसलिए भरसक इनसे बचना चाहिए।

कथा-पुराण से गाँववालों को सब तरह की शिक्षा मिल सकती है। हमारे देश में कथा-पुराण की रीति बहुत पुरानी है। पुराणों में अनेक तरह की शिक्षायें और विद्यायें मिलती हैं। गाँववालों को किसी

विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं हैं, अगर उनके यहाँ पुराणों की कथा हुआ करती हो। पुराणों के पढ़ने से भारत की पुरानी संस्कृति का ज्ञान होता है। कोई-कोई पुराण ऐसा है कि बातचीत के बहाने किसी विशेष विद्या की शिक्षा भी उससे मिलती है। अग्नि-पुराण में तो सभी विषयों का वर्णन है। एक भी छूटा नहीं है। एक अग्नि-पुराण पढ़लेने से मनुष्य सारी हिन्दू संस्कृति को थोड़े में जान जाता है। महा-भारत सभी विद्याओं का भण्डार है। कोई विद्या ऐसी नहीं है जो उसमें न हो। रामायण, महाभारत और पुराणों की कथायें गाँव-गाँव में होती रहें तो बिना अक्षर-ज्ञान के भी बड़ी अच्छी शिक्षा गाँव के उन रहनेवालों को मिल सकती है जिनको अक्षरों के सीखने का मौका नहीं मिला है।

मेले-तमाशों से दिल-बहलाव भी होता है, शिक्षा भी मिलती है, और रोज़गार भी चलता है। जो तमाशे नीति के विरुद्ध होते हों वे न होने चाहिएँ। जुए का तमाशा निन्दित है। जिन तमाशों से मनुष्य या पशुओं को कष्ट पहुँचता हो वे अच्छे तमाशे नहीं समझे जाने चाहिएँ। मेलों में खेल और तमाशे भी होते हैं और व्यापार भी होता है। बाज़ार भी दिल-बहलाव की जगह है। यहाँ शिक्षा मिलती है और बहुत-से लोगों से भेंट भी होती है। परन्तु नित्य के घूमने-टहलने के लिए तो साफ़ एकान्त जंगल ही अच्छा है, जहाँ हरियाली का दृश्य हो और जल-वायु साफ़ हो। दिन-भर की मेहनत से लौटा हुआ किसान शायद टहलना पसन्द न करेगा, वह अपने दरवाज़े पर या चौपाल में और तरह पर जी बहलावेगा। परन्तु जिस दिन उसे खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ती उस दिन वह व्यायाम करे या टहलने निकले तो स्वाभाविक है। तमाखू पीना, या गांजा या भंग पीना, अथवा शराब या ताड़ी पीना अत्यन्त बुरा है। इन्हें गाँवों से निर्मूल कर देना होगा। इनसे दिल-बहलाव

नहा जाता। इनसे धन का नाश होता है, तन्दुरुस्ती बिगड़ जाती है और परिवार का जीवन संकट में पड़ जाता है और ये बुरी लतें हर तरह पर दरिद्रता लाने में सहायक होती हैं।

सेवा-मंडली और विहार-मंडली ये दोनों गाँववालों के जीवन में एक बड़ी भारी कमी को पूरा करती हैं। आज गाँव का जीवन इनके बिना नीरस और उदास हो रहा है। संगठन करनेवालों को इस विषय पर काफ़ी जोर देना चाहिए।

हमारे देश में इस समय दुर्भाग्य से सेवा-भाव का बड़प्पन लोग भूल गये हैं। इसीलिए गाँवों के संगठन का बहुत बड़ा और ज़रूरी अंग सेवा-भाव की पवित्रता स्थापित करना है। उसकी स्थापना कैसे होगी? क्या केवल उपदेश से यह बात होसकेगी? नहीं, कोरे उपदेश से कोई नतीजा नहीं निकलता। उसकी स्थापना केवल इस तरह होसकती है कि जो लोग समाज में बहुत बड़े और ऊँचे समझे जाते हैं वे सेवा का काम अपने हाथों से करें और गाँव के और लोगों के सामने अपना उदाहरण रखें। जो लोग संगठन करने जायँ उन्हें तो अपने हाथ में फावड़ा लेकर मिट्टी खोदना, गिट्टी तोड़ना आदि काम करने चाहिए। बीमारी का घाव धोना, मैला उठाना और साफ करना, कपड़े धोना, मालिश करना आदि स्वयं करके औरों को सिखाना चाहिए। जैसा बड़े आचरण करते हैं, छोटे भी प्रमाण मानकर वैसा ही व्यवहार करते हैं। सच्ची सेवा का काम करने के लिए सदा बड़ों को अगुआ होना चाहिए। फिर तो बड़े-छोटे सभी लोग उन कामों में गौरव मानेंगे और हाथों-हाथ सेवा का काम बाँट लेंगे। यूरोप के समाजसत्तावाद के बिना ही यह भाव समाज को ओत-प्रोत भाव से भर देगा। फिर समाजसत्तावाद आदि पच्छाहीं संस्थाओं की ज़रूरत हमारे देश में कभी पड़ नहीं सकती।

पर्वों और त्योहारों में हमारी प्राचीन राष्ट्रीयता जीती-जागती मौजूद है। पिछले काल से दरिद्रता के कारण इनका भी लोप होचला है। नित्य के एक तरह के चलते हुए जीवन के बीच-बीच में पर्व और त्योहार आजाने से मन बदल जाता है, जीवन में उत्साह आजाता है, अपने पूर्वजों की याद जग जाती है, अपनी खोई बड़ाई एकबार फिर सामने आकर हमें आगे बढ़ने का हौसला दिलाती है और हमारी निगाहों के सामने बड़ों का उत्तम आदर्श एकबार फिर खड़ा कर देती है। अपने पर्वों और त्योहारों को फिर से जगाकर चलाने की ज़रूरत है। ग्राम-संगठन का यह भी एक ज़रूरी अंग समझा जाना चाहिए।

यहाँ तक हमने यह देखा कि हमको किन-किन बातों में संगठन की ज़रूरत पड़ सकती है। अब आगे चलकर हम यह विचार करेंगे कि पूरा गाँव कैसा होना चाहिए।

: १३ :

पूरा गाँव

हमारी देह में जितने अंग हैं उन सबके लिए अलग-अलग काम हैं। कोई अंग बेकार नहीं है। एक अंग भी बीमार होजाता है तो बाक़ी सब अंगों को बेचैनी होजाती है। हम सुखी तभी रहते हैं जब हमारे अंग-अंग अच्छी दशा में होते हैं, किसी अंग में कोई कष्ट नहीं होता। हमारी देह में कोई चीज़ निकम्मी नहीं है; यहाँतक कि हमारे बाल और नाखून भी बड़े काम की चीज़ हैं। जब थोड़े रहते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। बढ़ जाते हैं तब मैने के रूप में निकाल दिये जाते हैं। हम भोजन करते हैं, यह भी बड़ा ज़रूरी काम है; मुंह उसे अपने कारख़ाने में सानकर पेट में भेजता है। पेट उसे अपने रसोईघर में पकाता है और जो रस बनने लायक है वह अलग कर लिया जाता है, बाक़ी जो देह के काम की चीज़ नहीं है वह मैले और पेशाब के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। देह के जीते रहने के लिए अनाज का पचना ज़रूरी है। शरीर की सफ़ाई भी ज़रूरी है। रक्षा भी ज़रूरी है। और देह के बढ़ने के लिए रसों का बनना भी ज़रूरी है। देह बढ़ती भी है और पूरे बाढ़ को पहुँचकर संसार में सुखी जीवन बिताती है।

देह की ये सब बातें एक पूरे गाँव में भी मिलती हैं। जिस तरह लंगड़ा, काना, अंधा, पंगुल पूरे अंगवाला नहीं कहा जासकता, उसी तरह गाँव में भी हलवाले न हों, मज़ूर न हों, तो वह गाँव लंगड़ा है। पुरोहित न हों, शिक्षक न हों, तो गाँव अन्धा है। पंच न हों, चौकीदार

न हों, तो गाँव पंगुल है। और किसान न हों तो गाँव मुर्दा है। गाँव के रहनेवाले उसके अंग हैं। पर किसान तो गाँव का प्राण है। आजकल हमारे भारत के गाँव बहुत करके अंगहीन हैं। कोई अन्धा है कोई बहिरा, कोई लंगड़ा है कोई लुंजा, और कई तो ऐसे हैं जिनके प्राण-ही-प्राण रह गये और बाक़ी अंग नष्ट होगये हैं। हमारे गाँव आजकल पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं। भारत के सात लाख गाँवों में अधूरे और रोगी प्रायः सभी हैं। हम क्या करें कि इनका रोग मिट जाय और अधूरे अंग पूरे होजायें? देह के अंग जो नष्ट होजाते हैं वे फिरसे नहीं बन सकते। परन्तु प्राण बाक़ी रहता है तो अंधा आदमी टटोल के आँख की कमी पूरी कर लेता है। बहिरा अन्दाज़े से और मुँह के हिलने-डोलने से काम चला लेता है। रोगी अंग का रोग जबतक दूर न होजाय तब-तक काम ठीक नहीं कर सकता। जिस अंग में रोग है और नष्ट नहीं होगया है वह इलाज से अच्छा होसकता है। सात लाख गाँवों में जिन गाँवों के अंग एकदम नष्ट नहीं होगये हैं, उनके सुधार के उपाय किये जासकते हैं। जिनके अंग नष्ट होचुके हैं उनका काम चलाने के लिए भी उपाय होसकते हैं।

गाँवों का सुधार और संगठन करने के लिए हमें समझना होगा कि एक नमूने के गाँव की ज़रूरतें क्या-क्या हैं? हम किसी गाँव को पूरा कब कह सकते हैं?

अनाज और कपास पैदा करना खेतों का असली काम है। गाँव के चारों ओर खेतों का होना ज़रूरी है। गाँव को खाना और कपड़ा दोनों चीज़ें मिलनी ही चाहिएँ। आदमी के जीने के लिए हवा, पानी, खान और कपड़ा ये चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। साफ़ हवा और साफ़ पान रोग से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। चारों ओर सफ़ाई रखने से हव

साफ़ रह सकती है। अच्छे कुएँ, तालाब या नदी से साफ़ जल भी मिल सकता है। भोजन और कपड़ा खेत के अनाज और कपास से मिल सकता है। किसान अनाज और कपास उपजाता है और उपजाने के लिए जो-जो और साधन चाहिएँ उनको इकट्ठा करता है। कुएँ खोदने को, सिंचाई करने को, हल जोतने को, उसे आदमी और पशु की मदद चाहिएँ और औजार भी चाहिएँ। कुएँ खोदने को नोनिये, हल जोतने को हलवाहे, हल, चरखा आदि बनाने को लोहार या बढ़ई या दोनों जरूर चाहिएँ। कपड़े बनाने को कोरी, कोष्टी, जुलाहा या बुनकर भी चाहिएँ। हम अगर मानलें कि वह नंगे पाँव रह सकता है, उसकी बीबी घर में पीस सकती है और ओट, धुन, कात सकती है, साथ ही जरूरत पड़ने पर थोड़ा-बहुत सी भी लेती है, तो किसान के निबाह के लिए मजूर, हलवाहा, बुनकर इन्हींकी जरूरत है। पर उसके कपड़े मैले भी होंगे, वह अगर पा सके तो उसे धोबी भी चाहिए। बाल और नाखून बढ़ेंगे, इसलिए मिले तो नाई भी चाहिए। जिस घर में रहेगा उसके छाजन में खपरों की जरूरत पड़ेगी। उसे खाने-पकाने को बर्तन भी चाहिएँ। इसी तरह पानी भरने को घड़े आदि भी बार-बार चाहिएँ। मिट्टी के बर्तन उसे अनेक कामों के लिए बार-बार चाहिएँ, इसलिए कुम्हार का गाँव में होना जरूरी है। धातु के बरतन दस-बीस बरस में कभी एकबार खरीदने पड़ेंगे, इसलिए कसेरे या ठठेरे की जरूरत गाँव में नहीं है। खाने-पीने की चीजों में हल्दी, धनिया, मिर्च आदि मसाले सभी किसान नहीं तैयार करते, क्योंकि अनाज की तरह इनकी माँग बहुत ज्यादा नहीं है। तेल, घी, दूध और दही अच्छे प्रकार के भोजन में जरूरी चीजें समझी जाती हैं, इसलिए तेली और ग्वाले का होना अच्छे गाँव में जरूरी है। मनुष्य खाने-कपड़े पर ही सन्तुष्ट नहीं

रह सकता, उसके यहाँ ब्याह भी होता है, सन्तान भी होती है, तीज-त्योहार भी होते हैं, धर्म के काम भी होते हैं। आये दिन जब कभी कोई बीमार हुआ तो इलाज कराना भी जरूरी होता है। इसलिए पुरोहित और वैद्य दोनों की जरूरत है। फिर जब अनाज और कपड़े इकट्ठे होते हैं, बर्तन और गहने भी घर में होते हैं, तो चोरों का डर होता है। इसलिए किसान को समय-कुसमय पहरा देनेवाला भी चाहिए। एक गाँव में बहुत-से किसान होते हैं, खेत भी उसी तरह बहुत-से टुकड़ों में बँटा रहता है। आये दिन डाँड-मेंड के झगड़े भी आपस में होसकते हैं। गाँव में बन भी होते हैं, जलाशय भी होते हैं, ऊसर भी होते हैं और बाग-बगीचे भी होते हैं। किसी-किसीपर एक आदमी का अधिकार होता है और किसीपर सारे गाँव का। ऐसी दशा में भी झगड़े उठ सकते हैं। इसी तरह आये दिन भाई-भाई में, पट्टीदार-पट्टीदार में, झगड़े उठ सकते हैं और उनको सुलझाने की जरूरत होसकती है। इसके लिए पंचायत की भी दरकार है। अगर एक गाँववाले दूसरे गाँव से झगड़ा करने पर उतारू हों और चढ़ आवें तो गाँववालों को अपने हरवे-हथियार से भी तैयार रहना चाहिए। इसके लिए अकेले पंचायत से काम न चलेगा, बल्कि मुक्काबला करने के लिए जवान किसानों को तैयार रखना पड़ेगा। और अगर हर गाँव में अपना ऐसा अलग-अलग बन्दोबस्त न करें तो कम-से-कम ऐसे राजा या पंचायत के अधीन रहना होगा जो इकट्ठे बहुत-से गाँवों की रक्षा का बन्दोबस्त कर सके। सिंचाई के काम में चमड़े के मोट की भी जरूरत पड़ सकती है; और मरे हुए गाय, बैल और भैंसों के चमड़े को सिझाने, कमाने आदि की भी जरूरत पड़ सकती है; इसलिए गाँव में चमार का होना भी जरूरी है।

इस तरह गाँव में सबसे ज्यादा किसान होने चाहिए। हम किसानों

में पशु-पालन करनेवालों को भी गिनते हैं। विशेष रूप से हम उन्हें गिनते हैं, जो गाय-बैलों का पालन करते हैं। साथ ही तेल, घी, मसाले, नमक और औषधियों व कपड़ों का व्यापार भी किसानों का ही काम है। खेती, गोपालन और बनियाई ये तीनों काम साथ-साथ चलते हैं और गाँवों के मुख्य काम हैं। बाक़ी और जितने काम हैं वे सब-के-सब इन्हीं किसानों के सहारे चलते रहते हैं। इसीलिए गाँवों की प्रधान आबादी किसानों की होनी चाहिए। इन किसानों की मदद के लिए चमार, धोबी, नाई, पासी, काछी, तेली, कुम्हार, जुलाहा, कायस्थ, ब्राह्मण और क्षत्री सभी जातियाँ हैं। इन सबमें से किसीको अपने पेशे के काम में सारा समय कभी नहीं लगाना पड़ता। इसीलिए गाँव में रहते हुए अकेले अपने पेशे पर इनका गुज़ारा नहीं होसकता। ये सब-के-सब अगर खेती का काम न करें तो खाने को न मिले। इसीलिए इनका मुख्य काम खेती है, जिससे ये अपनेको और अपने परिवार को पालते-पोसते हैं। गाँव में चमार चमड़े का काम करता है, साथ ही खेती भी करता है। लुहार और बढ़ई लकड़ी और लोहे का काम भी करते हैं और खेती भी। कुम्हार खपरे और बरतन भी बनाता है और खेती भी करता है। ब्राह्मण पुरोहिताई भी करता है और खेती भी करता है। ग्वाला गऊ भी पालता है और खेती भी करता है। चौकीदार, हलवाहे और मजूर आजकल बहुत करके खेती नहीं करते, क्योंकि बहुत भारी आबादी रोज़गारों के छिन जाने से खेती के आसरे रह गई है पर खेत नहीं पा सकती। परन्तु पूरे गाँव में हलवाहे और मजूर को भी जैसे-तैसे खेतिहर होना, किसान होना, बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि गाँव में रहकर सभी वर्णों और सभी जातियों के लोग खाते और पहनते हैं, खाना और कपड़ा खेतों से ही मिलता है। इसीलिए

खेती तो सभीको करनी ही चाहिए । और अपने वर्ण या जाति का काम तो खेती के बाद आता है ।

पूरा गाँव वही है जिसमें आदमी की ज़रूरतें पूरी हों, जिसमें सबको सब तरह से बढ़ने की शिक्षा मिल सके, जिसमें सबको अपने काम के करने और सुख से रहने में रक्षा हो सके, जिसमें खाना-कपड़ा और सब सामान शांति से उपजाये और बाँटे जा सकें, और जिसमें सब तरह के लोगों के—चाहे वे शिक्षा का काम करते हों चाहे रक्षा का, चाहे सम्पत्ति उपजाने का काम करते हों और चाहे मेहनत-मजूरी करते हों—खेल-कूद और मनबहलाव के लिए उचित बन्दोबस्त हो । जो गाँव अपना खाना-कपड़ा दूसरे गाँव से मँगवाने के लिए लाचार न हो, जिस गाँव में बाहर से मजूर न मँगवाने पड़ें, जिस गाँव की नित्य की सारी ज़रूरतें पूरी होजाया करें और किसी और गाँव से मदद न लेनी पड़े, वही गाँव पूरा है । यह कहा जासकता है कि बरतनों के लिए गाँववालों को शहर आना पड़ेगा और गाय, भैंस और बैल की खरीद के लिए मेलों और बाज़ारों में जाना पड़ेगा । यह बात बिल्कुल सच है । परन्तु ये नित्य की ज़रूरतें नहीं हैं । इन्हींके लिए बड़े-बड़े बाज़ार और मेले हैं । इन्हींके लिए राजधानी के शहर हैं । राजा जहाँ रहता था वहाँ प्रजा के आराम के लिए सब तरह का ऐसा सामान शहर के बाज़ारों में इकट्ठा होने का प्रबन्ध करता था जो गाँव के रहनेवालों की ज़रूरत को पूरा करे, अथवा उनके ज्यादा ऐश-आराम या शौकीनी के लिए ज़रूरी समझा जाय ।

इन्हीं पूरे गाँवों की आबादी मिलकर अपने यहाँ के झगड़ों के निपटारे के लिए, गाँव की सफ़ाई के लिए, बस्ती के लोगों को सुखी करने के लिए, बस्ती की रक्षा के लिए, बस्ती की शिक्षा के लिए, और बस्ती के

खेल-कूद और मन-बहलाव के लिए अपने लोगों में से ईमानदार, बुद्धिमान, भगवान को माननेवाले और पापों से डरनेवाले बूढ़े भलेमानसों को अपना पंच चुन लेती थी और गाँव का सारा बन्दोबस्त उन्हें सौंप देती थी। इन्हीं पंचों में से गाँव-गाँव से एक-एक मुखिया चुनकर बड़ी पंचायत बनती थी जिसे “जनपद की पंचायत” कहते थे। गाँवों के सम्बन्ध का आपस का निपटारा और गाँवों के परस्पर के झगड़ों का फसला, गाँवों की सीमा और सड़कों आदि के झगड़े निपटाना, इसी बड़ी पंचायत का काम था। प्राचीन हिन्दूकाल में इन्हीं बड़ी पंचायतों के प्रतिनिधि मिलकर ज़िलों या प्रान्त की या राज्य की “जानपद” पंचायत बनाते थे। “पौर” पंचायत शहरवालों की थी। इस तरह जानपद और पौर दोनों से अधिकार पाकर राजा शासन करता था।

भारत के पुराने संगठन में हरेक गाँव पूरा था। अपनी-अपनी ज़रूरतें आप पूरी कर लेता था। बाहरी चढ़ाई से और चोर, डाकू, आततायी आदि अपराधियों से रक्षा करने के लिए एक राजा या हाकिम या सरपंच की ज़रूरत होती थी। और इसी सेवा के नाते गाँववाले जनपद की पंचायत को या राजा के प्रतिनिधि को अपनी पैदावार का एक भाग कर की तरह देते थे और राजा इस कर के बदले किसान की ज़मीन की रक्षा करता था। वह ज़मीन का रक्षक था। पति रक्षक को कहते हैं। खेती के रक्षक के नाते वह भूपति या भूमिपति कहलाता था और मनुष्यों की रक्षा के नाते वह नृपति या नरपति कहलाता था। उसकी जीविका के लिए अलग धरती होती थी और वह आप खेती करता था। प्रजा से जो कर मिलता वह प्रजा की रक्षा के काम में लाया जाता था। राजा अपने खर्च के लिए प्रजा की धरोहर से नहीं लेता था। भूमि प्रजा की थी। उसकी न थी। राजा के प्रतिनिधि को जो भूकर के नाम

से दिया जाता था वह असल में भूमि की रक्षा के लिए कर था। यह कर खेती की पैदावार का छठा, आठवाँ या दसवाँ अंश होता था। प्रजा की सब तरह की रक्षा राजा करता था, इसीलिए उसे सबसे कर पाने का अधिकार था।

ये तो पुरानी कहानियाँ हैं। आज हमारी जैसी दशा है वह किसीसे छिपी नहीं है। हमारे गाँव के अंग-भंग होचुके हैं। किसान दरिद्र हो-गये हैं। लाखों मजूर गिरमिट की गुलामीक रने बाहर चले गये हैं। पैसे की माया में पड़कर काफी अन्न उपजाकर भी हम भूखों मरते हैं, आये दिन कड़े लगान और मालगुजारी के बोझ से दबकर ऋण की चक्की में पिसते रहते हैं, और नहीं जानते कि इन विपत्तियों से कैसे छुटकारा होगा ?

हमने पिछले अध्यायों में संगठन की जो योजना दी है उस योजना से गाँव को पूरा करने के उपाय करने होंगे। पंचायतें गाँवों की कमी जिन विधियों से और जिस रूप से पूरी करेंगी उनका वर्णन सँक्षेप से हम आगे के अध्यायों में करेंगे।

गाँव का समाज

जब बच्चा पैदा होता है तभीसे उसको समाज से या माता-पिता से चार चीजों के पाने की जरूरत होती है। शिक्षा, रक्षा, भोजन और खिलौना। सबसे पहली और जरूरी चीज शिक्षा है। दूध पीने की शिक्षा से लेकर हाथ-पैर हिलाने, चलने-फिरने, खेलने-कूदने, हाथ-पाँव और आँख-कान आदि के काम, खेल-कूद, मनबहलाव और दुनिया की चीजों को आमतौर पर बनाने-बिगाड़ने तथा सोचने-बोलने और हिलने-डोलने आदि भाँति-भाँति की शिक्षा हर बच्चे को मिलनी चाहिए। हर बालक और हर आदमी को—चाहे वह बच्चा हो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो—जबतक वह जीता रहता है तबतक इस तरह की थोड़ी-बहुत शिक्षा मिलती ही रहती है। कुछ काम शिक्षा का माँ-बाप करते हैं और कुछ माँ-बाप के सिवाय बाहरी लोग भी किया करते हैं। खेत की जुताई, बुवाई, निराई, बीज की पहचान, सिंचाई, रखवाली का काम, अनाज के पकने आदि के सम्बन्ध का ज्ञान, उसकी कटाई, दँवाई और अन्न की सफ़ाई, कपास की लोढ़ाई, ओटाई, धुनाई, कताई, और मकान का बनाना, बाग-बगीचों का लगाना, फलों का उपजाना, ढोरोँ का पालन-पोषण और रक्षा, ऊन के काम, दूध-दही आदि के काम, जानवरों का पालना आदि गाँवों के अनेक काम हैं जो हर लड़के के लिए सीखना-सिखाना बहुत जरूरी है। सन-पटसन आदि की तैयारी और उनका बटना, टोकरियाँ या झाबे बनाना, बाँस के सामान बनाना,

रस्से-रस्सी आदि तैयार करना, खाट-मोढ़े आदि बुनना, जूते-कपड़े आदि सीकर तैयार करना, टोपी तैयार करना, कपड़े की रँगाई-छपाई करना, बेल-बूटे आदि कसीदे काढ़ना, बढ़ई का काम, लोहार का काम, तिलहन की पहचान और तेल पेलना, गन्नों और ईख की पहचान और उसकी खेती तथा उससे गुड़, खांड, चीनी आदि तैयार करना, साथ ही अनाज, खांड, कपड़े, तेलहन या और देहात की तैयार की हुई चीजों का व्यापार करना—ये सभी काम देहात के सम्बन्ध के हैं और गाँववालों को करने पड़ते हैं। इन्हें गाँव के लोगों को उचित समय पर सिखाना जरूरी है। इनमें से एक काम भी ऐसा नहीं है जिसमें पढ़ने-लिखने की शिक्षा जरूरी हो। परन्तु हर बालक को अपनी पूरी ऊँचाई तक उभरने और बढ़ने का मौक़ा मिले, इसलिए उसे कुछ थोड़ा-सा पढ़ना-लिखना और काम के लायक कुछ हिसाब-किताब जानना बहुत जरूरी है। सिखाने का काम वही लोग कर सकते हैं जो काम को जानते हैं। हर माँ-बाप और बड़े-बूढ़े का यह जरूरी कर्तव्य है कि बच्चों को काम सिखावें। पर थोड़ा-थोड़ा पढ़ना-लिखना और हिसाब सिखाने का काम किसी अलग सिखानेवाले को मिलना चाहिए। गाँव में ऐसे दो-एक पढ़ानेवालों से काम चल सकता है। यदि दो-चार और हों तो सुभीता होसकता है। यह हुई शिक्षा की बात।

जैसे शिक्षा की पहली जरूरत है वैसे ही रक्षा भी बहुत जरूरी है और शिक्षा के बाद उसका नम्बर आता है। चोर और डाकू से रक्षा करने के लिए चौकी-पहरे की और रखवाली की जरूरत होती है। खड़ी फ़सल की रक्षा बाढ़ बाँधकर पशुओं से की जाती है। मचान पर बैठकर किसान रात-रात जगकर खेत की रखवाली करता है। पानी की बाढ़ से और सूखे से भी खेती की रक्षा करने की जरूरत होती है। नाज की बालों में और पौधों में रोग पैदा होजाते हैं और कीड़े लग जाते हैं।

आये दिन टिड्डी आदि से भारी हानि होजाती है। चूहे, घूस आदि जानवर घरती के नीचे से और तोते आदि पक्षी ऊपर से खेती पर चढ़ाई करते हैं। इन सबसे भी रक्षा होनी चाहिए। खलियान में आग का सदा डर लगा रहता है, और नदी आदि में बाढ़ आजाने से गाँव-के-गाँव बह जा सकते हैं। गाँवों में सफ़ाई न रहने से और घरों के ठीक तरह पर न बनने के कारण भाँति-भाँति की बीमारियाँ फैलती हैं, जिनसे बस्ती-की-बस्ती तबाह होजाती है। इनसे भी रक्षा होनी चाहिए। फिर अगर दो आदमियों में झगड़ा होजाय और बीच-बिचाव का कोई सामान न हो तो लठ्ठ लेकर दो दलों में गहरी मारपीट होसकती है। इसतरह की दुर्घटना से भी बचने के लिए उपाय होना चाहिए। निदान सब तरह से गाँव के धन और जन दोनों की पूरी रक्षा और दोनों के बढ़ने में किसी तरह की रुकावट को न पड़ने देना बस्ती के लोगों में से हर ऐसे आदमियों का काम है जो बचाने में मदद देसकते हैं। परन्तु झगड़ों के निपटारे के लिए पंचों का मंगठन किये बिना रक्षा का काम नहीं हो-सकता। एकाएकी अगर कोई आफ़त आये तो गाँव के सभी हाथ-पाँव-वाले दौड़ पड़ेंगे। यही चाहिए भी। परन्तु रक्षा का काम जिन लोगों ने सीखा है, वे दौड़कर सहज में विपत्ति को टाल सकते हैं। और जिन्होंने नहीं सीखा है वे केवल भीड़-सरीखे बनकर काम में रुकावट डाल और अपनेको जोखिम पहुँचा सकते हैं। इसलिए रक्षा के काम के लिए चुने हुए आदमियों का मंगठन ज़रूरी है, चाहे वे पंच हों या पहरेदार, या स्वयंसेवक हों अथवा चर या दूत हों, या सैनिक के नाम से पुकारे जाते हों।

गाँव के लोगों का मुख्य काम भोजन और कपड़ा पैदा करना है। आदमी के आयु-पर्यन्त जीने के लिए ये दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं।

भोजन और कपड़ा नित-नित उपजाया नहीं जासकता । पर खाने और पहरने को ये दोनों चीजें नित-नित चाहिएँ । इसीलिए हर किसान को फ़सल के ऊपर अपने खाने-पहरने का सामान इकट्ठा कर लेना पड़ता है । जब मिलों की चाल न थी, तब अनाज और कपास दोनों जूटाकर रक्खे जाते थे । इनके सिवाय तेलहन और मसाले भी भोजन की सामग्री में समझे जाते हैं । इनको भी इकट्ठा करना ज़रूरी समझा जाता है । गुड़, शकर आदि की भी बहुत बड़ी माँग है । साथ ही खेती के लिए बैलों की बड़ी ज़रूरत है और गऊ पालने से गाय-बैल की सम्पत्ति बढ़ती है । गाय से दूध, दही, घी आदि मिलता है, जो आदमी के लिए बहुत ज़रूरी भोजन है । गोबर और मूत्र को तो धरती में गाड़े जानेवाले धन समझना चाहिए । इन्हींमें लक्ष्मी का वास है । सोना-चाँदी गाड़ने से मिट्टी के मोल के हो जाते हैं, परन्तु गोबर व गोमूत्र खेत में गाड़ने से सोने के होजाते हैं । चतुर किसान इस गोधन को भी इकट्ठा करता है । गाय-बैल के साथ-साथ भैंस, बकरी, भेड़, सुअर आदि पशु भी पाले जाते हैं । इनसे भी किसान सम्पत्ति इकट्ठी करता है । मरे हुए पशुओं का चमड़ा सींचने के लिए मोट और पहनने के लिए जूता बनाने के काम में आता है और मल-मूत्र खाद के काम में आता है । मरे हुएों की हड्डी भी धरती को उपजाऊ बनाती है । किसान के लिए जीते-मरे सब तरह के पशु के रोएँ-रोएँ में धन है । सच पूछिए तो गाँवों में रुपये-पैसे के चलन की कोई ज़रूरत नहीं है । ये जितनी तरह के धन हमने गिनाये हैं, वे आपस की अदलाबदली से किसान की सारी ज़रूरते पूरी कर सकते हैं । मजूरों को और हलवाहों को, शिक्षकों को और पण्डितों को, और इनके सिवाय जितने और काम करने वाले हैं, उन सबको अपने-अपने कामों की मजूरी अनाज, कपड़ा या और जिसों के रूप में दी जासकती

है। किसी युग में जमींदार या राजा की मालगुजारी या लगान इन्हीं जिसों के अंशों में दी जाती थी। रुपया-पैसा देने का रिवाज न था। आजकल लोग भूल से रुपये-पैसे को ही धन समझने लगे हैं। यह भारी माया है—भ्रम है। रुपया-पैसा धन नहीं है, सभ्यता का मायाजाल है। धन या जीविका का पैदा करना हर आदमी के लिए जरूरी है। प्रजा इसीसे जीती है। इसीलिए जीविका का यह तीसरा काम शिक्षा और रक्षा से कम बड़ा नहीं है।

गाँव में मेहनत का मोटा काम करनेवालों की बड़ी जरूरत होती है। हल जोतना, खेत सींचना, दौरी चलाना, कुएँ खोदना, मेड़ बाँधना, भीत उठाना इत्यादि मोटे-मोटे काम हैं जिनके लिए बहुत होशियारी तो नहीं चाहिए पर हाथ-पाँव अच्छे पौढ़े होने चाहिए। गाय-भैंस चराना भी मोटा काम है, जो लड़के-लड़कियों से लिया जा सकता है। नन्दजी बड़े धनी थे, परन्तु कृष्ण-बलराम भी गाय चराने जाया करते थे। ये सब मोटे काम हर किसान को बिना शिक्षक के, बिना संकोच के, करने ही चाहिए। बिना इन मेहनत के कामों के किये हाथ-पाँव मजबूत नहीं रह सकते और आदमी की देह सुडौल नहीं बन सकती। परन्तु रात-दिन कड़ी मेहनत का काम कोई नहीं कर सकता। और जो यह कहा जाय कि थोड़ी देर कड़ी मेहनत का काम करके आदमी एकदम सुस्त पड़ जाय तो भी ठीक नहीं है। क्योंकि जिन अँगों से मेहनत का काम लिया गया है उनको आराम करने के लिए समय मिलना चाहिए, उनकी थकान मिटनी चाहिए। पर जो अंग काम करते नहीं रहे हैं उन अंगों को उसी समय काम देने की जरूरत है जब कड़ी मेहनत करनेवाले अंग आराम करते हों। यह परमेश्वर का नियम है कि कोई क्षण भी कोई बिना कुछ काम किये नहीं रह सकता। सोता हुआ आदमी भी अपनी

देह के भीतर अन्न पचाने का, रसों के बनाने का, मलों के निकालने का और साँस को बाहर से भीतर और भीतर से बाहर लेजाने का और सारे शरीर में लोह की धारा बहाने का काम करता ही रहता है। इसी-लिए दिनभर की कड़ी मेहनत के बाद आदमी को ऐसा काम मिलना चाहिए जिससे उसका जी बहले और जो वह बिना मेहनत के कर सके। इस तरह का काम मनबहलाव का काम कहलावेगा। इसमें खेलकूद, गाना-बजाना, कथा-पुराण, पढ़ना-लिखना, भाँति-भाँति की सुन्दर चीजें बनाना, खिलौने आदि बनाना, बच्चों को खिलाना इत्यादि बहुत-से काम मनबहलाव के हैं। हमारे देश के किसानों के लिए तमाखू, गाँजा, भंग, ताड़ी, शराब आदि से अपने मन, तन और धन तीनों को बिगाड़ने वाला काम मनबहलाव नहीं होसकता। मोटी तरह की मेहनत और मनबहलाव ये दोनों तरह के काम बहुत जरूरी हैं। इनके बिना सम्पत्ति इकट्ठी नहीं होसकती, अपने जीवन की रक्षा नहीं होसकती, बच्चों की शिक्षा नहीं होसकती। सारी देह जैसे पाँवों के बलपर खड़ी होती है उसी तरह शिक्षा, रक्षा और जीविका ये तीनों काम इस चौथे काम के बलपर खड़े होते हैं।

हमारे देश के बहुत पुराने लोगों ने इन चारों कामों को बहुत अच्छी तरह समझा-बूझा था। गाँव की या बस्ती की क्या-क्या जरूरतें हो सकती हैं, इन बातों को लाखों बरस पहले सोच-विचारकर उन्होंने प्रजा का संगठन किया था। यह बात सच है कि हर आदमी को चारों काम करने ही पड़ते हैं। परन्तु मनुष्य-समाज के भीतर इन चारों कामों की बँटवाई इस तरह पर होजाय कि कुछ लोग एक काम में होशियार हों और कुछ लोग दूसरे काम में चतुर होजायँ तो काम बड़े सुभीते से होसकता है। हर आदमी अपने-अपने काम में पक्का पौढ़ा और होशि-

यार होजाय तो सारा समाज बड़ा चतुर और बहुत ऊँचा उठा हुआ होजाता है। इसीलिए पुराने युगों के लोगों ने कामों को चार प्रकारों में बाँटा। शिक्षा, रक्षा, सम्पत्ति और सेवा। शिक्षा का काम विशेष रूप से जिन लोगों को सौंपा गया वे थोड़े-से लोग थे जो बड़े ही चतुर, बड़े ही बुद्धिमान, बहुत अच्छी चालचलनवाले, बहुत सहनेवाले, बड़ीं समझ-बूझवाले और भगवान को माननेवाले, किसीको दुःख न पहुँचाने-वाले, सबपर दया करनेवाले और धर्म-अधर्म को समझनेवाले सच्चे लोग थे। इन लोगों का नाम ऋषि और ब्राह्मण पड़ा। इन्हींको शिक्षा का भार सौंपा गया।

समाज में कुछ लोग पुराने युग में ऐसे भी थे जो हाथ-पाँव के ही बली न थे बल्कि उनके जी में बड़ी हिम्मत थी, बड़ा हियाब था, साहस था, ताकत थी। वे भी दयावान थे, अच्छी चालचलनवाले थे। धर्म और अधर्म को खूब समझते थे। किसीको दुःख नहीं पहुँचाते थे, पर दूसरे को दुःखी देखकर उसका दुःख दूर करते थे। कोई किसीको सताता हो तो उसे अपनी बुद्धि से, बल से और अच्छी चालों से बचा लेते थे। जो दुर्बल थे, रोगी थे, उनकी और बच्चों व स्त्रियों की रक्षा करने में हर घड़ी कमर कसे रहते थे। समय आजाने पर वे बड़े-बड़े करतब कर दिखाते थे। हथियार के काम में ऐसे कुशल थे कि आये दिन जब दो दलों में लड़ाई होती थी तब वे हथियार चलाकर रक्षा करते थे। ऐसे लोगों को समाज ने रक्षा के काम के लिए चुना। ये लोग भी गिने-चुने बहुत थोड़े थे, और जरूरत भी थोड़ों की ही थी। यही लोग क्षत्रिय कहलाये।

अन्न-धन, गोधन, आदि सम्पत्ति हर आदमी को चाहिए थी। बिना भोजन और कपड़े के न तो शिक्षा देनेवाला रह सकता था और न

रक्षा करनेवाले का गुजर होसकता था। इसीलिए सम्पत्ति उपजाने और जुटाने का काम थोड़ा-बहुत ब्राह्मण और क्षत्रिय को भी करना जरूरी हुआ। पर सारे समाज के लिए खाना-कपड़ा जरूरी था और जो लोग शिक्षा और रक्षा के काम से खाली थे उनकी गिनती बहुत भारी थी। यह गिनती इतनी बड़ी थी कि इसके सामने शिक्षा और रक्षा के कामवालों की कोई गिनती ही न थी। इन सबका काम खाना-कपड़ा और जीवन की आवश्यकता की सब चीजें उपजाने का था। ये सब लोग खेती करते थे, गऊ पालते थे और जो सम्पत्ति उपजाते थे उसकी आपस में अदलाबदली भी करते थे। इन सबका नाम उन पुराने लोगों ने विश या वैश्य रक्खा।

गऊ पालने का और खेती का और माल के इधर-उधर पहुँचाने का काम बिना मजूरों के चल नहीं सकता था और समाज में हाथ-पैर के मजबूत ऐसे हट्टे-कट्टे लोग भी थे जिनके पास बुद्धि की पूँजी कम थी और बल होते हुए भी इतना हियाब—इतना कलेजा—न रखते थे कि दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकें। और न उनके हाथ की अंगुलियाँ महीन काम करने में मँजी हुई थीं कि वे अच्छे-अच्छे प्रकार की वस्तुयें तैयार कर सकें। ऐसे बलवान लोग न तो ब्राह्मण का शिक्षा देने का काम कर सकते थे, न क्षत्रिय का रक्षा करने का काम कर सकते थे, और न वैश्य का खेती, गोपालन और बनियाई या दस्तकारी का महीन काम कर सकते थे। ये मोटे काम के सिवाय और कुछ न कर सकते थे। इसीलिए इनको मेहनत-मजूरी का मोटा काम सौंपा गया। शिक्षा के काम में जो कोई मेहनत की बात आती, उसमें ये ब्राह्मण की सहायता करते थे; रक्षा के काम में जहाँ बोलबाला आदि मेहनत का काम आता या चौकी-पहरा देने

का काम होता वहाँ क्षत्रिय की मदद करते थे; खेती या गोपालन के काम में या व्यापार में जहाँ हलवाहे, मजूर, गाड़ीवान, ग्वाले आदि का काम पड़ता वहाँ ये वैश्यों या किसानों की सहायता करते थे। इस तरह ये लोग शिक्षा, रक्षा और जीविका तीनों कामों में ऐसे सहायक थे कि इनके बिना कोई काम पूरा नहीं पड़ सकता था। ये समाज के पाँव थे। सिर में लाख बुद्धि हो, आँख, कान, मुख आदि चाहे कितनी ही होशियारी से काम करें, पर पाँवों के बिना जरूरत की जगह पर सिर कभी पहुँच नहीं सकता। दूसरे कोई चीज़ धुँधली देख पड़ती, साफ़ समझ में नहीं आती, ठीक-ठीक जानने के लिए बिना पास गये काम नहीं चल सकता और जाना काम पाँवों का है। जंगल में आग लग गई है, लपटें बढ़ी चली आती हैं, आँखें देख रही हैं कि जान जोखिम में है, परन्तु बिना पाँवों से भागे जान बच नहीं सकती। भोजन की सामग्री तैयार है, थाली परसी हुई है, परन्तु टाँगें भोजन तक पहुँचावेंगी तब हाथ भोजन को पेट तक पहुँचाने में सहारा दे सकेगा। टाँगों का काम उस सेवा का है जिसके बिना किसी अंग का काम नहीं चल सकता। सेवा के इस पवित्र काम को जिन थोड़े-से बलवानों को सौंपा गया वे सेवक या शूद्र कहलाये। समाज के शरीर में शिक्षा देनेवाला सिर हुआ, रक्षा करनेवाला हाथ हुआ, सम्पत्ति उपजानेवाला धड़ हुआ और सेवक टाँगें हुई। समाज के इन्हीं चारों अंगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ठहराया गया।

किसी पंचायत में यह बात ठहराई गई हो, ऐसा तो कहीं पता नहीं लगता। प्रजाओं को पैदा करनेवाले और उनकी रक्षा के उपाय रचनेवाले भगवान प्रजापति ने प्रजा या समाज को जब बनाया तब उसी रीति पर बनाया जिस रीति पर कि मनुष्य के शरीर को बनाया था।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का विभाग या बँटवारा प्रजापति ने ही किया और समाज में हर आदमी का कर्त्तव्य ठहरा दिया गया। इसीलिए संसार की हर बस्ती में चारों तरह के आदमी रहते हैं और एक-दूसरे की सहायता करते हैं।

हमारे गाँवों में इस समय समाज में ऐसा गड़बड़ होगया है कि जिस तरह पुराने युगों में संगठन हुआ था वह बात अब बाक़ी नहीं रही। ब्राह्मण और क्षत्रिय अब अपना-अपना काम कर नहीं पाते। वे नाम-नाम के ब्राह्मण और क्षत्रिय रह गये हैं। असल में सभी किसान हैं। कपड़े की कारीगरी उठजाने से खेती के ऊपर बेरोज़गार आदमियों का भी बोझ पड़ गया है। जोतों के छोटे-छोटे टुकड़े होगये हैं। बड़ा हुआ लगान सिक्कों में देना पड़ता है। इसलिए पैसे की ज़बरदस्त माया में किसान फँस गया है। देश में दरिद्रता बढ़ जाने के कारण लाखों मज़ूर और किसान अपना घर-बार छोड़कर गिरमिट की गुलामी करने बाहर के देशों में चले गये हैं। समाज अस्त-व्यस्त होगया है। इसे फिर से ठीक करना है। इसी बात पर हम आगे चलकर विचार करेंगे।

१. चातुर्वर्ण मया सृष्टम् गुण कर्म विभागशः ।

तस्य कर्तार मपियाम् बिद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ (भ० गी०)

गाँव का धर्म

गाँव के समाज में आज भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण पाये जाते हैं। हमारे सात लाख गाँवों में सभी गाँव एक तरह के नहीं हैं। जो गाँव बड़े-बड़े हैं उनमें से बहुतों में चारों वर्ण के लोग रहते हैं। परन्तु बहुत-से ऐसे गाँव भी हैं कि किसीमें ब्राह्मणों की ही बस्ती है और किसीमें केवल क्षत्रिय ही रहते हैं। किसी गाँव में चमार-ही-चमार बसते हैं, किसीमें कूर्मी-ही-कूर्मी रहते हैं। इस तरह पर किसी-किसी गाँव में एक ही तरह के आदमी रहते हैं। शहर के पास के गाँवों में बहुत करके कारीगर लोग रहते हैं। कहीं-कहीं किसी गाँव में जुलाहों के सिवाय और कोई आबादी नहीं है। कोई-कोई गाँव केवल कुम्हारों का है। इसका क्या मतलब है ? किसी गाँव में अगर केवल ब्राह्मण रहते हैं तो वे सब-के-सब पुरोहिताई का ही काम नहीं करते। जिस गाँव में केवल जुलाहे ही रहते हैं उस गाँव में अकेले कपड़े बुनने का रोज़गार नहीं होता। जिस गाँव में केवल कुम्हार रहते हैं, उसमें मिट्टी के बरतन ज़रूर बनते हैं, परन्तु तीसों दिन यही काम नहीं होता। हर गाँव में उस गाँव के रहनेवाले सभी कुछ-न-कुछ और काम करते हैं। जिस गाँव में केवल अहीर रहते हैं वहाँ वे गोपालन ज़रूर करते हैं, पर अकेले गोपालन से उनका काम नहीं चलता। जिस गाँव में बनिये-ही-बनिये रहते हैं वहाँके लोग केवल दुकानदारी ही नहीं करते। ये लोग अपना रोज़गार करते ज़रूर हैं, पर एक रोज़गार ऐसा है जिससे हर गाँववाले

का सम्बन्ध है। वह रोज़गार है खेती। गाँव में रहनेवाला बनिया या जुलाहा या कुम्हार या ब्राह्मण कोई ऐसा नहीं जो खेती से अपना नाता न जोड़े। खेती ऐसा रोज़गार है जिसके सहारे सबका पालन-पोषण होता है। इसीलिए गाँव में रहकर हर आदमी का यह कर्त्तव्य है कि भरसक खेती का उपकार करने का जतन करे। जो मजूरी कर सकता है या हलवाहे का काम कर सकता है, या जो रक्षा कर सकता है या ब्राह्मण या क्षत्रिय का काम कर सकता है, उसे चाहिए कि खेती की रक्षा, खेती की शिक्षा और खेती की सेवा में भरसक अपना कौशल लगादे। जो ग्वाला दूध-दही-घी तैयार करता है और किसान को अच्छी जोड़ी भेंट कर सकता है वह गाय-बैल के लिए चारा खेतों से ही लेता है। किसान के घर भी अन्न कट जाने पर भुस और पुआल और किस काम आसकता है ? इस तरह गाय का पालना खेती ही का बढ़ा हुआ काम है। सूत-कपास के बिना कोरियों का गाँव बेकार रहेगा। इसलिए गाँवों में जो कोरी और जुलाहे बसे हुए हैं, वे खेती के ही बढ़े हुए कामों को करते हैं। खँडसालें जहां कि खाँड, चीनी और मिसरी तैयार होती है—यहाँ-तक कि शहरों में हलवाईयों की दुकानें भी—खेती के ही बढ़े हुए काम हैं। आजकल तो मैचिस्टर की दानवाकार मिलें भी खेती के ही बढ़े हुए काम समझे जाते, अगर मैचिस्टरवाले अपने आस-पास कपास उप-जाते। सच पूछो तो भारत की सारी सभ्यता लगभग खेती का ही बढ़ा हुआ काम है। इसीलिए गाँव का मुख्य धर्म और मुख्य कर्म खेती ही है। ब्राह्मण माँ-बाप से जन्मा हुआ मनुष्य अपनेको ब्राह्मण कहता है सही, परन्तु जहाँतक उसका काम शिक्षा और पुरोहिती का है वहींतक उसका धर्म ब्राह्मण का है; लेकिन ब्राह्मण के काम से उसका निर्वाह नहीं हो सकता। अपने गुज़ारे के लिए खेती करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है।

क्षत्रिय गाँव का ज़मींदार भले ही हो, या राजा ही सही, मगर अपने नौकरों से भी काम लेकर खेती करता है तो भी उसका काम किसान का भी है। बेचारा मजूर, जिसके पास एक धूर भी धरती नहीं है, अपने मालिक के लिए खेत को जोतता, बोता, निराता और सींचता है। वह भी उसी खेती से अन्न के रूप में मजूरी पाता है। खेती के सहारे चारों वर्ण जीते हैं। इसीलिए सभी रोज़गारियों का समान-धर्म खेती है, और इसीलिए गाँवभर का मुख्य धर्म खेती है।

हमारे देश का आदमी चाहे जन्म से ब्राह्मण ही क्यों न हो, अपने ब्राह्मण-धर्म के सिवाय उसे क्षत्रिय का धर्म रक्षा, वैश्य का धर्म धन-संग्रह और शूद्र का धर्म सेवा, सब कुछ अपने परिवार के लिए करना पड़ता है। जैसे मनुष्य के शरीर में सिर भी है, हाथ भी हैं, घड़ भी है और पाँव भी हैं, बिना इन सब अंगों के कोई मनुष्य पूरा नहीं हो सकता, इसी तरह हर आदमी को, चाहे वह किसी जाति में क्यों न जन्मा हो, अपने दिमाग, हाथों, घड़ और टाँगों आदि सब अंगों से नित्य काम लेना पड़ता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्णों का काम हर आदमी को करना पड़ता है। सिर बड़ा ज़रूरी हिस्सा है, यह अंग कट जाय तो मनुष्य जीता नहीं रह सकता। मनुष्य के जीते रहने के लिए सिर और घड़ का नाता निरन्तर बना रहना चाहिए। हाथ, पाँव, बाँहें और टाँगें कट जायँ तो महासंकट में जीवन की घड़ियाँ काटते हुए भी कुछ समय तक आदमी जी सकता है, परन्तु सिर और घड़ अलग होने पर दो में से एक भी क्षणभर भी जीते नहीं रह सकते। सभी अंग मिलकर जब जतन करते हैं तब मुख के द्वारा घड़ के अंदर भोजन पहुँचता है। घड़ के अंदर ही भोजन पचता है, रस और लोहू बनता है और सारे शरीर में बँटता है। इसीलिए सिर, बाँहें, टाँगें घड़ की रक्षा के लिए

सारे जतन करती हैं; सबका काम धड़ के लिए ही होता है। समाज का धड़ किसान हैं। किसान के लिए ही ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र सभी हैं। किसान-धर्म या वैश्य-धर्म गाँवों का मुख्य धर्म है। इसलिए गाँवों में रहनेवाले सभी गृहस्थों का समान-धर्म किसानी या खेती है, चाहें वे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय हों, या शूद्र हों। हमने जान-बूझकर गृहस्थ शब्द कहा है। देहातों में किसानी को गिरस्ती भी कहते हैं और गृहस्थों के सहारे संसार के ब्रह्मचारी, तपस्वी और संन्यासी सभी जीते हैं। वर्णों में वैश्य और आश्रमों में गृहस्थ मनुष्य-मात्र के लिए पालन-पोषण के जिम्मेदार हैं। गाँव के रहनेवाले भी गृहस्थ ही हैं। साधु-संन्यासी घूमते हैं, तपस्वी वन में तपस्या करते हैं, ब्रह्मचारी विद्या पढ़ने के लिए जहाँ सुभीता होता है वहाँ रहते हैं। गाँव के रहनेवाले गृहस्थ ही हैं और गृहस्थों का मुख्य काम खेती है। हिन्दू-समाज के धड़ यही गृहस्थ, यही किसान, यही खेतिहर हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जाति के हैं, परन्तु सबका मुख्य धर्म है वैश्य-धर्म।

इसलिए हर ब्राह्मण को उचित है कि अपने ब्राह्मण-धर्म का भी पालन करे, मगर खेती के काम में हर तरह मदद दे। आप स्वयं सब कुछ करे और दूसरों को करने के लिए प्रेरणा करे। जब वह हर काम में अगुआ होगा तो उसके गाँव के सभी लोग उसकी देखादेखी अगुआ हो-जायँगे। खेती का कोई काम अपवित्र नहीं है। अपने लिए अन्न उपजाने में हल जोतने से लेकर चक्की पीसना तक अपने भोजन के लिए, और लोढ़ाई-ओटाई से लेकर कपड़े बुनने और रँगने-छापने तक आच्छादन के लिए, सारे पवित्र काम हैं। आजकल के मूर्ख लोग ऊँची जाति का गर्व करके कह बैठते हैं कि हल की मुठिया थामना हमारे लिए पाप है, पर वही अपने सिर पर खाद या मैला उठाकर अपने खेतों में फँकते हैं और

इसमें कोई हर्ज नहीं समझते । हल जोतने में कोई पाप नहीं है । इससे किसीकी जाति बिगड़ नहीं जाती । परन्तु हल की मुठिया अपने हाथ से थामकर न जोतने में खेती खराब होजाती है, समय पर खेत में अन्न नहीं उपजता । हलवाहे की खुशामदें करनी पड़ती हैं और जहाँ देर करके हलवाहा जोतता है वहाँ फसल को नुकसान पहुँचता है । खेत जोतकर अन्न पैदा करना वैश्य का धर्म है और अत्यन्त पवित्र काम है । राजा पृथु और राना जनक ने, जो बड़े भारी राजर्षि थे और जिनके पास बड़े-बड़े विद्वान ऋषि सीखने के लिए जाते थे, अपने हाथ से हल जोतकर इस काम पर पवित्रता की मुहर लगा दी है । हम अगले अध्यायों में वैश्य-धर्म या किसान-धर्म के सम्बन्ध में जरूरी बातें कहेंगे । हम यह बतावेंगे कि किसान की हैसियत से गाँव में रहनेवाले हर गृहस्थ का क्या कर्तव्य है ? यहाँ तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि किसान का एक भी काम अपवित्र या नीचा नहीं है, जिसे किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति वाले को करने में ज़रा भी हर्ज हो ।

इष्ट और अनिष्ट खेती

धरती से सभी तरह की चीजें उपजती हैं। अन्न, वस्त्र और औषधियाँ ये तीन तरह की चीजें आदमी के काम में आती हैं। अन्न आदमी और दूसरे प्राणी खाते हैं, कपड़े आदमी पहनता है, और औषधियाँ जब कोई प्राणी बीमार होता है तब उसे अच्छा करने के लिए बुद्धिमान लोग काम में लाते हैं। अन्न में वे सब चीजें हैं जो प्राणी के पालन-पोषण के लिए जरूरी हैं। दाने आदमी खाता है; डंठल और भूसा पशु खाते हैं। इसीलिए अनाज की खेती आदमी और पशु सबके लिए जरूरी है। अन्न के पकने से पहले बहुत-से छोटे प्राणी उसे खाना शुरू कर देते हैं। आदमी उनके लिए खेती नहीं करता; इसलिए खेती की रक्षा इन छोटे प्राणियों से भी करनी पड़ती है। इनसे बड़े पशु-पक्षी आदि भी अन्न की तैयारी के पहले ही खेत पर चढ़ाई कर देते हैं। इनसे भी खेती की रक्षा इसलिए की जाती है कि अन्न से मनुष्य की रक्षा होती है। ऐसी खेती आदमी के लिए जरूरी है जिससे उसका पालन-पोषण और रक्षण हो। धतूरा, कुचला, सींगिया आदि जहरों की खेती इसीलिए नहीं की जाती कि उनसे मनुष्य को लाभ के बदले हानि होती है। ये सब चीजें जंगलों में होती हैं, वहीसे संग्रह की जाती हैं और दवाई बनानेवाले लोग इन्हें मोल लेते हैं। ये सब चीजें लोगों के काम की नहीं हैं। खेती करनेवाले उन्हीं चीजों की खेती करते हैं जिनकी मनुष्य को ज्यादा जरूरत पड़ा करती है। जिनके नाम हमने लिये हैं वे बड़े तेज विष हैं।

मनुष्य के दुर्भाग्य से बहुत-से विष मनुष्य-समाज में ऐसे फैल गये हैं कि उन विषों की बड़े जोरों से खेती होने लगी हैं, और विषों के खाने की आदमियों में ऐसी कुटेव पड़ गई है कि भारतवर्ष इन जहरों की खेती के लिए संसार में प्रसिद्ध हो गया है। अफीम की खेती का तो संसार के लिए यह ठेकेदार-सा है। यहाँ किसान सरकार से दादनी लेकर खुले मैदान अफीम उपजाते हैं और रुपये के लोभ से कपास और अनाज की खेती छोड़ देते हैं। इस अफीम ने चीन देश को बरबाद कर डाला और भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी आबादी इसी अफीम के जहरों का शिकार है। अफीम पाँच-छः प्रकार के उग्र विषों से मिला-जुला एक पदार्थ है, जो पोस्त की डोढ़ी के छिलकों से रस के रूप में निकलता है। इसकी डोढ़ी के भीतर सफेद-सफेद बारीक दाने निकलते हैं, जिन्हें पोस्त का दाना और खसखस भी कहते हैं। ये दाने खाने में मधुर और ताकत बढ़ानेवाली चीज हैं। इनमें नशे या विष का कोई दोष नहीं है। परन्तु ये बहुत बड़े परिमाण में नहीं होते और भोजन के पदार्थों की तरह काम में नहीं आते। मसालों की तरह बरते जाते हैं। अफीम का चलन जबसे भारत में हुआ तबसे भारतवर्ष की दशा अच्छी नहीं रहि है। यहाँ लोग बच्चों को आमतौर पर अफीम खिलाते हैं। थकावट और जाड़े को भगाने के लिए और किसी बीमारी को रोकने या भगाने के लिए भी लोग अफीम खाते हैं। और साधारणतया नशे के लिए भी अफीम का इस्तमाल बहुत जोरों से होता है। लोग इसके फल को बहुत कम सोचते हैं। अफीम का सेवन करनेवाले के शरीर में जो रोग होते हैं वे सदा के लिए अपनी जगह बना लेते हैं, उनको दूर करने के लिए जो दवायें दी जाती हैं उनका अफीम के होते हुए कोई असर नहीं होता। वे अफीम छोड़ना चाहें तो छूट नहीं सकती। अफीम के नशे के उतर जाने पर उसकी चाट की

तकलीफ़ इतनी ज्यादा होती है कि अफ़्रीमची को अगर अफ़्रीम न मिले तो वह मर जाय। परन्तु यह भ्रम-ही-भ्रम है। जेल में सब क़ैदियों को सब चीज़ें आसानी से नहीं मिल सकतीं। अफ़्रीमची जेल जाते हैं और मुद्दत तक अफ़्रीम नहीं पाते, तब भी वे जेल से बच आते हैं। परन्तु अफ़्रीम का चसका उन्हें फिर भी नहीं छोड़ता। यह वह विष है जो शरीर पर धीरे-धीरे असर करता है और अन्त में मरने के दिनों से बरसों पहले मार डालता है।

पोस्त की तरह तम्बाकू की खेती भी हमारे देश में बहुत होती है। तम्बाकू के पीनेवाले तो अफ़्रीमचियों से गिनती में अत्यंत अधिक बढ़े हुए हैं। जिन लोगों में जाति के नियम के कारण तमाखू नहीं पी जाती, उन लोगों में भी चोरी-छिपे लोग तमाखू पीते हैं। फिर उनके क्या कहने हैं जिनके यहाँ तमाखू की कोई मनाही नहीं है ! उनके यहाँ तो बालक जवान और बूढ़े सभी तमाखू पीते हैं। बहुत जगह तो औरतें भी तमाखू पीती हैं। सिगरेट और बीड़ी ने तो मानों देश पर विजय पा रखी है। बड़ों की देखादेखी नन्हे-नन्हे बच्चे तक सिगरेट और बीड़ी पीते हैं। हमारा अनुमान है कि बत्तीस करोड़ आदमियों में से कम-से-कम दस करोड़ आदमी जरूर तमाखू पीते हैं। अगर हम मान लें कि आठ करोड़ आदमी धेले की तमाखू रोज़ पीते हैं तो भारतवर्ष में सवा छः लाख रुपये नित्य फूँक दिये जाते हैं और ये सवा छः लाख रुपये पीने-वालों को भैंति-भैंति के रोगों में फँसाते हैं और उनकी उमर कम कर देते हैं। “आध सेर तमाखू में इतना विष होता है कि जो तीन सौ आदमियों के प्राण ले सकता है।” “एक मामूली सिगरेट में की तम्बाकू से दो आदमियों की जान ली जा सकती है। तीस ग्रेन की तम्बाकू की चाय एक आदमी के दर्द को कम करने के लिए दी गई और वह फ़ौरन

मर गया ।”^१ सूँघनी सूँघने से, तमाखू खाने से और तमाखू पीने से, सब तरह से, आदमी के शरीर में ज़हर का प्रवेश होता है । तमाखू किसी तरह पर सेवन करो, उससे दिमाग सूख जाता है, खून पतला होजाता है, फेफड़े कमज़ोर हो जाते हैं और हृदय की क्रिया सुस्त पड़ जाती है । खाँसी और कब्ज़ शरीर के भीतर अपना घर कर लेते हैं और अन्त में दमा, क्षयरोग, हृव्रोग, नेत्ररोग, नपुंसकता और पागलपन तक तम्बाकू के सेवन से होजाता है । परन्तु आज यही सर्वनाश करनेवाली चीज़ गाँव की चौपाल में स्वागत-सत्कार की चीज़ बन गई है । संसार में तमाखू ने बहुत भारी विजय कर रखी है । कोई देश छूटा नहीं है । परन्तु हमें तो अपने देश से मतलब है । हमें अपने गाँवों की चिन्ता है, जहाँ अफ़ीम और तमाखू की खेती होती है । भाँग-गाँजे की खेती भी होती है, पर वह इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि तमाखू और अफ़ीम की होती है । इनकी खेती ने हमारे देश में ज़हर का प्रचार कर रखा है और अन्न और कपास की खेती को रोक रखा है । लाखों रुपये नित्य ऐसे काम में फूँक जाते हैं जिनसे भले-चंगे आदमी रोगी हो जाते हैं और हट्टे-कट्टे जवान मौत के अधिक पास चले जाते हैं । इनकी खेती करना महापातक है । किसानों को चाहिए कि अपनेको इन नशों से दूर रखें और देश को इन नशों से बचावें । सब किसान मिलकर एका करलें कि हम शैतान के भुलावे में न आवेंगे । हम पैसों के लोभ के लिए अपनी और अपने भाइयों की गाढ़ी कमाई के रुपयों का खून न करेंगे । अपनी और अपने भाइयों की जान इतनी सस्ती न बेचेंगे और नशा पिलाकर जो लोग भारत को लूट रहे हैं उनकी लूट में हम कभी मदद न देंगे ।

१. ‘शतान की लकड़ी’ से । सस्ता-साहित्य-मण्डल द्वारा प्रकाशित ।

अनाज की खेती इष्ट खेती है और इन विषयों की खेती अनिष्ट खेती है। किसान का धर्म रक्षा है, नाश नहीं। सच्चा किसान ऐसा रोज़गार करेगा जिससे उसको और उसके भाइयों को लाभ हो। वह रोज़गार जान-बूझकर न करेगा जिससे उसका और उसके देश का सर्वनाश होजाय। अतः इस अनिष्ट खेती को छोड़कर हमें इष्ट खेती में लगना चाहिए। हमने कपास की खेती बिल्कुल छोड़दी है। उसका फिर से उद्धार करना चाहिए। हमें अच्छे प्रकार की कपास के बीज लेकर मन लगाकर उसकी खेती करनी चाहिए। कपास की खेती इष्ट खेती है। इससे रोग फैलने का डर नहीं। किसीकी आयु इससे घटनेवाली नहीं है। हम इससे पैसे भी पा सकते हैं और अपने देश को कपड़े भी पहना सकते हैं। कपास की उत्तम प्रकार की खेती तो करने ही से आवेगी, परन्तु उसके लिए थोड़ा-बहुत उपाय तो हम यहाँ बतावेंगे।

किसान का कल्पवृक्ष कपास

१. कपड़े से अन्न की रक्षा

संसार में जितने प्राणी हैं उन सबके जीते रहने के लिए भोजन और पानी जरूर चाहिए। घास से लेकर बड़े-बड़े पेड़ तक, बहुत नन्हे-नन्हें कीड़े-मकोड़ों से लेकर हाथी तक, और उड़नेवाले पतंगों से लेकर बड़े-से-बड़े पक्षी तक, और मनुष्य को भी—चाहे वह जंगली, गँवार और भिखमंगा हो और चाहे शहर का पण्डित या राजा हो—अन्न और पानी जरूर चाहिए। जितने प्राणियों के नाम हमने लिये हैं उन सबमें आदमी ही ऐसा प्राणी है जिसको जाड़े में शीत से बचने और अपनी लाज ढकने तथा इज्जत-आबरू से रहने के लिए कपड़ा भी चाहिए। पशु-पक्षी में और आदमी में यह बड़ा भारी भेद है कि आदमी को कपड़े भी चाहिएँ, पशु-पक्षी को नहीं।

आदमी धरती से अन्न उपजाता है और किसी-न-किसी तरह पेट भरने की फ़िक्र कर लेता है। परन्तु उसको कपड़ा भी चाहिए, यह चीज़ उसे बनी-बनाई धरती से नहीं मिल सकती। जंगल में रहनेवाले आदमी मारे या मरे पशु की खाल ओढ़कर काम चला सकते हैं। गाँव के आदमी भेड़-बकरी का ऊन कतरकर कम्बल आदि बना सकते हैं। पर यह इतने सुभीते की चीज़ नहीं है। सबसे ज्यादा सुभीता इसीमें है कि हम जैसे धरती से अन्न पैदा करते हैं वैसे ही कपड़ा भी उपजावें।

हमारे देश में लगभग तीन पीढ़ी पहले अन्न की तरह कपड़ा भी

उपजाया जाता था। और किसान लोग रुई, सूत और कपड़ा तैयार करके आप पहनते और जग को पहनाते थे और सुखी रहते थे। खाने और कपड़े से वे बेफिक्र रहते थे। अन्न उपजाने के काम में जितने दिन लगते थे उससे बचे दिनों में वे कपड़े की तैयारी का काम करते थे। सूत कातते थे और खद्दर तैयार करते थे। किसी घड़ी बेकार नहीं रहना पड़ता था। बच्चे, जवान, बूढ़े, नर-नारी सभी सूत के काम में लग सकते थे, सभी काम-काजी थे, सभी महनती थे; इसीसे बहुत कम रोगी होते थे, बहुत कम भूखों मरते थे, लोग दुखी-दरिद्री नहीं थे। सूत का यह पवित्र काम हर किसान करता था। जबसे लक्ष्मी-माई का यह काम हमारे हाथों से निकल गया और विदेशियों के हाथ लग गया, हमारे देश में दरिद्रता ने घर कर लिया और लोग आलसी हो-गये, क्योंकि उनके पास काम न था। बेकार बैठे रहा नहीं जाता तब आपस में झगड़े होते हैं, मुकदमेबाजी होती है। हुक्का, तमाखू, अफीम, शराब, भंगादि की बुरी लत लग जाती है। बेकार आदमी भूखों तो मरता ही है, लेकिन उसकी मेहनत-मजूरी की बान भी छूट जाती है। भूख से सताये हुए आदमी की ताकत घट जाती है। दुबले शरीर के ऊपर रोग सहज में चढ़ाई कर लेता है और आदमी का शिकार कर लेजाता है।

यह सब हमारे देश में हमारी आँखों के सामने नित्य होरहा है। यह सब क्यों होरहा है? इसीलिए कि हमारे देश में विदेशी रोजगारियों ने आकर हमारा कपड़े का रोजगार छीन लिया। हमारे यहाँ के अच्छे बीज लेजाकर विदेशों में खूब फैलाये और कपड़े का रोजगार खूब करने लगे। इतने पर ही वे सन्तुष्ट नहीं रहे। वे पहले हमसे कपड़ा खरीदकर लेजाते थे, अब वे अपना कपड़ा खुद बनाने लगे थे। इससे हमारा उत्तना बिगाड़ न था। पर उन्होंने एक दूसरी बात की। कल-

बल, कर-बल और छल-बल से उन्होंने हमको गाहक बना लिया। अपना तन ढकने के लिए, अपनी लाज छिपाने के लिए, शीत से बचाने के लिए, और इज्जत-आबरू रखने के लिए हम उन्हींके मोहताज रहने लगे और उन्हें अपने अनाज देकर उनका दिया कपड़ा पहनने लगे। यह किस तरह ? समझ लीजिए कि आप अनाज बेचकर पैसे लेते हैं। उन्हीं पैसें से विदेशी कपड़े लेते हैं। वही अनाज विदेश जाता है। कपड़े उसी नाज के बदले आते हैं। इस तरह आप विदेश को अनाज और कपास भेजकर कपड़े मँगवाते हैं और देश अन्न बिना भूखों मरता है। इस तरह हमारा अन्न भी गया और कपड़ा भी गया, और हम दरिद्र भी होगये। आलस, रोग, भूख के शिकार होगये। हमारी अकल मारी गई।

गई लक्ष्मी बटोरने का क्या कोई उपाय भी है ? गया रोज़गार फिर लौट आवे, इसके लिए हम क्या करें ? यह हर किसान को पूछना चाहिए। और सोच-समझकर कुछ-न-कुछ करना चाहिए, नहीं तो उजड़ते-उजड़ते हम भारत से उजड़ जावेंगे और हमारी मन्तानें दूर के टापुओं में और विदेशों में गिरमिट की गुलामी करते-करते अपनी मनुष्यता भी खो बैठेंगी और विदेशों की गुलामों की बस्ती बना देंगी।

किसान भाइयों को ऊपर के सवालों का जवाब हम बताते हैं। ध्यान से सुनिए, मन लगाकर विचार कीजिए और हाथ-पाँव से काम लेकर उस उपाय को व्यवहार में लाइए।

२. सम्हलने के उपाय

पहली बात तो यह है कि कोई विदेशी आकर डंडे के बल से हमको विदेशी कपड़े लेने के लिए लाचार नहीं करता। हम तो अपनी खुशी से खरीदते हैं। भूल हमारी है। हम न खरीदें तो कोई हमें लाचार नहीं कर सकता। इसलिए पहली बात यह है कि किसान का बच्चा यह

व्रत लेले कि हम विदेशी कपड़ा हाथ से छुवेंगे नहीं, तन से लगायेंगे नहीं, क्योंकि इसी महापाप ने हमारा रोज़गार छीना और हमको दुखी और दरिद्र बनाया, हमारी इज्जत-आबरू मिट्टी में मिलादी और हमारे भाइयों को गुलामी करने के लिए फुसलाकर विदेशों में ले गया। भगवान के सामने उनको गवाह करके सच्ची प्रतिज्ञा लेलो, वचन देदो कि हम विदेशी कपड़ा नहीं खरीदेंगे। इस तरह हम विदेशी रोज़गारियों के गाहक बनने से इनकार कर देंगे। हम नहीं लेंगे तो कोई हमारे गले नहीं लगा सकता। यह तो हमारे पसन्द की बात है।

यह पहली और बहुत बड़ी बात हुई। चालें चलके हमको गाहक बना लिया था, अब हम गाहक नहीं रहेंगे। विदेशी कपड़ा मोल न लेंगे। इस ज़रूरी काम के बाद दूसरा काम यह रह जाता है कि अपना गया रोज़गार हम फिर से करने लगे।

और हमें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने विदेशी कपड़ा मोल लेने से इनकार कर दिया है। हम अपने लिए कपड़ा बनावें या बनवावें तभी तो हम पहन सकेंगे। जो हमने व्रत कर लिया है उसको पूरा-पूरा पालन करने के लिए हमें अपना पुराना रोज़गार करना ही पड़ेगा। हमको अपना दारिद्र्य दूर करना ही पड़ेगा। अपने देश का बनाया कपड़ा पहनने से दो बड़े-बड़े लाभ होंगे। एक तो यह कि हमारा अन्न बचेगा और हम भरपेट खासकेंगे; दूसरा यह कि हम जो छः-छः महीने बेकारी में, आलस में, लड़ाई-झगड़े में, नशेपानी में, रोग-दोष में और तरह-तरह के कष्टों में बिताते हैं, वे सब संकट दूर होजावेंगे और बेकारी की घड़ियों को कपास के ओटने में और सूत कातने में और खद्दर बुनने या बुनवाने में लगाकर हम अपनी इज्जत-आबरू अपने हाथ रक्खेंगे और अपनेको अधिक सुखी, बलवान और चिरजीवी बनावेंगे।

यह रोजगार हमारे लिए भगवान का वह मंगल-आशीर्वाद होगा जिससे कि हमारे गये दिन लौट आवेंगे और हमारी लक्ष्मी हमारे देश में रहेगी और हम अन्न से और धन से सुखी रहेंगे। महात्मा गाँधी ने किसानों के उद्धार के लिए यह एक ऐसा उपाय निकाला है कि इसमें किसीका जोर-जुल्म नहीं है और कोई इस उपाय के बरतने में रुकावट नहीं डाल सकता। किसान को कमर बाँधकर काम में लगजानेभर की देर है।

इस काम में लग जाने के लिए हमको पहलेपहल क्या करना चाहिए, इसके लिए हम इस छोटी पोथी में किसान भाइयों को उचित सलाह देंगे।

३. कपास

धरती-माता जैसे हमको अन्न देती है वैसे ही कपड़ा भी पहनाती है। आप जैसे खेती से अनाज उपजाते हैं वैसे ही कपास भी उपजाइए। कपास की खेती हमारे देश में किसी समय में बड़ी अच्छी होती थी। हर किसान जैसे अपने लिए खाने को अन्न उपजाता था वैसे ही अपने पहनने के लिए कपड़ा भी उपजाया करता था। हिसाब लगाया गया है कि हमारे देश में हर आदमी को तेरह-चौदह गज कपड़ा हर साल कम-से-कम चाहिए। अगर घर में पाँच प्राणी हैं तो पैंसठ से लेकर सत्तर गज तक कपड़ा चाहिए। इसमें बच्चों और बूढ़ों का बराबर हिसाब रखना होगा, क्योंकि किसीको कम कपड़ा लगता है और किसीको ज्यादा। अगर हम मानलें कि सेरभर में सात गज खदर बनेगा तो हमको सालभर के खर्च के लिए इस छोटे-से कुटुम्ब-भर के लिए दस सेर अच्छी रुई चाहिए और दस सेर रुई के लिए कम-से-कम तीस सेर कपास की जरूरत है। हमारे देश में आजकल कपास की खेती की दशा बिगड़ी हुई है। अच्छी दशा में एकड़ पीछे ढाई मन रुई होनी

चाहिए, यानी साढ़े सात मन कपास उपजनी चाहिए। लेकिन देखा गया है कि एकड़ पीछे पैंतालीस सेर रुई निकलती है, अर्थात् साढ़े तीन मन से ज्यादा कपास नहीं होती। इस हिसाब में चालीस सेर का मन रक्खा गया है और ८० रुपयों भर तोल का सेर रक्खा गया है।

किसान अगर मेहनत करे तो शुरू-शुरू में उसे एकड़ पीछे पैंतालीस सेर रुई तो जरूर मिल जाय। पाँच प्राणी के परिवार में जितना कपड़ा सालभर में लगता है उसकी ड्योढी रुई एक एकड़ में उपजती है। हमने यह हिसाब मोटे सूत का लगाया है। परन्तु एक-दो साल के बाद जब अभ्यास होजायगा और किसान बारीक सूत कातने लगेगा तो इतने ही में अपने खर्च से तिगुना और चौगुना कपड़ा बनवा सकेगा। बारीक कताई किसान के हाथ का खेल है। उसीके बस की बात है। वह अपना मुनाफा मेहनत करके और मन लगाकर बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। यह तो रोजगार की बात है, जितना ही गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। बीज अच्छे चुने जायँ, मिट्टी अच्छी मिल जाय, खाद और सिंचाई का उचित बन्दोबस्त होजाय, और बोआई ठीक रीति से की जाय, तो दिन-पर-दिन इस रोजगार की बढन्ती होसकती है। कपास अच्छी उपजेगी, ओटाई और धुनाई कायदे की होगी, सूत बराबर बारीक और ठीक-ठीक बटा हुआ कतने लगेगा और खद्दर बारीक और मजबूत बनने लगेगा, तो संसार की कोई ताकत नहीं है जो हमारे इस धन बरसानेवाले रोजगार को हमसे छीन ले। इसमें एक और केवल एक ही शर्त है, कि हम सब प्राणी कसम खालें कि अपना उपजाया हुआ ही कपड़ा पहनेंगे और विदेशी कपड़े की छाया भी छूना महापातक समझेंगे।

इसलिए हर किसान को, जो विदेशी कपड़े के न लेने और न छूने का व्रत लेता है, यह भी जरूरी है कि अगर उसके पास खेत हो तो

एकध एकड़ कपास बोना अपना धर्म समझे और इसका भी व्रत लेले ।

साथ ही उसे यह भी याद रखना चाहिए कि भरसक खानेभर को अन्न और परिवारभर के पहनने के लिए काफी कपास अपने पास संग्रह करके तब बेचने का नाम ले । और बेचे भी तो बची-खुची कपास और अनाज अपने देश के उन भाइयों के हाथ ही बेचे जो या तो कम उपजा सकते हैं या खुद नहीं उपजा सकते । भरसक ऐसों के हाथ अन्न या कपास न बेचें जो उसे विदेशों में पहुँचवा दें । आगे चलकर हम खेती के सम्बन्ध की और बातें बताते हैं ।

४. कपास की जातियाँ

कपास अनेक जातियों की होती है । कोई-कोई कपास किसी देश में धरती और जलवायु के भेद से ज्यादा उपजती है, वही दूसरे देश में कम उपजती है । हमारे देश में कपास की खेती बिल्कुल उठ नहीं गई है, बहुत जगह होती है । बानी, जारी, पंजाबी, लारिया, विलायती, बागड़, मठिया और देव कपास प्रसिद्ध जातियाँ हैं ।

इनके सिवाय कपास के और भी भेद हैं :-

(१) भोगला ।	(७) हिंगनघाट ।
(२) राम कपास ।	(८) सी० आई० लैंड ।
(३) अमेरिकन ।	(९) कारोलाइन ।
(४) धारवाड़ ।	(१०) जार्जियन ।
(५) नरमा ।	(११) डानकन ।
(६) गारोहिल(आसाम में) ।	(१२) ओलना, इत्यादि ।

इनमें से नरमा, अमेरिकन, गारोहिल, हिंगनघाट और ओलना के पौधे बहुत दिनों तक फला-फूला करते हैं ।

युक्तप्रान्त में देशी और अमेरिकन कपास की खेती होती है । देशी

कपास की कई जातियाँ हैं जिनमें से कुछ अच्छी जातियाँ निकाली गई हैं।

अलीगढ़ की सफ़ेद फूल वाली कपास—देशी कपास में पीले फूल के साथ कुछ सफ़ेद फूल के पौधे भी होते हैं, जिनको चुनकर अलग बोया गया और उसकी कपास ओटने से रुई का परता पीले फूलवाली से अच्छा रहा, साथ ही उसका तार भी कुछ अच्छा हुआ। सफ़ेद फूल-वाली कपास की यह जाँच अलीगढ़ में हुई, इसीलिए यह अलीगढ़ के नाम से कही जाती है। पीले फूलवाली कपास से १ मन में लगभग १३ सेर रुई निकलती है, और सफ़ेद फूलवाली से करीब १६ सेर। इसका बीज अलीगढ़ के सरकारी खेती-विभाग से मिल सकता है। कहीं-कहीं चतुर किसान देशी कपास में से इस जाति का चुनाव आप करने लग गये हैं।

इसकी खेती में सब क्रियायें मामूली पीले फूल की कपास की तरह होती हैं। हाँ, इसके लिए दुमट भूमि मिले तो अच्छा है और सम्भव हो तो बुआई वैशाख और जेठ के महीनों में कुएँ, नहर या तालाब से सिंचाई करके करते हैं; नहीं तो पानी बरसने पर करते हैं। यदि वर्षा ठीक समय पर न हुई तो बीच में पानी देते हैं। परन्तु खेत में नमी रहे, पानी न भरने पावे। जब पौधा छोटा ही हो और जब फूल लगने लगे उस समय पौदे को नमी अवश्य मिलनी चाहिए। सफ़ेद फूल की कपास के खेत में यदि कोई पौधा पीले फूल का दिखाई दे तो उसको उखाड़ देते हैं जिसमें बमेल न पैदा हो।

देशी कपास की दूसरी जाति जिसका रेशा मुलायम होता है और पैदावार भी अच्छी होती है जालौन की कपास है। यह बुन्देलखंड और वैसी ही भूमि और जलवायु के उपयुक्त है। आसपाम के जिलों में इसकी खेती अच्छी हो सकती है।

अमेरिकन की जो जाति यहाँके अनुकूल है वह कानपुर-अमेरिकन (काग) कहलाती है। इसका रेशा लम्बा और मुलायम होता है। इसकी खेती के लिए अच्छी भूमि, सिंचाई और सम्हाल की बहुत जरूरत है। अतएव साधारण किसानों को इसमें कठिनाई पड़ती है। परन्तु पहले सिंचाई ठीक होजाय तो बरसात कम या अधिक होने से इसको इतना नुकसान नहीं होता जितना देशी कपास को होता है। इसके लिए दुमट या खाद डाली हुई रेतीली दुमट भूमि अच्छी होती है; ऊसर, मटियार और पानी-भरी धरती काम की नहीं होती।

जिन खेतों में ईख और गेहूँ की फसल हो वे इस कपास के लिए उपयोगी हैं। इसके बोने में कूंडों का अन्तर कुछ अधिक रखना चाहिए, अर्थात् कूंडे तीन फुट के अन्तर से हों और बीज भी उतने ही अन्तर से बोये जावें। दो-तीन बीजों को हाथ से गड़हा कर बोते और ऊपर से मिट्टी ढकते हैं। पौदे के हाथभर का होजाने पर छँटाई की जाती है। एक गड़हे में एक अच्छा पौदा छोड़ औरों को उखाड़ उस जगह जमाते हैं जहाँ पौदे नहीं उगते और ठिठुरकर मर जाते हैं। यदि कोई देशी कपास का पौदा हो तो घना करने से बचाने के लिए उसको उखाड़ देते हैं।

अमेरिकन का पौदा नरमा की तरह कई वर्षों तक फसल दे सकता है, यदि दूसरी फसल बोने के लिए उखाड़ न डाला जाय। खेत की सब कपास बीन लेने पर पौदों को खड़ा रहने देते हैं। पूस में वर्षा न हो तो पानी दिया जाता है और निराई गुड़ाई की जाती है। फागुन-चैत में फिर एक पानी देते हैं, इस रीति से जेठ में फिर फसल होजाती है और वह पहले से ज्यादा अच्छी होती है।

गुजरात और काठियावाड़ में अच्छी जाति की कपास होती है।

साबरमती के आश्रम में कपास की खेती करके कुछ जातियों की जाँच की गई है। उसका फल हम नीचे देते हैं।

सूरती कपास—यह बढ़िया है। इसका रेशा मुलायम, मजबूत और लम्बा होता है। यह कपास चिकनी, काली और बलुही तथा रेवटी जमीन में अच्छी होती है। बोने के छः महीने बाद उसमें टेंटुए लगने लगते हैं। कोई चार महीने में फूलने लगती है। उस समय पानी बरसता रहे तो नुकसान होता है। उस समय उसे धूप की जरूरत होती है। इसलिए जहाँ बरसात का मौसम चार महीने से ज्यादा हो वहाँ देर से यह कपास बोनी चाहिए। इसके रेशे एक इंच लम्बे होते हैं। पाखाने की खाद देने में रेशे लम्बे और पैदावार ज्यादा अच्छी हो सकती है।

माठिया—काठियावाड़ में एक जाति **माठिया** कपास की होती है जो चार मास में टेंटुए देने लगती है। यह इसका खास फायदा है। थोड़े पानी पर यह हो सकती है और कम गहरी जमीन में भी उग सकती है। लेकिन गहरी जमीन में तथा ज्यादा पानी में यह अच्छा फल देती है। यह कपास हलकी मानी जाती है, परन्तु तो भी उसकी मामूली दरजे की रुई से चरखे पर १५ अंक के लगभग मजबूत सूत निकल सकता है। जुताई जैसी अच्छी होगी वैसा रेशा भी लम्बा होगा। उसका रेशा आधे इंच तक का हो सकता है। उसके बिनौलों को ढाई-ढाई बिल्लु की दूरी पर बोना चाहिए। यह कपास ऊँचे बेंत की तरह खड़ी होती है। इसलिए इसे ज्यादा दूर-दूर बोने की जरूरत नहीं है।

हमारे देश में कुछ कपास के पेड़ों की जातियाँ हैं, अर्थात् जिन कपासों का पौदा पेड़ की तरह बड़ा और ऊँचा होता है और बराबर कपास दिया करता है। जिन जगहों में कपास की खेती करने में रुका-

बट होती है वहाँ चरखा चलाने के लिए कपास के पेड़ घर के पास या हवा में या आँगन में लगाने से बहुत काम निकल सकता है। संयुक्तप्रान्त में इस कपास को नरमा कहते हैं। देव कपास, जिसे जटा कपास भी कहते हैं, महाराष्ट्र, करनाटक और बंगाल में भी बहुतायत से होती है। यह बहुत मुलायम और लम्बे रेशेवाली है। इससे ८० या १९० अंक तक का महीना सूत चरखे पर काता जा सकता है। पहले इसी कपास के जनेऊ बनते थे। यह कपास अरण्ड के पेड़ की तरह बड़ी होती है। इसलिए इसे पाँच-पाँच हाथ की दूरी पर लगाना चाहिए। यह पेड़ एक बरस का हो जाने पर बारहों मास फला-फूला करता है। हमारे देश में बहुत जगह यह पेड़ घरों के आँगन में खड़ा दिखाई देता है। कहते हैं कि खेतों की हद बाँधने के लिए भी यह कहीं-कहीं चारों ओर लगाया जाता है। इसकी पत्तियाँ गहरी और चमकीले रंग की होती हैं। इसके टेंदुए तीन-तीन पंख वाले लम्बे और नुकीले होते हैं। इसकी रुई बीज पर उगी हुई नहीं बल्कि उसके आसपास लिपटी हुई होती है।

इस कपास की रुई को जो ताँत से पीजा जाय तो वह खराब होजाती है। उसमें गाँठें पड़ जाती हैं और ऐसा मालूम होता है कि उसके तन्तु टूट जायँगे। इसलिए इसकी रुई हाथ से पीजी जाती है। उसमें किसी प्रकार की गर्द भी नहीं होती, न लोढ़ने-पर-लोढ़ने के कारण उसमें झुरिया ही पड़ जाती हैं। अर्थात् एक तो उसके पीजने में देर नहीं लगती और दूसरे पीजी भी सुन्दर जाती है। इस कपास की रुई से ६०-७० अंक तक का सूत कता हुआ देखा गया है। सफ़ाई भी अच्छी होती है।

कुछ लोग इस कपास को बिना ही बीज निकाले उसके कोश पर से ही एकदम (बिना ओटे या बुने) कातने लग जाते हैं। जिस प्रकार ऐरी रेशम को कातते समय उसके कोश पर से तार निकलता

जाता है उसी प्रकार इसके कोश पर से भी तार निकलता जाता है और रुई खत्म होजाने पर हाथ में बिनौले रह जाते हैं। पर उसे इस तरह कातने से उसका दुरुपयोग होता है। रुई अलग निकालकर कातने से एक तो सूत अधिक महीन निकलता है और वह जल्दी भी काता जाता है, दूसरे तार भी बराबर काता जासकता है। रुई को बीज पर से निकालने में कुछ देर भी नहीं लगती, इसलिए उसे कोश पर से कातना अच्छा होता है।

तीनी कपास या सिरंज कपास—तीनी कपास विदेशी है। उसकी पैदाइश तिनेवल्ली जिले में की जाती है। उसके बीज की आकृति देशी कपास के बीज जैसी ही होती है, किन्तु वह कद में उससे आधा होता है। कपास को फँलाने से बीज पर ज़रा भी रुई नहीं रहती। इस कपास की पत्तियों के दोनों तरफ़ एक-एक या दो-दो छोटी-छोटी नोकें होती हैं। अगर इसके पौदे की अच्छी तरह हिफाज़त की जाय तो इसका एक अच्छा छोटा-सा पेड़ होजाता है। तीसरे साल से कपास देने लगता है। इसकी रुई मुलायम और लम्बे तन्तुवाली होती है। इस कपास की लगभग २८ फी सैकड़ा रुई निकलती है। इसके तन्तु की लम्बाई ३ से १ इंच तक होती है। इसको लोढ़ने पर ओटने की ज़रूरत नहीं होती। हाथ से ही उसके बीज अलग कर दिये जासकते हैं। इसकी रुई की ताक़त देशी रुई से कम पाई गई है। पर इसका कारण यह होगा कि इसका तन्तु देशी रुई के तन्तु से ज्यादा महीन है और इसीसे उससे महीन सूत भी काता जासकता है।

हीरमणी—यह भी एक पेड़-कपास है, जिसका पौधा पाँच-छः फुट ऊँचा होता है। इसका बीज मामूली बीज के बराबर ही रंग में हरा-सा होता है। इसकी रुई चमकीली, उजली और लम्बे मज़बूत रेशेवाली

होती है। इसका रेशा बीज से झट अलग नहीं होता। रेशे की लम्बाई भी अच्छी होती है और सूत मजबूत निकलता है। यह चार-पाँच बरस तक बराबर फलता रहता है। इसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर दिया जाय तो उपज भी अच्छी हो। इसके फूल रेशमी लाल रंग के होते हैं, इससे आँगन की शोभा भी बढ़ती है।

बारिया कपास या रोजीकपास—यह कपास गुजरात में होती है। यह भी पेड़-कपास का नमूना है। इसके पौधे को काटा न जाय तो वह पेड़ या बेल के रूप में बढ़ता है।

गारो कपास—यह कपास मौसमी जाति की है। इसके रेशे आध इंच से भी छोटे और ऊन जैसे खुरदरे होते हैं। इसके एक-एक टेंटुए की कपास में करीब १४ बीज मिलते हैं। गुजरात की खेत की कपासों में आम तौर पर ७ बीज होते हैं। गारी कपास गारो नाम के पहाड़ पर उगाई जाती है, इसलिए यह नाम पड़ा है। इस कपास की रुई ऊन की तरह होती है। ऊन की मिलों में उसमें मिलाने के लिए विलायती सौदागर इसकी सैकड़ों गाँठें खरीदकर बाहर भेजते हैं।

कम्बोडिया—यह कपास भी देशी कपास की तरह सिर्फ एक ही साल फसल देती है। यदि इसकी अच्छी हिफाजत की जाय तो दो-दो साल तक भी इससे फसल मिल सकती है। पर इसका एक पौधा सत्याग्रह-आश्रम पर कई खास अनुकूलताओं के कारण दूसरे साल करीब ६ फीट जगह में फैल गया और उसपर से करीब ५ सेर कपास उतरा। यदि बन्दरों से वह सुरक्षित रहता तो इतनी ही कपास और भी वह देता। कपास के कोमल टेंटुए बन्दरों को स्वादिष्ट लगते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि मनुष्य भी कभी-कभी उसका शौक कर लेते हैं।

बारिश शुरू होते ही वह पौधा खूब फैला और बाद जब बारिश

बहुत दिन तक टिकी तो उसकी पत्तियों में एक प्रकार का कीड़ा लग गया, वे झुक गईं और मुरझाकर झड़ने भी लगीं। अतः उसको हमने काट दिया। वह फिर से लहलहाने लगा और उसपर से ऊपर लिखे अनुसार कपास निकला। उसकी रुई बहुत सफेद और टेंटुए भरे हुए थे। उसकी रुई फी सैकड़ा ३३ आई है। तन्तुओं की—बिलकुल आखिर के टेंटुओं के तन्तुओं की—लम्बाई भी लगभग एक इंच थी, यद्यपि लगभग आधे तन्तु थोड़ी लम्बाई के अर्थात् ३ इंच के होते हैं। बीज के सिर पर के तन्तु बड़े-बड़े, मजबूत और बढ़िया होते हैं, पर उनकी मोटाई ऊपर लिखे दोनों कपासों से अधिक है। अच्छी सूरती कपास की रुई की अपेक्षा भी उसकी मोटाई अधिक मालूम होती है। उसकी रुई मजबूत और बहुत सफेद होती है। उसका पौधा जल्दी नहीं सूखता, अतः कपास चुनते समय उसमें सूखी पत्तियों आदि का मेल नहीं होता और रुई बहुत स्वच्छ रहती है। ऊपर बताये हरेक पेड़-कपास की रुई भी इसी प्रकार स्वच्छ होती है।

साधारण कम्बोडिया—कम्बोडिया कपास का एक पौधा कुछ दूसरी ही बातें बताता है। वह भी दो साल का था। वह ऐसी ज़मीन में पैदा हुआ था, जहाँ ईंटों के टुकड़े और भूसा पड़ा हुआ था और जो बिना जोती हुई थी। बारिश के शुरू होने पर वह भी खूब फैला और दो-ढाई मास में उसमें टेंटुएं लगने लगे थे। उसकी पतली और कमज़ोर टहनियाँ तथा सिरें काट दिये गये और करीब पचास अच्छे भरे हुए टेंटुए रहने दिये गये। इससे चार मास पूरे होते ही उनमें से रुई उतरने लगी और एक मास में फसल पूरी आगई। इसकी रुई बड़ी महीन और बढ़िया थी और उसके तन्तु भी एक इंच से कुछ लम्बे थे। यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि नमाम पैदावार थोड़े ही समय में

पूरी मिल गई। उस पोथे का धिराव कोई तीन वर्गफुट था और उसमें से सब मिलकर कोई १० तोले कपास निकली।

५. भूमि

सब धरतियों में दुमट जाति की धरती सभी तरह की खेती के लिए बहुत अच्छी भूमि कही जाती है और कपास की खेती के लिए तो और भी लाभकारी है। दुमट भूमि का रंग कुछ पीलापन लिये रहता है, इसी कारण कहीं-कहीं इसे पीली मिट्टी भी कहते हैं।

काली मिट्टी की भूमि भी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी समझी जाती है और कपास के साथ तो इसका ऐसा घना सम्बन्ध है कि काली मिट्टी की भूमि को कपास की भूमि के नाम से पुकारते हैं। यह भूमि हर तरह की जिन्स के लिए उत्तम मानी गई है। ऐसी मिट्टी को मार या करेल भी कहते हैं। दक्षिण भारत, मध्यभारत, बुन्देलखंड, बरार और संयुक्तप्रान्त की भूमि कपास के लिए बहुत उपजाऊ है, क्योंकि काली मिट्टी इन स्थानों में बहुतायत से पाई जाती है। थोड़ी-बहुत दूसरी जगहों में भी है। ऐसी मिट्टी में कपास बोने से पानी की कम जरूरत पड़ती है। इस भूमि में थोड़ा पानी ही फसल के लिए बस होता है। इसे गीला जोतने से बड़े-बड़े ढेले होजाते हैं और सूख जाने पर बड़ी कठिनाई से टूटते हैं। इसलिए वर्षा के बाद इस धरती की बड़ी देखभाल करनी होती है। गरमी में यह भूमि तड़क जाती है और वर्षा में इतनी भर जाती है कि चलना कठिन होजाता है।

ऊपर तीन-चार इंच लाल और फिर काली भूमि भी उपजाऊ होती है। जब नये जंगल को तोड़कर कपास बोते हैं तो तीन-चार बरस तक ज्यादा परिश्रम न भी किया जाय तो भी उपज अच्छी होती है। पर आगे के लिए भूमि की ताकत बढ़ानी पड़ती है।

जिस भूमि में चूना अधिक हो, जो खुली हुई हो, हलकी हो, जिसमें तीन भाग रेत और एक भाग चिकनाहट हो, उस भूमि को कपास अधिक चाहती है। जिस भूमि में गन्ना, गेहूँ, ज्वार, चना होते हैं कपास भी उसमें भलीभांति होसकती है। कपास के लिए नरम धरती (जिसमें मिट्टी कम और रेत अधिक हो) लाभदायक है, क्योंकि नरम धरती में उसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं जिसमें पौदा पुष्ट होकर अधिक फलता-फूलता है।

जमीन ऊपर अच्छी हो पर नीचे एक हाथ रेत हो तो उसमें केवल दो ही तीन बरसों तक कपास होसकती है। पंजाब, आगरा, अवध और संयुक्तप्रान्त की भूमि जमीन में और मद्रास की दक्षिणी और पूर्वी भाग की कड़ी मिट्टी में भी गहरी जोताई होने से और अच्छी तरह खाद देने से कपास उपज सकती है। जिस धरती में पानी सोखने की ताकत ज्यादा होती है वह कपास के लिए अच्छी होती है।

गोबर, कूड़ा, कचरा, सड़ी मिट्टी, सड़ा गोबर और हरे पौदों की खाद डालने से रेतीली भूमि भी दुमट होजाती है। हरे पौदों की खाद से मटियार भूमि भी दुमट होजाती है। पौदों के आहार में किसी खास चीज की कमी हो और इस कारण भूमि ऊसर-सी हो तो गोबर, खली, मैले की खाद या भेड़ की मींगनी पीसकर खाद देनी चाहिए।

६. जोताई

खेत की भूमि ऊँची-नीची होने से पानी बराबर नहीं फैलता। कहीं पानी भरा रहता है, कहीं भूमि सूखी रह जाती है। कोई पौदे पानी की अधिकता से सड़ जाते हैं। इसी असमानता से उपज कम और आगे-पीछे होती है, जिससे हानि और बहुत-सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। अतः जोतने के पहले खेत को अच्छी तरह बराबर कर लेना चाहिए।

लगातार एक ही गहराई में खेत जोतकर फसल उपजाने से ऊपरी हिस्सा उपजाऊ नहीं रहता। इसलिए समय-समय पर खेत की गहरी जोताई करने की जरूरत होती है, जिससे नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर और ऊपर की नीचे चली जाय और खेत में फिर अच्छी तरह से उपज होने लगे। कपास के खेत की गहरी जोताई इसलिए भी की जाती है कि जिसमें पौधों की जड़ खूब मजबूत हो, मूसला दूर तक नीचे जाकर खूब खाद चूस सके और पेड़ खूब मोटा हो और खूब फँले। खेत को एक से डेढ़ बिलस्त तक गहरा जोतना चाहिए। हर तीसरे बरस गहरी जोताई करना चाहिए।

रब्बी के कट जाने पर खेत में कुछ नमी रहती है। इसलिए रब्बी कट जाने के बाद तुरन्त ही गहरी जोताई करके हेंगा देना चाहिए। ऐसा करने से खेत की तरी भीतर बनी रहती है और फसल को पानी के बिना कोई हानि नहीं होती। अगर खेत परती हो तो उसकी गहरी जोताई करके घास वगैरा निकालकर उस साल उसे वर्षा का पानी सोखने के लिए बिना बोये ही छोड़ देना चाहिए और अगले बरस फसल बोनी चाहिए। गहरी जोताई के बाद वर्षा न हो तो बहुत खाद की जरूरत होती है। गीली ज़मीन कभी नहीं जोतनी चाहिए और बहुत गर्म और गीली ज़मीन में बीज नहीं बोना चाहिए। गर्म खेत में जोताई के लिए इतना पानी देना चाहिए कि पानी सूखने के साथ ही ठंडा हो जाय। खयाल रखना चाहिए कि खेत में पपरी न लगे। जितनी कम वर्षा हो उतनी ही अधिक खेती को जोत कोड़ करना चाहिए। शाम को जोतने और सुबह को हेंगा देने से बहुत फायदा होता है। इससे रात में जो नमी खेत में इकट्ठी होती है वह खेत में बन्द होजाती है और ढेले भी खूब बारीक पिस जाते हैं। खेत में अधिक पानी नहीं

लगना चाहिए। पानी ज्यादा हो तो नाली के सहारे पानी को खेत के बाहर निकाल देना चाहिए। खेत में किसी तरह की छाया न होनी चाहिए। कपास में खूब धूप और हवा लगने से पौधे खूब झाड़ीदार होते हैं और खूब फूलते-फलते हैं। कपास जितना धूप और हवा चाहती है उतना पानी नहीं चाहती। खेत में अगर ऊँची मेंड न हो तो पौधों को मवेशियों से बचाने के लिए टट्टी बाँधनी चाहिए।

खेत जोतने से मिट्टी के नीचेवाली तह के साथ पौधे के खानेलायक वस्तुयें ऊपर आजाती हैं। मिट्टी के भीतर हवा और गर्मी सहज में पहुँच सकती हैं। पौधों के खराब कीड़ों को पालनेवाले पदार्थ बहुत करके नष्ट होजाते हैं और लाभदायक कीड़े सहज में बढ़ सकते हैं। ओस और बरसाती पानी पीकर गर्मी की सहायता से मिट्टी के थर रस को चूस लेने हैं। जोती हुई भूमि में गरमी ठहरी रहती है। धरती दिन की गरमी में थोड़ी गरम होजाती है और रात में फिर ठंडी होजाती है। पौधों के जीवन के लिए इस तरह की गरमी-सरदी की जरूरत है। अच्छी जोती हुई भूमि में पौधे का भोजन अच्छी तरह गल जाता है। इससे जड़ें भली प्रकार रस चूसकर पौधों को पुष्ट करती हैं और उस भूमि में स्वभाव से ही पौधों का खाद अपनेआप पैदा होजाता है। भूमि को जितना अधिक गहरा जोता जाता है उतना ही अधिक उसका फैलाव बढ़ता है। जोताई अच्छी होने से बीज अच्छा जमता है, फसल अच्छी पैदा होती है।

७. गहरी जोताई

गहरे जोतने से जड़ें दूर तक जाकर पौधे को पुष्ट करती हैं, अधिक भोजन खींचती हैं, परन्तु जहाँ गहरा जोतने से कंकड़ ऊपर होजावें वहाँ गहरा न जोतना चाहिए। जहाँ काली भूमि हो वहाँ भी हर समय गहरा जोतना ठीक नहीं है।

. गहरी जोताई के बाद वर्षा न हो तो खाद अधिक डालना चाहिए । कभी-कभी घास की जड़ें नीचे जाकर बढ़ने लगती हैं, उन्हें भी निकाल देना चाहिए । वर्षा के थोड़े पहले या पीछे भी गहरी जोताई न करनी चाहिए । इससे भूमि हलकी पड़ जाती है, यदि उसमें पानी पड़ा तो वह जम जाती है और मिट्टी बारीक न होने से उपज के काम की नहीं रहती । बीज बोने के एक-दो दिन पहले भी भूमि को गहरा जोतना उचित नहीं । रेतीली भूमि में गहरी जोताई नहीं चाहिए । जिसमें रेत कम हो ऐसी भूमि अधिक जोताई चाहती है

८. सबसे उत्तम खाद

गाँवों के बाहर घूरों में, आस-पास खेतों में, ऊसरों में, तालाबों और गड्ढों के चारों ओर लोग आमतौर पर पाखाना फिरते हैं । इससे दो नुकसान होते हैं । एक तो बहुत उत्तम प्रकार की खाद नष्ट होती है, दूसरे गाँवों के चारों तरफ की हवा भी गन्दी होजाती है । बरसात में मक्खियों का उपद्रव होता है और भाँति-भाँति के रोग फैलते हैं । जिन खेतों में कपास बोई जानेवाली है उनमें डेढ़-दो बालिस्त गहरी नली-सी इस तरह खोद देनी चाहिए कि उसमें से निकली हुई मिट्टी उनके किनारों पर लगा दी जाय और गाँववालों को समझा दिया जाय कि इन्हींमें पाखाना फिरा करें और जब फरागत पाजायँ तब किनारे की मिट्टी उसपर इतनी गिरा दें कि मैला ढक जाय । कपास के खेतों में इस तरह नाली खोद-खोदकर मैले का खाद सहज में दिया जासकता है और किसी तरह की खराबी भी नहीं आसकती । जहाँ-जहाँ आड़ की या परदे की जरूरत समझी जाय वहाँ-वहाँ छोटी टट्टियाँ बनाकर रक्खी जासकती हैं । इनका बनाना बहुत आसान है । दो हाथ चौड़ी, तीन हाथ लम्बी और दो हाथ ऊँची टट्टी काफी होगी । बाँस या बल्ली

के तीन-तीन हाथ के ग्यारह टुकड़े एक टट्टी के बनाने में लगेंगे ।-यह ऊपर-नीचे दोनों ओर खाली रहेगी और तीन ओर इसमें चटाई या टाट या बोरे से मढ़कर दो-दो हाथ ऊँचा परदा कर दिया जायगा । जरूरत हो तो चौथी ओर भी परदे का बन्दोबस्त होसकता है । इसी टट्टी को खेत के चाहे जिस हिस्से में रख दिया जासकता है । जरूरत के माफ़िक जहाँ चाहे हटा दें । इसके जोड़ मूँज, सुतली या बान से बाँधे जासकते हैं । हर किसान उस खेत में, जिसमें कपास की बोआई होनेवाली है, ऐसी नालियाँ बनाकर ऐसी एक या कई टट्टियाँ रख सकता है जिससे टट्टी जाने-वालों को आराम भी रहे, खेत को खाद भी मिले और गाँव में गन्दगी भी न फैले । यह बात आजमाई हुई है कि ऐसे खेत में उत्तम कपास होती है ।

मैले की खाद कपास के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है । गोबर की खाद अनाज के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है ।

६. अन्य खाद

कपास के लिए गोबर और कपास के पौदों की राख को खाद भी बड़ी लाभदायक है । इसमें प्रायः वे सब अंश हैं जो कपास के पौदे के लिए पुष्टई हैं । रासायनिक खादों के झंझट में न पड़कर हमें सुलभ और सस्ती खाद का ही प्रयोग करना उचित समझ पड़ता है । जानवरों व मनुष्यों की हड्डियाँ खेत में गाड़ देना भी गुणकारी है, इससे कई वर्ष तक धीरे-धीरे पोषण होता है ।

हर साल राख का प्रयोग करने से पौदे की बढ़ती में सहायता पहुँचती है और कीड़े भी मर जाते हैं । कुम्हार की मिट्टी की राख, पौदे, वृक्ष और लकड़ी की राख, कंडों और लीद की राख, कूड़े-करकट की राख, ये सभी बेदाम की खाद हैं । बिनौले की खाद भी कपास के लिए बहुत अच्छी खाद है, जो पीसकर दीजाती है ।

नमक की खाद भी कपास के लिए बड़े काम की खाद है, दूसरी खाद के साथ इसे पीसकर मिला देना चाहिए। नमक पौदों के लिए आहार इकट्ठा करता है, उसे पचाता है, पानी सोखता है, भूमि को साफ करता और अपनेआप पैदा होनेवाली जड़ी-बूटियों और कीड़ों को नष्ट करता है।

नमक की खाद कपास को पाले से बचाती है और इससे रुई की उपज अच्छी होती है। रेशे मजबूत और बारीक होते हैं। फी बीघा २ या २½ मन नमक देने से उपज दुगनी होजाती है। अगर उतना न हो सके तो फी बीघा १ मन बारीक नमक किसी दूसरी खाद में मिलाकर खेत में देना चाहिए।

मैले की खाद देने से कई वर्ष तक उसका प्रभाव रहता है। पानी अधिक देना पड़ता है। राख के साथ मिलाकर देने से बदबू दूर होजाती है। पशुओं का मूत्र, भेड़-बकरी की मींगनी, और मनुष्य का मूत्र भी जोरदार खाद है।

गरमी के दिनों में या चैत-बैसाख में खेत जोत देने से सूरज की तेज गरमी और गरम हवा बड़ी अच्छी खाद का प्रभाव पैदा करती है। कीड़े-मकोड़े और उनके अंडे नष्ट होजाते हैं। घास की जड़ें उखड़कर सूख जाती हैं, मिट्टी भुरभुरी और भूमि पीली होजाती है और बहुत कम वर्षा होने पर भी फसल अच्छी होसकती है।

खेत के चारों ओर मेंड़ और बीच में क्यारियों का होना जरूरी है। इससे खाद और पानी देने में सुविधा रहती है और उपज अच्छी और अधिक होती है। खेतों को हवा और धूप पूरी मिले, इसलिए खेत के पास पेड़ों या घरों का होना ठीक नहीं है।

सत्याग्रह-आश्रम, साबरमती, में पता लगा था कि सूरती कपास मैले

की खाद के प्रभाव से बढ़िया-से-बढ़िया कपास से भी ज्यादा मुलायम, मजबूत और लम्बे रेशेवाली होसकती है ।

१०. खाद देना

शीघ्र घुलनेवाली खाद—जैसे गोबर, मूँला, खली इत्यादि—अखीर जोताई के पहले देनी चाहिए ।

खाद देकर मिट्टी में भरसक जल्दी ही मिला देना चाहिए । कपास के पौधे जब लगभग एक बिलस्त के होजायँ तब पौदे की जड़ के चारों ओर थोड़ा ताजा गोबर रखदेने से बड़ा लाभ होता है । भूँड नामक कीड़ा वहाँकी मिट्टी को पोला कर देता है और पानी देने से गोबर घुलकर खाद के काम में आजाता है । इससे कपास की उपज भी बढ़ती है । बरसात में इस बात की सम्हाल रखनी चाहिए कि खेत का पानी बाहर न जाय, नहीं तो खाद का मुख्य अंश पानी में घुलकर बह जायगा । यदि वर्षा अधिक हो तो उसके बीत जाने पर खाद डालना अच्छा होगा ।

११. बीज

बीज भरा-पूरा, निरोगी और पुष्ट होना चाहिए । बीज-संग्रह का सबसे अच्छा ढंग यह है कि कपास चुनने के समय जो टेंटुए भरे-पूरे खूब खिले दिखाई दें और जिनमें सफ़ेद और लम्बे और मुलायम रेशे दीख पड़ें वे चुनकर बीज के लिए रख दिये जावें । बोने का समय आने पर उस बढ़िया चुनी हुई कपास को हाथ की चर्खी से ओटकर बिनीलों को निकालना चाहिए ।

बीज बोने के पहले बिनीलों को गोबर और राख में लपेटकर सुखा रखते हैं, जिससे एक-एक बीज अलग-अलग होजाय । यदि गोबर के साथ तूतिया घोलकर और मिला दिया जाय तो पौदे और फल कीड़ों से नष्ट न होंगे ।

बढ़िया बीज संग्रह करने के लिए कपास के खेत में पहले निरोग मोटे-ताजे और पूरी लम्बाई के पौदे चुनलें, फिर उन पौदों में लम्बे और अधिक रेशेवाले पौदे चुनलें, साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उनके रेशे लम्बे, सफेद और मुलायम हों और कपास में रुई अधिक निकले।

इन पौदों के बिनौलों में फिर चुनाई करलें तो बीज बहुत अच्छी पैदावार के लायक होगा। इस बीज की फसल एकसाथ होगी और माल प्रायः एकसा तैयार होगा। बीज के लिए दूसरी और तीसरी चुनाई के समय कपास चुनना चाहिए, क्योंकि इस समय बीज अच्छा और पुष्ट होता है।

मशीन में ओटी हुई कपास के बिनौले बोने के काम के नहीं होते। हाथ की चर्खी से निकले बिनौले खूब उगते हैं। इसीमें लाभ है। यह भलीभाँति याद रखना चाहिए।

१२. बीज बोना

बीज सीधी रेखा में समान अन्तर से बोने में सब पौदों को खाद, हवा और धूप सब कुछ बराबर मिलता है। सब फसल एकसी होती है। निराई, गुड़ाई, सिंचाई इत्यादि सहज में होसकती है।

खेत जोतकर उसे सुहाने से बराबर करके लगभग दो-दो हाथ के अन्तर पर दो-दो या तीन-तीन बिनौले एक इंच गहरे दबा दिये जायँ। जब वे निकल आवें तब अच्छे पौदे को रखकर दूसरों को उखाड़ दे। यदि किसी स्थान पर पौदा न उगे तो दूसरा पौदा लेकर (उखड़े हुए पौदों में से) वहाँ लगादे और तुरंत थोड़ा-सा उसे पानी देदे, जिससे वह जम जाय। बोने के बाद पटेला फेरना चाहिए, जिसमें बीज मिट्टी में दब जाय और भुरभुरी जमीन में जड़ें खूब फैलें और अंकुर ऊपर निकल आयें। हाथ से बखेरकर बोने में सरासर हानि है।

मौसम के लगते ही बोने से बीज थोड़ा लगेगा और देर में बोने से अधिक लगेगा । उजियाले पाख में बीज बोना अच्छा है ।

चैत से जेठ तक बीज बोने का समय है । जो वर्षा के जल से कपास बोना हो तो अधिक-से-अधिक आर्द्रा नक्षत्र तक बो देना चाहिए । देहात में कहावत है कि—

आर्द्रा टरै पुनर्बसु पाती ।

फेर बबै सो ठोके छाती ॥

कपास के पहले बोने में प्रायः लाभ होता है । जो वर्षा के पहले खेत सींचकर कपास बो दी जावे तो पौदे बढ़ जायें और वर्षा में उन्हें हानि न हो । ऐसी दशा में रोग भी नहीं लगते ।

कोई-कोई कपास हथिया से लेकर स्वाती नक्षत्र तक में भी बोई जाती है । जहाँ अधिक सर्दी पड़े वहाँ पहले और जहाँ अधिक गरमी पड़े पीछे बोना चाहिए । जहाँ नहर इत्यादि का सुभीता हो, जिससे आसानी से सिंचाई कर सकें, वहाँ फसल पहले बोना चाहिए । बरसात के पहले कपास बोने से पौधों में कीड़े लगने का कम डर रहता है । खेत में घास कम लगती है और पाला पड़ने से पहले फसल तैयार होजाती है । जब धूप हो और बदली न रहे तब बोना चाहिए । बीज छोटकर कभी न बोना चाहिए । कूँड बनाकर बीज गिराना चाहिए । जमीन की अच्छी जोताई करने और घास निकालने के बाद हेंगा फेरकर कूँड बना बीज गिराना चाहिए और फिर हेंगा फेर देना चाहिए जिससे बीज मिट्टी में ढक जाय ।

वृक्षवाले कपास को अलग उगाकर रोपने का रिवाज है । गोबर और तूतिये को पानी में घोलकर बीज मिलाकर बेहन डाल देना चाहिए । जब पौधे पौन हाथ के करीब होजायें तब उखाड़कर रोपना चाहिए ।

पौधा बैठाने के समय हरेक गड्ढे में ३ या ४ मुट्ठी सूखे गोबर की खाद देनी चाहिए। अगर ज़मीन में काफी नमी न हो तो बीज को रात की ओस में फुलाकर बोने से करीब-करीब सभी उग आते हैं। बोने के दो-चार रोज़ बाद पानी सींचने के लिए खेत में क्यारी बना देते हैं। इस बीच में बीज भी लगभग उग गया रहता है। सी. आई. लैंड, कारोलाइन, जार्जियन और डानकन नाम की कपास दो-दो हाथ दूर कुंडों में कुंवार और कार्तिक में अकेली या रब्बी के साथ बोना चाहिये। इसमें अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती। मिश्र देश की कपास को अलग जमाकर नदी के तीर या दुमट बलुई ज़मीन में बोने से खूब उपज होती है।

पौदों के उगने पर उनके पहले दो पत्तों को खूब बचाना चाहिए। उन दो में से अगर एक भी बरबाद होजाय तो पौधा मर जायगा। इसलिए और समय की अपेक्षा इसी समय पर पूरी चौकसी करनी चाहिए। कपास के साथ कोई और वस्तु न बोनी चाहिए, क्योंकि किसी और ज़िन्स के साथ बोने से इसकी उपज बहुत कम होजाती है। अगर साथ बोना ही हो तो कपास के साथ मक्का बोई जाय तो बहुत अच्छा हो, क्योंकि कपास बहुत फैलती है और मक्का के कट जाने पर उसे काफी जगह फैलने को मिल जाती है।

१३. निराई-मोड़ाई

पौदे के दो पत्ते होजाने पर पहली निराई करनी चाहिए। घास-फूस, अपने आप पैदा होनेवाले पौदे, इन पौदों का भोजन न खा जावें, इसलिए किसान उन्हें अपने खेत में पैदा न होने दे। और जो हो भी जावें तो उन्हें जड़ समेत खोदकर अलग करदे। ऐसा करने से पौदों को पूरा भोजन, हवा और धूप आदि मिलती है और वे पुष्ट होते हैं। कपास की निराई तीन बार तक की जाती है।

पानी देने के बाद भूमि के कुछ कड़ी होजाने पर खेत की गोड देना चाहिए। इससे भूमि की नमी बनी रहती है। गोडाई करने से जड़ों के पास की मिट्टी कोमल होजायगी और जड़ें उसमें बड़ी आसानी से फैल सकेंगी।

कपास बोने से १५ या २० दिन पहले खेत को पानी से सींच देना चाहिए। पानी पाकर घास-फूस के बीज उग आवेंगे, तब हल से खूब गहरी जोताई करने पर घास-फूस उखड़ जावेंगे और सड़-गलकर खाद बन जावेंगे। फिर घास-फूस पैदा न होगा। इस प्रकार निराई की जरूरत न पड़ेगी।

१४. सिंचाई

कपास के पौदे बिना पानी भी बहुत समय रह सकते हैं, लेकिन तब जब उनकी जड़ें दूरतक चली गई हों। यदि समय-समय पर वर्षा होती रहे तो कपास को सींचने की जरूरत नहीं रहती। जबतक केवल फूल हों और फल का आकार न बना हो तबतक बहुत कम जल देने की जरूरत है, अधिक पानी देने से फूल फल बनने से पहले ही गिर जावेंगे। जब तनिक भी पत्ती मुरझानी आरम्भ हो तब तुरन्त पानी देना उचित है। सावन में वर्षा न हो तो एक पानी उस समय जरूर देना चाहिए। पानी इतना देना चाहिए जो सूख जाय, भरा न रहे। पानी देने का समय सबेरे और संझा है। दोपहर को जब धूप तेज हो तब पानी कभी न देना चाहिए। बोने के कुछ समय बाद जो वर्षा न हो तो जरूर सींच दें। दूसरा पानी डेढ़ महीने के बाद देना चाहिए। फिर जरूरत पड़े और वर्षा न हो तो दो या तीन पानी और देना चाहिए।

कपास को चार पानी से अधिक नहीं सींचना चाहिए। बोने के बाद अगर वर्षा न हो तो पानी जरूर देना चाहिए। दूसरा डेढ़ महीने बाद

देना चाहिए । जो फिर वर्षा न हो तो देखकर एक पानी दे देना चाहिए । अगर समय-समय पर वर्षा होती रहे तो सींचने की कोई जरूरत नहीं होती ।

१५. कटाई

जब कपास का पौदा लगभग पाँच-छः बिलस्त. के ऊँचा होगया हो और ज्यादा बढ़ने का रंग-ढंग हो तो ऊपर से डेढ़-डेढ़ बिलस्त काट देना चाहिए । ऐसा करने से पौदा लम्बा न होकर इधर-उधर फैलता है और फल भी ज्यादा लगते हैं । किन्तु फूल आजाने के बाद काटना ठीक नहीं है ।

१६. कपास में लगनेवाले खास-खास कीड़े

सुन्धी—पेड़ ऊँचे होजाने पर पानी की कमी से मुरझाये न हों पर किसी दूसरे कारण से मुरझाये देख पड़ें तो जान लेना चाहिए कि इसमें सुन्धी लगी है । ऐसे कीड़ों को काटकर जला देना चाहिए । अगर कपास की चुनाई के वक्त मुरझाई सूखी और सूराखदार बोंडियाँ मिलें तो उन्हें जला और गाड़ देना चाहिए और खेत को जोत देना चाहिए । अगर पौधों में अधिक कीड़े लगे हों तो खेत को पानी से भरकर कीड़ेदार पौधों को हिला देने से पत्ते और बोंडियों के साथ कीड़े पानी में गिरकर मरजाते हैं ।

लाल मनिया—बोंडियों में छेद करनेवाले इन कीड़ों को पौधों से झाड़कर सिर्फ पानी व किरासन तेल या दोनों को फेंटकर उसीमें उनको डुबा देना चाहिए ।

भाँभा—पत्तीलिपठीना । पत्ती लिपटानेवाला कीड़ा । इस कीड़े से अमेरिकन और मिश्र की कपास को बड़ा नुकसान पहुँचता है । जबी ऐसा कीड़ा लगा हुआ देखा जाय तो या तो पौधे को उखाड़कर जला देना चाहिए या एक हिस्सा किरासन तेल में ५० हिस्सा पानी मिलाकर उसे कीड़ेदार पौधों पर छिड़क देना चाहिए ।

रोड़ा छेदनेवाला कीड़ा—कपास में फूल लगने के समय कुछ

पौधे बिना कारण ही मुरझाये और पीले देख पड़ते हैं। ऐसे पौधों के सूख जाने पर १५ दिन के अन्दर उन्हें उखाड़कर फेंक देना चाहिए।

माऊ—इस कीड़े से पत्तियाँ काली और लसलसी होकर गिरजाती हैं। पौधों पर राख छिड़कने से ऐसे कीड़े मर जाते हैं।

टिड्डी—इन कीड़ों को बफाकर मार डालना चाहिए। खेत को जोत देने से इनके अंडे मर जाते हैं। खेत के किनारे एक गड्ढा खोदकर उसी तरफ टिड्डियों को हँकाना चाहिए। ऐसा करने से सब टिड्डियाँ उसीमें गिर जायेंगी। तब किरासन तेल और पानी मिलाकर उनपर छिड़क देना चाहिए। इसीसे वे मर जायेंगी। किसान जब इन्हें अपने गाँव की ओर आते हुए देखें तो ढाई फुट चौड़ी और चार फुट गहरी खाई उनके रास्ते में बनवा दें और उन्हें इन खाइयों में लाते जायें। जब खाई भर जाय, तब उन्हें मिट्टी से ढक दें।

१७. कीड़ों से रक्षा

खेत की सूखी घास, कपास की बेकार बीड़ी और ऐसी ही अन्य हानिकारक चीजें अलग करके जला देना चाहिए। खेत में अदल-बदल कर फसल बोना अथवा कई चीजें एक में मिलाकर बोना कीड़ों को कम कर देता है। कई तरह के कीड़े कपास की फसल को हानि पहुँचाते हैं। पौधे या उसके जिस अंग को कीड़ों ने बिगाड़ दिया हो उन्हें तोड़ कर जला दें। ऐसा करने से कीड़ों की उपज मारी जावेगी। नीचे लिखे साधन काम में लाने से प्रायः सब प्रकार के कीड़ों से रक्षा होसकेगी :—

(१) चूना पानी में घोलकर रोगी पौधों पर छिड़को।

(२) तम्बाकू के पानी को रोगी पौधों पर छिड़को।

(३) राख, बुझा हुआ चूना, गंधक और नमक घोलकर रोगी पौधों पर छिड़को।

(४) खेत में गंधक या तम्बाकू जलाकर धुआँ दो ।

(५) एक भाग मिट्टी का तेल आठ भाग दूध में मिलाकर मथो और झाग आने पर छिड़को ।

(६) लगभग छः बोतल पानी में पावभर साबुन टुकड़े-टुकड़े करके उबालो । मिल जाने पर आग से हटाकर बारह बोतल के लगभग मिट्टी का तेल डालकर खूब चलाओ । मिल जाने पर छः भाग से नौ भाग तक पानी मिलाकर झाड़ू से छिड़को ।

१८. चुनाई

जब कपास अच्छी तरह खिल जावे तब चुनना चाहिए । चुनाई सबेरे से लेकर दोपहर तक होनी चाहिए । चुनाई की सबसे अच्छी विधि यह है कि खिली हुई बोंड़ी को तोड़कर उसमें से कपास निकालने के बाद खोखली बोंड़ी को खेत ही में छोड़ देना चाहिए । कपास छाया में रखकर सुखाकर रखनी चाहिए । धूप में सुखाने या बिना सुखाये रख लेने से तन्तु कमजोर होजाते हैं और उसकी चमक मारी जाती है । कपास चुनते समय चुननेवाले अपने पास तीन थैले रक्खें । एक में बहुत बढ़िया मुलायम बड़े वाले टेर रक्खें, दूसरे में साधारण, और तीसरे में घटिया मेल में के कमखिले या कीड़े लगे या खराब रक्खें । ऐसा करने से कपास छट जायगी और दाम भी अच्छे मिल सकेंगे । चुनते समय सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए । पत्ती इत्यादि कपास में न मिलने पायें । इस समय की थोड़ी-सी सावधानी आगे के काम में बड़ी सुविधा देती है । दोपहर के बाद चुनी हुई कपास को छाया में सुखाना चाहिए और सूखने के बाद कपास को बोरे में रखना चाहिए । पुरानी होजाने पर रुई का दाम कम होजाता है ।

खेत में दोड़ी बीनने के बदले कपास ही चन लेने की विधि ब्रम्मे

इसलिए बताई है कि इससे रुई में कूड़ा नहीं मिलने पाता। कपास चुनने में मजदूरी ज़रा ज्यादा पड़ती है, पर भाव ज्यादा मिलने से उसका बदला मिल जाता है। गुजरात में कितनी ही जगह कपास इसी तरह चुनी जाती है। उसको दूही हुई कपास कहते हैं। दूही हुई कपास में पत्ते या डाली के टुकड़े मिलने नहीं पाते। इसलिए कपास साफ रहती है और कूड़ा न होने से उसको झटकने व धुनकने में बहुत मेहनत नहीं पड़ती। वक्त की बचत भी बहुत होती है।

१६. रुई परखने की खास-खास बातें

(१) बीज के ऊपर की रुई को कूची या कंधी से झाड़ने से जो रेशे खिंच आते हैं उनसे मालूम पड़ता है कि उस कपास में कमज़ोर रेशों का पड़ता कितना है।

(२) बीज के चारों तरफ सीधे फैले हुए रेशों से जाना जाता है कि रुई में छोटे-बड़े रेशों का पड़ता कितना है।

(३) बीज पर से रुई को अलग करने से रेशे की मजबूती मालूम होती है। झट अलग होजानेवाली रुई ज़रा कमज़ोर होती है और जिसको खींचने में कुछ तान पड़े उसका रेशा चिकना और मजबूत होता है।

(४) बीज को झाड़ने पर उसके रेशे के दल को देखने से मालूम होजाता है कि किस कपास में रुई कम या ज्यादा निकलेगी।

(५) रेशों के मोटे-पतलेपन का मिलान कर लिया जासकता है।

२०. हमारे देश में खेत की कपास की दशा

खेत में कपास बहुत करके ढाई-ढाई बिलस्त की दूरी पर लगाई जाती है। अधिक-से-अधिक दो हाथ से अधिक दूरी पर नहीं लगाई जाती। जो इस हिसाब से बुआई हो तो एकड़ पीछे ४८४० पौधे लग

सकते हैं और जो पौधा पीछे पाँच-पाँच तोले कपास पके तो एक एकड़ में ४८४०×५ यानी अस्सी भरी सेर के हिसाब से ३०२॥ सेर कपास पक सकती है। और जो उसमें से तिहाई रुई निकले तो एकड़ पीछे १०१ सेर रुई पैदा हो। परन्तु हमारे देश में रुई की उपज एकड़ पीछे ४५ सेर ही गिनी जाती है। हमारी कपास की खेती की दशा कितनी खराब है और उसमें सुधार की कितनी जरूरत है। जो बीजों का चुनाव हर फसल पर ऊपर बताई विधियों से किया जाय और हर फसल पर चुने हुए अच्छे ही बीज बोये जायँ और बोआई के जो कायदे बताये गये हैं उन्हें होशियारी से बरता जाय और निराई-गुड़ाई अच्छी की जाय, साथ ही रोगों से और कीड़ों से बराबर रक्षा की जाय, तो हर साल बराबर ऐसा करते रहने से दस ही पन्द्रह साल में हम इतना बढ़ सकते हैं कि निकम्मी कपास निर्बीज होजाय और हमारे देश में अच्छी-से-अच्छी कपास पहले होती थी वैसे ही फिर होने लगे। फिर तो कपास की उपज भी बढ़ जायगी, एकड़ पीछे दूनी-तिगुनी होने लगेगी, और रुई की जाति भी सुधर और सम्हल जायगी।

कपास की खेती के बारे में जितनी बातें ऊपर लिखी गई हैं, किसान को शुरू करने के लिए वे बहुत काफी हैं। परन्तु किसान ज्यों-ज्यों खेती करता जायगा, त्यों-त्यों उसको सैकड़ों नई बातें मालूम होती जायेंगी और वह हमारी किसी पोथी का मोहताज न होगा। खेती का काम उसे सब बातें अपनेआप सिखा देगा। सफेद फूलोंवाली अलीगढ़ी कपास के बीज मँगाने के लिए अलीगढ़ के सरकारी एग्रीकल्चरल फार्म के सुपरिन्टेन्डेंट को लिखकर जो चाहे मँगवा सकता है। पूछने पर भाव मालूम होसकता है। अगर यह सरकारी आदमी जवाब न दे तो अपने पास की कांग्रेस कमेटी से कहना चाहिए, वह मँगवा देगी। इसके अलावा जगह-

जगह चरखा-संघ की शाखायें भी हैं। जहाँ-कहीं चरखा-संघ की शाखा हो वहाँ अच्छे बीजों का बन्दोबस्त भी होना चाहिए। पूछताछ और लिखा-पढ़ी से मालूम होसकता है। किसान लोग बीज कहीं से भी मँगावें, लेकिन यह बात याद रखें कि बहुत करके अच्छे, बुरे और मिले-जुले बीज आवेंगे। पहली बार की बुआई में तो फसल का सुधार अपनेआप करना पड़ेगा। तब भी उतनी अच्छी फसल नहीं मिल सकती जितनी अच्छी फसल कपास की चुनाई में अच्छी-अच्छी ढोढ़ियों को चुनकर, आगे की फसलों के लिए संग्रह करके, किसान फिर बोआई करेगा। किसान का काम बड़ी मेहनत का है और बड़ी सेवा का है। धीरज से काम लेगा और पूरी तपस्या करेगा तो कपास का पौधा उसके लिए कल्पवृक्ष होजायगा। इसीसे वह देश का अन्न बाहर जाने से रोक सकेगा, आप और परिवार भरपेट दोनों जून रोटी खायगा और अपने देश का पालन करेगा और अपने देश की इज्जत-आबरू की रक्षा करेगा। देश के लिए स्वराज्य चाहे आज होजाय और चाहे प्रलय तक भी न हो, परन्तु किसान के लिए और मजूर के लिए इसी मेहनत में स्वराज्य है। वह चाहेगा तो अपनी मेहनत की बदौलत देश को स्वराज्य दिला देगा। व्याख्यानों से यह काम नहीं होने का।

२१. कपास जमा करना बहुत जरूरी काम

कपास उपजा लेने से किसान का आधा काम होजाता है। खद्दर का जितना कुछ काम है वह बाकी आधा काम है। इस बाकी आधे काम में (१) कपास का संग्रह करना, (२) ओटाई, (३) धुनाई और पूनियाँ बनाना, (४) कताई, (५) अट्टियाँ बनाना, और (६) बुनाई का काम है। यह अचरज न कीजिए कि हमने इन छः बड़े-बड़े कामों को एक तरफ रक्खा और कपास की खेती को दूसरी तरफ। यह

कोई अचरज की बात नहीं है। कपास की खेती की बड़ी महिमा है। अच्छी कपास न मिल सकेगी तो अच्छा खद्दर न बन सकेगा। अच्छा खद्दर न बना तो हमारा काम ही चौपट होगया। इसीलिए कपास की खेती खद्दर की बुनियाद है, जड़ है। यही कच्चा माल है जिससे कि उत्तम-से-उत्तम पक्का माल बन सकता है।

किसान ने कपास इसीलिए उपजाई है कि उसका खद्दर बने। वह आप पहनेगा और दूसरों को पहनावेगा। यह कपास विदेशों में भेजने के लिए नहीं है। जैसे किसान परिवार के खाने के लिए अन्न इकट्ठा रख छोड़ता है और सालभर काम चलाता है उसी तरह किसान को चाहिए कि कपास भी इतना काफी जमा कर रखे कि वह अपने घरभर को खद्दर पहना सके। कुछ कमाई करने के लिए अधिक सूत भी कात सके और अच्छी-से-अच्छी अगली फसल में बोने के लिए जमा भी कर रखे।

भोजन के लिए हर आदमी को फसल पर अन्न संग्रह कर लेना बहुत जरूरी काम है और उसी तरह कपड़े के लिए कपास का संग्रह करना भी बहुत जरूरी है। परन्तु हर मजूर के पास और हर किसान के पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अन्न और कपास का संग्रह कर सके। अन्न का संग्रह इसीलिए गरीब मजूर और किसान नहीं कर सकता। अच्छे किसान और व्यापारी उसके लिए अन्न का संग्रह रखते हैं। अन्न की माँग नित्य रहा करती है। महुँगी के दिनों में तो और भी ज्यादा होती है। इसीलिए व्यापारी लोग इसका बन्दोबस्त रखते हैं। पर सूत की और खद्दर की चाल देश से उठ गई है। इसी डर से कि कोई माँग नहीं है, व्यापारी लोग कपास का संग्रह बहुत कम रखते हैं। बहुत करके कपास जहां उपजती है वहाँ से बिककर वह ओटाई के कल-कारखानों में चली जाती है और ओटी हुई हुई बाजारों में जाड़े के दिनों में रजाइयों और लिहाफों के भरने के

लिए आती है। इसतरह धुनियों का रोजगार भी मारा जाता है। जाड़ों के सिवाय और समयों में इन्हें काम नहीं मिलता। जब रुई की कताई जोरों से हर जगह होने लगेगी तब कपास के व्यापारी कपास का संग्रह करने लगेंगे और सूत और खद्दर के कारबार में रस लेने लगेंगे। अभी तो किसानों और मजूरों के हित के लिए बड़े-बड़े किसानों और जमींदारों को चाहिए कि तमाखू, अफीम आदि की खेती रोककर गाँवों में जहाँ-जहाँ मौका हो वहाँ ज्यादा-से-ज्यादा कपास की खेती जोरों से करावें और बढ़ावें। परती जमीनों को काम में लावें। बागों में, दरवाजों पर, आँगनों में देव कपास लगा दें। जहाँ-तहाँ कपास की उपज बढ़ाकर आदमी पीछे गाँवभर के लिए कम-से-कम दस-दस सेर कपास का संग्रह फसल के ऊपर कराया करें। गरीबों के लिए कपास-पंचायतें बना लें और आपस में बेहरी चन्दा करके कपास इकट्ठी करें।

हम जमींदारों को भी किसान ही समझते हैं और आजकल जैसी हवा बह रही है उसे देखकर हम जमींदारों और ताल्लुकदारों की भलाई इसीमें समझते हैं कि वे तुरन्त ही गरीब किसानों और मजूरों की रक्षा के लिए अपना तन, मन, धन लगा दें और खद्दर आदि के कामों में सहायता देकर उनके सच्चे हित बन जायँ। इस काम में लग जाने से जमींदारों और काश्तकारों दोनों का लाभ है। खींचा-खींची रखने में जमींदारों की हानि ज्यादा है। गरीब तो हर तरह मर ही रहे हैं।

कांग्रेस कमेटियों को, चरखा-संघों को, स्वयंसेवकों को और गाँव के नौजवानों को यह उचित है कि इस तरह कपास संग्रह करने में मदद दें, जिससे कोई घर कपास से खाली न रहे। ऐसा बन्दोबस्त रहे कि फुरसत की घड़ियों में और बेकारी के दिनों में घर के बच्चे-बूढ़े, स्त्री-पुरुष समय न खोवें और सूत कातने रहें और चरखा चलाते रहे, जिसमें

गाँव-का-गाँव भोजन और वस्त्र से रंजा-पुंजा रहे। हमने रुई की तैयारी इस पोथी में बताई है। रुई की तैयारी पहला जरूरी काम है। चरखा और चरखे की कताई इसका दूसरा हिस्सा है।

२२. रुई और बिनौले का हिसाब

एक एकड़ में ४५ सेर रुई हो तो सवा दो मन से ऊपर बिनौला निकलेगा। इस बिनौले का दाम चार रुपये मन के हिसाब से नौ रुपये हुए। किसान रुई आप ही ओटेगा। बाजार में रुई का भाव बहुत चढ़ता-उतरता रहता है। रुई जितनी सस्ती होगी उतनी ही उसकी बिक्री से कम आमदनी होगी और उसका सूत बनाकर बेचने में किसान को उतना ही अधिक लाभ होगा। इस पुस्तक का लिखना आरम्भ करने के समय रुई रुपये की सवा सेर मिलती थी। सत्याग्रह-संग्राम छिड़ने पर रुपये की दो सेर से भी अधिक होगई। स्वराज्य होजाने पर इससे ज्यादा सस्ती होजासकती है। परन्तु यहाँ हम वही मँहगा हिसाब ही लेते हैं। अगर सवा सेर का भाव भी हम औसत मानें तो छत्तीस रुपये की रुई हुई। इस तरह कुल पैंतालीस रुपये मिले। उपज बढ़ाने पर जब दूनी होजायगी तो जितनी सेर रुई तौल में बढ़ेगी उतने ही रुपये आमदनी के भी बढ़ेंगे। इस खेती में उपज बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। साथ ही जैसे ओटाई की मजदूरी किसान की ही रहती है, यदि रुई बेचने के बदले सूत कातकर बेचे और एकड़ पीछे मनभर सूत हो, और सूत घटिया ही कते और ढाई रुपये सेर के ही भाव का हो, तो किसान को एकड़ पीछे सौ रुपये मिलते हैं। इस तरह १०५ रु० साल की आमदनी एकड़ पीछे हुई। इसमें लगान और खेती का खर्च २५ रु० भी निकाल दें तो किसान को ८४ रु० मिले। यह ७ मासिक या लगभग ३॥॥ रोज़ से कुछ ऊपर हुआ। गरीब किसान के लिए यह

भी एक सहारा होजाता है । परन्तु वह सारा सूत न बेचे और परिवार के लिए दस सेर सूत बुनवाले और सत्तर गज की बुनाई ७॥ गज की दर से ६॥७ दे या बदले में तीन सेर सूत देदे तो उसके पास फिर भी सत्ताईस सेर सूत बचा, जिसमें से १० सेर सूत अगर उसने लगान और खेती के खर्च में देडाला तो १७ सेर सूत बचा, जिसके ४२॥७ मिलेंगे । यह सब देकर बचत है, नफा है । सत्तर गज के कपड़े का दाम १३॥ गज लगाया जाय तो उसके पास ३३ का कपड़ा है और ९ का बिनौला—कुल मिलाकर ८४॥७ हुए । वह बारीक सूत काते तो सूत की बिक्री ५ सेर तक सहज ही लेजा सकेगा । सेर में दस गज तक बुनवा सकेगा । इस तरह ८४॥७ के बदले सौ-सवासौ रुपये तक का उसे एकड़ पीछे मुनाफ़ा होसकेगा । ज्यों-ज्यों वह अपने काम को अच्छा-से-अच्छा बनाता जायगा त्यों-त्यों उसकी आमदनी बढ़ती जायगी ।

खेती का सुधार

हमने पिछले अध्याय में किसानों के कल्पवृक्ष कपास की खेती का वर्णन किया है। बात यह है कि हमारे देश में अनेक भागों में जहाँ कपास की खेती होसकती है वहाँसे इसकी खेती पच्छाहीं नीति के बल से उठ गई। फल यह हुआ कि किसान का कल्पवृक्ष खोगया। किसान फिर से कपास की खेती करने लग जाय तो वह अपने लिए कपड़े भी खेत से उपजा सकेगा। परन्तु अन्न के उपजाने में भी अनेक कारणों से वह पिछड़ रहा है। वह दरिद्रता के कारण अपनी विद्या भूल रहा है और विद्या हो भी तो साधन नहीं हैं। कई प्रान्तों में भूमि पर उसका सदा के लिए अधिकार नहीं है जो उपाय करके सुधारे, और सुधारे भी तो लगान और मालगुजारी बढ़ने का भय बना हुआ है। अच्छी तैयार खेती भी आये दिन के बाढ़, सूखा, टिड्डी आदि उपद्रवों से मारी जाती है। सब तरह की रुकावटों को दूर करने और सब तरह का सुभीता पैदा करने का काम उस राज्य या शासन का कर्त्तव्य है जो किसानों से लगान, मालगुजारी या कर लेता है। संसार के देखने में विदेशी सरकार इन सब बातों का प्रबन्ध करती है, परन्तु किसान का उन सब प्रबन्धों से कम-से-कम और विदेशी प्रजा का अधिक-से-अधिक लाभ होता है। इसलिए गाँव की पंचायतों का यह कर्त्तव्य है कि अपने अधिकार से जितना कुछ व्यवसाय का सुधार और रक्षा हो सके वह आप करलें और जिस किसीको गाँव की ओर से

किसी प्रकार का कर दिया जाय उससे पूरा काम लेने का प्रबन्ध किया जाय । यदि वह कर लेकर भी प्रबन्ध न करे तो उसे इस बात की सूचना देकर कर बन्द कर दिया जाय और तबतक बन्द रहे जबतक कि इष्ट सुधार न होजाय । गाँव की पंचायत अपने बन्दोबस्त से थोड़ी-बहुत सिंचाई, ठीक प्रकार के बीज की बोआई, उत्तम रीति की जोताई और गाँव के भीतर होनेवाले व्यवसायों की तरक्की करा सकती है । अपने गाँव की हदभर सड़कों की दुरस्ती भी कर सकती है और नहर से मिलानेवाली नालियाँ भी बना सकती है । परन्तु बहुत-से गाँवों को मिलानेवाली ज़िले की सड़कों और नहरों का, जिनसे सिंचाई का काम लिया जा सकता है और गाड़ियाँ और नावें चला-चलाकर तिजारती माल मँगवाया या भेजा जासकता है, बनाना गाँव की पंचायतों के कर्त्तव्यों में नहीं है ।

जैसे किसी राज्य को जब हम कर देते हैं तो उस राज्य से बदले में रक्षा और सेवा मिलती है, उसी तरह हम धरती से अपने पालन-पोषण के लिए लेते हैं तो हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उसका बहुत बड़ा भाग धरती को दें । हम धरती से अन्न, जल और वायु लेते हैं, हमें धरती को भी अन्न, जल और वायु देना चाहिए । खाद के रूप में हम अन्न देते हैं, सिंचाई के द्वारा हम उसे जल देते हैं और ईंधन जलाकर और अपनी साँस को बाहर निकालकर हम उसे वायु देते हैं । जब हम इन वस्तुओं के देने में कोताही करते हैं तो धरती भी हमें देने में कोताही करती है । सारी प्रकृति का यही हाल है । किसान की खेती यज्ञ है । जिसके बारे में गीताजी में कहा है कि “यज्ञ के साथ-साथ प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति ने कहा था कि इसी यज्ञ से तुम लोग उपजाओ, यही तुम्हारे मनोरथों को देनेवाला कल्पवृक्ष है । इसी यज्ञ से तुम सारी प्रकृति को राज़ी करो, प्रकृति भी राज़ी होकर तुम्हें सुख देगी । इस तरह

परस्पर राजी करते हुए तुम्हारी अधिक-से-अधिक भलाई हो ।” इसी-लिए धरती से जो पदार्थ पैदा किये जाते हैं उनका कुछ अंश मनुष्यों को अपने निर्वाह के लिए लेलेना चाहिए और कुछ अंश धरती को लौटा देना चाहिए । जैसे धरती से जितना कपास पैदा किया जाता है, उसमें से रुई और बिनौले का अधिक अंश मनुष्य को अपने लिए लेलेना चाहिए और थोड़ा अंश धरती को लौटा देना चाहिए । वह इस तरह कि बिनौले का तेल निकालकर उसकी खली गोवंश को खिला देनी चाहिए । गोवंश बिनौले की खली खाकर आप हृष्ट-पुष्ट होता है । गौवें अधिक दूध और मक्खन देती हैं, बैल खेती की पूरी-पूरी जोताई कर सकते हैं । इसके सिवाय उनके गोबर और मूत से इतनी बढ़िया खाद बनती है कि उससे खेतों की उपजाने की ताकत बढ़ती है । इसी तरह तिल, अलसी, रमतिली और मूँगफली आदि तेलहन चीजों की खली गोवंश के पेट-रूपी यंत्र से होकर जब खेतों के गर्भ में पहुँचती है तब वह आगे पैदा होनेवाली उपज का हितकर भोजन बनकर उसकी उपज को बढ़ाती रहती है । खेती की उपज बढ़ाने के लिए किसानों को नीचे लिखी हुई मोटी-मोटी बातों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए :—

- (१) खेतों की धरती की दशा ।
- (२) खेतों की उचित जोताई ।
- (३) चुने हुए अच्छे बीजों की बोआई ।
- (४) खड़ी फसल की देखभाल ।
- (५) उपज को बराबर बढ़िया, काफ़ी और अधिक बढ़ाते रहने की भारी लालसा ।

१. खेती की धरती की दशा

हर खेत की भूमि की दशा अलग-अलग होती है । किसी खेत की

भूमि में गेहूँ पैदा करनेवाले गुण होते हैं, किसीमें गन्ना, धान इत्यादि । जाँच-पड़ताल से यह बात किसान को मालूम होती है कि गेहूँ या आलू की अधिक माँग होने के कारण वहाँका किसान यदि चाहे तो अपने जुवार और बाजरे को पैदा करनेवाले खेत में जुताई और खाद की बदौलत गेहूँ और आलू भी पैदा कर सकता है । किसान अपने खेतों की दशा जानकर उनमें उचित हेरफेर भी कर सकते हैं । खेतों से जो उपज ली जाती है वह खेती के पेटों से संचित किये हुए अपने भोजनों को खा-पी कर ही पैदा होती है । इस तरह हर फ़सल के साथ धरती के गर्भ के जो भोजन खर्च होते रहते हैं उनको पूरा करते रहने से ही धरती उपजाऊ और उर्वरा रह सकती है । किसान अपने खेतों को भाँति-भाँति की खाद देकर उनमें फ़सलों के भोजनों की मात्रा को काफ़ी बनाये रखने का निरन्तर जतन करते रहें तो फ़सल सुधरकर बहुत अच्छी होती जा सकती है ।

२. खेतों की उचित जुताई

खेतों से बढ़िया और अधिक उपज पाने के लिए जिस तरह उनके गर्भ में पौधों के ज़रूरी भोजनों का काफ़ी बनाये रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक उसी तरह खेतों की उचित और काफ़ी जोताई करना भी बहुत ज़रूरी है । गेहूँ, अलसी, तिल, कपास, बाजरा आदि को बोने के पहले खेतों को कितने गहरे जोतना चाहिए, इस बात को भी जानना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है ।

अच्छी जुताई के लिए किसानों को बढ़िया और बलवान बैल चाहिए । इसके लिए गौओं का उचित रूप से पालन किया जाना चाहिए । आज दिन पच्छाहीं देशों के किसान की गौ नित्य तीस-पैंतीस सेर दूध और दो-ढाई सेर मक्खन देती है । ऐसी गौवें उन देशों में करोड़ों की तैयार

की गई हैं और की जा रही हैं। यह सब उनके गोपालन की अच्छी विधि का फल है। इसलिए हमारे गाँवों में गोपालन में पूरा सुधार करने की जरूरत है। गोवंश का वध रोकने की भी जरूरत है।

३. अच्छे बीजों की बोआई

बढ़िया और अधिक उपज पैदा करने के लिए उत्तम बीज भी जरूरी है। हमारे किसान बीज की उत्तमता पर ठुक ध्यान नहीं देते। उन्हें जैसा बीज मिलता है वैसा ही वे बो देते हैं। वह सड़ा होने के कारण जब उगता नहीं तब माथे पर हाथ रखकर रोते हैं। किसानों को बीज देने का जो जमींदार साहूकार व्यवसाय करते हैं उनका ध्यान बीज की उत्तमता पर तनिक भी नहीं रहता। उनका ध्यान इसी बात पर रहता है कि किसान को बीज किस तरह कम नापा जाय और वसूली के समय उससे किस तरह अधिक नाप लिया जाय। इसलिए उत्तम-से-उत्तम बीज पैदा करने का जतन करना चाहिए।

४. खड़ी फ़सल की देखभाल

फसल जबसे उगती है तबसे लगाकर उसके पककर घर पर आने तक उसकी पूरी-पूरी देखभाल होनी चाहिए। खेतों में जब फ़सल खड़ी रहती है तब खेतों में चल-फिरकर देखें कि खेत के किस भाग में फसल भलीभाँति उगी है, किस भाग में वह उगी ही नहीं, किस भाग में वह भलीभाँति बढ़ी है, किस भाग में वह बढ़ी ही नहीं, किस भाग में उसमें दाने काफ़ी लगे हैं, किसमें नहीं लगे, किस भाग में वह उगी और बढ़ती तो है पर अब मुरझा रही है, इत्यादि-इत्यादि। इसी तरह वे इस बात को जान जायेंगे कि खेत के किस भाग में गोवंश के गोबर और मूत की खाद की जरूरत है, किस भाग में हड्डी की खाद की जरूरत है, किस भाग में लकड़ी की राख की खाद चाहिए, और किस भाग में खरपात की,

खाद चाहिए, इत्यादि-इत्यादि । इसके अनुसार अपने खेतों में खाद देकर उनके गर्भ में पौधों के भोजनों का काफ़ी मात्रा में पैदा कर देने का काम करते रहें । खेतों के पेटों में उचित रूप में जाकर वहाँ पौधों के भोजन तैयार करनेवाली सामग्री—गोवंश का गोबर, मूत, हड्डी और खरपात—हमारे देश में अभी बहुत है और उसकी बढ़ती भी की जा सकती है । मूर्ख किसान गोबर के तो कंड़े बनाकर जला डालते हैं, और खरपात को जलाकर ताप डालते हैं ।

किसानों को अपनी फसलों को बोकर नगरों में मेहनत-मज़ूरी करने को चले जाना चाहिए । खेतों में चल-फिरकर देखभाल करते रहना चाहिए कि उन्हें फसलों के बढ़ने-पकने का हाल मालूम हो ।

५. उपज को बढ़िया करने और बढ़ाते रहने की भारी लालसा

खेती पर किसान का सब तरह से अधिकार हो । जब यह निश्चय हो कि खेत के सुधर जाने पर खेत छिन न जायगा तब किसान हर तरह पर खेती की बढ़ती का जतन करता रहेगा । दरिद्रता भी इस लालसा में बाधक होती है । भूखों को हौसला नहीं होता । इसलिए पहले उसकी दशा भी कुछ सुधर ले तभी यह लालसा बढ़ सकती है ।

व्यवसाय-पंचायत का यह कर्तव्य है कि देखे कि गाँव के किसान इन पाँचों बातों का पूरा पालन करते हैं या नहीं और अगर न करने हों तो उनके लिए ऐसे साधन पैदा करे कि हर तरह पर खेती सुधर जाय । इसके लिए पंचायत को खेती सम्बन्धी सब तरह के साहित्य से काम लेना चाहिए । इस ग्रन्थ में यदि हम उन विषयों का विस्तार करें तो इसका कलेवर बहुत बढ़ जायगा । हम तो यहाँ वही बातें देते हैं जिन्हें हम मुख्य समझते हैं और जिनके द्वारा हम समझते हैं कि किसान तरक्की की राह पर चल पड़ेगा ।

खेतों का छोटा-छोटा होना, या ऐसे छोटे टुकड़ों में बँट जाना कि उनका अलग खेती करना ज्यादा खर्च और मेहनत की बात होजाय, खेती के सुधार में बाधक होता है। गाँव की किसान सभा इस बारे में आप बन्दोबस्त करेगी कि जिन लोगों के खेत दूर-दूर पड़ गये हैं वे आपस में उचित समझौता और अदला-बदली करके ऐसा करलें कि हर किसान के खेत पास-पास होजायँ जिसमें कि खेत की रखाई में, पैदावार की देखभाल में और खाद की ढुलाई आदि में किफायत पड़े और सिंचाई भी सुभीते से हो सके। जब सारे खेत इकट्ठे होते हैं तब बाड़ बाँधने में भी सुभीता होजाता है।

खाद का संग्रह और उपयोग

हमारे देश में गाड़ियों में भरकर के हड्डी और कराचियों में भर-भर कर तेलहन विदेशों में चला जाता है। पेलकर तेल भाँति-भाँति के कामों में आता है, खली और हड्डी वहाँकी धरती को उपजाऊ बनाती है, इस तरह हमारे देश से उत्तम-से-उत्तम खाद विदेशों को चली जाती है। अपने घर भी हम खाद की रक्षा नहीं करते, मैदान में पखाना फिरकर चारों ओर गन्दगी फैलाते हैं, और उत्तम खाद को अपने लिए विष बनाकर धरती को उससे वंचित रखते हैं। गोबर पाथ-कर चूल्हे में जला देते हैं। हम सब तरह से खाद का दुरुपयोग करते हैं।

अपने देश की हड्डियाँ धरती के भीतर अगर हम बिना पीसे भी गाड़ दें तो धरती को लाभ पहुँचावेगी। कपास से जो बिनौला निकले उसका तेल हम खाने के काम में लावें और खल मवेशियों को खिला दें जिनसे कि हमें गोबर मिलता है और हम खेत में, गाड़ी में और सिंचाई में काम लेते हैं। गाँव में घरों को झाड़-बुहारकर जो कूड़ा हम घरों पर डालते हैं और उसके आसपास गन्दगी फैलाते हैं, उसे गड्ढों में भरें और खाद बनाकर खेतों में डाल दिया करें। घास और तरह-तरह का फूस उगाकर रेतीली धरती को हम खेती लायक बना सकते हैं।

हम लोग अपने नित्य के शौच के लिए मैदान की हवा को बिगाड़ देते हैं। इसके बदले चाहिए यह कि जिस खेत में खाद देना है उसमें डेढ़ हाथ गहरी और बिलस्त भर चौड़ी और खेत की लम्बाई भर लम्बी नाली

खोद दें और चार-पाँच चलती-फिरती टट्टियाँ लगा दें, जिसमें लोग परदे के साथ बैठें और फरागत होलेने पर मैले पर मिट्टी डाल दिया करें। जब नाली का टट्टी के भीतरवाला हिस्सा भर जाय तो टट्टी खसकाकर नाली के खाली हिस्से पर कर दी जाय। जब सारी नाली भर जाय तो उससे दो हाथ के समानान्तर दूसरी नाली खोद दी जाय। इस तरह एक खेत-का-खेत उत्तम रीति से खाद से भर जायगा और उस खेत में जोताई-बोआई होने के समय तक खाद पक जायगी और अनेक वर्षों के लिए उस खेती की धरती मजबूत होजायगी। स्वास्थ्य-रक्षा और व्यवसाय-पंचायतों का यह कर्तव्य है कि मिलजुलकर इस तरह गाँव की सारी खेती को और तन्दुरुस्ती को सुधरवा दें।

उपले जलाना अपने गोधन को बरबाद करना है। उपलों के बदले लकड़ी जलाना सबसे उत्तम बात है। स्वास्थ्य और रक्षा-पंचायत को चाहिए कि ऊसर बंजर धरती पर, ताल-पोखरों के चारों ओर, गलियों और सड़कों के दोनों ओर, और चौपाल के आसपास भिटों पर, दरवाजों के पास, मन्दिरों और मस्जिदों के पास, जहाँ कहीं बिना किसी हानि के पेड़ लग सकते हों वहाँ, नीम आम आदि के पेड़ लगवा दें कि जिससे जलाने को काफी लकड़ियाँ मिलने लगे। लकड़ी के लिए हर पेड़ पीछे, जो कटे, बीस पेड़ लगाने का नियम कर लें। इससे वनस्पति की सम्पत्ति बढ़ेगी और जलाने को लकड़ियाँ मिलेंगी। सरकारी जंगल का कानून भी बहुत जगह लकड़ी के मामले में बाधक है, वहाँ पशु चरने भी नहीं पाते। इस रुकावट को हटाये बिना काम न चलेगा।

उपलों का बनना एकदम से रोक देना होगा। गाय और बैल जिस जगह बाँधे जायँ वह ढालू हो। ऊपर की ओर चरनी हो और नीचे की ओर अन्त में एक नाली हो, जिससे पेशाब बहकर एक गड्ढे में जाय

जिसमें खेत की पोली मिट्टी भरी हो जो पेशाब को सोख ले। यह बहुत कीमती खाद होगी, जिसका थोड़ा-थोड़ा अंश खेत में देकर जोत देने से खेत की ताकत बढ़ जायगी। जो गोबर इस नाली के पास से बटोर लिया जाय वह गोबरवाले गड्ढे में जल्दी-से-जल्दी डाल दिया जाय करे जिससे कि ढोरों के पास गन्दगी न रहे, नमी न रहे और मक्खियाँ न भिनकें। मवेशी की हालत अच्छी रखने के लिए उनके नीचे पूरी सफाई रखना जरूरी है।

गऊ-बैल के गोबर और मूत की खाद कई प्रकार से बनाई और खेतों में डाली जाती है। दो-एक प्रकार की चर्चा यहाँ की जाती है :—

(१) तीन फुट गहरे और आवश्यकता के अनुसार लम्बे-चौड़े तीन छाँहदार गड्ढे बनाने चाहिए। एक गड्ढे में जवान और दुरुस्त गऊ-बैलों के गोबर और मूत से भरा भोजन प्रतिदिन डालते रहना चाहिए। दूसरे गड्ढे में बूढ़े और बीमार पशुओं के गोबर और मूत से भरा भोजन डालते रहना चाहिए। तीसरे गड्ढे में बच्चों का गोबर डालते जाना चाहिए। ये गड्ढे जब भर जायें तब उनको मिट्टी से तोप देना चाहिए। दस महीने में वह खाद पक जायगी। तब उसे निकाल और बारीक करके खेत में डाल देना चाहिए। खाद को खेत में ढेर के रूप में न पड़े रहने देना चाहिए। उसे खेत में डालकर हल चला देना चाहिए, जिससे वह खेत के नीचे उसके पेट में पहुँच जाय। कुछ लोग खाद के ढेर को खेत में कई दिनों तक डाल रक्खा करते हैं। ऐसा करने से धूप के मारे खाद की उपजाऊ शक्ति के तत्त्व उड़ जाते हैं। ध्यान रहे कि गोवंश के गोबर के साथ घोड़े-घोड़ी की लीद न मिलने पावे। लीद की तासीर गरम होती है। उसकी खाद अलग गड्ढे में रक्खी जाय। वह पन्द्रह

महीने में पकती है। जब पक जाय, तब वह भी खेतों में डाली जाय। उससे भी लाभ होता है।

गऊ और बैलों के लिए प्रतिदिन गोजन का बिछौना कर दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं को आराम मिलता है और उनका मूत उस गोजन के साथ सुगमता से खाद बनाया जासकता है।

(२) दूसरी रीति यह है कि रोज का गोबर और मूत से भरा गोजन खेत में फुट-डेडफुट गहरी नाली खोदकर गाड़ दिया जाय। ढोरों को खेतों में रखने का सुभीता हो तो ऐसा करना सहज है।

(३) खेतों की मिट्टी खोदकर और उसे महीन करके पशुओं के रहने की जगह में बिछा देना चाहिए। जब वह उनके मूत से भीग जाय तब उसे खेत में खाद की तरह डाल देना चाहिए। फिर उसी जगह पर दूसरी मिट्टी लाकर डाल देना उचित है। ऐसा करते रहने से गोवंश के मूत की खाद खेतों में पहुँचती है और उससे खेतों की उपजाऊ शक्ति की रक्षा और वृद्धि होती रहेगी।

किसानों को अपना इतना बड़ा उपकार करनेवाले गोवंश की सदा रक्षा करते रहना चाहिए। दस-बीस रुपये के लोभ में पड़कर जो किसान अपनी गऊ और बैल को बेकाम समझते और बेच डालते हैं, वे अपनी बड़ी भारी हानि करते हैं। सारांश यह कि किसानों को कभी किसी हालत में भी गोवंश को अलग नहीं करना चाहिए। गोवंश अंधा, लंगड़ा, लूला और बूढ़ा होजाने पर भी अपने गोबर और मूत्र से किसानों का उपकार करता और उनके खेतों की उपज को बढ़ाता रहता है। गोवंश के मर जाने पर उसका चमड़ा किसानों का जो काम करता

१. पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री लिखित “किसानों की कामधेनु” से यह अंश कुछ थोड़े-से परिवर्तन के साथ लिया गया है।

है, वह सब जानते हैं। उसकी हड्डी तक खेत की उपज बढ़ाने के काम में आती है। हड्डियों को चमारों से पिसवाकर खेतों में डालने से वे खेत की उपज को बढ़ाती हैं। आज ये हड्डियाँ सात समुद्र और तेरह नदियों के पार जाकर यूरोप और अमेरिका के किसानों के खेतों की खाद बनती हैं। वे इतना खर्च उठाकर भी उन्हें खरीदते हैं। इसे बिल्कुल बन्द कर देना चाहिए।

खेत को खासी बढ़िया खाद देकर उसकी उत्तम जुताई कर लेने के बाद उसमें जब चुना हुआ एक जाति का सुन्दर और रोग-रहित बीज बोया जाता है, तब वह भलीभाँति उगता है। खेतों के नीचे तैयार किये हुए अपने भोजनों को जड़ों द्वारा चूसकर पौधे बढ़ते हैं और तब वे खूब उपज देते हैं। फसल को काटने के बाद खेत में हल चला दो। जहाँ फसल बिल्कुल उगी नहीं थी, वहाँ हर तरह के पेड़ों की पत्तियाँ सड़ाकर उनकी बनी हुई खाद डालो; जहाँ फसल कम उगी हो, वहाँ गोवंश के गोबर की पकी हुई खाद डालो; जहाँ पर फसल खूब बढ़ी हो, पर उसमें दाने कम लगे हों, वहाँ पर हड्डियों को पीसकर उसकी बनाई हुई खाद डालवा दो। इस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानों पर उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद देने से किसानों को दूसरे वर्ष खासी उपज मिलेगी।

खेतों में जो दरारें फटती हैं वे भी खड़ी फसल को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। बन सके तो इन दरारों को भरने का जतन करना चाहिए।

फसल को काटने, मीजने और उड़ाने में जो असावधानी, उपेक्षा या लापरवाही किसान करते हैं उससे माल बहुत घटिया बनता है। उसमें मिट्टी और कचरा बहुत रहता है। ऐसा माल जब बाजार में जाता है तब उसकी पूरी-पूरी कीमत नहीं मिलती। उनसे सस्ते दामों में खरीदकर रोजगारी लोग उसे साफ़ करते हैं। फिर उसे मँहगे दामों पर बेचकर

खासा मुनाफ़ा उठाते हैं। किसानों को चाहिए कि अपने माल को साफ़-सुथरा बनाया करें, जिससे वही लाभ जो बनिये मार खाते हैं किसानों को मिला करे। आशा है किसान इस बात को जानकर अब माल तैयार करने में लापरवाही नहीं करेंगे। जितना माल तैयार करें वह बहुत अच्छा और साफ़ हो। उससे किसानों को खासा लाभ होगा। जैसे गेहूँ के साथ चना मिलाकर बोते हो और छानते समय इतनी असावधानी रखते हो कि गेहूँओं में चने रह जाते हैं, अबसे उन्हें ऐसा छाना करो कि गेहूँओं में एक दाना भी चने का न रहने पाये। गेहूँओं को ऐसा छानो कि उनमें बड़े-बड़े दानों के गेहूँ अलग होजायें और छोटे-छोटे दानों के अलग। अच्छा माल देखकर खरीदनेवाले किसानों को अच्छी कीमत देंगे और इस प्रकार किसानों को अधिक लाभ होगा।

फसल तैयार कर लेने पर उतनी ही बेचो जितनी लगान देने को बेचनी चाहिए। बाक़ी फ़सल को बावन हिस्सों में बाँटकर हर बाज़ार को एक हिस्सा बेचते रहोगे तो किसानों का माल सब तरह के भावों से बिकेगा और उससे अच्छा लाभ होगा। और, सब माल को एकदम बेच दोगे, तो बाज़ार-भाव सस्ता होने के कारण हानि होगी। बाज़ार-भाव तेज़ बहुत कम रहता है। तेज़ी के लोभ से सब माल मत बेच डालो। बीज को भाव के लोभ से बेच डालोगे तो बोने के समय बहुत मँहगा बीज खरीदना पड़ेगा, और बीज अच्छा भी नहीं मिलेगा।

एक खेत में हर साल एक ही फ़सल बोते रहने से उस खेत की उपजाऊ शक्ति घट जाती है। इसलिए हर साल अदल-बदलकर फ़सल बोते रहना चाहिए। अनुभव से मालूम हुआ है कि एक खेत में लगातार बीस वर्ष तक गेहूँ या अलसी बोते रहने से उस खेत की उपजाऊ शक्ति बिल्कुल मारी जाती है। इसलिए गेहूँ के बाद चना और चने के बाद

अलसी इस प्रकार अदल-बदलकर फसल बोते रहना चाहिए। किसानों को इस विषय में हर साल नई-नई बातें खोजता रहना है। किसान अगर किसानों के अफसरों से इस बात की सलाह करते या किसानों के अखबार और पुस्तकें पढ़ते-सुनते रहेंगे तो उनको इस विषय की बहुत-सी लाभदायक बातें मालूम होती रहेंगी।

चिलम पीने में अथवा यों ही गप्प मारने या झूठे मुकदमे चलाने का रोजगार करनेवालों के फंदे में फँसकर जो अपना समय नष्ट करते हैं उसे अब बन्द कर दें। पापियों के साथ थोड़े-से दस-पाँच रुपये के लोभ में पड़कर झूठी गवाही देने का पाप ही मिलेगा। जब झूठी गवाही देने जायेंगे तब किसानों के खेत की फसल खराब होगी। इसलिए उन दुष्टों का साथ वे छोड़ दें और रात-दिन किसानों की उपज बढ़ानेवाली नई-नई युक्तियों की खोज में लगे रहा करें।

: २० :

सिंचाईः

जो जल बरसता है वह जहाँ-का-तहाँ रहता नहीं। कुछ पानी बहकर नालों और नदियों द्वारा समुद्र में पहुँचता है, कुछ पृथ्वी सोख लेती है, कुछ गर्मी से भाफ होकर वायु में उड़ जाता है। कितना पानी बह जाता है, कितना भूमि सोख लेती है और कितना भाफ बनकर उड़ जाता है—यह ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता; क्योंकि इन बातों का सम्बन्ध भूमि के ढाल, भूमि की जाति और स्थानीय उष्णता पर अवलम्बित है। यथा समतल भूमि की अपेक्षा काली जगहों का पानी अधिकांश बह जाता है, पडुवा भूमि की अपेक्षा काली “मार” मिट्टी अधिक पानी सोखती है, बरसात की अपेक्षा गर्मियों में पानी भाफ बनकर अधिक उड़ता है। इसके सिवाय जो पानी धीरे-धीरे नन्ही-नन्ही बूंदों में बरसता है उसे भूमि अधिक सोख लेती है, पर जो पानी बड़ी-बड़ी बूंदों में मूसलाधार बरसता है वह अधिकांश बह जाता है। सूखी ज़मीन बहुत जल्द और अधिक मात्रा में पानी सोखती है, पर गीली ज़मीन बहुत धीरे-धीरे और थोड़े परिमाण में पानी सोखती है। जोती हुई ज़मीन में परती ज़मीन की अपेक्षा अधिक पानी पैबस्त होता है। घास से ढकी हुई भूमि में पानी बहुत देर में समाता है। मतलब यह कि इसी

१. मसवानार—कानपुर के पं० गोरीशंकर भट्ट द्वारा प्रकाशित तथा बा० बालकृष्ण गोपाल श्रीवास्तव द्वारा लिखित “अकाल से बचने के उपाय” नामक पोथी के आधार पर यह अध्याय लिखा गया है।

प्रकार की बहुत-सी बातें हैं, जिससे यह बतलाया नहीं जा सकता कि वर्षा का कितना पानी बह जाता है, कितना भूमि सोख लेती है और कितना उड़ जाता है। इतना तो स्पष्ट है कि वर्षाजल का बहुत बड़ा भाग बेकार चला जाता है। गर्मी द्वारा पानी का भाप बनना अनिवार्य है, पर बह जानेवाला पानी रोका जा सकता है; इसलिए यदि वर्षाजल बह न जाने पावे, जो बरसता है वह सब हमारे खेत सोख लें, तो खेतों में बहुत कुछ ओद बनी रह सकती है और इससे अकाल का भी बचाव हो सकता है।

भारत में पानी बरसने के चार महीने हैं—आषाढ़, सावन, भादों और क्वार। अंग्रेजी महीनों के हिसाब से १५ जून से १५ अक्टूबर तक विशेष रूप से जल बरसता है, इन्हीं चार महीनों में एकत्र-समय का नाम वर्षा या बरसात है। इसी मौसिम में वार्षिक वर्षा का सौ में से लगभग ९० भाग पानी बरस जाता है। खेती के लिए आषाढ़ और क्वार में पानी बरसना अत्यन्त आवश्यक है। वर्षा के आरम्भ-समय और वर्षा के अन्त-समय में यथोचित पानी बरसना बहुत जरूरी है। आखीर में (क्वार में) यदि अधिक वर्षा न भी हो, केवल दो-तीन इंच पानी होजाय तो काफी है। पर आरम्भ में (आषाढ़ में) अच्छी वर्षा का होना जरूरी है। यदि ऐसा न हो तो अकाल का पड़जाना बहुत सम्भव होजाता है। वर्षा-काल में यदि २३ इंच तक पानी बरस जाता है तो कहत (अकाल) नहीं पड़ता। परन्तु वर्षा का आधा पानी निरर्थक चला जाता है। २३ इंच वर्षा में केवल १२ इंच पानी यथार्थ में खेती के काम आता है और ११ इंच बह जाता है। यह १२ इंच पानी खेती को काफी होजाता है, इसलिए कोई ऐसा यत्न किया जाय कि वर्षा-जल का एक बूँद भी खेती से बाहर न जाने पावे तो २३ इंच की जगह

१२ इंच वर्षा से भी काम चल सकता है। अकाल से बचने का क्रियात्मक और इस देश के अनुकूल मूल उपाय यह है कि वर्षा के पानी का एक बूंद भी बेकाम न बहने पावे—सब-का-सब भूमि में समा जावे।

खेतों की मेंड़ बांधकर उनका पानी रोकने से जो लाभ होता है उससे हमारे किसान भाई अच्छी तरह वाकिफ हैं। देहातों में बहुत-सी ऐसी कहावतें प्रचलित हैं, जिनमें खेत की मेंड़ बाँधकर पानी रोकने के गुण और लाभ बतलाये गये हैं। जैसे:—

(१) खेत बांध दस जोतन देय ।

दस मन बीघा हमसे लेय ॥

अर्थात् खेत की मेंड़ बांध देवे, जिससे उसका पानी बाहर न जाने पावे, फिर दस बार खूब जोत डाले, तो दस मन अन्न प्रति बीघा अवश्य पैदा होगा।

(२) थोड़े जोतें बहुत गहरे, ऊँचे बाँधे आड़ ।

ऊँचे पर खेती करे, पैदा होवे भाड़ ॥

अर्थात् खेती के लिए ज़मीन तो बहुत लेले, पर उसे जोते बहुत कम, और जिस तरफ़ खेत ऊँचा हो उसी तरफ़ मेंड़ बाँधकर आड़ करदे और खेत भी सबसे ऊँची जमीन पर हो कि उसका पानी बह जाया करता हो, तो ऐसे खेत में क्या उपजेगा ? कुछ नहीं।

(३) पानी बरसे बह न पावे ।

तब खेती का मजा दिखावे ॥

अर्थात् खेती करने की बहार लो उस समय है, जब खेत के चारों ओर मेंड़ बँधी हो और उसका पानी न बहने पावे।

(४) जब बरसे तब बाँधे क्यारी ।

सो किसान जेहि हाथ कुबारी ॥

अर्थात् मेंड़ों की सदा रक्षा करते रहना चाहिए जिससे बरसात का पानी बहने न पावे। वास्तव में वही बुद्धिमान किसान है जिसके हाथ में कुदारी इसी हेतु बनी रहती है कि उससे वह टूटी हुई मेंड़ों को सुधारता है।

(५) खेती बेपनियाँ जोते कब ?

ऊपर कुवाँ खोदावे तब ॥

अर्थात् ऐसा खेत जिसमें पानी का सुभीता न हो उस समय तक न जोतना चाहिए जबतक कि उसके ऊँचे स्थान पर कुवाँ न खुदवा ले।

(३) खेत बेपानी बुड्ढा बैल।

सो किसान साँझही से गैल ॥

अर्थात् जिस किसान के पास बुड्ढे बैल हैं (जिनसे जोताई अच्छी तरह नहीं होसकती) और खेत में पानी का प्रबन्ध नहीं, वह किसान खेती क्या कर सकता है ? उसे जरूर खेती से हानि होगी और वह गाँव छोड़कर जल्द ही भाग जायगा।

(७) गेहूँ आवे बाल। जब खेत बनावे ताल।

अर्थात् गेहूँ की पैदावार तब उम्दा होती है जब खेत में इतना पानी भरदे कि वह तालाब के समान होजाय।

(८) तोड़ दीन क्यारी। खेत का उजारी ॥

अर्थात् जब खेत की मेंड़ टूट जाती है, तो खेत की पैदावार कम होजाती है, मानों खेत उजड़ गया।

(९) पानी भरिये खेत में, घर में भरिये दाम।

दोनों हाथ उलीचिये, यही सयानो काम ॥

अर्थात् चतुराई इसीमें है कि खेत की मेंड़ बाँधकर उसमें पानी भरे, जिससे खूब पैदावार हो और घर में रुपये भर जायें। तब खर्च करना बुरा नहीं।

बन्धी बांध

खेतों में मेंड़ बांधने से बहुत लाभ होता है। पर मेंड़ समतल खेतों में सुगमता से डाली जा सकती है। बहुत ऊँची-नीची भूमि में मेंड़ की जगह बँधी बाँधना सुभीते का काम होता है। जिन किसानों के खेत ढालू भूमि में हों, उनको अवश्य ही पानी रोकने की बड़ी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अधिक ढालू होने के कारण खेत पानी कम सोख पाते हैं और उनमें ओद कम रहता है। हर बरसात में पानी का बहाव भूमि के उपजाऊ पदार्थों को बहा लेजाता है और भूमि से खाद इत्यादि पौष्टिक वस्तुयें निकल जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ढलवाँ खेत की हैसियत प्रतिदिन गिरती जाती है और अन्त में भूमि कंकरीली होकर खेती के काम की नहीं रहती। किसी नाले या 'झोर' के उस स्थान को मिट्टी के बन्ध से रोक देते हैं जहाँसे पानी बहकर निकल जाता है। इस विधि से एक विस्तृत क्षेत्रफल का पानी बेकाम बह जाने से रुक जाता है और तालाब बन जाता है। वर्षा के बाद इस जमा किये हुए पानी को बन्ध से बाहर निकाल देते हैं और डूबी हुई भूमि को पानी से खाली कर देते हैं। ज्यों-ज्यों ज़मीन खाली होकर जोतने योग्य होजाती है त्यों-त्यों उसमें बोवाई होती जाती है।

बन्धी डालकर खेती करने में निम्नलिखित लाभ हैं :—

(१) बन्धी में जितने रकबे का पानी बहकर आता है उस रकबे का रेव अथवा कण-समूह (खेत का उपजाऊ अंश) अपने साथ बहा लाता है। जब पानी बन्धी के भीतर जमा होकर स्थिर होजाता है, तब यह रेव भूमि पर बैठ जाता है, जिससे हर साल बन्धी की ज़मीन अधिकाधिक उपजाऊ होती जाती है।

(२) जितनी भूमि का पानी बहकर जमा होता है उस सम्पूर्ण रकबे

की सूखी पत्तियाँ, गोबर और अन्य प्रकार की सड़ी-गली चीजें पानी अपने साथ बहा लाता है, ये सब चीजें बन्धी में जमा होकर एक प्रकार की खाद होजाती है। इस प्रकार बन्धी के भीतर बिना खाद डाले स्वयं खाद पड़ती जाती है।

(३) तीन-चार मास बराबर पानी भरा रहने से बन्धी के भीतर नाना प्रकार के जीव—घोघा, मछली, मेंढ़क, केंचुवे इत्यादि—उत्पन्न होजाते हैं, जो पानी निकल जाने पर उसी भूमि में सड़ जाते हैं। इससे भी उस भूमि की उर्वरा-शक्ति बढ़ती है।

(४) चार महीने तक बराबर पानी भरा रहने से भूमि खूब पानी सोख लेती है, इसलिए ओद खूब रहता है।

(५) वर्षा का जो पानी बेकाम बह जाता था उसका बहुत कुछ उपयोग खेती में होजाता है।

(६) घटिया किस्म की भूमि रेव पड़ते-पड़ते बढ़िया किस्म की होजाती है।

(७) बन्धी की जमीन में केवल एक बार जोतकर बो देने से वैसी ही पैदावार होती है जैसी साधारण खुली हुई भूमि में दस बार जोतने से होती है; इसलिए परिश्रम और समय दोनों की बचत होती है।

(८) सबसे बड़ा लाभ यह है कि बन्धी में एक विस्तृत भूमि का पानी बहकर जमा होजाता है, इसलिए बन्धी में पानी की आमद काफ़ी हो तो थोड़ी वर्षा में भी बन्धी भर जाया करती है और उसमें अच्छी फसलें पैदा होती हैं। यदि पानी की आमद काफ़ी न भी हो तो भी खुले हुए खेतों की अपेक्षा उसमें अधिक ओद रहता है और सूखे के साल में कुछ-न-कुछ पैदा हो ही जाता है।

तालाब बनाकर आबपाशी करने से नीचे लिखे लाभ होते हैं :—

(१) वर्षा का पानी जो बेकाम बह जाता है वह सब उपयोग में लाया जासकता है और इस पानी का एक बड़ा भाग खेती के काम आ-जाता है ।

(२) स्वतन्त्रतापूर्वक जब चाहें सिंचाई कर सकते हैं और समय-समय पानी ले सकते हैं ।

(३) सब प्रकार की फसलें उत्पन्न कर सकते हैं ।

(४) इन तालाबों से सींचने के सिवाय मनुष्यों और पशुओं का भी निस्तार होता है ।

(५) सिंघाड़ा आदि की पैदावार होती है ।

यह बात निश्चित है कि बन्धी की अपेक्षा तालाब से जितना पानी लेना चाहें ले सकते हैं और उससे अनेक प्रकार की चीजें पैदा कर सकते हैं । बन्धी में केवल परिमित चीजें—जैसे गेहूँ, जौ आदि—बो सकते हैं । उसके सिवाय बन्धी में जो पानी भरता है उसे बरसात बाद बेकार निकाल देना पड़ता है । यदि यही पानी सींचने के काम में जाया जासके, तो बन्धी के भराव से तिगुना-चौगुना क्षेत्रफल उसमें सींचा जासकता है । बन्धी बनाने में दो बड़े दोष हैं । एक यह कि बन्धी बनानेवाले को वर्षा-काल में बन्धी की बराबर देख-भाल करनी पड़ती है, और अपने साथ काम करनेवालों की पर्याप्त संख्या प्रस्तुत रखनी पड़ती है । दूसरा यह कि यदि पहले ही साल एकदम बहुत वर्षा होजाती है कि जिससे बन्धी एकाएक भर जाती है, तो बेचारे किसान को बन्ध के दुरुस्त करने और पंसार जाँचने का अवसर ही नहीं मिलता और बहुधा बन्ध की किसी ऐसी जगह के ऊपर से पानी बहने लगता है जो भूल से नीचे रह जाती है और देखते-देखते बन्ध टूट जाता है । इसलिए यदि किसान पहले से पंसार लेकर नियमपूर्वक बन्ध बँधवायें और औना (भराव से

अधिक पानी के निकलने का रास्ता अथवा निकास स्थान) का पहले से ही ठीक प्रबन्ध करले तो उनको न इतनी अड़चन पड़ेगी और न बन्ध टूटने की हानि ही उठानी पड़ेगी ।

तालाब के भीतर भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न गहराई का पानी भरा होता है । जहाँ जितना गहरा पानी होता है वहाँकी भूमि पानी के किनारे की भूमि से उतनी ही नीची होती है । जैसे पानी के किनारे से दस फुट के अन्तर पर गहरा पानी है और बीस फुट पर पाँच फुट गहरा पानी है, तो पानी के भीतर की भूमि पानी के किनारे की भूमि से दस फुट के अन्तर पर दो फुट नीची होगी और बीस फुट के अन्तर पर पाँच फुट नीची होगी । बिना पानी भरी भूमि की इस प्रकार की ऊँचाई-निचाई जानने की रीति को “पंसार करना” अथवा “समीकरण-विधि” कहते हैं ।

पाताड तोड़ कुएँ

बहुधा कुएँ के ऊपरी जलस्रोत कम पानी देनेवाले होते हैं और सूखे के सालों में ये सोते जलहीन होजाते हैं । इस कारण ऐसा कुआँ सींचने के लिए सर्वथा अनुपयोगी होजाता है । इस दोष को मिटाने के लिए बहुत अच्छी एक युक्ति निकाली गई है । तीन या चार इंच के फांस (व्यास) का नल कुएँ में डालना आरम्भ करते हैं और उसे बराबर भूमि में नीचे धँसाते जाते हैं, यहाँतक कि नल भूमि के उन सोतों तक पहुँच जाता है जिनको ‘पाताल-स्रोत’ कहते हैं । बम तोड़कर (नल से उबल-उबलकर) पानी कुएँ में आने लगता है । ऐसे कुएँ बड़े पनियार होते हैं और सूखे में भी लहर-दरयाब बने रहते हैं । तीन-चार चरसों के चलते रहने पर भी वे खाली नहीं होते ।

अबतक कोई ऐसा सहज उपाय नहीं निकला कि जिसके द्वारा कम खर्च करने पर भी सन्तोषजनक पानी की मात्रा कओं से प्राप्त की जा

सके । एक चरसा और एक जोड़ी बैल से एक दिन में अधिक-से-अधिक एक पक्के बीघे की सिंचाई की जा सकती है, इसलिए इस रीति के अनुसार दो-तीन एकड़ से अधिक खेती हो नहीं सकती । रहट में चरसा की अपेक्षा कुछ अधिक पानी निकलता है, पर रहट में चरसा से अधिक झंझट भी है । इसके सिवाय रहट विशेषतः उन स्थानों में विशेष सुभीते का है जहाँ पानी निकट आता है ।

कुएँ से आबपाशी करके खेती करने में बहुत-सी सुविधायें और लाभ भी हैं । कुएँ का पानी दूसरे पानी से अधिक बलकारक और कृषि को पौष्टिक होता है । एक किसान की कहावत है कि “माँ के दूध से अच्छा क्या ?” अर्थात् जिस प्रकार बालक के लिए माता का दूध ही सब दूधों से अधिक पौष्टिक और गुणकारी है उसी प्रकार खेती के लिए कुएँ का पानी बहुत लाभदायक होता है । कुछ ऐसे फल और जिन्से भी हैं जो कि कुएँ की सिंचाई से ही अधिक अच्छी होती हैं । यद्यपि कुएँ की सिंचाई से बहुत-से सुभीते और फ़ायदे हैं तथापि इस प्रकार की सिंचाई इस देश की दशा के अनुकूल नहीं, कुआँ खोदने में खर्च भी अधिक पड़ता है और उससे अधिक खेती भी नहीं होती ।

नहरें

सदा बहनेवाली बड़ी-बड़ी नदियों में बन्ध लगाकर उनका पानी रोका जाता है, और एक बहुत बड़ी जल-राशि (पानी का ज़खीरा) जमा करली जाती है । इससे नहरें निकाली जाती हैं । नहरें केवल समतल भूमि में ही सुगमता से जारी की जा सकती हैं, बहुत ऊँची-नीची और ढालू जगहों में ये काम नहीं देतीं ।

बन्धी पर ज़रूरी बातें

यह सर्वमान्य बात है कि भूमि चाहे जिस प्रकार की हो और उसकी

चाहे जैसे अवस्था हो, यदि उसपर बराबर पानी भरा करेगा तो एक-न-एक दिन वह भूमि खेत के योग्य होजायगी। तथापि उचित भूमि और अनुकूल स्थान पर बन्धी बनाने से खर्च कम होता है। लाभ अधिक और बहुत जल्द होने लगता है। इसके विपरीत अगर बुरी भूमि में अनुपयुक्त स्थान में बन्धी डाली जाती है तो खर्च अधिक पड़ जाता है और लाभ कम तथा अधिक देर में होता है। इसलिए सलाह की बात यह है कि बन्धी बनाने के पहले बन्धी की जगह और उसकी स्थानीय दशा पर विचार कर लेना चाहिए। बन्धी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे अधिक फ़ायदा हो, और कम खर्च में तैयार होजाय। बन्धी की जगह चुनने में निम्नलिखित बातों का खयाल रखने में बड़ा लाभ होगा :—

(१) जिस भूमि का बन्ध बनाया जाय वह “मार” अथवा “काबर” न हो।

(२) पडुवा भूमि पर बन्ध अच्छा होता है।

(३) बन्ध में पानी की आमद अधिक हो।

(४) जिस क्षेत्रफल का पानी बहकर बन्धों में जमा होता है वह ‘मार’ का हो, अथवा अधिक भाग ‘मार’ या ‘काबर’ का हो।

(५) गाँव का पानी, खोदे हुए खेतों का पानी, रहुनियों का पानी, घूरों और मैली जगहों का पानी यदि बन्धी में बहकर आये, तो अति उत्तम जानो।

(६) रेतीली, ऊसर और नोनियारी भूमि का पानी आने से बन्धी की भूमि खराब होजाती है। इसलिए ऐसे स्थान पर बन्धी न बनवानी चाहिए जहाँपर ऐसी जगहों से पानी आता हो।

(७) जिस स्थान में मिट्टी डाली जाती है, अर्थात् बन्ध पड़ता है,

वह सकरा (कम चौड़ा) और जहाँ पानी भरना है वह विस्तृत (फैला हुआ) हो ।

(८) बन्ध इस प्रकार का हो कि मिट्टी कम पड़े और बन्ध बड़ा बने, साथ ही पानी बड़े क्षेत्रफल में भरे ।

(९) बन्ध के भीतर की भूमि (जहाँ पानी भरना है) बहुत कम ढाल की हो ।

(१०) बन्ध से अलग विस्तृत और उचित स्थान पानी के निकास के लिए हो ।

(११) बन्धी के पीछे (यानी भराव की दूसरी ओर) ऐसी जगह हो कि यदि अवकाश मिले और पानी की आमद काफ़ी हो तो एक दूसरा बन्ध उसके पीछे बनवा सके ।

(१२) वर्षा के बाद जो पानी बेकाम निकाला जाय उससे कुछ भूमि सींची जा सके ।

(१३) बन्धी में पानी की ऊँचाई कम और फैलाव अधिक हो ।

(१४) बन्धी की तजवीज के साथ उसकी लागत का भी अन्दाज़ा कर लिया जाय ।

(१५) वह बन्धी जिसमें एक पक्के बीघा पानी भरने में १०) २० खर्च का औसत पड़े, अच्छी है; पर २०) से अधिक न पड़ना चाहिए ।

(१६) रुपया और सामान इत्यादि का पहले बन्दोबस्त कर लेना चाहिए; पीछे काम आरम्भ करना चाहिए ।

बन्ध बनाने में नीचे लिखी बातें याद रखना चाहिएँ :—

(१) मिट्टी डालने के पहले जिस स्थान पर बन्ध डालना हो, उसे पंसार कर लेना चाहिए ।

(२) बन्ध इतना ऊँचा रखना चाहिए कि पूरा भर चुकने पर

जब औना चलने लगे तब बन्ध पानी से कम-से-कम चार फुट ऊँचा निकला रहे ।

(३) सौ-सौ फुट पर या कुछ न्यूनाधिक इतने ऊँचे बाँस गाड़ देने चाहिए कि जितनी ऊँचाई उस स्थान में रखी जाती है ।

(४) आठवें भाग से लेकर १२ वें भाग तक बन्ध की ऊँचाई पंसार से अधिक कर देना चाहिए, जिससे बैठक लेने (धँसने) पर भी बन्ध नीचा न होने पावे ।

(५) प्रत्येक बाँस के दोनों ओर ढाल के फैलाव की खूंटियाँ गाड़ देना चाहिए ।

(६) बन्ध का ढाल पानी के भराव और ऊँचाई से दुगना और पानी के भराव की दूसरी ओर का डेवड़ा होना चाहिए ।

(७) यदि बन्ध के भीतर कोई नाला आजाय तो उसपर मिट्टी ढालने के पहले उसकी रेत निकाल डालना चाहिए ।

(८) दो बाँसों के बीच का अन्तर एक भाग कहलाता है । बन्ध में इस प्रकार के कई भाग हों तो पहले एक भाग पर काम जारी करे, जब वह पूरा होजाय तब दूसरे पर काम लगावे ।

(९) मगरमुँहा अथवा सिल्यूस (वह स्थान जहाँ से पानी निकाला जाता है) को मिट्टी ढालने के पहले ही पूरा करलेना चाहिए ।

(१०) मगरमुँहा या सिल्यूस की नींव पक्की (मज़बूत) भूमि निकल आने पर भरी जानी चाहिए ।

(११) निकास-स्थान या औना बन्ध से कम-से-कम चार फुट नीचा होना चाहिए ।

(१२) यदि औना तंग या सकरा हो तो खुदवाकर विस्तृत कर देना चाहिए, जिससे भराव से अधिक पानी उससे निकल जाया करे ।

(१३) बन्ध की मिट्टी जहाँतक हो सके भीतर की भूमि से ली जाय ।

(१४) बंध के ढाल से कम-से-कम-३० फुट के अन्तर पर खन्तियाँ लगाई जावें ।

(१५) बड़ी देखभाल इस बात की रखनी चाहिए कि बन्ध में ढेले न आने पावें, बल्कि जो मिट्टी डाली जाय वह चूरा हो ।

(१६) मिट्टी इस तरह पड़नी चाहिए कि जब इकहरी डलियों की एक पुर्त (तह) बन्ध की कुल चौड़ाई और उस भाग की पूरी लम्बाई में पड़ चुके तब उसके ऊपर दूसरी डलिया पड़े ।

(१७) पहले बन्ध के सिरों पर मिट्टी डलवाना चाहिए, फिर आखिर में बीच के भाग में ।

(१८) बन्ध के ऊपर की चौड़ाई समतल न रहे बल्कि महिपुस्त (मीनपृष्ठ वा मछली की पीठ के समान) हो और ढाल इस प्रकार रहे कि आधा पानी बन्ध में एक ढाल की ओर और आधा पानी बन्ध के दूसरे ढाल की ओर रहे ।

(१९) बन्ध पर पानी एकत्र होकर न बहने पावे और न बन्ध पानी सोखने पावे । अर्थात् बन्ध में पानी न समाना चाहिए ।

(२०) बन्ध पर दूब या कोई घास होने से मिट्टी नहीं कटती और बन्ध में पानी नहीं समाता । पहले वर्ष बन्ध की मिट्टी पर कोदों, सावां, कुटकी इत्यादि छिड़क देने से बन्ध की हिफाजत और फायदा दोनों होते हैं ।

बन्ध बन चुकने पर इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए:—

(१) वर्षा में सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बन्ध पानी की लहरों तथा पानी की धार से कहीं कटने न पावे ।

(२) जिस जगह बन्ध पानी के जोर से कट रहा हो उस स्थान में वृक्षों की पत्तीदार शाखें लगा देने से कटना बन्द होजाता है ।

(३) बन्ध की तैयारी के बाद दो-चार वर्ष तक हर साल वर्षा समाप्त होने पर बन्ध के ऊपर की पंसार लेना चाहिए । जहाँ बैठक लेकर बन्ध अधिक धँस गया हो वहाँ और मिट्टी डलवाकर ठीक करा देना चाहिए ।

(४) हर साल बरसात के पहले बन्ध की उन स्थानों की मरम्मत कर देना चाहिए जो पानी से कट गये हों ।

(५) वर्षा में बन्ध के किसी स्थान में मिट्टी धँस जाने के कारण बहुधा गड़ढ़ा होजाता है और फिर उस गड़ढ़े में पानी समाना आरम्भ होजाता है, इसीसे बन्ध को बड़ी हानि पहुँचती है । इसकी मरम्मत फौरन करा देना चाहिए ।

(६) बन्ध का पानी एकदम कभी न निकालना चाहिए ।

(७) यदि अधिक वर्षा होने के कारण बन्धी एकदम भर जावे और औना (निकास-स्थान) से जितना चाहिए उतना पानी न निकल पावे तो मगरमुँहां भी खोल देना चाहिए ।

(८) पानी निकल चुकने पर जब बन्ध बिलकुल सूख जाय तो इस बात की अच्छी तरह परताल करनी चाहिए कि बन्ध कहीं से दरका अथवा फटा तो नहीं है । यदि दरका हो तो दरार के दोनों ओर एक-एक फुट चौड़ी और लगभग तीन फुट गहरी नाली खोदे और सूखी चिकनी बारीक मिट्टी उस नाली में भरकर अच्छी तरह धँसवा दे । मिट्टी की कुटाई का तरीका यह है कि पहले एक बालिस्त की एक पुर्त मिट्टी डालकर मोगरियों की दुरमुटों से कुटवा दे । जब वह पुर्त खूब दब जाय तब दूसरी तह डाले और उसी प्रकार फिर क्रिया करे ।

(९) चिकनी मिट्टी में यदि पीसन (भूसा, पयाल आदि के टुकड़े) मिला दिये जायें तो इससे पानी की रोक बहुत होजाती है । इसलिए मरम्मत कराने में सदा चिकनी मिट्टी के साथ भूसा, पयाल आदि के छोटे-छोटे टुकड़े मिला देने चाहिए ।

(१०) यदि बन्ध झरता हो, तो जिस स्थान से पानी झरे उसमें भीतर की ओर से पडलिंग करा देना चाहिए । (गोंद की दीवार की तरह बन्ध में कच्ची दीवार बनाकर मिट्टी से पूर दी जाती है, उसको 'पडलिंग' कहते हैं ।)

(११) गीली मिट्टी पर पशुओं को चलाकर उनके पैरों से मिट्टी कुचलवाने से भूमि कड़ी होजाती है और पानी को रोकती है, इसीलिए बन्ध के ढालों के किनारे पर (विशेषकर भीतर की ओर) पहले साल यह क्रिया करा देनी चाहिए ।

बन्ध टूटने के बहुधा निम्नलिखित कारण होते हैं :—

- (१) पंसार का ठीक न होना ।
- (२) निकास-स्थान का पर्याप्त विस्तृत न होना ।
- (३) बन्ध में फीबोई का कम होना ।
- (४) नीचे की जगह गलकने से बन्ध का एकदम बैठ जाना ।
- (५) बन्ध की मिट्टी का अधिक ढेलेदार होना ।
- (६) ढाल का अनुचित होना ।
- (७) बन्ध में अधिक पानी का समाना ।
- (८) वर्षा के पानी का इकट्ठा जमा होकर बन्ध के ऊपर से

एकजगह होकर बहना ।

(९) बन्ध के एकदम भरने से पानी का न समाना और उबल पड़ना ।

(१०) मगरमुँहाँ या सिल्युस की नींव कच्ची भूमि में होने के कारण उनका धँसना और बन्ध का फटना ।

(११) बन्ध की दरार की मरम्मत न होने के कारण उसमें पानी का प्रवेश करना ।

गाँव के और रोज़गार

खेती के काम से किसानों को बहुत फुरसत मिलती है और इस बड़ी फुरसत के समय वे अगर कोई सहायक रोज़गार न करें तो अकेली खेती से उनका गुज़ारा नहीं होसकता । कपास का काम ऐसे फैलाव का है कि किसान को एक मिनट भी बेकार रहने की जरूरत नहीं है । ओटाई, धुनाई और कताई का काम हर किसान सहज में सीख सकता है और कर सकता है । इतने काम के लिए वह हरेक रुपये के खर्च में पीने सात आने का अधिकारी होजाता है । तो भी हम यह नहीं कहते कि इससे ज्यादा मजदूरी जिस काम में मिलती हो वह छोड़कर कपास का काम करें । कपास का काम ऐसा है कि किसान जब चाहे करले, परन्तु और काम उसे विशेष-विशेष समय और ऋतु पर ही करने पड़ते हैं । खंडसाल की ही मिसाल लीजिए । खंडसाल का काम जाड़ों में शुरू होता है और गर्मियों के आते-आते खत्म होजाता है । छः महीने से अधिक नहीं रहता । इस काम में मजदूरी ज्यादा मिल जाती है । किसान चाहे तो खंडसाल का काम भी करे और कपास का भी । दूध-दही का काम ऐसा नहीं है कि किसान को उसमें हर वक्त फँसा रहना पड़े । वह चाहे तो यह काम करते हुए भी कपास का काभै कर सकता है । बिनाई का रोज़गार ऐसा है कि अगर तीसों दिन काम मिले तो जुलाहा या कोरी खेती नहीं कर सकता ; परन्तु बात ऐसी नहीं है । न तो खेती के काम में और न धुनाई के काम में कोई तीसों दिन लगा रह सकता है । इसलिए बुनकर

भी थोड़ा-बहुत खेती का काम कर सकता है। निदान किसान ऐसे रोज़गार भी, खेती और कताई आदि के सिवाय, कर सकता है, जिसमें उसे ज्यादा मज़दूरी मिले।

गाँव के रोज़गारों में दूध का काम बड़े महत्त्व का है। खेती के साथ-साथ किसान गऊ भी पाले तो दूध-दही-घी का रोज़गार कर सकता है। शहर के पास होने से यह कारबार बड़े ऊँचे पैमाने पर चल सकता है। दूर होने पर दूध और मक्खन पहुँचाने का विशेष बन्दोबस्त करना पड़ेगा। यह तभी होसकता है जब रोज़गार में नफ़ा अच्छा हो। दूध-शाला का काम मक्खन और घी तैयार करना है। गाय का दूध सबसे उत्तम होता है, इसलिए पीने के काम में यही दूध आना चाहिए। भैंस-बकरी आदि के दूध से मक्खन और घी निकालना चाहिए। मक्खन मथ लेने पर मथे हुए दूध को जमाकर उसका दही और मट्ठा बना लिया जाय तो बीमारों के लिए और बहुत कड़ी मेहनत करनेवालों के लिए भी पौष्टिक भोजन होता है। यह दूध और दही सस्ता मिलना चाहिए और यह कहकर बिकना चाहिए कि यह मक्खन निकाला हुआ दूध या दही है। ग्वालों की या दूधशाला रखनेवालों की एक पंचायत ऐसी होनी चाहिए जो दूध के रोज़गार को सचाई और ईमानदारी के साथ चलाने का पूरा प्रबन्ध करे और जो रोज़गारी ईमानदारी न बरते उसे दंड दे। वर्तमान काल में घी-दूध के रोज़गार की बड़ी दुर्दशा है। पर स्व-राज्य की दशा में यह दुर्दशा न रहनी चाहिए। अच्छे साँडों के द्वारा गो-वंश को बढ़ाना होगा और सहयोग के द्वारा अनेक दूधशालाओं को मिल-जुल कर अपना माल दूर-दूर बिकने के लिए भेजने का प्रबन्ध कराना होगा। दूधशाला रखनेवाले कई होंगे; सबका माल पंचायत के बन्दोबस्त से एक तरह का रखना होगा। शहर में या दूर-दूर बिकने को

भेजने के लिए एजेंसियाँ होंगी जो दूधशालाओं से माल लेकर भेजने का आप बन्दोबस्त करेंगी। इस तरह दूध, घी, मक्खन, दही आदि का खासा रोजगार हर गाँव में होसकता है। इसके लिए गउओं की रक्षा करनी होगी, उनको सस्ता परन्तु पौष्टिक चारा खिलाने का बन्दोबस्त करना होगा और उनकी सन्तान और दूध में तरक्की कराने के उपाय कराने होंगे। डेनमार्क एक छोटा-सा देश है जहाँ मक्खन और दूध का रोजगार बड़े ऊँचे पैमाने पर होता है। इंगलिस्तान को दूध और मक्खन डेनमार्क का ग्वाला देता है। भारतवर्ष में तो अभी इसकी इतनी कमी है कि यहाँके बच्चे ही जरूरतभर दूध नहीं पाते। हमें बहुत दिनों तक दूध और मक्खन विदेशों में भेजने की जरूरत न पड़ेगी और इस रोजगार से काफी लाभ होगा।

दूध, घी, मक्खन प्रायः सभी पशुओं से मिलता है; परन्तु गायों के सामान के सिवाय भैंस और बकरी का ही सामान मनुष्य के सेवन के लिए अनुकूल पड़ता है। जो लोग दूधशाला रखते हैं और हर तरह का माल तैयार करते हैं उन्हें तो गायों के सिवाय भैंस और बकरियाँ भी रखनी चाहिएँ। इस तरह दूधशाला रखनेवाला किसान सब तरह के पशुओं का पालन करेगा। परन्तु किसान के लिए गाय कामधेनु है। खेती में सबसे अधिक काम का पशु बैल है। अच्छी जाति का बैल मजबूत, बड़ा और महत्ती होगा। यह गोवंश बढ़ाने के लिए पूरा उद्योग करने से ही होसकता है। बैल कुएं से पानी खींचता है, खेत जोतता है, बोआता है, अनाज दबाता है, बोरियों में भरे अनाज को ढोकर बाजार पहुँचाता है, गाड़ी चलाता है और किसान के लिए खाद भी देता है। मरने पर भी उसका अंग-अंग मनुष्य के काम आता है। यह बड़े काम की चीज गऊ पालने से ही मिल सकती है, इसलिए हर किसान का कर्तव्य है कि

गऊ पाले। भैंसा और बकरा गऊ की तरह उपयोगी नहीं होते, इसलिए इनके रखने में गोपालन का-सा लाभ नहीं है। हाँ, दूधशाला रक्खे और इसी तरह का रोज़गार करे तो जरूर लाभ होसकता है।

गड़ेरिये भेड़-बकरी पालते हैं। भेड़ों से ऊन उतारकर वे कम्बल बुनते हैं। यह रोज़गार बहुत अच्छे पैमाने पर चलाया जासकता है। ऊन की उपज भिन्न-भिन्न भेड़ों से विभिन्न प्रकार की होती है। भेड़ों की जाति में भी उसी तरह तरक्की की जासकती है, जैसे गऊ की जाति में। इस तरह अच्छे नर से जोड़ा मिलाने से अच्छी जाति की भेड़ें पैदा होंगी, जिनका ऊन बारीक लोचदार और मुलायम होगा, जिससे कि ऊन के अच्छे-से-अच्छे कपड़े बन सकेंगे। गड़ेरिये का रोज़गार किसान के लिए बहुत लाभदायक है और इसमें बड़ी तरक्की की गुंजाइश है। किसान का सारा समय इसमें नहीं लगेगा।

किसान के काम में फल और तरकारियों का रोज़गार भी बड़े लाभ की चीज़ है। इसके साथ यह आवश्यक है कि जिन बाज़ारों में इनकी खपत होसके वहाँतक ये पहुँचाये जायें। इसका बन्दोबस्त भी एजेन्सियों के द्वारा सुभीते से होसकता है। शहर के पास के गाँवों में किसान आप लेजाकर बेच सकता है। ऐसे कारखाने भी खोले जासकते हैं जिनमें फलों को इस प्रकार सुरक्षित रक्खा जाय, कि वे बहुत कालतक ताज़ा बने रहें। यह क्रिया उस समय की जानी चाहिए जब देश में फल इतने ज्यादा पैदा हों कि ताज़े-ताज़े बिक न सकें।

जिन किसानों के पास फल और तरकारियों के बाग़ और बगीचे हों उनको यह बड़ा सुभीता है कि मधुमक्खियाँ पालें। जिन देशों में यह रोज़गार होता है वहाँ बाग़ों में इस तरह के बक्स लगा दिये जाते हैं, जिनमें एक ओर से तो मक्खियों के लिए रास्ता हो और दूसरी ओर

से एक ऐसा ढकना हो जिसे खोलकर सुभीते से और मक्खियों को बिना उद्वेग पहुँचाये शहद ले लिया जासकता है। इन बक्सों को ऊँचाई पर लगा देते हैं और रानी मक्खी को लाकर उसमें बसा देते हैं। इन बक्सों में मक्खियाँ हमेशा शहद बनाती रहती हैं और किसान को लाभ पहुँचाती रहती हैं। किसान यह रोजगार विशेष समय लगाये बिना ही कर सकता है।

घर बैठे हर किसान कुछ और मजदूरी का भी काम कर सकता है। कपास की ओटाई के सिवाय धान की कुटाई, मूँगफली की छिलाई, दालों की दलाई, और तेलों की पेलाई, हर किसान घर बैठे कर सकता है और मजदूरी से लाभ उठा सकता है। खंडसाल कुछ रुपया लगाकर ही खोल सकता है। खंडसालों से उसे काफी आमदनी होसकती है। जो किसान समुद्र या जंगल के पास रहते हैं वे मछली और पशुओं का शिकार भी कर सकते हैं। जंगल के पास के गाँवों में लाह की उपज बढ़ाने की कोशिश भी की जासकती है।

तेली, कुम्हार, नमार, कोरी या जुलाहे, लोहार, बढई, कसेरा, बंसफोर, सोनार और दूसरे कारीगर भी गाँवों में पाये जाते हैं। इन सब कामों की जरूरत पड़ती है। थोड़े-बहुत इस तरह के लोग हर गाँव में मौजूद हैं। ये तो वे रोजगार हैं जिनका खेती से सम्बन्ध तो नहीं है पर खेती करनेवालों को इनकी जरूरत पड़ती है। इनके सिवाय हर किसान को पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, शिक्षक, पहरेदार, बनिया, ग्वाला, धोबी, दरजी, नाई, कहार और लेखक की भी जरूरत पड़ती है। इन सब रोजगारियों का गाँव के अन्दर होना जरूरी है। पूरे गाँव में इन सबकी बस्ती होनी चाहिए। इन कामों के सिवाय किसान को जो कुछ जरूरत पड़ती है वह स्वयं कर लेता है। जिन-जिन गाँवों में इन रोजगा-

रियों में से कोई नहीं होता, वहाँके लोग दूसरे गाँवों से काम निकालते हैं। कुछ काम इस तरह के हैं, कि गाँववाले सुभीते के साथ कर सकते हैं। इनका सम्बन्ध न तो गाँव की जरूरतों से है और न खेती से। जैसे रंगरेज, छीपी, चित्रकार, सोनार, गाने-बजानेवाले, नक्काशी का काम करनेवाले, कागज बनानेवाले इत्यादि। गाँववाले किसान इन सब कलाओं में से किसी कला का अभ्यास कर सकते हैं, परन्तु अपने फालतू समय में। इन कलाओं का स्थान मनुष्य के जीवन में जरूर है। पर इनको आश्रय तब देना चाहिए जब किसान लोग ऋण के भार से मुक्त होजायँ और सुखी और समृद्ध होजायँ। जिन किसानों को इनमें से किसी कला का शौक हो वे इन कलाओं को जरूर सीखें, परन्तु इनसे किसानों के बीच आपस में कमाई करने का हौसला न करें। इनमें से छीपा और रंगरेज का काम जो खदर को सुन्दर बनाने का है उसे हम अपवाद समझते हैं। अमीर और शौकीन औरतें और मर्द भी रंगीन और छपे हुए खदर चाहते हैं। अगर किसान अपने घर पर बैठा छीपी और रंगरेज का रोजगार करे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इससे भी वह उचित कमाई कर सकता है।

वास्तु-सुधार

गाँव में रहने के घर तरह-तरह के होते हैं, फूस के झोंपड़े से लेकर पक्के महल तक गाँवों में पाये जाते हैं; परन्तु देश ऐसा दरिद्र होगया है कि हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश झोंपड़ों का देश है। अधिक लोगों के पास इतना भी नहीं है कि अपने झोंपड़ों को बन्द करने के लिए और कुत्तों का आना-जाना रोकने के लिए एक ठिकाने का दरवाजा या टट्टी भी लगा सकें। बहुत मज़बूत दरवाजे की ज़रूरत भी नहीं है। उनके पास है ही क्या, जो चोर लेजायगा ? इन्हीं झोंपड़ियों में कठिन-से-कठिन जाड़ गर्मियों में लुओं के जलानेवाले झोंके और बरसात में पानी की बौछार, सभी कुछ उपद्रव बेचारा किसान झेलता है। परन्तु एक बात ज़रूर है, कि बुरी तरह से बने हुए पक्के मकानों के मुकाबले में झोंपड़ियाँ ज्यादा हवादार होती हैं। जहाँ दीवार मिट्टी की होती है वहाँ प्रायः एक ही दरवाजा रक्खा जाता है। यद्यपि छत ऐसी विरल छाई हुई होती है कि गन्दी गरम हवा को ऊपर से बाहर निकाल देने के लिए काफी है, तो भी मिट्टी की दीवार में एक ही दरवाजा रोशनी के लिए काफी नहीं है; इसलिए हर कमरे में खिड़कियाँ और गौखे होने चाहिएँ, जिनकी राह से रोशनी आसके। खिड़कियों में जंगला या पल्ले लगवाने में खर्च ज्यादा पड़ता है। किसान कहाँ से लावे ? इसलिए कोई गौखे इस तरह से बनाये जायँ कि बाहर से छेद का व्यास एक बालिश्त से अधिक न हो पर भीतर से नीचे की ओर

भीत इस तरह पर छील दी जावे कि रोशनी के आने में भीत से रुकावट न हो। इस तरह के कई गौखे अगर धरती से तीन-चार हाथ ऊँचाई पर रक्खे जायँ तो उनमें से कुत्ते, बिल्ली आदि पशु नहीं आसकेंगे और रोशनी का कोठरी को पूरा लाभ मिलेगा।

आमतौर बस्तियों में मकान सटा-सटाकर इस ढंग पर बनाते हैं कि मकान प्रायः तीन तरफ़ से और मकानों से घिरा होता है और एक ही तरफ़ खुला रहता है। इसमें सुभीता यह समझा जाता है कि तीन तरफ़ से सेंध नहीं लग सकती और चोरी नहीं होसकती। आगे की ओर ज्यादा हिफ़ाज़त रक्खी जाती है। कभी किसी समय होनेवाली चोरी के डर से लोग अपने घर की सुन्दरता और लाभकारिता को बिगाड़ देते हैं और साफ हवा और रोशनी को रोक देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन उपायों से चोरियाँ रुक जाती हों। चोर के काम में इन रुकावटों से बहुत बाधा नहीं पड़ती। जहाँ धन होता है और चोरी की प्रवृत्तिवाले होते हैं वहाँ कोई-न-कोई जोड़-तोड़ लगाकर वे अपना काम साध ही लेते हैं। इसलिए सदा के लिए बस्ती की हवा और रोशनी बन्द नहीं होनी चाहिए। भरसक इस तरह पर घर बने की दरवाज़ों के सिवाय हर कमरे में क़ाफ़ी गौखे बने हों, जिनसे कि रोशनी और हवा दोनों कमरे के भीतर अच्छी तरह आवें। हर दो मकानों के बीच में कुछ खाली जगह छोड़नी चाहिए। वह जगह इतनी हो कि दोनों तरफ़ की ओलती टपक सके और दोनों तरफ़ की नालियाँ बह सकें और इन नालियों की पूरी सफ़ाई की जा सके। ये नालियाँ बहकर ऐसे एक कुण्ड में जानी चाहिएँ जिसमें जज्ब करने के लिए पोली मिट्टी भरी हो। समय-समय पर इस मिट्टी को निकालकर खाद की तरह काम में लासकते हैं। दरवाज़े के सामने किसी नाली के बहने की ज़रूरत नहीं रह जाती और भरसक

इन सड़कों और गलियों में जिधर से आदमी गुजरते हैं इधर किसी तरह की गंदगी न रहेगी। भरसक घर के भीतर संडास या पाखाने होने ही नहीं चाहिए। अगर बच्चों के लिए या बीमारों के लिए किसी संडास या पाखाने की जरूरत हो तो इस तरह घर के दूरवाले भाग में बनाना चाहिए कि खाने-पीने और रहने की जगह एक मिनट के लिए भी खराब न हो सके। ज्योंही यह पाखाना या संडास काम में आचुके त्योंही उसपर काफ़ी मिट्टी-डाल दी जाय और सुभीते की जल्दी के साथ उसे खेतवाली नालियों में पहुँचवा दिया जाय। हमने खेत में नालीवाले और बलती-फिरती टट्टी-वाले पाखाने की पहले चर्चा की है। बीमारों और बच्चों की जरूरत के लिए निकट-से-निकट के खेत में उस तरह की नालियाँ और टट्टियाँ बनाई जा सकती हैं। गाँव की गलियाँ और सड़कें भरसक चौड़ी होनी चाहिए। इतनी चौड़ी सड़कें तो होनी ही चाहिए कि दो बैलगाड़ियाँ सुभीते से निकल जायें और राह चलते आदमी भी उस समय अगल-बगल से आ-जा सकें। बरसात के दिनों में गाड़ी की लीक से गड्ढे होजायेंगे और पानी भरकर कीचड़ होजायगा। इससे बचने के लिए देहात की सड़कों को एक तो और मौसिमों में बीच में ऊँची और किनारों की ओर ढलवाँ करना पड़ेगा। साथ ही सड़क की मिट्टी में कंकड़ी-खपरों के टुकड़े बजरी मिलाकर फैलवा देने चाहिए। अगर ये काफ़ी मिल सकें तो इन्हें कुटवा देना अच्छा होगा। तब तो वह पक्की सड़क होजायगी। परन्तु जहाँ सड़क कच्ची ही रखी जाय वहाँ ढलवाँ करके खूब घनी घास उगा देनी चाहिए। घास से भी धरती पोढ़ी होजाती है। जबतक ज़मीन पोढ़ी न होजाय तबतक उसपर से चलना-फिरना मना रहे।

मकानों के नालीवाले गलियारों में काम के पौधे लगा देने चाहिए और घर के सामने मैदान हो तो उसमें जगह-जगह फूल के पेड़ लगा

देने चाहिएँ। इन छोटे-छोटे पौधों से और फूल के पेड़ों से जितनी जगहें हों वे भर देनी चाहिएँ। इससे सुन्दरता भी बढ़ेगी और हवा भी साफ़ होगी। पुराने घड़ों को गमलों के रूप में खूबसूरती से फोड़कर और मिट्टी भरकर गमले बनाये जा सकते हैं और इनमें भाँति-भाँति के छोटे-छोटे पौधे लगाये जा सकते हैं। ऐसे गमले उचित स्थानों पर रखकर घरों की, दरवाज़ों की ओर खिड़कियों की शोभा बढ़ाई जा सकती है।

कुएँ की जगत कुएँ से बाहर की ओर अच्छी तरह ढलवां बनानी चाहिए। जगत के ऊपर बैठकर नहाना या बरतन माँजना, दत्तुअन-कुल्ला करना मना होना चाहिए। जगत के नीचे नहाने-धोने आदि काम के लिए ऐसा बन्दोबस्त होना चाहिए कि गिरा हुआ पानी बहकर बहुत दूर चला जाय और कुएँ के पास की ज़मीन में जब न होने पावे। गाँव का मन्दिर और मसजिद बहुत साफ़ जगह पर हों। उसके चारों तरफ़ फुलवारी, बाग़-बगीचा होना चाहिए। पानी की निकासी अच्छी होनी चाहिए। उसके चारों ओर किसी तरह की गन्दगी न हो। मन्दिर और मसजिद सफ़ाई का नमूना होने चाहिए। अगर जगह काफ़ी हो तो गाँव की पाठशाला और मकतब इन्हीं जगहों में रहें, परन्तु ऐसे ढंग पर कि गाँव के किसी प्राणी को पाठशाला और मकतब में आने में कोई रुकावट न हो। चौपाल की जगह भी फुलवारी से सुन्दर बनी होनी चाहिए। अगर मदरसे या पाठशाला की इमारत अलग हो तो वह बहुत ज्यादा हवादार होनी चाहिए। रोशनी की भी उसमें बहुतायत चाहिए। और बाग़ तो बच्चों की पढ़ाई के लिए उसके किसी ओर उचित ढंग पर लगा हुआ होना ही चाहिए।

जिस गाँव में मन्दिर या मसजिद में पढ़ाई के लिए जगह न हो और गाँववाले इतने समर्थ न हों कि पढ़ाई के लिए अलग मकान

बना सकें तो भी पढ़ाई के काम में कोई कठिनाई न पड़नी चाहिए। घास के ऊपर मैदान में और पेड़ों की घनी छाया के नीचे दस-बीस लड़के सहज में शिक्षा पा सकते हैं और अगर कई दर्जे पढ़ते हैं तो किसी बाग के भीतर गाँव की पाठशाला या मदरसे का काम सहज में हो-सकता है। पढ़ाई की जगहों में आमतौर पर लड़कों को और पढ़ाने-वालों को अपनी बनाई चटाइयों पर बैठना चाहिए। जब वर्षा होती हो, अंधड़ हो, धरती गीली हो, बहुत तेज गरमी पड़ती हो और बरफ़ या पाला पड़ रहा हो, तब अज्ञा या अनध्याय यानी छुट्टी होनी चाहिए।

गाँव जिस जगह हो वह जगह आसपास की ज़मीन से ऊँची होनी चाहिए, नहीं तो आये दिन की बाढ़ से गाँव बह जायगा। सील अपना घर कर लेगी। गाँव के लोग फसली बुखार के शिकार होंगे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ जायगा और आयु घट जायगी।

गाँव के आसपास खेतों के शुरू होने के पहले फलदार पेड़ों के बाग होने चाहिए। इससे गाँव सुन्दर लगते हैं, बहुत-सी सील खिंच जाती है और हवा शुद्ध रहती है।

दो मकानों के बीच में जो जगह छोड़ी जाय वह जितनी ही चौड़ी हो उतना ही अच्छा है। मकान भरसक दूर-दूर बनने चाहिए। जिस गाँव में बस्ती इस तरह अलग-अलग बसी हो, उसमें मरी आदि फैलने-वाले रोगों से बहुत बचाव रहता है। जो गाँव बहुत घने बसे होते हैं उनमें जब मरी आदि रोग फैलते हैं तो रहनेवाले लोगों को भागकर बागों में ठहरना पड़ता है या गाँव के बाहर चला जाना पड़ता है।

गाँव में तालाबों, पोखरों, पोखरियों की कमी नहीं है, परन्तु वे अत्यन्त गन्दे रक्खे जाते हैं। रक्षा-पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह इन सब जलाशयों की पूरी सफ़ाई करादे और सफ़ाई की रक्षा करे। इन

जलाशयों में कोई आकर आबदस्त न ले, इनके चारों तरफ़ कहीं मनुष्य पाखाना-पेशाब न करें। गन्दी नालियाँ सब जगह से बहकर जलाशयों में गिरें। खेतों का पानी किसी तरह इन जलाशयों में न आने पावे। इनमें कोई न तो थूके और न कुल्ला करें।

जिस जलाशय में इतनी सफ़ाई बरती जाय उसीका जल पीने के योग्य होसकता है। ऐसे साफ़ तालाबों में नहाया भी जासकता है, परन्तु जिस जल में नहाया जाय वह पीने के लायक नहीं रह जाता और जिस गाँव के पास बहती हुई नदी नहीं है उसमें नहाने का सुभीता तालाबों में ही होसकता है। इसलिए तालाब तो नहाने के लिए इसी तरह साफ़ रखे जाने चाहिएँ।

बरसात में खेतों के सिवाय भी और ज़मीन पर पानी बरसता है और नालियाँ बह निकलती हैं। यों तो हर गाँव में बरसाती पानी के बहा लेजाने के लिए नाले होते हैं जो बहकर किसी ताल में या नदी में जा गिरते हैं। परन्तु ये नाले कभी-कभी काफ़ी गहरे और चौड़े नहीं होते, इसलिए उबल पड़ते हैं और गाँव में बाढ़ आजाती है। गाँव-बालों का यह काम है कि जब ऐसी बाढ़ आजाया करती हो तो इन नालों को खोदकर उनकी चौड़ाई बढ़ा दें और गहराई भी जहाँ कहीं सम्भव हो ढाल को बग़ैर बिगाड़े हुए बढ़ा दी जाय।

जहाँ कहीं गाँव काफ़ी ऊँचाई पर न बसे हों और किसी तरफ़ से बरसात का बढ़ा हुआ पानी गाँव में आकर भर जाता हो, वहाँ रक्षा-पंचायत को चाहिए कि उस तरफ़ मिट्टी का बाँध बँधवा दे और ऐसा बन्दोबस्त करे कि उचित बाँधों के द्वारा पानी जमा भी किया जासके और बाढ़ से गाँव की रक्षा भी होसके।

बाज़ार और उत्सव

उपज की खपत जब उपजानेवालों के बीच गाँव के अंदर पूरे तौर पर नहीं होपाती, तो उबरे हुए माल को वहाँ पहुँचाना पड़ता है जहाँ उसकी माँग होती है। परन्तु यह जानना बहुत मुश्किल है कि किसकी माँग किस चीज़ के लिए है और वह चीज़ किसके पास ज़रूरत से ज्यादा है। इसी कठिनाई का इलाज है हाट-बाज़ार। देहातों में अठवारे में दो या तीन बार किसी ऐसी जगह बाज़ार लगता है जहाँ आसपास के गाँववालों को इकट्ठा होने में सुभीता होता है। लोग अपनी उबरी हुए उपज को बाज़ार में लाते हैं और जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनसे बदल लेते हैं। बाज़ार में जब दस-बीस गाँव के आदमी मिलते हैं तो एक-दूसरे का समाचार भी उन्हें मालूम होता है और वे उपज का हाल भी जान जाते हैं, विविध वस्तुओं के भाव का भी पता लगता है। रोज़गारियों और कारीगरों को यह भी मालूम होजाता है कि किन लोगों को किस-किस तरह की क्या-क्या चीज़ चाहिए। इस तरह आगे के बाज़ार के लिए कारीगरों को आर्डर भी मिल जाते हैं। जैसे किसी गाँव में कातनेवाले बहुत हैं, सूत बहुत तैयार होता है, परन्तु कोरी एक भी नहीं है और जो सूत गाँव की ज़रूरत से ज्यादा कतता है वह बाज़ार में बिक जाता है परन्तु गाँववालों को कपड़े की भी ज़रूरत है और दूसरे गाँव के जुलाहों के पास काम नहीं है, तो उन्हें आसानी से काम मिल जाता है और कातनेवालों को कपड़ा। इस तरह हाट-बाज़ार में व्यवसाय

और व्यापार भी चलता है, ख़बरें भी मिलती हैं, एक-दूसरे की सहायता भी होती है और जो लोग बाज़ार में जी बहलाने को जाते हैं उनका जी भी बहलता है, और वे चाहें तो तज़ुर्बा भी हासिल कर सकते हैं। बाज़ारों में हर तरह की कला में कुशल आदमी आते हैं और अपनी बनाई हुई चीज़ें लाते हैं। एक-दूसरे का मुक़ाबला होता है और होड़ में एक-दूसरे से बढ़ जाने का हौसला पैदा होता है। इस तरह बाज़ार ऐसी जगह है जहाँ ज्ञान और कला दोनों में बढ़न्ती होती है और देश में उपज और सम्पत्ति का बराबर-बराबर बँटवारा होजाता है। इसीलिए चाहिए कि अनेक गाँवों की पंचायतें मिलकर अनुभव की इस पाठशाला को अर्थात् बाज़ार को हर तरह पर बढ़ावें और अधिक-से-अधिक उपयोगी बनावें।

हर बाज़ार एक तरह का मेला है, जहाँ हर तरह के आदमी इकट्ठे होते हैं और मिलते हैं और हर मेले में बाज़ार लगता है और तरह-तरह का कारबार होता है। मनोरंजन और कारबार दोनों मेले में भी होता है और बाज़ार में भी। दोनों की व्यवस्था एक ही है, भेद यह है कि मेले में मनोरंजन को प्रधानता होती है और बाज़ार में कारबार को। बाज़ार जल्दी-जल्दी और बँधे समय पर लगा करता है और मेला देर-देर में और विविध समयों और स्थानों पर हुआ करता है। बाज़-बाज़ मेले ऐसे ज़बरदस्त होते हैं कि महीनों लगते हैं और उनमें का बाज़ार और भी ज़बरदस्त होता है। उदाहरण के लिए बिहार का हरिहरक्षेत्र का मेला और संयुक्तप्रान्त का बटेश्वर का मेला लेलीजिए। इन मेलों में हाथी, घोड़े, गाय, बैल, भैंस आदि पशुओं से लेकर छोटी-से-छोटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो न मिलती हो, परन्तु ये मेले इसीलिए हैं कि तीर्थ के सम्बन्ध में यहाँ बहुत-से लोग इकट्ठे होते हैं, उनके दिल-

बहलाव के लिए यहाँ जो सामग्री इकट्ठी होती है वह शायद व्यापारी सामग्री से कहीं ज्यादा है। इसीलिए ऐसे भारी बाजारों के होते हुए भी ये मेले ही हैं। इसके विपरीत कलकत्ते और बम्बई के बाजारों में मनुष्य के काम की शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो न मिल सकती हो। दिलबहलाव की सामग्री भी थोड़ी मात्रा में नहीं है। शायद बटेश्वर और हरिहरक्षेत्र में उतनी दिलबहलाव की चीज़ें न हों जितनी कि इन बड़े-बड़े बाजारों में मिलती हैं। परन्तु ये मेले इसीलिए नहीं कहलाते कि ये बाज़ार नित्य कारबार के लिए लगते हैं, मनबहलाव यहाँ पर गौण और कारबार मुख्य है। इसलिए चाहे मेला हो या बाज़ार हो, दोनों से लाभ वही है परन्तु जानेवालों के मन की दशा में थोड़ा-सा अन्तर है। मेले में अधिक जानेवाले कारबार के लिए नहीं जाते और बाज़ार में अधिक जानेवालेकेवल सैर-तमाशे के लिए नहीं जाते। बाज़ार और मेलों-तमाशों से सब तरह का लाभ है और उनमें सब तरह का लेन-देन है, इसलिए पंचायतों को उचित है कि मेलों-तमाशों और बाजारों को सहायता देकर बढ़ावें।

जिस गाँव में बाज़ार लगते हैं या मेले-तमाशे होते हैं, उस गाँव के सभी प्राणी उनसे लाभ उठाते हैं। दूसरे गाँवों के सभी लोग मेलों-तमाशों में शरीक नहीं होसकते। इसलिए जिन गाँवों में बाज़ार नहीं लगते उनमें मौक़े-मौक़े से लोगों के दिलबहलाव के लिए और कारबार के लाभ के लिए भी हाट, मेला, तमाशा, उत्सव करने का बन्दोबस्त होना चाहिए। तीज-त्योहार पर आनन्दोत्सव, खेल-तमाशे और दिलबहलाव के उपाय तो किये ही जाते हैं। ऐसे अवसर पर खेल-तमाशे के द्वारा गाँव में नया सिलसिला पैदा करना और पुराने रीति-रिवाज को बढ़ाना गाँववालों का कर्तव्य है। इन बातों से नित्य के निर्वाह वाले जीवन में

जो एक तरह की उदासीनता रहती है वह मिट जाती है और गाँव का कारबार नये हौसले से चल पड़ता है ।

तीज-त्योहार पर कला और सौन्दर्य बढ़ानेवाले अनेक काम होते हैं । बाज्र-बाज्र त्योहारों पर स्त्रियाँ भाँति-भाँति के चित्र भीतों पर, कपड़ों पर और धरती पर खींचती हैं । उत्सवों में, चौक पूरने में, भाँति-भाँति के सुन्दर चित्र बनाती हैं । आधे भारत में अर्थात् दक्षिण में यह दस्तूर है कि हर हिंदू के द्वार पर नित्य तड़के उठकर घर की स्वामिनी लीपती और चौक पूरती है । किसी हिन्दू का दरवाजा इस चित्रकारी से खाली नहीं होता । केवल उसी दिन चौक नहीं पूरा जाता जिस दिन कोई अमंगल होगया रहता है । मकर की संक्रान्ति पर बच्चों के लिए नावें बनती हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं । इसमें मूर्ति बनाने की कला का अभ्यास होता था और बच्चों को भी थोड़ी-बहुत कुछ शिक्षा पाने का अवसर मिलता था । चित्रकारी, मूर्तिकारी, नक्काशी आदि कलाओं को उत्सवों में उत्तेजना मिलती थी । इन राष्ट्रीय कलाओं को वही उत्तेजना फिर भी मिलनी चाहिए जो पहले मिलती थी । पंजाब के देहात-सुधार अफसर ब्रेन महोदय शिक्षा-विधि की निन्दा करते हुए कहते हैं कि यहाँ के शिक्षितों में पढ़ना खत्म करने के बाद किसी कला, प्रकृति-निरीक्षण या किसी तरह के अध्ययन-अनवुशीलन का शौक नहीं होता । कोई तितलियाँ पकड़ता हुआ या डाक के टिकट इकट्ठा करता हुआ नहीं देखा जाता । तितलियाँ इकट्ठा करना या टिकटों को जमा करना यद्यपि मैं कोई विशेष उपयोगी और शिक्षा-विधायक काम नहीं समझता, तो भी इसमें मुझे संदेह नहीं है कि प्रचलित शिक्षा-विधि से हमारी पुरानी शिक्षा-प्रद और उपयोगी कलाओं का नाश होगया है । लोग उत्सवों पर जिन कलाओं में कुशलता दिखाते थे, उन्हें भूलते जाते हैं और उनका

प्रचार उठता जाता है। पंचायतों को उन्हें फिर प्रचलित करने के लिए खासी कोशिश करनी पड़ेगी। सौन्दर्य का प्रेम हर काम में पैदा करने की ज़रूरत है और जबतक प्रजा सौन्दर्य और कला का आदर न करेगी तबतक कलावाले का हौसला बढ़ नहीं सकता और हमारी खोई हुई कला फिर नहीं मिल सकती। शिक्षा-पंचायत को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा।

कला का क्षेत्र बहुत विस्तीर्ण है। खेत के जोतने, बोने, पटेलने में भी कला है। इस कला की कच्चाई से किसान हानि उठाता है। सूत की धुनाई में, कताई में, और बुनाई में भी वह कला है जिससे रुई की क्रीमत बढ़कर अपनी असली क्रीमत से सैकड़ों गुनी ज्यादा होजाती है। गाँव का कोई रोजगार ऐसा नहीं है जिसमें कला का सौन्दर्य और बारीकी न हो। हर रोजगार में सफलता और उन्नति कला के ही बढ़ाने में है। इसलिए शिक्षा और व्यवसाय दोनों पंचायतों का यह प्रधान कर्तव्य होगा कि कला की अच्छी शिक्षा दें और बड़ी ममता से उसकी रक्षा करें।

किसान की दरिद्रता के कारण अनेक तीज-त्योहार उठ गये हैं। प्रायः सभी तीज-त्योहार खेती के सम्बन्ध के थे। उनमें से एक भी उठाये जाने योग्य नहीं है। परन्तु पंचायतों को इस बात पर भी ध्यान रखना होगा कि जबतक किसान ऋण-भार से दबा हुआ है तबतक खर्च करने का हौसला नहीं कर सकता। उसे फ़िजूलखर्ची से रोकना चाहिए, और भरसक उसकी आर्थिक दशा पर दृष्टि रखते हुए उत्सवों का हौसला बढ़ाना चाहिए।

आधे भारत का सुधार

बिहार प्रान्त को छोड़कर हमारे देश में कहीं भी गाँवों में परदे का बहुत ज्यादा रिवाज नहीं है। परन्तु फिर भी संयुक्तप्रान्त और बंगाल में जितना कुछ रिवाज है वह भी बहुत-से कामों में बाधक है। बहुत-से किसानों की स्त्रियाँ खेत के कामों में पुरुषों को बड़ी सहायता देती हैं। परन्तु कुछ जातियाँ, जो अपनेको बहुत ऊँची समझती हैं, स्त्रियों को परदे में रखती हैं, इसलिए खेती के कामों में उनसे उतनी मदद नहीं मिल सकती। परदे का रिवाज और ऊँची जाति होने का खयाल दोनों बातें ऐसी हैं कि बहुत-से कामों के लिए लाचार होकर ऊँची जाति कह-लानेवालों को मज़दूरों से काम लेना पड़ता है और इसीलिए खेती से उन्हें बहुत कम बचता है। अगर खेत के काम में स्त्रियाँ पूरी मदद न दे सकें तो सूत का काम ऐसा जबरदस्त है कि किसी स्त्री को निठल्ली बैठे रहने का कोई मौका नहीं है। जबतक परदे का रिवाज उठ न जाय तबतक अनेक विधवाओं को लाचार होकर बिलकुल दूसरों के भरोसे खेती का बन्दोबस्त करना पड़ेगा। ऐसी दशा में भी किसी विधवा को चरखे के रहते बेरोजगारी की शिकायत नहीं होसकती।

स्त्रियों में सुधार करने का सबसे उत्तम उपाय यह है कि उन्हें उचित प्रकार की शिक्षा दीजाय। लड़कियों को नगरों में और बड़े कस्बों में शिक्षा दीजाती है सही, पर वह शिक्षा कुछ ऐसी होती है कि लड़कियाँ गृहस्थी के काम से घृणा करने लगती हैं और शौकीन बन जाती हैं।

शिक्षा-पंचायत के प्रकरण में हमने जैसे दोष लड़कों की आजकल की शिक्षा में दिखाये हैं, प्रायः वैसे ही दोष लड़कियों की शिक्षा में भी पाये जाते हैं। इसीलिए शिक्षा-पंचायत को स्त्रियों की उचित शिक्षा के लिए खास बन्दोबस्त करके खास ढंग पर पढ़ाना होगा।

गाँवों की लड़कियों की शिक्षा विशेषकर नीचे लिखे विषयों में होनी चाहिए:—

(१) घर की सफाई, झाड़ना-बुहारना, बरतन माँजना, लीपपोत, सफेदी, छोटी-मोटी मरम्मत।

(२) नाजों की सफाई, धान कूटना, दाल दलना, आटा पीसना, छानना, फटकना, मैदा और रवे बनाना।

(३) दही जमाना, दूध और दही से मक्खन निकालना, पनीर बनाना, दूध दूहना, गोपालन।

(४) भाँति-भाँति की खाने की चीजें बनाना, पकाना या और तरह पर तैयार कर सकना।

(५) प्राकृतिक उपचारों का ज्ञान। तात्कालिक चिकित्सा।

(६) कपड़े पछाटना और उजला धोना। कलप-इस्तरी करना।

(७) कपड़े रंगना और छापना।

(८) कपड़े काटना और सीना।

(९) बेल-बूटे काढ़ना और सुई के और काम करना, और मौजे आदि बुनना।

(१०) ओटना, धुनना,* पूनियाँ बनाना और सूत कातना, अटेरना।

(११) चौक पूरना और भीत पर की चित्रकारी, कागज पर जल के रंगों और तेलवाले रंगों से चित्र खींचना।

(१२) कपड़े बुनना । (पाई करने का काम सीखने की आवश्यकता स्त्रियों को नहीं है ।)

(१३) स्वास्थ्य-रक्षा और रोगी-सेवा ।

(१४) सौड़ की दाई के काम ।

(१५) बच्चों की रक्षा ।

(१६) गाना-बजाना । राष्ट्रीय गाने । भजन-विनय ।

(१७) मिट्टी की मूर्तियाँ और खिलौने तथा 'कपड़े की गुड़िया आदि बनाना ।

(१८) पढ़ना-लिखना और गृहस्थी सम्हालने लायक हिसाब-किताब ।

हमने ये अठारह विषय स्त्रियों की शिक्षा के लिए रक्खे हैं जिनमें पढ़ने-लिखने का स्थान सबसे अन्त में रक्खा गया है । मतलब यह है कि पढ़ना-लिखना स्त्रियों के लिए इतना जरूरी नहीं है जितना कि घर-गृहस्थी का नित्य का काम । यह जरूरी बात नहीं है कि पाठशाला तभी खुले जब इन अठारहों बातों की शिक्षा का पूरा बन्दोबस्त होजाय । इन अठारहों विषयों में अनेक तो ऐसे हैं जिनकी शिक्षा हर लड़की को अपने माता-पिता के घर मिलनी चाहिए और मिलती भी है । लड़कियाँ अपने बाप के ही घर घर की सफ़ाई, झाड़ना-बुहारना, लीपना-पोतना, नाजों की सफ़ाई करना, कूटना, दलना, पीसना, छानना, फटकना, मैदा और रवे बनाना, दही बनाना, मक्खन निकालना, मामूली रसोई का काम, कपड़े पछाटना, कपड़े रंगना, और मामूली गाना-बजाना थोड़ा-बहुत सीख लेती हैं । मदरसों या पाठशालाओं में उन्हीं विषयों की शिक्षा देनी पड़ेगी जिनकी शिक्षा घर नहीं होसकती या घर की शिक्षा अपूर्ण होती है । ऊपर दी हुई सूची पर विचार करने से पता लगेगा कि आधे

से अधिक कामों को सिखलाने का बन्दोबस्त करना जरूरी होगा। आज-कल जो शिक्षा दी जा रही है उसमें पढ़ना-लिखना, हिसाब आदि मुख्य काम समझा जाता है। यह बिल्कुल उलटी बात है। लड़कियों को रसोई बनाना न आता हो, झाड़ना-बुहारना, बरतन माँजना, लीपना-पोतना न आता हो, पढ़ना-लिखना और हिसाब आता हो, तो समझना चाहिए कि उनकी शिक्षा नहीं हुई। आजकल इसी तरह की उलटी शिक्षा स्त्री-शिक्षा के नाम से मशहूर हो रही है।

इन सब विषयों के सिखाने के लिए एक ही शिक्षालय काफी नहीं हो सकता। कुछ विषय तो ऐसे हैं कि गाँव की ही स्त्रियाँ उन्हें सिखाने के लिए काफी होंगी, और कुछ विषय ऐसे हैं कि उनकी पढ़ाई के लिए विशेष बन्दोबस्त करना पड़ेगा। बहुत सम्भव है कि किसी बड़े गाँव या कस्बे में इसका बन्दोबस्त करना पड़े। दाई का काम, चित्रकारी, प्राकृतोपचार, तात्कालिक उपचार, रोगी-सेवा आदि विशेषज्ञता के काम हैं। इनके लिए विशेष जानकारी रखनेवाले शिक्षक चाहिए। ऐसे सिखानेवाले ही मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए ऐसा प्रबंध होने में बहुत देर लगेगी। लड़कियों को विधि से शिक्षा देने के लिए गाँव की ही बड़ी-बूढ़ियों से बन्दोबस्त करना होगा। किसीको कुछ आता है, और किसीको कुछ। कोशिश की जाय तो गाँव की सब लड़कियों को काम-चलाऊ शिक्षा नियम से दिलाने का बन्दोबस्त सहज ही हो सकता है। शिक्षा-पंचायत इसका प्रबन्ध थोड़ा-बहुत जल्द ही कर लेगी।

स्त्रियाँ आधी दुनिया हैं। भारतवर्ष की आधी बस्ती की शिक्षा की हम परवा न करें, उनके सुधार पर ध्यान न दें, तो हमारी कितनी भारी मूर्खता होगी ?

सफ़ाई और बच्चों की रक्षा, ये दोनों विषय हमने स्वतंत्र रखे

हैं। हमारे देश की मातायें इन दोनों बातों में आज इतनी कच्ची हैं कि हमारे देश में सालभर के अन्दर के बच्चों की मौत की गिनती संसार-भर में सबसे ज्यादा है। न तो सफाई रखी जाती है और न बच्चों को ठीक तरह का भोजन मिलता है। इन्हीं दोनों भूलों से निरपराध बच्चे माता की गोद से छीन लिये जाते हैं। लड़कियों की शिक्षा तो इस विषय की दी ही जायगी, पर माताओं की शिक्षा भी जरूरी है। जो लोग बच्चों का पालन-पोषण करते हैं उनके ऊपर यह भारी जिम्मेदारी है। गोपालन वाले प्रकरण में हम दिखा आये हैं कि संतान-रक्षा के लिए शुद्ध और पोषक दूध की कितनी भारी जरूरत है। मातायें सफाई से रहें, बालक को सफाई से रखें, उसे समय-समय पर उपयुक्त भोजन दें, तो बहु-तसी शिकायतें जल्दी ही दूर होजायँ। इसलिए माताओं की शिक्षा का भी बन्दोबस्त करना पड़ेगा। गाँव में शिक्षा-पंचायत कोशिश करके 'महिला-मण्डली' बनावे और महिला-मंडली उचित साहित्य का संग्रह करके आपस में सफाई, स्वास्थ्य-रक्षा बच्चों की रक्षा आदि माताओं के लिए जरूरी विषयों का प्रचार करे। इससे बच्चों की अकाल मृत्यु में जरूर कमी होजायगी।

अच्छा दूध मिलने का सबसे उत्तम उपाय तो यही है कि हर गृहस्थ के घर पर गायें हों। गोपालन के सब लाभों में से बच्चों के लिए दूध का मिलना तो एक प्रधान लाभ है। परन्तु हमारे देश की दरिद्रता ऐसी है कि अपनी गाय रखना हर बाल-बच्चेदार किसान के लिए संभव नहीं है। इसके लिए व्यवसाय-पंचायत को चाहिए कि ऐसा नियम करदे कि गाँव की गायों का दूध, चाहे वे किसीके यहाँ की क्यों न हों, गाँव के बच्चों में बाँट जाया करे। जब बच्चों से बचे तब बीमारों को मिले। इन दोनों से बच जाय तब और कोई पावे। जो परिवार दूध के दाम न

दे सके, उसे बिना दाम के ही दूध मिले, अथवा पंचायत दामों के बदले कोई सेवा दिलाना चाहे तो वैसा बन्दोबस्त करदे। जो हो, बच्चों को दूध तो हर हालत में मिलना ही चाहिए, फिर चाहे बिना दाम हो, चाहे कम दाम पर हो और चाहे पंचायत की ओर से किसी सेवा के बदले हो।

जो स्त्रियाँ खेतों में पुरुषों के साथ काम करती हैं उनके लिए तो कुछ कहना नहीं है। वे तो घर के भीतर स्त्री का और बाहर पुरुष का काम करके अपनेको सवाया, ड्योढ़ा या दूना मर्द प्रमाणित करती हैं। परन्तु परदे में रहनेवालों के पास भी अठारह तरह के काम मौजूद हैं। उन्हें खेत में काम करनेवाले मरदों से कम काम नहीं है। उनके घर के भीतर के काम तो मजूरी के काम हैं। उनसे तो पंचायत को कोई मतलब नहीं है। परन्तु रोजगारी काम तो पंचायत का आश्रय लिये बिना चल ही नहीं सकते। चरखे के काम के लिए स्त्रियों का अपना संगठन होना चाहिए जो स्वतंत्ररूप से (१) अपना कपास संग्रह करे, (२) ओटे, (३) धुने, (४) पूनियाँ बनावे, (५) काते और (६) ठीक नियम से अटेरकर पैक करने लायक अट्टियाँ एक रूप की और एक नाप की बनावे। मंडल को अपने पास आये हुए सूतों को छाँट-छाँटकर वर्गों में या नम्बरों में बाँटना पड़ेगा और सब बिक्री का उपाय करना होगा। इस प्रकार स्त्रियों के काते सूत की बिक्री अथवा बिनवाने का बन्दोबस्त स्त्रियाँ ही करेंगी तो सबसे उत्तम होगा।

विधवाओं, दरिद्रों और लाचारों के लिए चरखा कातना भारी सहारा होगा। दिनभर सूत कातनेवाले को अगर छः-सात पैसे भी मिल गये तो उसे खाने के लिए कुछ बन्दोबस्त जरूर होजायगा। विदेशी कपड़े का पूरा बहिष्कार होजाने पर अनाज का सस्ता होना अनिवार्य है। रुपये में बीस सेर या आने में सवासेर अनाज मिले तो पेट भरने के

लिए चरखे की कताई की मजूरी काफी है। पचास वर्ष पहले जब अन्न का यही भाव था, अनेक दरिद्राओं और विधवाओं ने चरखा कातकर अपना और बच्चों का पालन-पोषण किया है और उन्हें शिक्षा दिलाई है। इसलिए दीनबन्धु चरखे का प्रवेश हर घर में होना चाहिए और हर दरिद्र, हर ऋणी, हर विधवा, हर ब्रह्मचारी, हर गृहस्थ, हर वानप्रस्थ और हर संन्यासी को और हर नर-नारी बच्चे, जवान, बूढ़े को चरखा कातना चाहिए, जिससे सबके खाने और पहनने के बन्दोबस्त में सहायता मिले।

जिन स्त्रियों के घर में पुरुष नहीं हैं उनकी हर तरह की रक्षा करना गाँव की रक्षा-पंचायत का धर्म है। स्त्रियाँ अबला कहीं जाती हैं और जब रक्षक कोई नहीं है तो गाँव का कर्तव्य है कि उनकी रक्षा करे।

स्त्रियाँ सेवा करने में पुरुषों से बहुत बड़ी-चढ़ी हैं। उनमें माता का भाव है। जैसे वे बच्चों का पालन करती हैं वैसे ही रोगी की शुश्रूषा भी बड़ी उत्तमता से कर सकती हैं। इसीलिए जिस रोगी की सेवा के लिए अपने घर की कोई स्त्री न हो उसके लिए रक्षा-पंचायत किसी और स्त्री को इस काम के लिए खोजले तो उत्तम बात होगी। इसीलिए स्त्री-शिक्षा में रोगी-सेवा वाले अंग को हम गाँवों के लिए अत्यंत उपयोगी समझते हैं।

शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय और सेवा चारों बातों का ऊपर बताई बातों के सिवा स्त्रियों से प्रायः वैसा ही सम्बन्ध है जैसा पुरुषों से। इसलिए यहाँ विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

आपत्काल और आपद्धर्म

जिस काल में देश की तिहाई बस्ती साल में कम-से-कम तीन महीने बेरोजगार रहा करती है, जिस काल में किसानों की आधी आबादी दिन में एक बार भी भरपेट भोजन नहीं पाती, जिस काल में दुर्भिक्ष से भी अधिक महँगीं निरन्तर बनी रहती है, जिस काल में कंगाल-से-कंगाल और रईस-से-रईस अपने देश के भीतर बन्दी-सा बना हो, जिस काल में अपनी प्राचीन परम्परा, संस्कृति और इतिहास का लोप हो रहा हो, जिस काल में वर्णाश्रम-धर्म की छाया-मात्र रह गई हो, उस काल को हम आपत्काल के सिवाय क्या कह सकते हैं ? दुर्भिक्ष फैलानेवाले रोग, आग, बाढ़, टिड्डी, विदेशी शासन, स्त्रियों का अपमान, ब्राह्मण (विद्वान) व साधुओं (सज्जनों) का अपमान और उनपर अत्याचार ही यदि आपत्काल की परख हो तो भी वर्तमान काल के आपत्काल होने में कोई मूर्ख दुराग्रही ही सन्देह करेगा । भारतवर्ष की इस आपत्काल की दशा में देश के समझदार लोगों को दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए । जो काम साधारण अच्छे काल में करने में लोग अपना कर्तव्य नहीं समझते, आपत्काल में उन्हें वही काम करने पड़ते हैं । इसमें संदेह नहीं कि अपने धर्म के पालन में मर जाना अच्छा है, परन्तु पराया धर्म सहज में किया जा सके तो भी उसमें जोखिम है—भय है । मगर समाज में व्यक्तियों के कर्तव्य बँटे हुए होते हैं । अगर समय की आवश्यकता के अनुसार काम की बँटाय या श्रम-विभाग फिर से बदला जाय या अपना-अपना काम सबको आप कर

लेना पड़े तो इसमें अपने और पराये धर्म का कोई प्रश्न नहीं आता । आपत्काल में समाज का संगठन अगर फिर से हो जाय तो इसमें व्यक्ति का धर्म नहीं बिगड़ता, क्योंकि व्यक्ति समाज के आधीन है ।

थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि किसी जैन मन्दिर में, जो घनी बस्ती के भीतर है और जिसके अड़ोस-पड़ोस में जैन, हिन्दू, मुसलमान सभी बसे हुए हैं, बड़ी भयानक आग लग गई । यह आग फैले तो सारी बस्ती जलके राख होजाय । जैन मन्दिर के भीतर हिन्दू नहीं जाते । मुसलमानों का जाना भी मना है । मुसलमान के हाथ का पानी जैन-मन्दिर पर पड़ना कोई जैनी गवारा न करेगा । परन्तु आग लगने पर इन बातों का विवेक नहीं होसकता । मुसलमान, हिन्दू, जैनी, ईसाई सभी आग बुझाने को दौड़ पड़ेंगे और बिना किसी तरह का विचार किये आग बुझाने में लग जायेंगे । कोई जैन हिन्दू और मुसलमानों की इस सहकारिता पर किसी तरह का उज्र न करेगा । इसी तरह कहीं बाढ़ आजाय और बस्ती के लोग डूबने लगे तो मुसलमान-हिन्दू का कोई भेद न किया जायगा और एक-दूसरे को बिना विवेक किये बचाने में लग जायेंगे ।

वर्तमान काल आपत्काल है । इस समय भारत को फिर से अपने पाँवों पर खड़ा करने के लिए और देश की दशा सुधारने के लिए भेद-भाव को भूलकर सब जातियों के लोगों को कन्धे-से-कन्धा मिलाकर काम करना चाहिए । इसी भाव को लेकर गाँवों के अन्दर सभी जातियों को और सभी धर्म और मतवालों को भेदभाव छोड़कर गाँव के काम में लग जाना उचित है । अबतक गाँव में घर-घर कलह है, पड़ोसी पड़ोसी से खार खाये बैठा है, कोई किसीका भला नहीं चाहता, बुराई ने इतनी जड़ पकड़ ली है कि अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए एक गृहस्थ

अपना कुछ नुकसान उठा लेने में हर्ज नहीं समझता । चाहिए तो यह था कि भाई का उपकार करने के लिए अपने स्वार्थ को नष्ट कर देता, और किसीको कानोंकान खबर भी नहीं होती, परन्तु इसके विपरीत लड़ने-वाले एक-दूसरे को बद-बदकर हानि पहुँचाते हैं । इस दशा को एकदम बदल देना गाँव की पंचायतों का परम-कर्तव्य होगा । जबतक यह दुर्दशा बनी रहेगी तबतक स्वराज्य नहीं होसकता । विदेशियों की भारत के ऊपर राज करनेवाली माया हमारे यहाँ की आपस की फूट की ही नींव पर टिकी हुई है । जिनको विश्वास न हो वे मुकदमेबाजी के खर्च और उससे होनेवाली गाँवों की दुर्दशा पर ठंडे दिल से विचार करें ।

हमारा देश आपत्काल में फँसा हुआ है, उसका एक रूप यह है कि गाँवों में मेहनत-मजूरी करनेवाली जातियाँ बहुत घट गई हैं । आर्काटियों के बहकाने से एक बड़ी संख्या परिश्रमी लोगों की विदेशों में चली गई है । इसीलिए आये दिन मजूरों की कमी से खेती के काम में बड़ा हर्ज पड़ जाता है । हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय भाई अपने बड़प्पन के मद में हल की मुठिया छूना पाप समझते हैं । फल यह होता है कि वे खेती की दौड़ में पिछड़ जाते हैं और मजूरों की राह देखने में अक्सर ठीक तरह पर खेती करना उनके लिए कठिन होजाता है । अगर वे हल की मुठिया छूने में पाप समझना छोड़ दें तो कई लाभ उनको सहज में होसकते हैं । एक तो मजूरी बच जायगी, जिससे कि खेती के इस खर्च की मद घटेगी । दूसरे यह लाभ होगा कि अपने हाथ से जब वे जुताई-बुआई करेंगे तो नौकर या मजूर की तरह काम के साथ बेपरवाही न करेंगे; और वे जब जी लगाकर उत्तमता से काम करेंगे तो पैदावार जरूर बढ़ जायगी और मजूर के हाथ से काम कराने में और अपने हाथों अपना काम कर लेने में जो भारी अन्तर है वह स्पष्ट हो-

जायगा। गाँवों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी खेती करते हैं; परन्तु हमें यह दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि इस आपत्काल में भी गाँवों के वे ब्राह्मण जो ब्राह्मणोचित कोई कर्म नहीं करते और खेती के सिवाय जिनकी और कोई जीविका नहीं है, जो असल में वैश्य-धर्म का पालन कर रहे हैं, मोह और मद में फँसकर कह बैठते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हमको हल की मुठिया छूने में पाप लगेगा, यद्यपि इन्हीं भाइयों को अपने खेतों में खाद फेंकते हुए देखा जाता है। इन भोले भाइयों को यह समझ में नहीं आता कि ईमानदारी का कोई काम ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण न कर सकता हो और बेईमानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो किसी मनुष्य के करनेलायक हो, चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो। हल की मुठिया थामने में न तो कोई हिंसा है और न सत्य का विरोध है। इससे किसीका ईमान-धर्म नहीं जाता। लाभ यह होता है कि हट्टे-कट्टे हाथ-पैर वाले परिश्रम से अपना काम खुद करते हैं, जिससे खेती अच्छी होती है। कठिनाई से मिलनेवाले मजूरों की बाट जोहने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बात सब लोगों को मालूम है कि मजूरों के भरोसे की जानेवाली खेती में बरकत नहीं होती। यह भी सबको मालूम है कि कुर्मी लोग, जो क्षत्रिय हैं, खेती का सारा काम बेझिझक अपनेआप करते हैं। किसानों के काम में हमारी समझ में और सभी जातियों को कुर्मियों से शिक्षा लेनी चाहिए।

अनेक काम और पेशे इस तरह के हैं जिन्हें फिर नये सिरे से जारी करना है। देश के जिन भागों में नमक बनानेवाले नोनिये अब नहीं रहे उन भागों में साधारण किसानों को चाहिए कि इस रोज़गार को अपना लें और कुछ किसान जरूर नोनिये बन जायँ। नमक बनाना एक पवित्र काम है। इसमें इतनी भारी पवित्रता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य में

वेद पढ़नेवाले ब्राह्मण और वानप्रस्थ राजा को बिना किसी तरह का कर दिये हुए नमक बनाने और बेचने के अधिकारी थे । यदि यह नीच काम होता तो वानप्रस्थ तपस्वी ब्राह्मणों को इस प्रकार जीविकोपार्जन का हिन्दू-काल में अधिकार न मिलता ।^१

१. कौटिलीय अर्थशास्त्र में नमक-कर के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है उसे हम ज्यों-का-त्यों यहाँ उद्धृत करते हैं । आज-कल जो कर लग रहा है वह लागत का चौबीस सौ गुना है । चाणक्य के समय में अधिक-से-अधिक मूल्य का छठा भाग लगता था । तपस्वी लोग नमक का रोजगार भी कर सकते थे, नमक मुफ्त ले भी सकते थे और राज-कर भी उन्हें नहीं देना पड़ता था ।

“खन्यध्यक्षः शंखवज्रमणि मुक्ता प्रवाल क्षार कर्मन्तान् कारयेत्क पणन व्यवहारं च ।

लवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लवणभागं प्रक्रयं च यथाकालं संगृहणीयात् विक्रयाच्च मूल्यं रूपं व्याजीम् ।

आगन्तु लवणं षड्भागं दद्यात्—दत्त भाग विभागस्य विक्रयः पञ्चकं शतं व्याजीं रूपं रूपिकं च । क्रेता शुल्कं राजपण्याच्छेदानुरूपं च वैधरणं दद्यात् । अन्यत्र क्रेता षट्छतमत्ययं च ।

विलवणमुत्तमं दण्डं दद्यात्, अनिसृष्टोपजीवी च अन्यत्र वानप्रस्थे-भ्यः । श्रोत्रियास्तपस्विनो विष्टधेश्च भक्तलवणं हरेयुः । अतोऽन्योलवण-क्षारवर्गः शुल्कं दद्यात्

एवं मूल्यं विभागं च व्याजीं परिघमत्ययम् ।

शुल्कं वैधरणं दण्डं रूपं रूपिकमेव च ॥

खनिभ्यो द्वादशविधं धातुं पण्यं च संहरेत् ।

एवं सर्वेषु पण्येषु स्थापयेन्मुखसंग्रहम् ॥

आकरप्रभवः कोशः कोशादृण्डः प्रजायते ।

पथिवी कोश दण्डाभ्यां प्राप्यते कोशभूसणा ॥”

गोपालन और दूध का रोज़गार ग्वाले करते आये हैं। परन्तु इस रोज़गार को बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। यह शुद्ध पवित्र और ऊँचा काम है। इसमें गोरक्षा का धर्म भी शामिल है। कोई किसान दूध बेचने से नीच नहीं समझा जा सकता। हर किसान को चाहिए कि इस रोज़गार को अपना ले और अच्छी गऊ पालना, अच्छे वंश के साँड से मिलाना और अच्छे बैल तैयार करना हर किसान का धर्म हो जाना चाहिए। किसी समय में वे यदुवंशी क्षत्रिय जो राज्य के अधिकारी नहीं रह गये थे, इसी पवित्र व्यवसाय में लग गये। वे भारी-भारी गोपालक होगये हैं, जिनके पास गोपालन की बदौलत अपार धन हो गया था। श्रीकृष्णजी के पोषक पिता नन्दजी के धन का वर्णन श्रीमद्-भागवत में इसी प्रकार का है। उस समय इन ग्वालों के गाँव-के-गाँव थे, जो मथुरा नगरी के पास बने हुए थे और जिनके गोरस की बिक्री मथुरा में ही होती थी।

धुनने का काम प्राचीन काल में हर कातनेवाला अपनेआप कर लिया करता था। हमारा ऐसा अनुमान इस बात से पुष्ट होता है कि प्राचीन हिन्दू-साहित्य में धुनिया जाति या पेशे के किसी मनुष्य की चर्चा नहीं मिलती। केवल मुसलमानों के राज्यकाल में धुनिया या बेहना सुनने में आता है। इससे जान पड़ता है कि मुसलमान लोग जब हमारे देश में आये तब ये लोग खेती तो नहीं करते थे, पर इनमें दस्तकारी का ज़बरदस्त हौसला था। भारत में कपड़े की बुनाई का काम संसार में ऐसा प्रसिद्ध था कि स्वभाव से ही दस्तकारी की ओर प्रवृत्त मुसलमान लोग इसकी ओर ध्यान दिये बिना नहीं रह सकते थे। इसीलिए शुरु से ही और भारत में बसते ही मुसलमानों ने खद्दर बनाने का काम सीख लिया और करने लगे। ये लोग ज्यादातर शहरों और क़स्बों में रहते

थे, इसलिए गाँव से कपास लेकर उसे खदर के आखिरी रूप तक पहुँचाना इन्होंने अपना पेशा कर लिया। यह तो स्पष्ट है कि कातने की कला किसी विशेष जाति या पेशे की चीज़ नहीं हुई। परन्तु जिस तरह से बुनाई का काम तातियों और कोष्टियों के हाथ में था उसी तरह मुसलमान जुलाहों के हाथ में भी आया, और पूनियाँ बनाकर शहर के कातनेवालों के हाथ बेचने का काम करनेवाला एक नया ठेकेदार पैदा होगया, जिसे धुनिया कहते हैं। धुनिया कपास को ओटता था, रुई सुखाता था, धुनता था और पूनियाँ बनाता था। बिनौले, रुई और पूनियाँ बेचना उसका रोज़गार होगया। वह कातनेवालों को उधार पूनियाँ देकर सूत कतवाता था और कतवा-कतवाकर इकट्ठा सूत बेचना भी उसका रोज़गार होगया था। मुसलमानों के समय में इस रोज़गार की तरक्की हुई और अंग्रेज़ों के राज्य में यह रोज़गार मर गया। म० गाँधी की बदौलत इस रोज़गार का और नोनिये के रोज़गार का फिर से जन्म हुआ है। अगर ये दोनों पेशे जग जायँ तो बड़ी अच्छी बात है। परन्तु इस बात की ज़रूरत नहीं है कि यह कार्य इन पेशेवालों की ही बदौलत चले। आज भारतवर्ष के हर किसान को चाहिए कि इन कामों को अपना ले और इनके करने में अपनी बेइज्जती न समझे। धुनियों की पैदाइश के पहले जैसे हर किसान कपास ओटता था, रुई धुनता था और सूत कातता था, उसी तरह आज भी बेझिझक सारे काम करे।

व्यवसाय-पंचायतों का काम श्रुताते हुए हमने एक बड़े ज़रूरी कारबार की चर्चा उस स्थल पर जानबूझकर छोड़ दी है। वह है चमड़ा सिञ्चाने का कारबार। इस छोटी-सी पुस्तक का यह उद्देश्य नहीं है कि किसी पेशे पर खासतौर से विस्तारपूर्वक विचार करें, इसलिए हम यह

विस्तार से नहीं बता सकते कि विदेशी चमड़े के व्यवसाय से हमारे देश के गोवंश के नाश का क्या संबंध है। परन्तु इस स्थल पर हम इतना कहना तो जरूरी समझते हैं कि अगर हम गो-रक्षा के सचमुच सहायक हैं तो हमें चाहिए कि कम-से-कम हम खुद ऐसे चमड़े का व्यवहार न करें जो मारे हुए गोवंश का हो।

इस बात का निश्चय तभी होसकता है जब अपना चर्मालय हम खुद बनालें, जिसमें अपने मरे हुए मवेशी की खाल को हम स्वयं सिझाकर अपने कामलायक बना लेते हों। यह काम सबसे अच्छा उन गाँवों में होसकता है जहाँ यह पेशा करनेवाले चमार अधिक रहते हों और आसपास के सैकड़ों गाँवों से मरे हुए पशुओं की लाशों के मिलने का पूरा प्रबन्ध होसके। जिस गाँव में यह प्रबन्ध होसके उसकी व्यवसाय-पंचायत का यह कर्त्तव्य है कि इस व्यवसाय का प्रबन्ध अपने हाथ में ले और बड़े पैमाने पर हिंसा से मुक्त शुद्ध तैयार चमड़े का व्यापार करे। इस व्यापार में किसी तरह का दोष या पाप नहीं है, बल्कि पुण्य की बात यह है कि इससे गोरक्षा होगी और गोहत्या घटेगी। इस तरह के चमड़े का व्यवसाय किसीको नीच और पतित नहीं बनाता। किसी प्राणी को मारना या कष्ट पहुँचाना या कष्ट पहुँचाने में सहायक होना अवश्य पाप है, जिसमें कि मारे हुए पशुओं के चमड़े का व्यवहार करनेवाले और चर्बी की माँड़ी के कपड़े पहननेवाले फँसते हैं।

जिन कामों या पेशों में हत्या या हिंसा न हो, किसी तरह की बेईमानी न हो, झूठ और ठगवाई की जालों के बिना ही काम पूरा हो सके, और उस काम से मनुष्यों को लाभ पहुँचे, तो उसको करने में किसी तरह की बेइज्जती या नीचता नहीं होसकती। ऐसे अच्छे और सच्चे काम भी हमारे हाथों से इसलिए छिन गये हैं कि हम पराये बस

में होगये । कपड़े की बुनाई का काम इसी तरह का एक पवित्र और सच्चा काम है, जिसमें कोई हत्या नहीं और किसीको कष्ट पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं । यह काम भी हमारे देश में बहुत घट गया और न जाने क्यों सर्वसाधारण में यह भ्रम फैल गया कि यह काम नीचा है । इस भ्रम का फल यह हुआ कि हिन्दुस्तान में कोरी और गुजरात में ढेड़ लोग अछूत जाति के समझे जाने लगे । मुसलमानों में भी जुलाहों को लोग आदर की दृष्टि से नहीं देखते । इसका कारण चाहे जो कुछ हो, यह कौन कह सकता है कि जिन कपड़ों की बदौलत हम अपने तन ढकते हैं और सर्दी-गर्मी लू आदि से अपनेको बचाते हैं और अपने रूप को सुन्दर बनाते हैं, उन्हीं कपड़ों का तैयार करनेवाला इसी काम के कारण नीच और न छूने के योग्य होजाता है ? यह हमारा भारी भ्रम है । कम-से-कम इस आपत्काल में ऐसे भ्रम को छोड़कर कपड़े बुननेवालों का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि वे स्वराज्य की रक्षा करनेवाले हमारे सिपाही हैं ।

चमार, डोम और भंगी तक भी कोई ऐसे नीच और घृणित मनुष्य नहीं हैं जिनको छूने से भी परहेज किया जाय । जिस समय ये लोग गन्दे काम करते हों उस समय न छूना एक बात है, परन्तु उन्हें सदा के लिए अछूत करदेना समाज का भारी अत्याचार है । इसमें लोग अधिकतर शास्त्रों की दुहाई देते हैं । परन्तु हम थोड़ी देर के लिए यह भी मानलें कि शास्त्र सचमुच इन सब मनुष्यों को अछूत बताते हैं, तो भी हमें यह देखना चाहिए कि हम ऐसी भारी विपत्तियों के समूह में फँसे हुए हैं कि हम धर्मशास्त्रों के नियमों पर नहीं चल सकते । विपत्तियों के समूह का तो हमने कुछ थोड़ा-सा इस अध्याय के शुरू में वर्णन कर दिया है । परन्तु इस विपत्ति की दशा में शास्त्र के नियमों का पालन

नहीं होसकता, इस बात पर भी विचार करना चाहिए। यह तो हम लोग जानते ही हैं कि मिल के कपड़े पर चर्बी की माँड़ी हुई रहती है। इसी माँड़ी लगे कपड़े को हम मुद्दत से पहनते आरहे हैं, इसी गन्दगी को अपने शरीर पर लपेटे हुए हम भोजन करते रहे हैं और पूजा तक करते रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि इन्हीं गन्दे कपड़ों से हमने देवताओं की मूर्तियों के भाँति-भाँति के श्रृंगार किये हैं, उन्हें पवित्र मानकर ब्राह्मणों को दान दिया है, और मृत्यु के बाद कफन भी इन्हीं गन्दे कपड़ों का लपेटा गया है। जिन लोगों ने विलायती टोप और टोपी पहने हैं उन्होंने चमड़े को सिर-माथे पर चढ़ाया है, और विदेशी शकर खानेवालों ने और चर्बी मिला घी खानेवालों ने तो इन गन्दी चीज़ों को अपने पेट में भी पहुँचाया है। अब शास्त्रों के नियमों का पालन कहाँ रह गया ? इन बातों में तो गन्दगी प्रत्यक्ष है, और इन गन्दगियों को जानकर भी और त्यागने की पूरी इच्छा रखते हुए भी हमको ग्रहण करना पड़ता है। परिस्थिति ऐसी है कि हम बच नहीं सकते। यह तो हुई वे गन्दगियाँ जिन्हें शास्त्र बतावें या न बतावें पर हर हिन्दू बिना बताये ही जानता है। हिन्दू की बुद्धि इन्हें गन्दा कहने में कोई मतभेद नहीं रखती। जिन आदमियों ने गन्दा काम करने के बाद भी सफ़ाई करली है, उन्हें छूने से घृणा करना यद्यपि कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है, तो भी हम अगर मानलें कि शास्त्र की आज्ञा पालने के लिए इस मूर्खता को स्वीकार कर लेने में कोई हर्ज नहीं है तो हमें अपने आचरण में संगति तो अवश्य होनी चाहिए। मुसलमान और ईसाई छूत-अछूत का कोई विचार नहीं रखते और उन मुसलमानों और ईसाइयों से भी हम कोई छूत-अछूत का विचार नहीं रखते, इसलिए हमारा आचरण सुमंगल नहीं है। मेले-तमाशों में, बरातों में और सार्वजनिक समारोहों

में हम लोग छूत और अछूत का कोई विचार नहीं रखते; फिर भी हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं होता। हम अपने आचरण में न संगति पर ध्यान देते हैं और न शास्त्र के अनुकूल आचरण रखते हैं। हम ऐसे संकटग्रस्त हैं कि हम शास्त्रों का पालन करना चाहें तो भी नहीं कर सकते और नहीं करते। इसलिए हमें इस आपत्काल में बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए और छूत-अछूत का कोई भेद, जिससे हमारे यहाँ झगड़े और कलह बढ़ते हैं, न रखना चाहिए।

गाँवों में आये दिन एक-न-एक विपदा की चढ़ाई होती ही रहती है। बाढ़ आजाती है और गाँव-के-गाँव बह जाते हैं, उस समय छूत-अछूत तो क्या, पशु और मनुष्य का भी विवेक नहीं रह जाता। ऐसे समय में बाँध बाँधने के लिए छूत-अछूत, हिन्दू-मुसलमान, बच्चे-बूढ़े-जवान, नर-नारी, सबको भेद-भाव, लाज-परदा और परहेज छोड़कर बाँध बाँधने में जुट जाना चाहिए और बुद्धिमानी से निजी जितनी आतुर सहायता हो सके पहुँचानी चाहिए। आती हुई बाढ़ को रोकने के लिए बाँध के उपाय तो पहले से ही हुए रहने चाहिए। परन्तु तत्काल भी सहायता की जरूरत होती है। ऐसी दशा में सारे गाँव का कार्य है कि उमड़ आवे और कोई आगा-पीछा न करे।

मरी, हैजा आदि फैलनेवाली बीमारियों के आने पर लोग बस्ती छोड़कर मैदानों में रहने लग जाते हैं। बागों में टिक जाते हैं। ऐसी दशा में गाँव के विशेष चौकी-पहरे की जरूरत होती है। जितने लोग गाँव में रहते हैं, सबको मिलकर पहरे में मदद देनी चाहिए और गाँव से बाहर दूसरे कुँओं का पानी, जो दूषित न हो, पीने के काम में लाना चाहिए। गाँवों में ऐसा दस्तूर है कि अछूत जातियों को और जाति के लोग अपने कुँओं पर पानी नहीं भरने देते। यह बहुत भारी अन्याय है।

सफ़ाई के नियम तो यह बताते हैं कि ब्राह्मण का भी बर्तन हो मगर गन्दा है तो कुएँ में डालने न देना चाहिए और चाण्डाल का भी बर्तन हो मगर साफ़ हो तो कुएँ से पानी निकालने देना चाहिए। ये बुद्धि के नियम हैं। इन नियमों से काम लिया जाय तो सफ़ाई की रक्षा हो सकती है, और किसी मनुष्य का अपमान नहीं होसकता। गाँव में ऐसा भेदभाव रखने से जल के दूषित होजाने पर ऐसा भी होसकता है कि बेचारे अछूत को कहीं भी जल न मिल सके और ऐसा भी अवसर आसकता है कि अछूतों वाले कुएँ के सिवाय और कोई कुआँ साफ़ न रह गया हो। हम इस बात को मानते हैं कि अछूत कहे जानेवाले लोग सफ़ाई से नहीं रहते। इसमें भी दोष उन लोगों का है जो उन्हें सदा से घृणा की दृष्टि से देखते आये और उनमें सुधारने का हौसला पैदा न होने दिया। गाँववालों को चाहिए और सेवा-पंचायत का यह विशेष कर्तव्य होना चाहिए कि वे इन अछूत कहलानेवालों के जीवन को मन लगाकर सुधारें और उन्हें ऐसा कर दें कि गाँव की पंचायतों में उनका बराबर आदर और सम्मान रहे।

अकाल के दिनों में गाँव के समीप रहनेवालों पर भूखों मरने का संकट आपड़ता है। ऐसे समय में रक्षा-पंचायत सहायता देने का जो काम जारी करे उसमें भी छूत-अछूत का कोई भेद नहीं होना चाहिए। भूख का कष्ट सब मनुष्यों को बराबर होता है। मजूरी करने में अक्सर अछूत जाति वाले ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए कोई कारण नहीं है कि सहायता का काम उन्हें कम दिया जाय और दूसरों को ज्यादा।

टिड्डी-दल की चढ़ाई करने पर या आग लगने पर जो दौड़-धूप या उपाय किये जाते हैं उनमें भी छूत और अछूत का विवेक नहीं किया जा सकता। ये संकट के दिन हैं, और हमें संकट के दिनों में भाइयों से

मिलकर विपदा को टालने के उपाय करने चाहिए । भेद-भाव और फूट के होते हमारी कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं । संकटों को दूर करने में हमें अपनी कठिनाइयाँ घटानी चाहिए । हमको बाहर के दुश्मनों से जब लड़ना है तब उसीके साथ अगर भीतरी दुश्मनों से भी लड़ना हो तो हमारे लिए कुशल नहीं है । विदेशी शत्रु, बाढ़, आग, मरी, दुर्भिक्ष, टिड्डी, अवर्षण आदि बाहरी दुश्मन हैं । हम अगर हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव, नशा, छूत-अछूत का भेद, आपस की मुकदमेबाजी, बेकारी आदि भीतरी दुश्मन पाले रहेंगे तो भीतरी और बाहरी दुश्मनों के दोनों पाटों के बीच में पड़कर पिस जायँगे । हमें भीतरी दुश्मनों को पहले अपने क़ाबू में कर लेना चाहिए, फिर बाहरी की ताकत आधी ही रह जायगी ।

: २६ :

धर्म

कहा जाता है कि “हमारे देश में अनेक धर्मों और सम्प्रदायों के लोग रहते हैं, जिनके आचार-विचार अलग-अलग हैं। इसीलिए भारत में फूट है।” यह कहना सर्वथा ठीक नहीं है। भारत में जितने भारतीय मत-मतान्तर फैले हुए हैं, उनके दार्शनिक विचारों में भेद है। उनके आचार में सिद्धान्तरूप से कोई अन्तर नहीं है। जो अन्तर बहुत बड़ा देख पड़ता है वह रूप में है और विस्तार में है। सम्प्रदायों ने अपना-अपना रूप और विशेष क्रियाओं का विस्तार अलग-अलग रक्खा है, परन्तु आचरण का सिद्धान्त एक ही है। चाहे कोई तिलक लगावे या न लगावे, चाहे एक रूप का तिलक लगावे चाहे दूसरे रूप का, पर अहिंसा, सत्य, सफाई, तपस्या, दान, क्षमा, यज्ञ, ध्यान, व्रत आदि में किसीका मतभेद नहीं है, क्रियाओं की विधि में और विस्तार में चाहे कितना ही अन्तर हो। इस तरह हिन्दू सम्प्रदायों में आपस का मत-भेद सिद्धान्त में नहीं है। यों तो संसार में कोई दो मनुष्य भी ऐसे मुश्किल से मिलेंगे जो विषयों के विस्तार में और उनके आचरण और व्यवहार में सर्वथा समान हों। इस तरह के भेद से राष्ट्रीय समानता और एकरूपता में अन्तर नहीं पड़ता। हिन्दू चाहे किसी सम्प्रदाय के क्यों न हों, कोई ऐसा नहीं है जो श्रीमद्भगवद्गीता को न मानता हो या कम-से-कम गीता में बताये हुए ज्ञान-विज्ञान का कायल न हो। भारतवर्ष के सभी सम्प्रदाय एक भारत की ही संस्कृति को माननेवाले हैं। चाहे वे कितना ही मतभेद रखते

हों, फिर भी उनकी संस्कृति की बुनियाद वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण और महाभारत ही हैं; इंजील आदि कोई बाहरी ग्रन्थ नहीं।

भारत के बाहर की संस्कृतिवालों में हमारे देश में रहनेवाले पारसी, मुसलमान और ईसाई हैं। यद्यपि ईसाइयों और मुसलमानों की संस्कृति की बुनियाद प्रायः एक ही तरह के पुराण हैं, परन्तु यूरोपीय और एशियाई होने के कारण दोनों सम्प्रदायों के विकास, विस्तार, आचार-विचार और नीति में बड़ा अन्तर दिखाई पड़ता है। पारसी सम्प्रदाय की संस्कृति एकदम इन सबसे भिन्न है।

हिन्दू

हिन्दू-राष्ट्र में एक बड़ा भारी गुण है कि वह अपनेसे भिन्न सम्प्रदायों और मतों को सदा से सहता आया है। वह अपने देश में सब मतों और सम्प्रदायों का स्वागत करता है। सबको सहता है, और इसीलिए सबका धर्म है कि उसको भी सहें। गाँवों में कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न मतों और सम्प्रदायों के लोग रहते हैं। सबका आपस में सामाजिक सम्बन्ध होता है। गाँवों में धार्मिक झगड़े बहुत कम सुने जाते हैं। हर आदमी दूसरे के आचार-विचार का पूरा ध्यान रखता है और आदर करता है। एक परमेश्वर को सब मानते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न मानते हों। यह बात सब मानते हैं कि किसीको कष्ट नहीं देना चाहिए और मन, वचन, कर्म से सचाई का बर्ताव करना चाहिए। सफ़ाई के सिद्धांत को सब मानते हैं। देश और काल के अनुकूल सबके व्यवहार समान होते हैं। एक-दूसरों के साथ पूरी सहानुभूति रखते हैं। एक-दूसरे के तीज-त्योहार में शरीक होते हैं। फिर भी हिन्दुओं की गिनती इन सबमें ज्यादा है, इसलिए सबसे भारी ज़िम्मेदारी हिन्दू-राष्ट्र पर है। सबसे अधिक सहने का कर्तव्य हिन्दुओं का है।

हमारा विश्वास है कि हिन्दू लोग साधारणतया इस ज़िम्मेदारी को निबाहते हैं।

जहाँ-जहाँ मुसलमानों की आबादी देखी जाती है वहाँ वे प्रायः इकट्ठे ही रहते हैं। इस तरह अक्सर गाँव में जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ हिन्दू बहुत कम रहते हैं। हिन्दुओं के गाँवों में कहीं-कहीं दो-चार घर मुसलमानों के भी पाये जाते हैं। ऐसे गाँवों में भी हिन्दू और मुसलमानों का झगड़ा बहुत कम सुनने में आता है। गाँवों के भीतर न तो कभी कुर्बानी का सवाल उठता है और न कभी बाजों से नमाज़ कज़ा होती है। ये झगड़े तो तभी उठते हैं जब हिन्दुओं में या मुसलमानों में बाहर से कोई फ़सादी आकर मिल जाता है और आपस में द्वेष की आग सुलगा देता है। हिन्दू-मुसलमानों के झगड़े एक तीसरे दल के द्वारा फैलाये जाते हैं। क्योंकि उस दलवालों को दोनों जातियों में मेल देखकर सिर में पीड़ा होने लगती है। इस दल में हमारे देश के द्रोही लोग भी हैं, और विदेशी सरकार के राज्य की तो बुनियाद ही हिन्दू-मुसलमानों का झगड़ा है। गाँवों की पंचायतों को हमेशा इस बारे में सजग रहना चाहिए कि इस तरह की कोई लड़ाई न होने पावे और लड़ाई कराने-वाले गाँव में ठहरने न पायें। रक्षा-पंचायत को इस मामले में बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर गाँव के अन्दर ही रहनेवाले कोई सज्जन इस न सहनेवाले स्वभाव के हों तो कोशिश यह करनी चाहिए कि उनके समान स्वभाववाले बढ़ने न पायें। झगड़ालू सम्प्रदाय जब एक दफा खड़ा होजायगा तो गाँववालों की ख़ैर नहीं है। हमेशा बमचख़ मची रहेगी।

रक्षा-पंचायत के अन्तर्गत दो-चार समझदार आदमियों की एक शान्ति-मण्डली होनी चाहिए, जो बराबर गाँववालों को सहनशील और

समझदार बनाने की कोशिश करती रहे और पनपनेवाले झगड़ों को अंकुर निकलते ही भरसक रफ़ा-दफ़ा करदे ।

जहाँ आपस के मतभेद से झगड़े का होना बुरा है वहाँ एकदम इन झगड़ों के डर से परमात्मा को ही भुला देना और भी बुरा है । गाँवों में ईश्वर की प्रार्थना, मसजिदों में नमाज़, मन्दिरों में पूजा और दर्शन, जैसा सर्वसाधारण का विश्वास हो, बराबर होते रहना चाहिए । हिंदुओं और मुसलमानों के अपने-अपने विश्वास के अनुसार कथा-पुराण, मजलिस-सभायें आदि होना चाहिए । गाँव के सब लोगों को इन धार्मिक कामों में शरीक होना चाहिए । कथाओं में जो सीखनेवाली बातें हों उन्हें अपने आचार-व्यवहार में उतार लेना चाहिए । हमको रामायण की कथा में दशरथ की सच्चाई, प्रतिज्ञा और निश्छलता पर, श्रीरामचन्द्रजी के आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श वीर, आदर्श राजा और पुरुषोत्तम होने पर तथा भरत आदि के त्याग और भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हम आप सुधर जायँ और उन्हींके जैसे अच्छे आचरणवाले बन जायँ । रामायण में रावण के जो दस सिर और बीस बाँह लिखे हैं वे होसकते हैं या नहीं होसकते, उनका अर्थ यही साधारण है या दूसरा कुछ है, इन थोथे झगड़ों में पड़ना समझदार और व्यावहारिक मनुष्य का काम नहीं है । रावण के दस सिर रहे हों या एक ही सिर रहा हो, रामचन्द्रजी ने उसे एक ही बाण मारा हो या इक्तीस बाण मारे हों, इन बातों से व्यवहार में हमारा कोई प्रयोजन नहीं सधता । हमारे सीखने की बात तो यह है कि रावण बड़ा अत्याचारी राजा था, वह इतना अत्याचार कर चुका था कि संसार में पापी असुरों के सिवाय और कोई उससे खुश न था । रामचन्द्रजी उसका नाश करने के लिए निकले थे, परन्तु बुरे आचरणों के कारण रावण की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट

होगई थी कि वह स्वयं रामचन्द्रजी की स्त्री सीताजी को हर लेगया और इस तरह उसने अपनी मौत को न्यौता दिया । सीखने और समझने की बातें इस तरह चुनकर हमें गाँठ बाँधनी चाहिए और झगड़े और मतभेद की बातें पण्डितों के लिए छोड़ देना चाहिए । किसानों का इसी राह में कल्याण है ।

संसार में ऐसे खुदाई फ़ौजदार बहुत हैं जिनको इस बात की बड़ी चिन्ता रहा करती है कि और लोग अज्ञान में क्यों पड़े हैं ? वे आप अपने अज्ञान को दूर करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते, क्योंकि उन्हें यह मिथ्या विश्वास मजबूती से जम गया है कि हम पूरे ज्ञानवान हैं, हमें कुछ सीखना नहीं है । ऐसे लोग इस बात की चिन्ता में मारे-मारे फिरते हैं और दूसरों को ज्ञान देने की चेष्टा में बहुत-कुछ त्याग करते हैं । ऐसे खुदाई फ़ौजदारों से समझदार लोगों को बचे रहना चाहिए ।

जो जानते हैं, वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि परमात्मा और प्रकृति का रहस्य समझना अत्यंत कठिन है; इसलिए ऐसे लोग बुद्धि-भेद नहीं पैदा करते, दूसरों को ज्ञान देने के लिए उतावले नहीं होते, परन्तु जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और वह उनके बस की बात होती है तो उसे बताने में भी आना-कानी नहीं करते ।

किसी धर्म-मत या सम्प्रदाय की शिक्षा यह नहीं है कि लोग आपस में लड़ें । सभी अहिंसा, सत्य, प्रेम, एकता, ईमानदारी, और भलाई की शिक्षा देते हैं । इन बातों में सभी एकमत हैं । जो बातें सबको प्रेम के एक सूत्र में बाँधनेवाली हैं उन्हीं बातों को लेकर सारे गाँव को एक होना और मिलना चाहिए । जिन बातों से आपस के झगड़े पैदा हों या होने की सम्भावना हो, उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए । ये अपने दृढ़विश्वास की बातें हैं तो अपने हृदय में उनकी रक्षा जरूर की जाय । परन्तु उनके

प्रचार की तो जरूरत नहीं है, इसलिए उनकी चर्चा करना और उनपर बात बढ़ाना मूर्खता है। अगर किसी बात में सन्देह हो और वह झगड़े की बात हो तो सन्देह-निवारण की कोशिश में उतावली न करनी चाहिए। धैर्य के साथ प्रतीक्षा करने पर कभी-न-कभी कोई-न-कोई विद्वान ऐसा जरूर मिल जायगा जिसके सामने नम्रतापूर्वक उस सन्देह के सम्बन्ध में जिज्ञासा की जा सकती है और सन्देह-निवारण होसकता है। उतावली करने से सन्देह भी दूर न होगा और आपस के वाद-विवाद में कुरुचि पैदा होजायगी।

गाँव का मन्दिर गाँव के सभी हिन्दू रहनेवालों की चीज समझी जानी चाहिए। माता-पिता के सामने सभी बालक बराबर हैं। परमात्मा के सामने सभी मनुष्य एकसे हैं। इसलिए मन्दिरों में नहा-धोकर और बिलकुल शुद्ध-पवित्र होकर एक चमार भी आवे तो उसे दर्शन-पूजा का अधिकार है। गन्दगी के साथ मन्दिर में प्रवेश करने का अधिकार किसी ब्राह्मण को भी न होना चाहिए। परमात्मा के सामने छूत और अछूत का विवेक भारी पाप है, बड़ी ठिठाई है और बड़े अभिमान की बात है। जहाँ कहीं कथा-पुराण, भगवान का भजन या प्रार्थना होती हो, वहाँ तो हिन्दू-मुसलमान, छूत और अछूत सबको प्रवेश करने का अधिकार है। धर्म के मामले में उदार होना ही बुद्धिमानी है। इससे परमात्मा प्रसन्न होता है, गाँवभर का कल्याण होता है और प्रजा की सुख-समृद्धि बढ़ती है। पंचायत को चाहिए कि धर्म के सम्बन्ध में प्रेम-भाव बढ़ाने की कोशिश करे और ऐसे-ऐसे उपाय करे कि बिना भेदभाव के सारा गाँव भजन और प्रार्थना में एक होकर मिले।

ग्राम-स्वराज्य

हमने यहाँतक गाँव के बन्दोबस्तों के सम्बन्ध में जितनी बातें लिखी हैं, उन सबका एक ही सिद्धान्त पर विचार हुआ है कि गाँववाले सारा बन्दोबस्त अपनेआप करलें, बाहर की किसी ताकत को किसी तरह के हस्तक्षेप का अधिकार न हो। मनुष्य के जीवन में और उसके समाज के रहन-सहन में जितनी जरूरतें पड़ती हैं उनपर हमने विचार कर लिया है। शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय और सेवा इन्हीं चार विभागों में उन सबका समावेश होजाता है। हमने केवल एक बात का विचार अभीतक नहीं किया है; और वह है आय। इस अध्याय में हम ग्राम-शासन का मोटा-सा रूप खड़ा करके पाठकों को दिखावेंगे। इसी प्रसंग में आमदनी की भी चर्चा करेंगे।

हरेक शासन की मुख्य आवश्यकता इसीलिए होती है कि प्रजा के जन-धन की रक्षा और उन्नति होती रहे। जो शासन इन दोनों बातों में असफल हुआ, नैतिक रीति से उसने अपनेको नष्ट कर दिया। प्रजा के जन-धन की रक्षा और उन्नति के लिए गाँव की पंचायतों के मुख्यतः चार विभाग किये गये हैं। शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, और सेवा। इन चारों विभागों के अपने-अपने कर्तव्य अलग-अलग हैं। तो भी गाँव की सेवा में एक विभाग की सहकारिता दूसरे-विभाग से न हो तो काम नहीं चल सकता, इसलिए स्वतंत्र काम करते हुए भी इन विभागों के काम परस्पर सहायक हैं। ऐसा होते हुए भी ऐसी किसी संस्था की आवश्यकता पड़ती

है जो चारों पर निरीक्षण का अधिकार रखे, चारों को मिलाकर उनके कामों में ऐसी सुसंगति स्थापित करे कि उनके आपस के काम में किसी तरह का झगड़ा न पड़े। हमने पंचायतों के संगठन की चर्चा करते हुए अर्थ-समिति की स्थापना का भी वर्णन इस खण्ड के आरम्भ के अध्याय में किया है। वह अर्थ-समिति शासन या स्वराज्य-समिति का काम भी कर सकती है।

स्वराज्य-समिति में कुल पाँच ही सदस्य हों, जिनमें से चार सदस्य चारों पंचायतों के मुखिया हों और पाँचवाँ सदस्य किसान-सभा का सभापति हो। यह स्वराज्य-समिति किसान-सभा की कार्य-कारिणी-समिति होगी। पंचायतों के कामों को पूरा करने के लिए धन जुटाना इसीका कर्तव्य होगा।

राजनीति का मूल सिद्धान्त यह है कि प्रजा के धन-जन की रक्षा राजा करे और उसके बदले प्रजा की ओर से राजा को कर मिले। यही कर वह धन है जिसको लगाकर राजा रक्षा करने में समर्थ होता है। यह अनाज की पैदावार का दसवाँ भाग सभ्यता के आरम्भ में नियत किया गया था। कुछ काल बीतने पर यही कर बढ़कर छठा भाग हो-गया था। परन्तु यह उपज का भाग था, अर्थात् राजा को पैदा होने-वाला अनाज मिलता था, रुपये नहीं। जब पैदावार कम होती थी तब यह कर भी कम होता था और उपज बढ़ने पर यह अंश बढ़ जाता था। अपने निजी खर्च के लिए राजा की अपनी जागीर होती थी। जो कुछ कर वसूल होता था वह बिक्री के बाद खजाने में जमा हुआ करता था और उससे राज-शासन का काम चलता था। राजा अपने खर्च के लिए उस कोष में से कुछ नहीं लेता था। जहाँ-जहाँ पंचायती राज्य होते थे, वहाँ यह कर पंचायतें लेती थीं और राजा का काम भी पंचायतें करती थीं।

स्वराज्य होजाने पर जिन प्रान्तों में रैयतवारी बन्दोबस्त है उनमें तो सहज में ही पंचायती राज गाँव-गाँव में होसकता है, परन्तु जहाँ ज़मींदारी का दस्तूर चला आरहा है वहाँ ज़मींदारों की वही स्थिति हो सकती है जो पहले राजा की हुआ करती थी। अर्थात् ज़मींदार अपने निजी खर्च के लिए तो अपना सीर रख लेगा, परन्तु उसकी ज़मींदारी की सारी आमदनी प्रजा की ससझी जायगी। वह गाँव का मुखिया या राजा नियुक्त किया जा सकता है। यह सब उस उस दशा में, जबकि ज़मींदार और किसान में आपस के समझौते से इस तरह की शर्तें तय होजायँ। शायद प्रजा स्वयं राजी होकर ज़मींदार की आमदनी सीर के सिवा कुछ ज्यादा बढ़ाना भी मंजूर करले। ऐसा भी होसकता है कि प्रजा और ज़मींदार के बीच में कोई समझौता न होसके और ज़मींदारी तोड़ दी जाय। बंगाल और बिहार में बहुत बड़े-बड़े ज़मींदार हैं; वे केवल सीर पर राजी होजायँ, यह कैसे सम्भव है? इसलिए ऐसा अनुमान किया जासकता है कि जब ग्राम-स्वराज्य की स्थापना होगी तब प्रजा की रज़ामन्दी से ऐसे ज़मींदार मर्यादित अधिकारवाले उसी तरह के राजा हो सकेंगे जैसे कि इंग्लिस्तान के राजा हैं। अन्तर इतना होगा कि ये ज़मींदार राजा भारत की स्वराज्य-सरकार को कर देने-वाले राजा होंगे। ग्राम-स्वराज्य में ज़मींदारी-प्रथा के रह जाने की सम्भावना बहुत कम दिखाई पड़ती है। अगर केन्द्रीय स्वराज्य-सरकार ने थोड़े समय के लिए भी इस प्रथा को अछूती छोड़ दिया तो उसका फल यह होगा कि ज़मींदार किसानों को पीसते रहेंगे और किसानों के घर हाय-तोबा मचती ही रहेगी। स्वराज्य की सच्ची लड़ाई तब भी खत्म न हुई रहेगी और एक बार फिर भीतरी संग्राम हुए बिना न रहेगा।

स्थिति जैसी कुछ हो, यह तो भविष्य जाने। हम तो यहाँ यह बता

देना चाहते हैं कि चाहे गाँव की रक्षा और उन्नति का बन्दोबस्त कोई एक आदमी करे और चाहे पंचायत करे, परन्तु किसानों को अपने खेत की उपज से स्वराज्य-शासन को दशमांश से अधिक देने की आवश्यकता न पड़ेगी। इसी दशमांश में से गाँवभर की रक्षा और उन्नति का खर्च निकालकर एक अंश ज़िले की सरकार को, एक प्रान्तीय सरकार को और एक अखिल-भारतीय स्वराज्य-सरकार को देना पड़ेगा। गाँव की सरकार के लिए यदि किसी समय यह आमदनी कम ठहरेगी तो पंचायत को अधिकार होगा कि वह चंदा करके इस कमी को पूरा करे। कभी-कभी किसी संकट के आ पड़ने पर भी इसी प्रकार पंचायतें चन्दा करके काम निकाल सकेंगी, परन्तु मेरा अनुमान है कि उपज का दशमांश अपने देशी कार्यकर्त्ताओं के होते इतना काफ़ी होगा कि पंचायतों का खर्च चला चुकने के बाद गाँव के कोष में ज़रूरी कामों के लिए कुछ धन बराबर जमा भी होता रहे। इस तरह संचित धन को दुर्भिक्ष, महामारी, बाढ़ और सूखे के समय में किसानों की सहायता के लिए काम में ला सकते हैं और गाँव के लिए ज़रूरत होने पर मदरसा, चौपाल, अस्पताल, धर्मशाला, तालाब आदि बनवा सकते हैं और सड़कें और नहरें निकालने के काम में ज़िले को और प्रान्त को मदद दे सकते हैं।

आमदनी की और भी सूरतें होसकती हैं। जिस गाँव की हद के भीतर पेंठ, हाट या बाज़ार लगता हो उस गाँव की व्यवसाय-पंचायत को अधिकार होगा कि बाज़ार के भीतर आनेवाले माल पर उचित चुंगी लगावे और जो लोग बाज़ार में दुकानें लगाते हैं उनसे तह बाज़ारी वसूल करे। स्वास्थ्य-पंचायत, शिक्षा-पंचायत, व्यवसाय-पंचायत और सेवा-पंचायत को भी दण्ड की आमदनियाँ होसकती हैं। जो माता-पिता नियमानुसार अपने बालकों को पाठशाला न भेज सकें उनपर दण्ड लग

सकता है। वह व्यवसायी या शिल्पी जो पंचायत के नियमों को न माने, ज़रूर ही दण्डित होगा। जो गांववाले सफ़ाई और स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों का पालन न करेंगे, उनपर ज़रूर दण्ड लगाया जायगा। इस तरह वसूल की हुई जुर्माने की रकम उन-उन पंचायतों की आमदनी हुई जिन पंचायतों ने वे जुर्माने किये हैं। दण्ड की रकम तो अर्थ-समिति लेलेगी, परन्तु नियम यह होना चाहिए कि जिस विभाग की रकम हो उसी विभाग में खर्च की जाय। नाज की उपज, चुंगी, तह बाज़ारी और दण्ड के सिवाय अर्थ-समिति का यह भी अधिकार होगा कि व्यवसाय-पंचायत की सलाह से खेती के सिवाय और ऐसे व्यवसायों पर भी कर लगावे जिनसे व्यवसायी को अच्छी आमदनी हो।

कर के लगाने में इस सिद्धांत के ऊपर ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक होगा कि उन लोगों पर ही कर लगाया जाय जिनको अपने व्यवसाय से अपने खाने, कपड़े और रहन-सहन के ऊपर कुछ फालतू आमदनी होती हो और वे उस फालतू आमदनी में से एक अंश ही कर के रूप में देते हों। यह सिद्धान्त भी व्यवहार में लाया जाय कि ज्यों-ज्यों फालतू आमदनी में बढ़ती हो त्यों-त्यों कर की दर में भी बढ़ती होती जाय। नतीजा यह होगा कि जिसकी जितनी ही ज्यादा आमदनी हो उसे उतना ही अधिक कर देना पड़ेगा और यह उचित भी है, क्योंकि जिसके पास जितना अधिक धन है उतनी ही अधिक रक्षा की ज़रूरत है और उतना ही अधिक उसे रक्षा का मूल्य देना चाहिए। कर नियत करने का यही सिद्धान्त सबसे समीचीन समझा जाता है।

ग्राम-संगठन आरम्भ करनेवालों की तैयारी

गाँवों को ऐसे रूप में संगठित करने के लिए कि वे अपनी पहली स्थिति को पहुँच जायें, भरसक उचित उपाय हमने इन पृष्ठों में बताने की चेष्टा की है। इन उपायों को गाँव के रहनेवाले हमारे भाई बरतेंगे तो उनका कल्याण अवश्य होगा। आरम्भ में काँग्रेस को अपनी ओर से ऐसा बन्दोबस्त करना होगा कि गाँवों में संगठन का काम शुरू होजाय। जो स्वयंसेवक इस महत्त्व के कार्य के लिए भेजे जायें उनकी पात्रता पर पूरा विचार कर लेना होगा। यह बात जाँच लेनी होगी कि क्या स्वयंसेवक गाँव के लोगों के साथ मन, वचन और कर्म से पूरी सहानुभूति रखता है ? क्या वह गाँववाले की तरह आधे पेट मोटा अन्न खाकर गुजर करने को तैयार है ? क्या वह अपना तैयार किया हुआ खद्दर ही पहनने को या कम-से-कम अपने काते सूत के ही और वह भी बहुत थोड़े खद्दर में गुजर करने को तैयार है ? क्या वह बिलकुल सादा जीवन और निर्दोष सत्य-अहिंसा-युक्त ब्रह्मचर्य कम-से-कम उतने काल के लिए पालन करने को तैयार है जितने दिन कि उसे ग्राम-संगठनवाली तपस्या में लग जायेंगे ? जिन गाँवों में वह भेजा जाता है वहाँकी देहाती बोली क्या वह अच्छी तरह जानता है ? क्या उसने खद्दर के काम में अपनेको काफ़ी होशियार बना रक्खा है ? क्या वह कष्ट का जीवन बिताने का आदी है ? क्या वह इस बात के लिए तैयार है कि गाँव की गन्दगी अपने हाथ से बिना शिक्षक के साफ करे ? क्या वह राष्ट्रीय शिक्षा के

तत्त्वों को जानता है ? क्या वह किसानों की जरूरतों से वाकिफ है ? क्या वह अपने रूप, शील, रहन-सहन से गाँववालों को अपनी ओर खींच सकेगा ? क्या वह तुलसीकृत रामचरितमानस पढ़ने, समझने और समझाने का अभ्यास रखता है ? क्या वह तात्कालिक उपचारों का व्यावहारिक ज्ञान रखता है ? क्या वह रोगी-सेवा में चतुर और शिक्षित है ? क्या वह चर-विद्या में निष्णात है ? क्या वह पंचायतों के संगठन का तत्त्व समझता है ? क्या वह देहाती खेलों और व्यायामों का शौकीन है ? क्या उसने कृषि-विद्या के साहित्य का परिशीलन किया है ? क्या वह वर्तमान अर्थनीति, राजनीति और समाजनीति समझे हुए है ? क्या वह सत्याग्रह-संग्राम के तत्त्वों को समझता है ? क्या वह कांग्रेस के ध्येय का पालन करने और कराने का सिद्धांत समझे हुए है ? क्या वह इतना धैर्यवान है कि कई दिन भूख का कष्ट सहकर, बारम्बार लाठी की मार खाकर और तरह-तरह की यातनायें सहकर भी सेवा-कर्म में अविचलित रूप से डटा रहेगा ? इस तरह के बड़े महत्त्व के प्रश्न हैं जिनकी कसौटी पर कसकर स्वयंसेवक की जाँच करनी होगी और जब वह सब तरह से योग्य पाया जाय तभी उसे इस भारी काम के ऊपर भेजना उचित होगा ।

वह योग्यता कैसे आवेगी ? इन प्रश्नों के उत्तर ऐसे नहीं हैं कि शिक्षा बिना पाये हुए कोई स्वयंसेवक कांग्रेस को संतुष्ट कर सके । हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम ग्राम-संगठन करनेवाले स्वयंसेवकों को बरस छः महीना बैठाकर शिक्षा दें । इस ग्राम-संगठन के काम के लिए आजकल सबसे उपयुक्त पात्र कॉलेजों के लड़के हैं । कॉलेजों के लड़कों के सिवाय दूसरे योग्य स्वयंसेवक हमको यथेष्ट संख्या में नहीं मिल सकते । अगर दस-दस गाँवों के संगठन के लिए हमें एक-एक स्वयं-

सेवक रखना हो तो सत्तर हजार स्वयंसेवक चाहिएँ । सारे भारत में भी कॉलेजों के लड़के इतनी बड़ी संख्या में हमें नहीं मिल सकते । इसलिए अगर सारे भारत के कॉलेजों से चुन-चुनकर एक-एक विद्यार्थी केवल ग्राम-संगठन के काम के लिए मिल जाय तो बहुत किफायत से हम एक-एक विद्यार्थी को बीस-बीस तीस-तीस गाँवों के संगठन के लिए रख सकेंगे । यदि हमें सभी कॉलेज के विद्यार्थी मिल जायँ तो हर प्रांत के विद्यार्थियों को उन-उन प्रांतों में बाँट जाना चाहिए जिनपर उनका अधिकार है, और हर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को चाहिए कि अपने प्रांत के लड़कों को ग्राम-संगठन की शिक्षा देने के लिए आतुर-शिक्षालय खोलदे, जिसमें कुल पन्द्रह दिनों की शिक्षा देकर स्वयंसेवक तैयार किये जायँ । इन पन्द्रह दिनों की शिक्षा में ग्राम-संगठन के पंडित नहीं तैयार होंगे । इस विधि से केवल आतुर-सेवक बन सकेंगे, जो ग्राम-संगठन के काम को एक अच्छी विधि से आरम्भ करदें । फिर जो रास्ता वे दिखा देंगे उसी रास्ते से गाँववाले आप अपना संगठन कर लेंगे । कांग्रेस को इस सम्बन्ध में आगे चलकर विशेष प्रयास की आवश्यकता न पड़ेगी ।

इस आतुर-शिक्षालय में नीचे लिखे विषयों की शिक्षा देने का प्रबंध करना पड़ेगा :—

- १—स्वयंसेवक की पात्रता ।
- २—ओटाई, धुनाई, कताई आदि में दक्षता ।
- ३—पशु-पालन ।
- ४—कृषि-विद्या ।
- ५—चर-विद्या ।
- ६—तात्कालिक उपचार ।
- ७—रोगी-सेवा ।

८—स्वास्थ्य-रक्षा ।

९—वर्तमान राजनीति, सामाजनीति और अर्थनीति ।

१०—ग्राम वास्तु-विज्ञान ।

११—पंचायतों का संगठन ।

१२—गाँवों की और किसानों की वर्तमान दुर्दशा ।

१३—आपत्काल में प्रजा की रक्षा ।

इन तेरह विषयों में से पात्रता, खट्टर का काम, तात्कालिक उपचार, चर-विद्या और रोगी-सेवा ये पाँच विषय ऐसे हैं जो अध्ययन और अध्यापन से सीखे और समझे जा सकेंगे । इनके लिए इन्हीं पन्द्रह दिनों में आठ-आठ घण्टे रोज़ शिक्षा का प्रबन्ध करना पड़ेगा, जिनमें से चार घण्टे नित्य की व्यावहारिक शिक्षा रखना आवश्यक होगा ।

इन आतुर-सेवकों की जीविका का उन दिनों के लिए, जबतक कि वे ग्राम-संगठन का काम करेंगे, ग्रामवाले ही बड़ी खुशी से बन्दोबस्त करेंगे । परन्तु स्वयंसेवकों को उचित नहीं है कि अपनी जीविका के लिए विशेष रूप से अलग सेवा किये बिना ग्राम-संगठन के काम से ही कुछ धन प्राप्त करें । वे गाँव के बच्चों के पढ़ाने के लिए अपने आश्रम में पाठशाला खोलें और रात में भी बड़ों को पढ़ाने के लिए रात्रि-पाठशाला खोलें । इस तरह दिन में और रात में पढ़ाकर वे काफ़ी जीविका के अधिकारी हो जायेंगे । वे सुभीते के साथ और तरह की मजूरी और मोटा काम करके अगर अपनी जीविका कर लें तो मुदरिंसी से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गाँववाले अधिकतर मोटे काम से ही रूखी-सूखी रोटी कमाते हैं । केवल विशेष अवस्था में ही उन्हें अपने लिए काँग्रेस से या किसीमे सहायता लेने का अधिकार होगा । इन खट्टर के सिपाहियों को देश के ऊपर भार प्रतीत न कराना चाहिए ।

स्वयंसेवकों को देश में फैले हुए अनेक भ्रमों से बचे रहना चाहिए । हम उन भ्रमों में से कुछ का दिग्दर्शन इस स्थल पर करते हैं ।

१. साक्षरता का भ्रम

हमारे देश में पहले सच्ची शिक्षा का बहुत अच्छा प्रचार था । जब-से यहाँ विदेशियों का राज्य हुआ तबसे लोकशिक्षा प्रायः उठ गई । पच्छाहीं पढ़ानेवालों ने अक्षर-ज्ञान पर बहुत जोर देकर मर्दुमशुमारियों में गिनती कराई । लगभग पचास वर्ष से मर्दुमशुमारी हुआ करती है । गिनती से पता चलता है कि अंग्रेजों के समय में भारत में अक्षर पढ़-चान सकनेवाले सैकड़ा पीछे सात आदमी से अधिक नहीं हैं । सरकार बड़ी चालाक है । एक तरफ़ से तो वह अक्षर-ज्ञान के प्रचार में पैसे खर्च नहीं करना चाहती, दूसरी तरफ़ से यह कहती है कि तुम लोगों में पढ़े-लिखों की गिनती इतनी थोड़ी है कि तुम्हारे यहाँ मतदाता लोग काफ़ी पढ़े-लिखे नहीं मिल सकते इसलिए तुम अपने राज्य का प्रबन्ध नहीं कर सकते । इसमें दो तरह के धोखे हैं । एक तो यह कि स्वयं इंग्लिस्तान में मतदाता होने की कोई ऐसी शर्त नहीं है कि उनका अक्षर-ज्ञान रखना या नाम लिख सकना ज़रूरी हो । स्वराज्य के लिए साक्षर होना भी कोई ज़रूरी बात नहीं है । जब अंग्रेजों के पुरखे पढ़े-लिखे नहीं थे और भारतवर्ष के लोग भारी-भारी विद्वान थे, तब भारतीयों ने कभी यह नहीं कहा था कि अंग्रेज लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं और स्वराज्य नहीं कर सकते; अथवा उस समय पढ़े-लिखे न होने से किसी राष्ट्र ने अपनी स्वतन्त्रता नहीं खोई । इसलिए यह दलील धोखेबाज़ी की दलील है । दूसरा धोखा यह है कि बीते पचास बरसों के भीतर विदेशी सरकार ने खुद शिक्षा का बन्दोबस्त ऐसा नहीं किया कि सैकड़ा पीछे सात से अधिक पढ़े-लिखे लोग होसकें । जान पड़ता है कि उन्होंने इस कार्रवाई

में दो मतलब साधे । एक तो शिक्षा में खर्च होनेवाले पैसे बचाये और दूसरे उन्होंने भारतवर्ष को बन्धन में रखने के लिए एक कारण बनाये रखा । हमको इन दोनों धोखों से बचना चाहिए । स्वराज्य के लिए साक्षरता कोई जरूरी शर्त नहीं है और पूरा स्वराज्य भोगनेवाले किसान के लिए पढ़ना-लिखना जानना जरूरी नहीं है, इसीलिए किसानों की शिक्षा में उनके काम की बातों का बताया जाना मुख्य है और पढ़ना-लिखना सिखाया जाना गौण है ।

२. गहनों से समृद्धि का भ्रम

हमारे देश में गहनों का बहुत जबरदस्त रिवाज है । प्राचीनकाल से स्त्रियों को गहने पहनाने का दस्तूर चला आया है, परन्तु इधर जबसे राज्यविप्लव होने लगे और आये दिन गाँवों पर और किसानों पर भी कुचक्र के कारण विपत्तियाँ पड़ने लगीं तबसे स्त्रियों के ये गहने बैंक का काम करने लगे । जब कभी किसान संकट में पड़ता है और बिना रुपयों के उसका काम नहीं चलता, साहूकार ऋण नहीं देता, ज़मींदार ज़रा भी रियायत नहीं करता और सिपाही उसकी बेइज्जती करने पर तुल जाता है, तब किसान की स्त्री से देखा नहीं जाता । वह अपने गहने उतारकर पति के मान की रक्षा करती है । यों किसानों के बैंक होते तो भी काट-कपटकर किसान उतना जमा न कर सकता जितना कि ब्याह के समय या और वक्तों में लाचार होकर औरतों के गहने बनवाने में खर्च करता है । जब भूख से बच्चे तड़फने लगते हैं और पेट की आग किसी-न-किसी तरह से बुझाना जरूरी होजाता है और चाँदी के गहने भी शरीर पर बचे नहीं रहते, तब फूल या काँसे की चूड़ियाँ फोड़-फोड़कर बेची जाती हैं और किसी तरह एक बार की रोटियों का बन्दोबस्त होजाता है । जबतक किसान की कंगाली दूर नहीं की जाती

तबतक किसानों के इस बैंक को उठा देने की कोशिश करना किसानों के साथ बड़ी भारी बुराई करना है। हम यह मानते हैं कि गहनों में किसान का बड़ा नुकसान होता है। सोनार अगर ईमानदार हो तब भी मुश्किल से रुपये में बारह आना माल रह जाता है, पर वर्तमान काल में किसान के पास ऐसा कोई बैंक नहीं है जिसमें जमा करके वह अपनी जरूरत के वक्त पर इससे ज्यादा सुभीता पा सके। जब गाँव का सहकारी बैंक बन जायगा और हर किसान उससे लाभ उठाने लग जायगा और वह देखेगा कि इसमें हमको ज्यादा सुभीता है, तो वह गहने बनवाना कम कर देगा। परन्तु जबतक यह प्रबन्ध सुरक्षित नहीं होजाता तबतक सोने-चाँदी का इस्तमाल हमारी समझ में बेजा नहीं है। जब ये लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं तब इस सुभीते का पता लगता है। सरकारी रुपया तो रुपये में बारह आना भी क्रीमत नहीं रखता। अगर सोनार ने बेईमानी करके गहनों को रुपये में आठ आने का ही माल कर दिया है तो भी गहने से उतना नुकसान नहीं है जितना रुपये से है; क्योंकि रुपये में छः आना भर भी माल नहीं है और पाँच रुपये, दस रुपये, सौ रुपये या हजार रुपये का एक नोट तो धेले का भी माल नहीं है। इसलिए गहने में प्रजा का उतना नुकसान नहीं है जितना कि रुपये और नोटों से है। विदेशी चालाक कूटनीतिज्ञ हमको मुफ्त बदनाम करते हैं कि भारतवर्ष में लोग गहना बनवा-बनवाकर सोने-चाँदी को सिक्के के रूप में नहीं चलने देते; दिन-दहाड़े उससे तिगुने दाम के सिक्के कानून और लाठी के बल से चलाये जाते हैं और इतने पैर भी विदेशियों को अगर कोई ठग या बेईमान कहता है तो वे अत्यन्त बुरा मानते हैं। अतः जो वे गहनों की निन्दा करते हैं उसके भ्रम में हमें नहीं पड़ना चाहिए। इस भ्रम में भी न पड़ना चाहिए कि गहना हमको धनाढ्य बनाता है। वास्तविक धन

हमारी आवश्यकता को पूरी करनेवाली चीजें हैं। चाँदी और सोने से हमारी कोई आवश्यकता पूरी नहीं होती। अन्न, वस्त्र और गोधन से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं; हमको पैसों की माया में न फँसना चाहिए।

३. यह भ्रम कि दरिद्रता का कारण आबादी का बढ़ना है

हमारे देश की दरिद्रता पर अर्थशास्त्रियों ने बहुत खोज की है। विदेशी सरकार के पक्ष के लोग कहते हैं कि दरिद्रता का कारण भारत की आबादी का बढ़ना है। किसी-किसीने इसी भ्रम में आकर यहाँतक सलाह दी है कि भारतवर्ष की बढ़ी हुई प्रजा कहीं टापुओं में जाकर बस जाय। परन्तु यह बहुत भारी भ्रम है। जबसे इस देश में अंग्रेजों का पैर आया है तबसे भारतवर्ष की आबादी सबसे कम बढ़ी है। अर्थशास्त्रियों में यह तो बिलकुल मानी हुई बात है कि फ्रांस ऐसा देश है जहाँ की आबादी ठहर-सी गई है। इंग्लिस्तान की आबादी जरूर बढ़ती है और वह समृद्ध देश समझा जाता है, इसलिए कि ब्रिटिश भारत में पिछले पाँच दशकों में भी क्षेत्रफल की बढ़ती होती रही है और आबादी का हिसाब क्षेत्रफल की घनता से ही ठीक-ठीक लगाया जा सकता है। श्री कुमारप्पाजी ने इस भ्रम का उच्छेदन करते हुए 'यंग इण्डिया' में नीचे लिखे अंक देकर यह सिद्ध किया है कि भारतवर्ष की आबादी में जो बढ़न्ती गत पचास वर्षों में हुई है वह फ्रांस देश की बढ़न्ती से भी कम है। उन्होंने तीनों देशों का मुकाबला किया है, जो आगे के पृष्ठ पर दिया गया है।

सारांश^१ यह है कि पचास वर्षों में भारत की आबादी जहाँ ५.१ बढ़ी वहाँ फ्रांस की आबादी ५.७ बढ़ी और इंग्लिस्तान और वेल्स की

१. From "Public Finance and our Poverty," by J. C. Kumarappa, M. A. B. Sc. Ahmedabad. P. 92.

वर्गमील पीछे आबादी प्रत्येक गणना वर्ष में				सन् १८७१ को बुनियादी वर्ष मान- कर उसके अंक को १०० माना गया		
वर्ष	भारत	फ्रांस	इंग्लिस्तान और वेल्स	भारत	फ्रांस	इंग्लिस्तान और वेल्स
१८७१	२१५	१७४	३८७	१००	१००	१००
१८८१	२२७	१८२	४४५	१०५.५	१०४.६	११४.४
१८९१	२२९	१८५	४९७	१०६.५	१०६.३	१२८
१९०१	२१०	१८८	५५८	९७.६	१०८	१४३.४
१९११	२२३	१८९	६१८	१०३.६	१०८.६	१५८.८
१९२१	२२६	१८४	६४९	१०५.१	१०५.७	१६६.८

६६.८ बढ़ी। अर्थात् भारत की आबादी की बढ़ती फ्रांस के बराबर भी न हुई, उससे भी कम रही। अगर दशक का औसत लें तो फ्रांस की आबादी सैकड़ा पीछे जहाँ १.१५ बढ़ी वहाँ भारत की केवल १ बढ़ी है। इसके मुकाबले इंग्लिस्तान की १३.३ बढ़ी है। इंग्लिस्तान की बढ़ती मामूली से ज्यादा है। मामूली तौर से हर दशक में सैकड़ा पीछे दस बढ़ना चाहिए। अगर इस हिसाब से भारत की बढ़ती होनी तो आज आबादी ३७ करोड़ से अधिक होती। परन्तु आबादी तो उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से फ्रांस में बढ़ रही है। फिर आबादी की बढ़ती से दरिद्रता क्यों होनी चाहिए? जो लोग दरिद्रता का कारण आबादी की बढ़ती समझते हैं उनकी भारी भूल है।

४. पच्छाहीं कलोंका भ्रम

हमें अपने देशी हलों को जरूर सुधारना चाहिए। परन्तु विदेशी हलों के फेर में न पड़ना चाहिए। हमारे यहाँ के भुक्कड़ अधमरे बैल

उन्हें खींच न सकेंगे। पैसे बरबाद होंगे। विदेशी लोग उनकी बिक्री के लिए ज़मीन-आसमान एक कर रहे हैं, परन्तु इन धोखेबाज़ियों में जो पड़ चुके हैं वे बेतरह पछताते हैं। पच्छाहीं चीज़ें भूलकर एक भी न खरीदी जायँ। यह एक भयंकर भ्रम है।

५. अनाज की महँगी से लाभ का भ्रम

किसान इस भूल में पड़ा हुआ है कि अनाज का महँगा होना अच्छा है, क्योंकि रुपये ज्यादा मिलते हैं। परन्तु यह भी धोखा है। भारी लगान, कपड़े-लत्ते और दूसरे सामान के लिए किसान रुपये संग्रह करता है। ये रुपये लगान, मुकदमेबाज़ी, रिश्वत, नशा, सूद, विदेशी कपड़ा आदि कामों में खर्च होजाते हैं। उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अनाज सस्ता हो तो बेचो मत। मुकदमा न करो, पंचायत से काम लो। रिश्वत, नशा और विदेशी कपड़ों के पास न फटको। लगान घटवा लो। सूद भी घटाओ। अपने खर्च भर का अनाज पास रखकर बाक़ी में सूद और लगान दे डालो। अनाज महँगा होता है तो देखने को पैसे ज्यादा मिलते हैं, पर सब पैसे खिंच जाते हैं। सस्ता होने पर किसान बेचता नहीं। फिर अन्न देश में ही रहेगा। लोग भूखो न मरेंगे। इस भ्रम को भी दूर करना ज़रूरी है।

६. जाति-भेद से अनैक्य का भ्रम

बहुत-से लोगों की तरह हाथ धोकर जाति-भेद के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। समाज की सारी सेवायें एक ही आदमी नहीं कर सकता; इसीलिए सब देशों और कालों में सेवार्य बैठी रहती हैं। यह अर्थशास्त्र के अनुकूल श्रम-विभाग है। श्रम-विभाग को तोड़ने के व्यर्थ प्रयास में न लगना चाहिए। हाँ, समाज के अस्तव्यस्त होजाने से जो पेशे कोई न करते हों उनके लिए फिर से बन्दोबस्त करना चाहिए और जिनके पास

आज काम न हो वे नये पेशे चुनलें। परन्तु जाति-भेद के तोड़-फोड़ या नई जाति के निर्माण के झगड़े में स्वयंसेवक पड़ेगा तो ग्राम-संगठन का लक्ष्य बिलकुल भूल जायगा। रोटी-बेटी के भेद को लोग जो फूट का कारण समझते हैं वह भी भारी भूल है। जर्मन और अंग्रेज के बीच रोटी-बेटी का भेद कभी नहीं हुआ, न होसकता है; परन्तु विगत महायुद्ध में वे एक-दूसरे के खून के प्यासे थे। इस रोटी-बेटी के भेद को मिटाना में जरूरी नहीं समझता। इस भेद से अनैक्य पर फूट का जितना बढ़ना बताया जाता है, उतना सत्य नहीं जँचता।

७. भारत की समृद्धि का भ्रम

भारत का किसान अपनी प्यारी धरती को छोड़ने के बदले स्वयं उजड़ जाता है, पर भूमि नहीं छोड़ता। जिस कड़ाई के साथ लगान वसूल होता है, वह सब जानते हैं। सरकार की आमदनी कभी नहीं घटती, और किसान की स्त्रियों के गहने भी रक्खे ही रहते हैं। इन बातों को देखकर विदेशी कहते हैं कि भारत समृद्ध है। कहने की जरूरत नहीं कि इससे बढ़कर भूल हो नहीं सकती। दरिद्रता की यह दशा है कि संसार-भर में भारत में ही सिर पीछे छः पैसे के लगभग नित्य की अत्यन्त थोड़ी रकम है। नीचे उसका नक्शा दिया जाता है :—

आदमी पीछे रोज़ाना आमदनी

संयुक्तराज्य (अमेरिका)	...	३) रोज़
आस्ट्रेलिया	•.	... २१) ,,
इंग्लैण्ड	...	... २७) ,,
कनाडा	...	... १॥७) ९ ,,
हिन्दुस्तान	...	... ७) ७ ,,

इन भ्रमों के सिवा काम करते हुए भाँति-भाँति की बाधाएँ और कठिनाइयाँ भी उपस्थित होसकती हैं। उनको सुलझाने के लिए समय-समय पर ग्राम-संगठन करनेवालों का सम्मेलन होना चाहिए, जहाँ उन प्रश्नों के ऊपर विचार करके उचित उपाय सोचे और फिर काम में लाये जायें।

: २६ :

ग्यारह बातें

भारत के गाँवों का संगठन भारत-देश का संगठन है। हमने किसानों का संगठन कर लिया तो एक प्रकार से सारे देश का संगठन होगया।

गाँवों के संगठन के लिए हमारी समझ में नीचे लिखी ग्यारह बातों की खासतौर से ज़रूरत है:—

(१) किसान अपनी धरती का मालिक हो, किसीका किरायेदार न हो।

(२) किसान की सब तरह की रक्षा हो, परन्तु उसको इस बात के लिए कम-से-कम खर्च करना पड़े।

(३) मानव-जीवन के लिए जिन-जिन बातों की ज़रूरत जितनी-जितनी मात्रा में हो, वे उसे मिलें।

(४) सालभर के लिए पूरा काम मिले, जिसमें वह बेरोज़गार कभी बैठा न रहे, और उसे मन-बहलाव आदि के लिए काफी फुरसत भी मिले।

(५) सारे परिवार के लिए मन-बहलाव की सामग्री उसे नित्य परिश्रम के बाद मिल सके।

(६) उसके काम के लिए औद् मनोविकास के लिए उपयोगी और काफी शिक्षा पाने के सब सुभीते मिलें।

(७) अच्छे घर, अच्छे पड़ोस और सफाई और स्वास्थ्य-रक्षा के सभी साधन मिलें।

(८) गाँव के बाहर से आवा-जाई, व्यापार और व्यवहार के सब तरह के सुभीते मिलें ।

(९) अपने गाँव के शिक्षा, रक्षा, व्यवसाय, सेवा सभी विभागों पर, उनके आय-व्यय और प्रबन्ध पर, पूरा अधिकार अथवा ग्राम्य-स्वराज्य प्राप्त हो ।

(१०) ऋण, मुक्तदमेबाज़ी, नकद देन, गोबध, नशा और प्रच्छन्न कर इन छः विपत्तियों से छुटकारा मिले ।

(११) देश के पूर्ण स्वराज्य की सरकार से सहयोग व सहकारिता का सम्बन्ध हो ।

गाँवों में जाकर क्या करना चाहिए ?

१. कौन जाय ?

ग्राम-संगठन का काम बड़ी समझदारी और जिम्मेदारी का है। इसके लिए पात्र वही होसकता है जो चरित्रवान हो, अपने काम को अच्छी तरह जानता हो, और जिसको गाँववालों से पूरी सहानुभूति हो।

देश की जैसी हालत है उसमें इस समय दो तरह का काम होने की जरूरत है; एक तो खंडनात्मक और दूसरा मंडनात्मक। बिगड़ी सुधारने का काम किसानों का और गाँवों का सुधार है, क्योंकि इन्हीं की दशा बिगड़ने से देश की दशा बिगड़ गई है। जहाँ एक और कांग्रेस को सत्याग्रह के मैदान में युद्ध करनेवाले सैनिक चाहिए, वहाँ दूसरी ओर ग्राम-संगठन करनेवाले शान्त, ठोस, काम करनेवाले बहादुर सिपाहियों की भी जरूरत है। विद्यालयों से निकलनेवाले विद्यार्थी दोनों तरह के सैनिक बन सकते हैं, परन्तु इस समय ग्राम-संगठन करनेवालों की ज्यादा जरूरत है। इसके लिए कांग्रेस को चाहिए कि एक आतुर-शिक्षालय खोलदे और जिन-जिन जिलों और प्रान्तों के विद्यार्थी हों भरसक उन्हीं जिलों और प्रान्तों में उन्हें तैनात करे। उनके कामों का बराबर निरीक्षण करे, ऐसे कार्यकर्त्ताओं का समय-समय पर सम्मेलन करे और उन्हें भरसक जरूरी मदद पहुँचाती रहे।

ग्राम-संगठन के सिपाही में सहानुभूति के सिवाय सत्य और अहिंसा के गुण भी होने चाहिए। वह इस बात पर पूरा ध्यान रखेगा कि

जितनी बातें मैं सोचता हूँ वे बिल्कुल सच होनी चाहिएँ; जो कुछ मैं कहता हूँ वह भी ठीक और सच्चा काम हो। वह जितने काम करे उनमें यह ध्यान रखे कि हम किसीको कष्ट पहुँचाने के कारण न बनें। जितनी बातें कही जायँ वे ऐसी हों कि जिनसे किसीका जी न दुखे।

२. उसकी तैयारी

ग्राम-संगठन के लिए उसे क्या-क्या जानना चाहिए ? संक्षेप में तो हम यों कहेंगे कि किसान के सब तरह के जीवन की सभी बातें उसके जानने की हैं, तो भी पन्द्रह दिन में तो सारी बातें नहीं आसकतीं। उसे कपास का ओटना, रुई का सुखाना, फटकना, धुनना, पूनियाँ बनाना, कातना और सूत की नियमित अट्टियाँ बनाना नियमित रूप से सीखना पड़ेगा। उसे यह भी जानना चाहिए कि ओटनी, धुनकी, तकली, चरखा, अटेरन, पटेला आदि के गुण-दोष क्या हैं, और उन्हें ठीक और सिजल कैसे रखना होता है, बिगड़ जायँ तो कैसे बनाना होता है, और इन वस्तुओं के उत्तम प्रकार क्या हैं ? उसे अच्छा सूत कातना चाहिए और अच्छे सूत की परख होनी चाहिए। उसे स्वास्थ्य और सफ़ाई के सभी सिद्धांत मालूम होने चाहिएँ। विशेष रूप से गोबर और गोमूत्र की रक्षा और खाद की तरह से उपयोग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसे चलती-फिरती टट्टियों और खेत की नालियोंवाले पाखाने की विधि मालूम होनी चाहिए। और इसी तरह घूरे को काम में लाने की विधि मालूम होनी चाहिए, आतुर, आकस्मिक और तात्कालिक उपचार भी मालूम होने चाहिएँ जिनमें आस-पास मिलनेवाली जड़ी-बूटियाँ, पत्तियाँ, छाल आदि काम दे सकें। उसे रोगी-सेवा भी जाननी चाहिए और चर-विद्या भी उसे आनी चाहिए। इतनी बातों का व्यावहारिक ज्ञान ग्राम-संगठन के सिपाही में अत्यंत आवश्यक है।

इनके सिवा उस कुछ किताबी ज्ञान भी होना जरूरी है। पुस्तकों से उसे जानना चाहिए कि भारत गुलाम कैसे बना, कंगाल कैसे बना, गाँवों की वर्तमान दशा क्या है, और मुधरने पर कैसी दशा होनी चाहिए ? वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक समस्यायें क्या हैं और उनको कैसे मुलझाना है ? किसानों में क्या-क्या दोष हैं और उन्हें कैसे दूर करना होगा ? किन-किन बातों से गाँव पूरा समझा जाता है ? और जिस गाँव का संगठन किया जा रहा है उसमें किन-किन बातों की कमी है, जिन्हें पूरी करने की जरूरत है ? उसे खेती की विद्या, गोपालन, पशु-पालन, खंडसाल, दुग्धशाला इत्यादि गाँव में होने और होसकने-वाले सब तरह के व्यवसायों का ज्ञान होना चाहिए। खेती और गोपालन का ज्ञान सबसे अधिक और अच्छा होना चाहिए और इन सब बातों के लिए उसके पास काफ़ी साहित्य का संग्रह होना भी जरूरी है।

ग्राम-संगठन करनेवाले स्वयंसेवकों को रामायण की या किसी पुराण की कथा कहने का ढंग भी मालूम होना चाहिए और इसी कथा के साथ-साथ गाँव के श्रोताओं को उनके जानने के लायक सभी बातें बतानी चाहिए। सत्य, अहिंसा, नेकनीयती, ईमानदारी का बर्ताव, उदारता, धैर्य आदि अच्छे गुणों की और सच्चरित्रता की भी शिक्षा देने के उपाय करने होंगे। इसलिए कथा और व्याख्यान के लिए भी संगठन-कर्त्ता को तैयार रहना चाहिए।

इस तरह की व्यावहारिक और मानसिक तैयारी करके संगठन-कर्त्ता यह विचार करले कि किस गाँव में हम सबसे अच्छी सेवा कर सकेंगे। यह निश्चय कर लेने पर अपने साथ इतना जरूरी सामान ले कि जरूरत पड़ने पर वह अकेला स्वयं उसे ढो ले जासके। उसके पास चरखे की जगह तकली होना काफ़ी है। बाक़ी चीज़ों की मूची नीचे दी जाती है :—

पेंसिल; क्राशज; कार्ड-लिफ्राफ़े; साबुन; एक थाली; एक कटोरा; एक चम्मच; तकली; तकली का बक्स; अटेरन; एक चालू वर्ष की डायरी; हिन्दी रेलवे टाइमटेबल; एक झोली; एक भगौना (बन्द); एक तवा; एक लोटा; एक गिलास; पूनियाँ 51; एक डिब्बिया दिया-सलाई; एक अच्छा चाकू; अनासक्तियोग-गीताबोध; चर्खाशास्त्र; रामचरितमानस; आश्रम-भजनावली; एक खुरपी लगा डंडा (शौच के लिए खोदने को); तीन लुंगियाँ; दो अंगोछे; दो कुरते या बनियान; दो गांधी-टोपी; दो कम्बल; सुई-डोरा; कुएँ की डोरी (लोटे लायक) ।

३. काम कैसे शुरू हो ?

किसी जान-पहचानवाले या मित्र का पत्र लेकर या कांग्रेस के किसी प्रसिद्ध कार्यकर्ता के साथ जाकर गाँव के लोगों से जान-पहचान पैदा करनी चाहिए, और किसी ऐसे सुभीते की जगह जाकर ठहरना चाहिए जहाँ रहने से किसीको कष्ट न हो, कोई बुरा न माने । संगठन करनेवाले को भरसक अपना काम स्वयं कर लेना चाहिए । किसी दूसरे से सेवा न लेनी चाहिए । गाँव में जाकर वह पहले सारे गाँव में घूमकर सफ़ाई की दशा देख ले और फिर आसपास के पाँच-सात गाँवों की भी दशा देखे । इसी बीच तकली कातने का और रुई धुनने का काम जारी रखे । लोगों को पहले तकली बनाना और उसपर कातना सिखावे । साँझ के समय गाँववालों को रामायण सुनावे और अच्छी-अच्छी बातें समझावे । दिन में किसी समय गाँव की गन्दी-से-गन्दी जगह या नाली की खुद अपने हाथ से सफ़ाई कर डाले । सबसे पहले गाँव की सफ़ाई में ही हाथ लगावे । इस तरह जब काम की बुनियाद डाले, उसी समय धुनकी और चरखे बनवाने का और धुनने और कातने के प्रचार का आरम्भिक काम करता रहे । शुद्ध तकुआ-युक्त एक अच्छा चरखा और

एक अच्छी धुनकी—बारडोली पींजन बहुत अच्छी होगी—लेकर पूनियाँ बनाने का उत्तम प्रबन्ध अपने आश्रम पर करे। सारे गाँव के स्त्री-पुरुषों को इन कामों में कुशल कर देना होगा।

गाँवों में घर-घर कलह है। ज़मींदार-किसान भी आपस में लड़ते रहते हैं। पटवारी, दलाल, चौकीदार, पुलिसवाले, ज़मींदार के कारिन्दे और सिपाही इन सबकी जीविका झगड़ों से ही है। संगठनकर्त्ता किसी-से उलझे नहीं। उसे किसी दल या किसी पक्ष से कोई मतलब नहीं। वह ज़मींदार और किसान दोनों का हितकारी है। वह लड़ानेवालों का भी और गाँवभर का हितकारी है, परन्तु लड़ाई नहीं चाहता। जो लड़ाई-झगड़ों की रोटियाँ खाते हैं, उन्हें उससे विरोध होगा। परन्तु वह आप किसीसे भी विरोध न मानेगा। इस बुरी जीविका को वह अपने शान्त शुद्ध आचरण और उपदेश से और उचित संगठन से नष्ट कर देगा। जिस दिन वह किसी दल का होजायगा उसी दिन वह अपना पवित्र काम बिगाड़ देगा।

४. नित्य के काम

वह नित्य के कामों के लिए सुभीते से समय-विभाग कर लेगा और उसकी पाबन्दी करेगा। उसके नित्य के काम ये होंगे :—

१. शिक्षा—(क) ओटने, धुनने, कातने आदि की।

(ख) पढ़ने-लिखने की।

(ग) राष्ट्रीय गीतों के गाने की।

२. सफ़ाई—(क) अपने आसपास की।

(ख) गाँव के उस भाग की जिसकी बारी हो।

(ग) इस काम में उस व्यक्ति की मदद जिसकी बारी हो।

३. संगठन—उस विषय का जो क्रम से पड़ता हो ।

ये सब काम गाँव के होंगे । उसके निजी काम, अपना नित्यकर्म, कातना-धुनना, भोजन पकाना, नहाना, कपड़े धोना, खाना, आराम करना आदि सब कामों के लिए निश्चित समय होगा । नित्य शाम को मनबहलाव के किसी काम में और कथा-वार्त्ता में समय देना होगा । जल्दी सोना और जल्दी उठना नियम होगा ।

इन नित्य के कामों को इस तरह पर करना होगा कि सप्ताह में एक दिन और किसी गाँव में जाने के लिए रख लिया जाय । यही छुट्टी समझी जायगी । इसके सिवा जो दिन बाज़ार का होगा उस दिन भी आधी छुट्टी रहेगी । इस प्रकार का नित्य नियम धीरे-धीरे परन्तु दस ही पन्द्रह दिनों बाद स्थापित होजाना चाहिए । शिक्षा-क्रम बढ़ाकर रात्रि-पाठशाला का भी बन्दोबस्त करना होगा, जिससे बड़ी अवस्था वाले भी शिक्षा पा सकें ।

५. किसान की ज़रूरतें

काम करनेवाले को किसान की ज़रूरतें समझ रखना पहला कर्त्तव्य है । कहीं-कहीं नौ, कहीं छः, कहीं चार और कहीं-कहीं कम-से-कम तीन महीने तो साल में किसान बेरोजगार पड़े ही रहते हैं । इस भयानक बेरोजगारी से उन्हें न पेट-भर भोजन मिलता है न ज़रूरत-भर कपड़ा । धनाभाव से वे खेती के उचित और इष्ट साधन भी नहीं रखते । धरती पर स्वामित्व न होने से वे उसे सुधारने में मन भी नहीं लगाते । उनपर बहुत भारी ऋणों का भी भ़ार है । इसपर भी आये दिन की मुकदमेबाज़ी उनको कंगाल बनाये रहती है । किसान कामकाज, तीज-त्योहार आदि में अपनी ताक़त से बाहर खर्च करता है । उसको ताड़ी, तमाखू, गाँजे, भाँग आदि नशों की लत भी तबाह कर रही है । इन

सबके ऊपर भारी बोझा उसके कंधों पर लगान का है। ये सात बोझे ऐसे हैं जिनसे उसे हलका करने की ज़रूरत है।

खेती के सुधार के लिए उसे शिक्षा मिलनी चाहिए और सहयोग-समितियाँ बनाकर अपने काम में उसे सहायता मिलनी चाहिए। शिक्षा का अर्थ है खेती की उचित शिक्षा—केवल लिखना-पढ़ना नहीं। सहकारिता की कमी से खेती पर का खर्च भी बढ़ा हुआ है। उसे घटाकर साधन-सुलभ कर देना चाहिए। गोबर, गोमूत्र, पाखाने, पेशाब से और घूरे से गंदगी होने के बजाय उसे उत्तम खाद मिलना चाहिए। दूर-दूर और छोटे खेतों का पंचायत द्वारा और विनिमय कराकर एकत्रीकरण होना चाहिए। निदान खेती की शिक्षा और सहयोग-समितियों का निर्माण होना चाहिए। यह काम गाँववाले आप करें। इसके लिए स्वयंसेवक शिक्षा-पंचायत बनाकर काम करावे।

लड़ाई-झगड़े से रक्षा, अदालत जाना व्यर्थ कर देना, ऋण का बोझ हलका करा देना—ये काम भी रक्षा-पंचायत से होंगे। गाँव में ही रक्षा-पंचायत मुकदमे निबटा देगी, साहूकार को सूद छोड़ने और ऋण-मोचन सहज करने को राज़ी करेगी और भरसक कलह न होने देगी। इसके सिवा रक्षा के सारे काम वह कर सकेगी।

व्यवसाय-पंचायत की स्थापना होजाने से खेती, गोपालन आदि व्यवसायों में सुभीता होसकेगा। सहयोग-समितियाँ इसी पंचायत के अन्तर्गत अपना काम बढ़ावेंगी। यह पंचायत गोपालन आदि गाँव के योग्य व्यवसाय जारी करेगी और सभी व्यवसायों में उन्नति करेगी। उसका यह खास काम होगा कि बेरोज़गारी दूर करे, ऋणभार हलका करने का उपाय करे, आये दिन की फ़िज़ूलखर्ची को बन्द करे, नशे का निवारण करे और लगान को घटवावे। बेरोज़गारी दूर करने का सबसे उत्तम

उपाय ओटाई, धुनाई, कताई को जारी करना है। इन कामों के होते किसान बेकार नहीं रह सकता। यही खास काम है जिसे स्वयंसेवक पंचायत की स्थापना के पहले ही सारे गाँव में फैला देगा और बेकारी को निर्मूल कर देगा। किसान अपनी कपास उपजाकर सूत बनाने तक सारा काम करलेगा तो उसे पहनने को कपड़ा मजबूत और सस्ता मिलेगा और जो पैसे बचेंगे वे और कामों में आवेंगे। साहूकारों की जरूरत सहयोग-समितियों से पूरी होसकेगी और पंचायत कोशिश करके साहूकार और ऋणी में समझौता करा देगी और जबतक ऋण है कम-से-कम तबतक कामकाज, उत्सवादि पर खर्च पंचायत की बताई हुई सीमा के भीतर करना होगा।

सेवा-पंचायत स्थापित होकर गाँव के लोगों के आचरण पर नियंत्रण रखेगी। नशा-सेवन से बचावेगी। उनके व्यायाम, खेलकूद, मनबहलाव का काफ़ी बन्दोबस्त करेगी। व्यवसायियों, शिल्पियों और साधारण मजूरों के समाज में सचाई, अहिंसा, ईमानदारी, कला की उत्तमता आदि के ऊँचे आदर्श की स्थापना और रक्षा करेगी।

इन चारों पंचायतों की स्थापना इसी दृष्टि से करनी होगी कि किसानों में स्थानीय स्वराज्य की परिपाटी चल जाय। वे स्वावलम्बी होजायँ। विदेशी से तो क्या, किसी और गाँववाले से भी अपने भीतरी मामलों में मदद के मुहताज न हों। संगठन का यह मुख्य काम होगा। गाँववालों को इन पंचायतों का सिद्धान्त व्यवहार द्वारा ही सिखाना होगा।

६. किसानों की सहायता

पंचायतों के संगठन के सिवा किसानों की और प्रकार से भी स्वयं-सेवक सहायता कर सकता है। उसे गाँववालों में से कई चतुर निवासि-

यों को चुनकर अनेक बातों में दक्ष कर देना होगा। उन्हें चरविद्या, आतुरोपचार, साधारण चिकित्सा, रोगी-सेवा, और बन पड़े तो बुनाई की कला भी सिखलानी होगी। यदि यही लोग वर्तमान राजनीति, समाज-नीति, अर्थनीति के मोटे-मोटे सिद्धांत समझ सकें तो यह सब भी समझाना होगा। कृषिविद्या, गोपालन, खंडसाल का काम, और गाँव के और व्यवसायों का काम भी भरसक सिखला देना होगा। गाँव का भावी नेता भरसक इन्हीं विशेष शिक्षितों में से कोई एक तो जरूर निकल आयगा। कई निकल आवें तो भी आश्चर्य नहीं। स्वयंसेवक का मुख्य काम यही है कि गाँव के भावी नेता को पैदा करे। जब यह काम हो-गया तो समझना चाहिए कि स्वयंसेवक ने अपना काम पूरा कर लिया। जब वह काम सम्हाल ले तब स्वयंसेवक वह कार्य-क्षेत्र उसे सौंपकर दूसरा काम करे। यही नेता और पंचायत मिलकर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अग्निकांड, महामारी, टिड्डी आदि के उपद्रवों के समय के लिए उचित बन्दोबस्त और रक्षा करेंगे। दूसरे गाँवों से भी यही सहकारिता का बतलाव करेंगे। संगठन की इस विधि से किसानों की सबसे बड़ी और सबसे अधिक सहायता होसकती है।

७. गाँव की पूर्णता

भारत के गाँव आजकल पूरे नहीं हैं। अधिकांश उजड़े हुए हैं। पूरा गाँव वही है जहाँ गाँवों की सारी जरूरतें गाँव के भीतर पूरी हो-जायँ। गाँव में पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, पहरेदार, पटवारी, बनियाँ, तेली, लोहार, बढ़ई, कसेरा, कुम्हार, ग्वाला, जोलाहा या कोरी, नाई, धोबी, चमार, बंसफोर, नोनिया, बेलदार और कहार का होना जरूरी है। किसी एक गाँव में अगर ये सभी मौजूद न हों तो आस-पास के पाँच-सात गाँवों को मिलाकर तो ये जरूरतें पूरी हो ही जानी चाहिएँ।

हर सौ आदमी की आबादी पीछे एक कपड़ा बुननेवाले का गुज़र हो-सकता है। परन्तु हमारे गाँवों में इस हिसाब से जुलाहे हैं कहाँ ? इसलिए कपड़े की माँग पूरी करने को न केवल घर-घर धूम से कताई होने की ज़रूरत है, बल्कि कुछ चतुर युवकों को बुनाई का काम अपने रोज़गार के लिए सीखकर अपने-अपने गाँवों में ख़दर की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। बच्चों को दूध नहीं मिलता। इस भारी ज़रूरत को भी पूरा करना है। हर व्यवसायवाले का, हर कारीगर का काम नित्य बढ़ता हुआ रहना चाहिए। पैसे के प्रचार की घटती-बढ़ती और विदेशी आयात-निर्यात के धोखे की चालों से बचने के लिए आजकल पैसों का तो बहिष्कार कर देना चाहिए और अनाज से ही बदलकर अपना काम निकालना चाहिए। लगान भी उपज के दशमांश से अधिक नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए उपज का ही। उसे बेचकर नकद रुपया चुकाने का बखेड़ा किसान अपने सिर न स्वीकार करे। अपने गाँव के सारे खर्चों को पूरा करने के बाद जो उपज यानी कच्चा माल बचे, वह व्यवसाय-पंचायत की मार्फ़त ऐसे जँचे हुए व्यापारियों के हाथ बँचा जाय जो स्वराज्य-सरकार या काँग्रेस से यह प्रमाणपत्र रखते हों कि वे देश की ज़रूरत पूरी करने के बाद ही अन्न को देश से बाहर जाने देंगे। पंचायतों के द्वारा गाँव के आयात और निर्यात पर पूरा संयम रखने में ही बाहर की लूट से गाँव की रक्षा होसकती है। इस प्रकार गाँव की सामाजिक और आर्थिक पूर्णता हुई।

हर गाँव अपने चारों विभाग, शिक्षा, रक्षा, जीविका और सेवा अपने अधिकार में रखे। अपनी शासक-समिति को या ज़मींदार को दशमांश लगान दे। शासक-समिति इसमें से केन्द्रीय सरकारों को उचित अंश देकर पंचायतों को उनके व्यय के लिए दे। दंड, तहबाजारी, चुंगी

आदि की आमदनी बिलकुल गाँव के भीतर के खर्च के लिए हो। इसी प्रकार गाँव का आय-व्यय गाँव के अधिकार में रहे और इस स्थानीय स्वराज्य का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकारों से केवल सहकारिता का हो। इस स्थानीय स्वराज्य का पूरा अधिकार गाँव के किसान-संघ को होगा, जिसके सदस्य बीस बरस से अधिक अवस्था के सभी नर-नारी, जो गाँव की सीमा के भीतर रहते हों, समझे जायँगे। परन्तु यह किसान-संघ उस समय स्थापित होना चाहिए जब स्वयंसेवक गाँव के नेता का निर्माण करले और गाँव का हर सदस्य संगठन को समझ जाय। वस्तुतः यही संघ चारों पंचायतों का और उनके अवान्तर (?) विभागों का संगठन करने का अधिकारी होगा। यह संघ ही गाँव की महासभा होगी। यहाँ इस विषय को सूत्ररूप से दिया गया है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार स्वयंसेवक आप ही संगठन को समुचित रूप देगा। यह राजनैतिक पूर्णता होगी।

हर गाँव में एक पाठशाला, एक चौपाल जहाँ पंचायतें बैठें और सभायें हों, एक मंदिर या मसजिद, या दोनों, जैसी आवश्यकता हो, एक धर्मशाला, कुएँ, तालाब और रहने के घर स्वास्थ्य के नियमों से बने होने चाहिएँ। गलियाँ साफ़ चौड़ी, सड़कें ऊँची चौड़ी साफ़ दो गाड़ियों के चलने लायक, बरसाती पानी को बहा लेजाने को नाले, पानी जमा करने को ताल, तालाब, नहरों आदि का भी बन्दोबस्त चाहिए। गाँव की बस्ती और स्थिति वास्तु-विज्ञान के अनुसार होनी चाहिए। बने-बनाये गाँवों का धीरे-धीरे ऐसा सुधार संभव है कि अन्त में वे वास्तु-विद्या के अनुकूल पड़ जायँ। इसे हम वास्तविक पूर्णता कहेंगे।

संगठन करनेवाले का यह ध्येय होगा कि वह गाँव को हर तरह

पर पूर्ण बनाने का जतन करता रहे और नित्य देखभाल रखे कि उसका काम किस तरह बढ़ रहा है।

८. गाँव का लेखा

स्वयंसेवक रात को सोने के एक घण्टा पहले एक रोज़नामचे में दिनभर का सारा काम, जो वह कर सका है, लिख डालेगा। यह उसका नित्य का काम होगा। वह एक और बड़ी किताब रखेगा, जिसमें गाँव के रहनेवाले हर “घर” का पूरा ब्योरा होगा और हर प्राणी का पूरा इतिहास होगा। किस घर में कितने प्राणी हैं, उनके पास कितनी जायदाद है, पिछले वर्ष कितनी आमदनी हुई, नित्य का खर्च कितना है, बेरोज़गारी कितनी है और व्यवसाय क्या है, उनसे क्या आमदनी है, कुल बचत धन या ऋण क्या है, किसी कामकाज पर क्या खर्च हुआ, कौन-कौन प्राणी किस उम्र का है, विवाहित है या अविवाहित, शिक्षा कितनी है, परिश्रम का क्या हाल है, स्वास्थ्य कैसा है, दोष क्या हैं, कौन नशा किस मात्रा में सेवन करता है, अपने ब्रूते से किस दाम की मजूरी नित्य करता है, कितनी बेकारी है, क्या-क्या व्यवसाय जानता है, क्या व्यवसाय करता है, उससे आय क्या है, क्या संभावना है, इत्यादि सारी बातें मालूम करके इस पोथी में नकशे के रूप में दर्ज करना चाहिए और जबसे लेकर जबतक में यह जाँच पूरी हो तबतक का समय नोट करना चाहिए। यह जाँच तीन-तीन या छः-छः मास पर होने से मुक़ाबला करने पर यह पता चलेगा कि ग्राम-संगठन और सुधार के काम में कितनी मात्रा में सफलता हुई है। इसके अंक कांग्रेस को देने से कांग्रेस इस काम में ज़िलेभर में जो सफलता हुई है उसका पता लगाकर प्रकाशित कर सकेगी। यह काम बड़े महत्व का है। कार्यकर्त्ता इसमें ज़रा भी भूल न करे।

शुरू में गाँव में एक से अधिक स्वयंसेवक भी जा सकते हैं । परन्तु हमारे पास इतने काफ़ी आदमी नहीं हैं, इसलिए हम दस-बीस गाँवों में काम करने के लिए यदि एक अच्छा स्वयंसेवक पासकें तो बड़ी गनीमत है । इसलिए बहुत जल्दी बाँटकर दस-बीस गाँव गीछे एक कार्यकर्ता रखना ही पड़ेगा ।

मैंने बहुत संक्षेप से संगठन की यह योजना दी है । आतुर-शिक्षालय में एक पक्षवाले मूत्र में इसपर विस्तार किया जा सकता है और इन्हीं विधियों से अथवा ऐसी ही अन्य विधियों से काम लिया जा सकता है ।

सहायक साहित्य की सूची

१. नवजीवन माला, शुद्ध खादी भंडार, १३२/१ हरिसन रोड, कलकत्ता की सभी पुस्तकें ।
२. हिन्द-स्वराज्य, ले० महात्मा गांधी ।
३. आरोग्य-साधन, ले० महात्मा गांधी ।
४. चर्खाशास्त्र, ले० महात्मा गांधी ।
५. दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का इतिहास, ले० महात्मा गांधी ।
६. आत्म-कथा, ले० महात्मा गांधी ।
७. हाथ की कताई-बुनाई, ले० श्री पुणताम्बेकर ।
८. खट्टर का सम्पत्तिशास्त्र, ले० श्री रिचार्ड बी. ग्रेग ।
९. अनीति की राह पर, ले० महात्मा गांधी ।
१०. विजयी बारडोली, ले० श्री वैजनाथ महोदय ।
११. शैतान की लकड़ी, ले० श्री वैजनाथ महोदय ।
१२. कृषिसार (सरस्वती भंडार, मुरादपुर, बांकीपुर) ।
१३. खाद का उपयोग (ज्ञानमण्डल, काशी) ।
१४. कृषि विज्ञान माला (भास्कर बुक डिपो, मेरठ) ।
१५. किसानों की कामधेनु (गंगा पुस्तक माला, लखनऊ) ।
१६. अकाल से बचने के उपाय (पं० गौरीशंकर भट्ट, मसवानपुर, कानपुर) ।
१७. ग्राम पंचायत प्रदीपिका (साहित्यभूषण गुलाबशंकर पंड्या, मनोरंजन प्रेस, सिवनी)
१८. गोरक्षा-साहित्य और किसान-साहित्य * (पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, वलदेव बाग, जबलपुर) ।

१९. ग्राम-सुधार (बा० गिरिवरधर वकील, समस्तीपुर, बिहार)।
२०. धरासना की काली करतूतें (साबरमती आश्रम) ।
२१. आश्रम-भजनावली (साबरमती आश्रम) ।
22. Brayne's Village Uplift of India, (The Pioneer Press, Allahabad)
२३. गोपालन (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) ।
२४. कृषि-कौमुदी (श्री दुर्गाप्रसादसिंह, इण्डियन प्रेस, प्रयाग) ।
25. Handbook of Indian Agriculture (N. G. Mukerji, Thacker Spink & Co.)
२६. "विशाल भारत" से कुछ लेख ।
27. Rural Education in India (Vol. I & II).
28. Fourteen Experiments in Rural Education.
29. Rural Economics of India (Radhakamal Mukerji).
30. Some South Indian Villages.
31. The Punjab Peasant in Prosperity and Debt.
32. Production in India.
33. Unhappy India.
34. Indian Economics (V. G. Kale).
35. The Science of Punjab Finance.
36. Sixty years of Indian Finance.
37. Economic condition in India.
३८. भारत में कृषि-सुधार ।
39. Foundation of Indian Economics.
40. Socrates in an Indian Village (F. L. Brayne)
41. Indian Village Communities.
42. Death of Charka under British Rule.
43. Education of India.
44. Prosperous British India.
45. Poverty and Un-British Rule in India.

46. India for Indians and for England.
47. Our Village.
४८. समाज-संगठन (बाबू भगवानदास, भारत बुक डिपो, अलीगढ़) ।
४९. गौओं का पालन और उनसे लाभ (पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री, गोवध-निवारक सभा, सागर) ।
५०. भाग्य-निर्माण (हिन्दी-साहित्य-प्रचार कार्यालय, नरसिंहपुर) ।
५१. खट्टर-शिक्षक (श्री भगवतीसिंह, शिक्षक धुनाई विभाग, काशी-विद्यापीठ) ।
५२. खेड़ा की लड़त (श्री शंकरलाल द्वारकादास परीख) ।
५३. चम्पारन में महात्मा गांधी (बाबू राजेन्द्रप्रसाद) ।
54. Cow keeping in India (Tweed)
५५. ग्राम-पुनर्घटना (दक्षिणामूर्ति, भावनगर) ।
५६. केम शीखवतुं (गिजुभाई) ।
५७. चालो वांचीअे (गिजुभाई) ।
५८. आगल वांचो (दो भाग) ।

लोक साहित्य माला

‘सस्ता साहित्य मण्डल’ की स्थापना इस उद्देश्य को लेकर हुई थी कि जन साधारण को ऊँचा उठानेवाला साहित्य सस्ते-से-सस्ते मूल्य में सुलभ कर दिया जाय। हम नहीं कह सकते कि ‘मण्डल’ इस उद्देश्य में कहाँ तक सफल हुआ है; लेकिन इतना निश्चित है कि उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति की ओर नेक नीयती से बढ़ते रहने की कोशिश की है और हिन्दी में राष्ट्रनिर्माणकारी और जन-साधारण के लिए उपयोगी साहित्य देने में उसने अपना खास स्थान बना लिया है। लेकिन हमको अपने इतने से कार्य से संतोष नहीं है। अभी तक ‘मण्डल’ से, कुछ अपवादों छोड़कर, ऐसा साहित्य नहीं निकला जो बिल्कुल ‘जन-साधारण का साहित्य’—लोक साहित्य कहा जासके। अभी तक आमतौर पर मध्यम श्रेणी के लोगों को सामने रखकर ‘मण्डल’ का प्रकाशन कार्य होता रहा है लेकिन अब ऐसा समय आगया है कि हमें अपनी गति और दिशा बदलनी चाहिए और जनता का और जनता के लिए साहित्य प्रकाशित करने का खास तौर से आयोजन करना चाहिए।

उपरोक्त इसी विचार को सामने रखकर ‘मण्डल’ से हम ‘लोक साहित्य माला’ नाम की एक पुस्तक माला प्रकाशित करने की तजवीज कर रहे हैं। इस माला में डबल क्राउन सोलह पेजी आकार की दो-ढाई सौ पृष्ठों की लगभग दो सौ पुस्तकें देने का हमारा विचार है। पुस्तकें साधारणतः जन-साधारण की समझ में आने लायक सरल भाषा में, अपने विषयों के सुयोग्य विद्वानों और नामी-नामी लेखकों-द्वारा लिखाई जायँगी। पुस्तकों के विषयों में जनसाधारण से सम्बन्ध रखनेवाले तमाम विषयों—

जैसे ग्राम उद्योग, ग्राम-संगठन, पशुपालन, सफाई, सामाजिक बुराईयाँ, विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र, राजनैतिक, सामान्य जानकारी देशभक्ती की कहानियाँ, महाभारत-रामायण की कहानियाँ, चरित्रबल बढ़ानेवाली कहानियाँ खेती, बागवानी, आदि का समावेश होगा। संक्षेप में हमारा इरादा यह है कि हम लगभग दो सौ पुस्तकों की एक ऐसी छोटी-सी ऐसी लाइब्रेरी बना दें, जो साधारण पढ़े-लिखे लोगों के अन्दर आजकल के सारे विषयों को तथा उनको ऊँचा उठानेवाले युग परिवर्तनकारी विचारों को सरल-से-सरल भाषा में रख दें और उसके बाद उन्हें फिर किसी विषय की खोज में—उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए—कहीं बाहर न जाना पड़े।

ऊपर लिखे अनुसार लगभग दो-ढ़ाई सौ पृष्ठों की पुस्तक माला की पुस्तकों का दाम हम सस्ते-से-सस्ता रखना चाहते हैं। आम तौर पर हिन्दी में उतने पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य १) या १।) ६० रखा जाता है लेकिन हम इस माला की पुस्तकों का दाम आठ आना रखना चाहते हैं। कागज छपाई आदि बहुत बढ़िया होगी।

पहले पहल हम निम्नलिखित पाँच पुस्तकें इस माला में निकालने का आयोजन कर रहे हैं :—

१. हमारे गाँवों की कहानी [स्वर्गीय रामदास गौड़]
२. महाभारत के पात्र—१ [आचार्य नृसिंहप्रसाद कालिप्रसाद भट]
३. लोक-जीवन [आचार्य काका कालेलकर]
४. संतबाणी [वियोगी हरि]
५. हमारी नागरिक जिम्मेदारी [कृष्णचन्द्र विद्यालंकार]

